शनिवार
21 अप्रैल 1956

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १——प्रश्नोत्तर)

खण्ड ३, १९५६

(१७ अप्रैल से १४ मई, १९५६)

Preservation Unit
Fumigated On
Parliament Library

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

बारहवां सत्र, १९५६

(खण्ड ३ में अंक ४१ से अंक ६० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय-सूची

[खण्ड ३, अंक ४१ से अंक ६०—१७ अप्रैल से १४ मई, १९५६]

अंक ४१—मंगलवार, १७ अप्रैल, १९५६

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५०४, १५०५, १५०७ से १५१५, १५१८, १५१९, १५२१, १५२३, १५२४, १५२८, १५३० और १५३२ से १५३८ ... १५०८–३०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५०६, १५१६, १५१७, १५२०, १५२२, १५२५ से १५२७, १५२९ और १५३९ से १५४३ ... १५३०–३४

अतारांकित प्रश्न संख्या १०७० से ११२६ ... १५३४–५३

दैनिक संक्षेपिका ... १५५४–५६

अंक ४२—बुधवार, १८ अप्रैल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५४४ से १५४६, १५४८ से १५५१, १५५३, १५५६, १५५७, १५५९ से १५६३, १५६५, १५६६, १५६९, १५७१ से १५७४ और १५७७ ... ... १५५७–७६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५४७, १५५२, १५५४, १५५५, १५५८, १५६४, १५६७, १५६८, १५७०, १५७५, १५७६ और १५७८ से १५८१ ... १५७६–८०

अतारांकित प्रश्न संख्या ११२७ से ११६८ और ११७० से ११९८ १५८०–१६०५

दनिक संक्षेपिका ... १६०६–०९

अंक ४३—शुक्रवार, २० अप्रेल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५८२ से १५८४, १५८६, १५८९, १५९३, १५९५ से १५९७, १६००, १६०१, १६०३ से १६०७, १६०९, १६१०, और १६१२ से १६१५ ... १६१०–३२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५८५, १५८७, १५८८, १५९१, १५९२, १५९४, १५९८, १५९९, १६०२, १६०८ और १६१६ ... ... १६३२–३५

अतारांकित प्रश्न संख्या ११९९ से १२५० और १२५२ से १२६४ ... १६३५–५९

दैनिक संक्षेपिका ... १६६०–६२

अंक ४४—शनिवार, २१ अप्रैल, १९५६

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १६१७ से १६१९, १६२१, १६२३, १६२४, १६२७ से १६३०, १६३२ से १६३९, १६४१, १६४२, १६४४, १६४५, १६२६ और १६३१ ... ... १६६३–८४

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १३९५, १४१५, १६२०, १६२२, १६२५ और १६४० १६८४–८६

अतारांकित प्रश्न संख्या १२६५ से १२६७ और १२९९ से १३०८ १६८६–१७००

दैनिक संक्षपिका ... १७०१–०३

अंक ४५—सोमवार, २३ अप्रैल, १९५६

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण १७०४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १६४६ से १६४९, १६५२, १६५४ से १६५९, १६६२, १६६३, १६७२, १६६५ से १६६८, १६७०, १६७३, १६७५, १६७८, १६७९, १६६०, १६६४ और १६५१... ... १७०४–२६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १६५०, १६५३, १६६१, १६६९, १६७१, १६७४, १६७६, १६७७ और १६८० ... १७२६–२८

अतारांकित प्रश्न संख्या १३०९ १३५२ और १३५४ से १३६९ ... १७२९–५१

दैनिक संक्षेपिका ... १७५२–५४

अंक ४६—मंगलवार, २४ अप्रैल, १९५६

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण १७५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १६८१ से १६८३, १६८९, १६९०, १६९५, १६९७, १७०१, १७०२, १७०४, १७०६, १७०८, १७०९, १७११, १७१३ से १७१५, १७१७, १६८७ और १६९१ ... १७५५–७४

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १६८४ से १६८६, १६८८, १६९२ से १६९४, १६९६, १६९८ से १७००, १७०३, १७०५, १७०७, १७१०, १७१२ और १७१६ १७७४–७९

अतारांकित प्रश्न संख्या १३७० से १४१०, १४१२ से १४१८, १४२० से १४२३ और १४२५ से १४३५ ... ... १७७९–१८०१

दैनिक संक्षेपिका ... १८०२–०४

अंक ४७—बुधवार, २५ अप्रैल, १९५६

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७१८ से १७२२, १७२४, १७२७, १७३० से १७३२, १७३४, १७३६ से १७३९, १७४१, १७४३, १७२३, १७२५ और १७२६ — १८०५–२६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७२८, १७२९, १७३३, १७३५, १७४० और १७४२ — १८२६–२७

अतारांकित प्रश्न संख्या १४३६ से १४६२ और १४६४ से १४९३ — १८२७–४६

दैनिक संक्षेपिका — १८४७–४९

अंक ४८—गुरुवार, २६ अप्रैल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७४५ से १७४८, १७५२ से १७६०, १७६३, १७६५, १७६७ से १७७०, १७७२, १७४४ और १७६६ ... १८५०–७०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ ... १८७०–७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७४९ से १७५१, १७६१, १७६२, १७६४ और १७७१ — १८७२–७४

अतारांकित प्रश्न संख्या १४९४ से १४९७ और १४९९ से १५२१ ... १८७४–८३

दैनिक संक्षेपिका ... १८८४–८५

अंक ४९—शुक्रवार, २७ अप्रैल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७७३, १७७४, १७७६, १७७९, १७८१ से १७७९, १७९१ से १७९३, १७९५, १७९७ से १७९९, १८०१ और १८०२ — १८८६–१९०७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७७५, १७७७, १७७८, १७८०, १७९०, १७९६, १८०३ और १८०४ ... ... १९०७–०९

अतारांकित प्रश्न संख्या १५२३ से १५३९ और १५४१ से १५६२ ... १९०९–२३

दैनिक संक्षेपिका ... १९२४–२६

अंक ५०—सोमवार, ३० अप्रैल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८०६ से १८११, १८१३, से १८१६, १८२० से १८२४, १८२६ से १८३०, १८३२ और १८३३ ... ... १९२७–४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८०५, १८१२, १८१७ से १८१९, १८२५ और १८३१ — १९४७–४८

अतारांकित प्रश्न संख्या १५६३ से १५७५ और १५७७ से १६०७ ... १९४९–६२

दैनिक संक्षेपिका १९६३–६५

अंक ५१—मंगलवार, १ मई, १९५६

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८३४, १८३६, १८३९, १८४५, १८४७, १८४८, १८५२ से १८५५, १८५७, १८६१, १८३५, १८४३, १८४४ और १८६२ ... १९६६–८५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३ ... १९८५–८७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८३७, १८३८, १८४० से १८४२, १८४६, १८४९ से १८५१, १८५६ और १८५८ से १८६० ... ... १९८७–९०

अतारांकित प्रश्न संख्या १६०८ से १६२६ और १६२८ से १६४१ १९९०–२००१

दैनिक संक्षेपिका ... २००२–०३

अंक ५२—बुधवार, २ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८६३, १८६४, १८६६, १८७०, १८७२, १८७३, १८७६ से १८७८, १८८०, १८८२ से १८८४, १८८७, १८८९, १८९२, १८९३ और १८९५ से १८९७ ... ... २००४–२५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४ और १५ ... २०२५–२९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८६५, १८६७ से १८६९, १८७१, १८७४, १८७५, १८७९, १८८१, १८८५, १८८६, १८८८, १८९० १८९१ और १८९४ २०२९–३३

अतारांकित प्रश्न संख्या १६४२ से १६५४, १६५६ से १६८६ और १६८८ से १७१० ... ... २०३४–५९

दैनिक संक्षेपिका ... २०५६–५५

अंक ५३—गुरुवार, ३ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८९९ से १९०२, १९०४ से १९०८, १९१०, १९११, १९१३ और १९१७ से १९२४ ... ... २०६०–८०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८९८, १९०३, १९०९, १९१२, १९१४ और १९१५ २०८०–८२

अतारांकित प्रश्न संख्या १७११ से १७५९ ... २०८२–९७

दैनिक संक्षेपिका २०९८–२१३०

अंक ५४—शुक्रवार, ४ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १९२५, १९२७, १९३०, १९३८, १९४०, १९४२ से १९४६, १९४८, १९४९, १९५३, १९५६, १९५८, १९६०, १९६२, १९६४, १९६६, १९२६, १९६३, १९३१ और १९३७ ... ... २१०१–२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १९२८, १९२९, १९३२, १९३४ से १९३६, १९३९, १९४१, १९४७, १९५० से १९५२, १९५४, १९५५, १९५७, १९५९, १९६१ और १९६५ ... ... २१२१–२७

अतारांकित प्रश्न संख्या १७९० से १७९७ ... २१२७–३९

दैनिक संक्षेपिका ... २१४०–४२

अंक ५५––सोमवार, ७ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १९६७, १९६९, १९७१, १९७२, १९७५, १९७८, १९७९, १९८१, १९८२, १९८४, १९८६ से १९८८, १९९१ से १९९३, १९९५, १९९७, १९९८, २०००, १९६८, १९७०, १९९९, १९८३ और १९८९ २१४३–६५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १९ २१६६–६७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १९७३, १९७४, १९७६, १९७७, १९९६, १९८०, १९८५, १९९०, १९९४ और २००१ से २००३ २१६८–७१

अतारांकित प्रश्न संख्या १७९८ से १८३६ और १८३८ से १८५० २१७१–८७

दैनिक संक्षेपिका २१८८–९०

अंक ५६––मंगलवार, ८ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २००४, २००७, २००९, २०१२ से २०१६, २०१८, २०१९, २०२१, २०२२, २०२४, २०२८, २०३० से २०३२ और २०३४ २१९१–२२११

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २००५, २००६, २००८, २०१०, २०११, २०१७, २०२०, २०२३, २०२५ से २०२७ से २०२९, २०३३, २०३५ और २०३६ २२११–१५

अतारांकित प्रश्न संख्या १८५२ से १८८५ और १८८७ से १८९३ २२१५–२९

दैनिक संक्षेपिका ... २२३०–३२

अंक ५७––बुधवार, ९ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २०३९, २०४०, २०४२, २०४३, २०४५ से २०५०, २०५२ और २०५६ से २०६० २२३३–५४

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २०३७, २०४१, २०४४, २०५१, २०५३ से २०५५ और २०६१ से २०८३ २२५४–६४

अतारांकित प्रश्न संख्या १८९४ से १९२४ और १९२६ से १९३८ ... २२६४–८०

दैनिक संक्षेपिका २२८१–८३

पृष्ठ

अंक ५८——गुरुवार, १० मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २०८४, २०८५, २०८७, २०९० से २०९२, २०९४, २०९५, २०९८ से २१०२, २१०५ से २१०७, २१०९ और २१११ से २११६ — २२८४–२३०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २०८६, २०८८, २०८९, २०९६, २०९७, २१०३, २१०४, २१०८, २११० और २११७ से २१२५ — २३०४–०९

अतारांकित प्रश्न संख्या १९३९ से १९६४ ... २३०९–१८

दैनिक संक्षेपिका — २३१९–२०

अंक ५९——शुक्रवार, ११ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २१२८, २१३१, २१३३, २१३७, २१३९, २१४२ से २१४४, २१४६ से २१५१, २१५३, २१५६, २१२६, २१२९, २१४५, २१४६, २१४८, २१५४ और २१५५ — २३२१–४२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २१२७, २१३२, २१३४ से २१३६, २१३८, २१४०, २१४१, २१४७, २१५२, २१५७ — २३४२–४५

अतारांकित प्रश्न संख्या १९६५ से १९९२ — २३४५–५४

दैनिक संक्षेपिका — २३५५–५६

अंक ६०——सोमवार, १४ मई, १९५६

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण — २३५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २१५८ से २१६२, २१६४ से २१७०, २१७२, २१७३, २१७५, २१७६ और २१७८ से २१८१ ... २३५७–७७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २१६३, २१७१, २१७४, २१७७ और २१८३ से २१९६ — २३७८–८३

अतारांकित प्रश्न संख्या १९९३ से २०३१ ... २३८३–९६

दैनिक संक्षेपिका — २३९७–९८

M60LSD—190—20-3-58—GIPF

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

लोक-सभा

शनिवार, २१ अप्रैल, १९५६

लोक-सभा साढ़े दस बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

हिन्दी प्रचार

†*१६१७. **श्री झूलन सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अहिन्दी भाषा-भाषी राज्यों को केन्द्र द्वारा दिये गये निम्न सुझावों के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है:—

(१) हिन्दी की उच्च शिक्षा के लिये विद्यार्थियों को वजीफे देना; और

(२) राज्यों में हिन्दी शिक्षकों के लिये प्रशिक्षण विद्यालय चालू करना ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)**: (१) कच्छ और त्रिपुरा राज्यों में हिन्दी की उच्च शिक्षा के लिये कुछ छात्र-वृत्तियों की व्यवस्था की है ।

(२) ट्रावनकोर-कोचीन राज्य में हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय भी चालू किया गया है ।

†**श्री झूलन सिंह** : त्रिपुरा तथा अन्य राज्यों में, प्रश्न के भाग (२) में उल्लिखित जो छात्र-वृत्तियां प्रारम्भ की गयी हैं; उन की राशि कितनी है ?

†**डा० एम० एम० दास** : छात्रवृत्तियों की रकम के सम्बन्ध में मैं इतना ही कह सकता हूं कि इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने कच्छ सरकार को १९५५-५६ के लिये १८०० रुपये और त्रिपुरा के लिये ३००० रुपये स्वीकृत किये हैं ।

†**श्री झूलन सिंह** : अहिन्दी-भाषी राज्यों पर केन्द्र के इस आदेश का क्या प्रभाव रहा ?

†**डा० एम० एम० दास** : हमने १८ अहिन्दी-भाषी राज्यों को इस सम्बन्ध में पत्र लिखे हैं, परन्तु हिन्दी की उच्च शिक्षा कीं छात्र-वृत्तियों के बारे में उन्होंने कोई उत्साह नहीं दिखाया । केवल एक और अहिन्दी-भाषी राज्य ने छात्र-वृत्ति के लिये प्रार्थना की है, परन्तु उसमें कुछ स्पष्टीकरण चाहिये था, इसलिये उस पर कोई निर्णय नहीं किया जा सका ।

†मूल अंग्रेजी में

श्री एम० एल० द्विवेदी : इस प्रतिवेदन के देखने से मालूम पड़ता है कि अहिन्दी भाषा-भाषी प्रांतों में हिन्दी प्रचार के लये ज्यादा रकम खर्च की गई है, तो मैं जानना चाहता हूं कि जहां हिन्दी के प्रचार के लिये अधिक धनराशि खर्च करने की आवश्यकता है, वहां कम क्यों खर्च की गई ?

†**डा० एम० एम० दास** : पता नहीं, माननीय सदस्य ने यह आंकड़े कहां से प्राप्त किये हैं । अभी तक केंद्रीय सरकार ने १८ अहिन्दी भाषा भाषी राज्यों को वित्तीय सहायता दी है और इस सम्बन्ध में ५,३८,१४६ रुपये की धनराशि स्वीकार की है ।

सेठ गोविन्द दास : अभी शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव ने यह कहा कि जहां तक हिन्दी की उच्च शिक्षा का सम्बन्ध है, उन्होंने सभी अहिन्दी राज्यों को पत्र भेजे थे लेकिन उनमें से केवल दो का उत्तर आया, तो मैं जानना चाहता हूं कि यह पत्र कब भेजा गया था और इसके बाद इनका कोई रिमाइंडर भी भेजा गया और सरकार की इस सम्बन्ध में तथा शेष राज्यों में हिन्दी प्रचार के सम्बन्ध में कोई एक निश्चित योजना अभी तक बनी है या नहीं बनी है जिस से कि हम जान सकें कि हिन्दी के प्रचार में वहां पर कितना समय लगेगा ?

†**डा० एम० एम० दास** : शिक्षा मंत्रालय ने अप्रैल, १९५५ में सभी हिन्दी भाषा-भाषी राज्यों को एक गश्ती पत्र लिखा था । जहां तक योजनाओं का सम्बन्ध है, विभिन्न शीर्षकों की एक सूची है जिन के अन्तर्गत सोलह राज्य सरकारों ने केन्द्र से वित्तीय सहायता ली है। उस सूची में बहुत सी मदें हैं ।

†**श्री वी० पी० नायर** : माननीय सभा-सचिव के उत्तर से मालूम होता है कि ट्रावनकोर-कोचीन ही एक ऐसा अहिन्दी भाषी राज्य है जहां कि हिन्दी शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये एक शिक्षा संस्था है । क्या केन्द्रीय सरकार ने इस बात को ध्यान में रखते हुये समस्त अहिन्दी भाषी राज्यों की इस एक मात्र हिन्दी संस्था की आर्थिक सहायता की है ?

†**डा० एम० एम० दास** : जी, हां । त्रावनकोर-कोचीन में हिन्दी शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये स्कूल खोलने के लिये १९५५-५६ में राज्य सरकार को २१,८९९ रुपये की सहायता दी गयी है ।

भारतीय खान ब्यूरो

†*१६१८. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खान ब्यूरों द्वारा १९५५ में कितनी खानों का निरीक्षण किया गया;

(ख) निरीक्षण का उद्देश्य क्या था; और

(ग) निरीक्षण के बाद क्या परामर्श दिया गया ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली)** : (क) ३६४ खानों का ।

(ख) खानों का निरीक्षण उन के परिरक्षण तथा विकास नियम, १९५५ के अन्तर्गत खानों के संरक्षण तथा नियमित रूप से संचालन के उद्देश्य से किया गया था ।

(ग) खान उद्योग को यह परामर्श दिया गया था कि वैज्ञानिक ढंग अपनाना तथा खनिज पदार्थों को उत्तम रीति से निकालना आवश्यक है ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : इस सम्बन्ध में किन सुधारों का सुझाव दिया गया है ?

†**डा० के० एल० श्रीमाली** : भारतीय खान ब्यूरों के निदेशक ने विभिन्न प्रकार के निदेश दिये हैं और इस सम्बन्ध में एक नियम पुस्तिका भी तैयार की गयी है । वास्तविक उद्देश्य यह है कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जाय और खनिज पदार्थों का दुरुपयोग बहुत ही कम हो ।

---

†मूल अंग्रजी में

†**श्री वी० पी० नायर** : जिन तीन सौ खानों का निरीक्षण भारतीय खान ब्यूरों ने किया, क्या उन में वे खानें भी सम्मिलित हैं, जिन से खनिज पदार्थ निकाले नहीं जा रहे, जैसे कि मालाबार की सोने की खानें और ट्रावनकोर-कोचीन की अभ्रक की खानें ?

†**डा० के० एल० श्रीमाली** : जहां तक खानों के निरीक्षण का सम्बन्ध है, निरीक्षण मैंगानीज, अभ्रक, लोह, क्रोमाइट, एसबैसटोज, बएराइटस, सोनदोरम आदि की खानों का ही किया गया है ।

†**श्री वी० पी० नायर** : इसलिये मैंने यह पूछा कि वे भी इसमें सम्मिलित हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने कहा है कि वे उन्हीं तक सीमित है ।

†**श्री वी० पी० नायर** : ट्रावनकोर-कोचीन में अभ्रक की खानें हैं जो कि चालू नहीं हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने सोने की बात की है । क्या वहां अभ्रक भी मिलता है ?

†**डा० के० एल० श्रीमाली** : वहां अभ्रक भी है ।.

†**श्री वी० पी० नायर** : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस ब्यूरो द्वारा ट्रावनकोर-कोचीन की अभ्रक की उन खानों का निरीक्षण भी किया गया है, जो आजकल चालू नहीं हैं ।

†**डा० के० एल० श्रीमाली** : श्रीमान् ट्रावनकोर-कोचीन को अभी इस में सम्मिलित नहीं किया गया । अभी तो निरीक्षण मध्य प्रदेश, आन्ध्र, मैसूर, राजस्थान, बिहार और उड़ीसा की खानों का किया गया है । और जैसे-जैसे और कर्मचारी रखे जायेंगे, दूसरी खानों के निरीक्षण का कार्य भी किया जायेगा ।

†**श्री पी० सी० बोस** : क्या मैं जान सकता हूं कि खान ब्यूरो में कितने योग्यता प्राप्त निरीक्षक हैं और उनकी योग्यतायें क्या हैं ?

†**डा० के० एल० श्रीमाली** : अभी तक तो उस डिवीजन में छः अधिकारी कार्य कर रहे हैं । आशा है कि हम १२ सहायक संरक्षक तथा एक उपसंरक्षक भी भरती कर लेंगे । मुझे खेद है कि मैं इन अधिकारियों की योग्यताओं के सम्बन्ध में संपूर्ण विवरण इस समय नहीं दे सकता ।

श्री भक्त दर्शन : चूंकि यह कार्य बहुत महत्वपूर्ण है और आवश्यक है, इस लिये इस काम को आगे बढ़ाने के लिये क्या कोई खास योजना तैयार की गयी है और उसके लिये क्या कोई कदम उठाये जा रहे हैं ?

डा० के० एल० श्रीमाली : जी हां, योजना तैयार की गई है । जो दो डिवीजन अलग-अलग थे, मांइंस कंट्रोल डिवीजन और मिनरल कंजरवेशन डिवीजन, इन दोनों को मिला दिया गया है तथा और अधिक आफिसर्स नियुक्त किये जा रहे हैं ताकि इस काम को आगे बढ़ाया जा सके ।

†**श्रीमती कमलेन्दुमति शाह** : उत्तर प्रदेश के कौन से जिलों में खानों का पता चला है । क्या सरकार को पता है कि रुद्रप्रयाग के पास अन्य स्थानों पर जहां सड़क बन रही है, बहुत सा अभ्रक पाया जाता है ?

†**डा० के० एल० श्रीमाली** : इसके लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

भूगोल-सम्बन्धी नाम

***१६१६. श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री ६ अगस्त, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या ५७४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी तक भूगोल-सम्बन्धी नामों में कितने परिवर्तन किये गये हैं; और

(ख) क्या इन भूगोल-सम्बन्धी नामों की एक सूची लोक-सभा पटल पर रखी जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली) : (क) ८० ।

(ख) जी हां , आवश्यक जानकारियों से युक्त एक विवरण पत्र सभा पटल पर रखा गया है । **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ३२]**.

श्री भक्त दर्शन : चूंकि इस देश में ऐसे सैकड़ों और हजारों स्थान हैं जिन के कि नामों का अभी तक शुद्ध प्रयोग नहीं किया जा रहा है, और क्या गवर्नमेंट ने राज्य सरकारों को कोई ऐसी हिदायत भेजी है कि वे सब इस सम्बन्ध में जल्दी से जल्दी अपने सुझाव भेजें ताकि जल्दी से जल्दी एक ही साथ सब के बारे में निर्णय किया जा सके, जैसे कि उदाहरणस्वरूप में आप को बतलाऊं कि "दिल्ली" को "देहली" कहा जाता है जब कि उसका शुद्ध उच्चारण "दिल्ली" है ?

डा० के० एल० श्रीमाली : जी हां, इस सम्बन्ध में स्टेट गवर्नमेंट्स से मशविरा हुआ था और सन् १९५३ में कुछ निर्णय किये गये थे । स्टेट गवर्नमेंट्स जैसे जैसे सुझाव भेजती जाती हैं, सर्वे आफ इंडिया या सैंट्रल गवर्नमेंट उन नामों के परिवर्तन के बारे में निर्णय करते जाते हैं ।

श्री भक्त दर्शन : मेरा प्रश्न यह था कि अभी तक जो सर्कुलर इस सम्बन्ध में निकाले गये हैं, उनकी मंशा यह है कि अगर राज्य सरकार सिफारिश करे तो उनके बारे में स्वीकृति दी जा सकती है, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या केंद्रीय सरकार इस बारे में कोई निश्चित नीति अपनाना चाहती है ताकि जल्दी से जल्दी सब के बारे में एक साथ निर्णय किया जा सके ?

डा० के० एल० श्रीमाली : केंद्रीय सरकार ने तो यह निर्णय किया था कि जहां तक हो सके, नाम का परिवर्तन नहीं होना चाहिये क्योंकि उससे काफी असुविधा होती है लेकिन नाम बिल्कुल गलत है या कोई पुराना नाम बतलाया जाता है तो उसका अवश्य परिवर्तन करना चाहिये और इस सम्बन्ध में परामर्श किया गया है और काफी स्थानों के नाम परिवर्तित कर दिये गये हैं और उसके बारे में एक विवरण पत्र सभा-पटल पर रखा गया है ।

अन्धे लोगों के सम्बन्ध में नमूने का सर्वेक्षण

†*१६२१. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में अन्धे लोगों की जनसंख्या का नमूने का सर्वेक्षण करने का विचार करती है;

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण के कब आरम्भ किये जाने की सम्भावना है;

(ग) इस सर्वेक्षण का क्या उद्देश्य है; और

(घ) इस सर्वेक्षण पर कितना व्यय होगा ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) जी, हां । अपाहिज लोगों के मुख्य-मुख्य वर्गों का समसंभाविक नमूने का सर्वेक्षण करने की योजना सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) दूसरे पंचवर्षीय योजना काल के अन्दर ।

(ग) यह जानने के लिये यह सर्वेक्षण किया जायगा कि मुख्य रूप से अपाहिज लोग कितने हैं और उनके क्या कारण हैं तथा जो पहले ही अपाहिज हैं, उनकी शिक्षा सम्बन्धी और सामाजिक तथा आर्थिक आवश्यकतायें क्या हैं ।

(घ) अभी इसका अनुमान नहीं लगाया गया है ।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : यह सर्वेक्षण कब आरम्भ होगा और यह कब तक पूरा हो जायगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० एम० एम० दास** : मैंने अपने मूल उत्तर में कहा है कि यह दूसरी पंचवर्षीय योजना में किया जायगा । मैं माननीय सदस्य को बतलाना चाहता हूं कि सर्वेक्षण करने के लिये विस्तारपूर्वक योजना तैयार की जा रही है ।

†**श्री डी० सी० शर्मा**: क्या मंत्रालय ने फैसला कर लिया है कि किस क्षेत्र में नमूने का सर्वेक्षण किया जायगा, और यदि हां, तो वह क्षेत्र कितना है ?

†**डा० एम० एम० दास** : इसके लिये कोई क्षेत्र नहीं चुना गया है ।

†**श्री वेलायुधन** : क्या यह सर्वेक्षण अन्धे लोगों की वास्तविक संख्या जानने के लिये किया जा रहा है अथवा यह किसी दूसरे सहायता के उद्देश्य से किया जा रहा है ? यदि यह सहायता के लिये, तो सर्वेक्षण करने वाले लोग क्या डाक्टरी से सम्बन्धित लोग होंगे या सामाजिक कार्यकर्त्ता ?

†**डा० एम० एम० दास** : मूल प्रश्न के भाग (ग) में पूछा गया है कि "इस सर्वेक्षण का क्या उद्देश्य है ।" उस भाग के उत्तर में मैं ने कहा है :

"मुख्य-मुख्य अपाहिजों की संख्या और उनके कारणों का अनुमान लगाने के लिये तथा इन लोगों की शिक्षा सम्बन्धी, सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के लिये जो पहले ही अपाहिज हैं ।"

यह उद्देश्य है । अभी तक इससे अधिक और कुछ पता नहीं लगाया गया है ।

दूसरी पंच-वर्षीय योजना

†*१६२३. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान को अमेरिकी सैनिक सहायता मिलने के कारण भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो किस रूप में ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री शिवमूर्ति स्वामी** : दूसरी पंचवर्षीय योजना में प्रतिरक्षा कार्यों के लिये कितना धन रखा गया है ?

†**सरदार मजीठिया** : मेरे पास आंकड़े नहीं हैं । योजना प्रकाशित की जायगी और इससे ब्योरा मालूम हो सकेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं समझता हूं कि प्रारूप योजना प्रकाशित हो चुकी है ।

†**श्री कामत** : जब कि अमरीकी सरकार पाकिस्तान को सैनिक सामान दे रही है, और सैनिक सहायता बढ़ा रही है, क्या यह सच है कि पाकिस्तान हमारा ऋण वापस न देकर, विभिन्न घटनाओं के लिये प्रतिकर न देकर और सीमा के झगड़े और हमले जारी रखते हुये वह हमारी दूसरी पंच वर्षीय योजना में बाधा डालने पर तुली हुई दिखाई देती है,—यद्यपि यह सब कुछ कर रही है—हमारी सरकार, अर्थात्, आप की सरकार.....

†**अध्यक्ष महोदय** : तीन मिनट के बाद, मैं जान नहीं सका कि प्रश्न क्या है ।

†**श्री कामत** : अमरीकी सरकार पाकिस्तान की सैनिक सहायता बढ़ाती जा रही है, इसके बावजूद भी, क्या यह सच है कि हमारी सरकार भी पाकिस्तान को अनाज, कोयला और दूसरी चीजें

†मूल अंग्रेजी में

देकर तथा दूसरी तरह की बहुत सी सहायता दे रही है, जिस से पंच वर्षीय योजना को क्षति पहुंचती है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे समझ में नहीं आता कि इससे मुख्य प्रश्न से क्या सम्बन्ध है । श्री कासलीवाल ।

†**श्री कासलीवाल** : पाकिस्तान को अमरीकी सैनिक सहायता दी गई है, तथा हमारी सीमा पर सदा खतरा रहता है, इस कारण क्या माननीय मंत्री सभा को आश्वासन दे सकते हैं कि अपनी प्रति-रक्षा को शक्तिशाली बनाने के लिये प्रत्येक संभव कार्रवाई की जा रही है ?

†**सरदार मजीठिया** : मुझे यह आश्वासन देने की आवश्यकता नहीं । यह आश्वासन हाल ही में हुये वाद-विवाद के अन्तर्गत, इस सभा में दिया गया था ।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : क्या यह सच नहीं है कि प्रधान मंत्री ने कहा है कि दूसरी पंच-वर्षीय योजना लचीली योजना होगी, और क्योंकि दूसरी योजना लचीली है, क्या यह सच नहीं है कि उत्पन्न होने वाली नवीन स्थितियों का ध्यान रखते हुये प्रतिरक्षा बजट को बढ़ाया जाना चाहिये ?

†**सरदार मजीठिया** : जी, हां । आप का अनुमान बिल्कुल ठीक है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय उपमंत्री को सदा अध्यक्ष को सम्बोधित करना चाहिये ।

†**सरदार मजीठिया** : जी, हां । यह सर्वथा ठीक है कि यदि सरकार यह अनुभव करती है कि देश को प्रतिरक्षा के लिये अधिक धन खर्च करने की आवश्यकता है, तो सरकार निश्चय ही अधिक धन मांगने में तनिक भी हिचकचाहट नहीं करेगी ।

†**श्री शिवमूर्त्ति स्वामी** : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि पाकिस्तान को अमरीका से युद्ध का आधुनिक सामान मिल रहा है, क्या सरकार दूसरी ओर से, अर्थात् रूस से, युद्ध का आधुनिक सामान बनाने, जिन में जैट् (युद्ध के जहाज) सम्मिलित हैं, और दूसरा सामान बनाने के लिये टैक्निकल सहायता मांग रही है और यदि नहीं, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई प्रारम्भिक परामर्श किया जा रहा है ?

†**सरदार मजीठिया** : यह प्रश्न इस समय उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि प्रारम्भ में, हम अपना टैक्निकल ज्ञान बढ़ाने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं । देश का टैक्निकल विकास और औद्योगिक विकास साथ-साथ चलते हैं और उनके बढ़ने से स्वतः ही सामान उत्पादन की वृद्धि होती है ।

केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिक गवेषणा संस्था

†*१६२४. **श्री सिद्धनंजप्पा** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या यह सच है कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिक गवेषणा संस्था ने मैसूर नगर नगरपालिका परिषद् को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिस में नगर में बहुत से छोटे पैमाने के उद्योग और कुटीर उद्योग खोलने की सम्भवता का उल्लेख किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या मैसूर सरकार ने योजना को कार्यान्वित करने के लिये केंद्रीय सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सिद्धनंजप्पा** : मैसूर सरकार ने जो प्रस्थापनायें भेजी हैं उन पर विचार न किये जाने के क्या कारण हैं ?

†**डा० के० एल० श्रीमाली** : मुझे मालूम नहीं कि मैसूर सरकार ने केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कुछ सहायता दी थी किन्तु इस परियोजना विशेष के लिये नहीं।

संरक्षणात्मक खाद्यान्न

†*१६२७. **श्री गिडवानी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में बहुप्रयोजनीय संरक्षणात्मक खाद्य पदार्थों का प्रचार करने का क्या विचार किया गया है; और

(ख) इस खुराक में क्या तत्व हैं तथा उनमें पोषण तत्व कितने हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली)** : (क) तथा (ख). अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ३३**]

†**श्री गिडवानी** : विवरण में कहा है कि वैज्ञानिक और औद्योगिक गवेषणा परिषद् ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में मील्ज फार मिलियन्स असोसियेशनस, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, सामुदायिक परियोजनाओं आदि अभिकरणों के द्वारा बहुप्रयोजनीय संरक्षणात्मक खाद्य का प्रचार करने का विचार करती है, क्या इस संरक्षणात्मक खाद्य को मुफ्त बांटने का विचार किया गया है या इस के लिये लोगों से मूल्य लिया जायेगा ?

†**डा० के० एल० श्रीमाली** : उस प्रश्न के सम्बन्ध में कोई निश्चित नीति नहीं बनाई गई है, किन्तु हम आशा करते हैं कि कम से कम स्कूलों के बच्चों में यह खुराक मुफ्त बांटी जायेगी।

†**श्री गिडवानी** : विवरण में कहा गया है कि खुराक में मूंगफली के तेल से निकाली गई मूंगफली का आटा और भुजी हुई दालें, जिन में कई चीजें और विटामिन सम्मिलित हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह खुराक लोगों को बाज़ार में मिल सकेगी और साधारण खुराक के मुकाबिले में इस के दाम क्या होंगे ?

†**डा० के० एल० श्रीमाली** : एक वर्ष के पश्चात्, हम इसे बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं। मैं इस समय ठीक मूल्य नहीं बता सकता और कह नहीं सकता कि दूसरी प्रकार की खुराकों के मुकाबिले में यह कैसा होगा, किन्तु यह बहुत सस्ती होगी।

†**श्री वी० पी० नायर** : अब विद्यार्थियों को जो खुराक मिलती है, उसमें कितने किलोरियों की कमी है, और जिसे बहुप्रयोजनीय संरक्षणात्मक खुराक के संभरण के द्वारा पूरा करने का प्रयत्न किया जा रहा है ? क्या इस संभरण की प्रस्थापना करने से पहले कोई अनुमान लगाया गया है ?

†**डा० के० एल० श्रीमाली** : जी, हां। विस्तृत अनुमान लगाया गया है। किन्तु मैं इस समय ब्योरा देने में असमर्थ हूं। तथापि यह खुराक विटामिन 'ए' तथा 'बी' कम्पलेक्स प्रोटीन, तथा दूसरी प्रकार के तत्वों की कमी को कुछ पूरा करेगी।

†**श्री वी० पी० नायर** : क्या सरकार को विदित है कि मुख्यतया दक्षिण भारत में स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में बहुत से कारणों से पौष्टिक पदार्थों के अभाव के चिन्ह दिखाई देते हैं और यदि हां, तो यह संरक्षणात्मक खुराक कम से कम उन पोषण सम्बन्धी खराबियों को दूर कर सकेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० के० एल० श्रीमाली** : जी, हां । इसीलिये यह खुराक बनाई गई है । यह बहुत सी कमियों को पूरा करेगी और ज्यों ही यह खुराक तैयार हो जायेगी, स्कूलों के बच्चों को प्रथम प्राथमिकता दी जायेगी । न केवल दक्षिण भारत के स्कूलों के विद्यार्थी अपितु समस्त देश के स्कूलों के बच्चों में पौष्टिक तत्वों सम्बन्धी खराबियां हैं ।

†**श्री एस० सी० देव** : खुराक में पौष्टिक तत्वों की खराबी के बारे में क्या कोई योजना दूसरी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की गई है और विभिन्न राज्यों में इस का वितरण कैसे होगा ?

†**डा० के० एल० श्रीमाली** : यह बहुत बड़ा प्रश्न है । इसके लिये पूर्व-सूचना की आवश्यकता है ।

दिल्ली मतदाता-सूची

*१६२८. **श्री पी० एल० बारूपाल** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में झौंपड़ियों में रहने वाले लाखों व्यक्तियों के नाम मतदाता-सूची में नहीं हैं; और

(ख) क्या अगले चुनाव के पहले ऐसे व्यक्तियों के नाम मतदाता-सूची में सम्मिलित किये जाने की आशा है ?

विधि-कार्य मंत्री (श्री एच० वी० पाटस्कर) : (क) नहीं ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

श्री पी० एल० बारूपाल : क्या यह सही है कि मतदाता-सूची तैयार करने वाले कर्मचारी पूर्व सूची को देख कर ही और उन के निशान लगा कर सूचियां तैयार करते हैं और जो लोग अब बालिग हो गये हैं अर्थात् २१ वर्ष के हो गये हैं, उनके नये नामों को अंकित नहीं करते हैं ?

श्री पाटस्कर : हमारा जो एलेक्शन का स्टाफ है वह सब जगह जाता है, चाहे वह झौंपड़ी ही क्यों न हो, और सब का नाम दर्ज करता है । किसी का भी नाम लिस्ट में से निकलता नहीं है ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि जो मजदूर लोग होते हैं उनके काम पर चले जाने के कारण उनके नाम मतदाता-सूची में आने से वंचित हो जाते हैं, और क्या उन के नामों को मतदाता-सूची में लाने के लिये सरकार कोई प्रयत्न कर रही है ?

श्री पाटस्कर : सरकार की इन्फार्मेशन (जानकारी) है कि सरकारी कर्मचारी हर तरफ जाते हैं और अगर कोई नहीं मिलता है तो दोबारा उस की तरफ जाते हैं । यह भी हमारी इन्फार्मेशन है कि जो लोग झौपड़ियों में रहते हैं उनमें से करीब ७५,००० आदमियों का नाम हमारी मतदाता लिस्ट में है ।

श्री पी० एल० बारूपाल : हमारा यह अनुभव है कि पिछले चुनावों में बहुत सी खानाबदोश जातियां, जिनको घुमक्कड़ कहा जाता है, के आदमियों के नाम लिस्ट में नहीं थे और वे लोग मताधिकार से वंचित रह गये थे । क्या ऐसी जातियों के लोगों के नाम अगले चुनावों के लिये सूची में अंकित करने का कोई प्रबन्ध किया जायेगा ।

श्री पाटस्कर : अभी तक जो इन्फार्मेशन हम ने पाई है उसके अनुसार यह काम चल रहा है ।

†**श्री राधा रमण** : मतदाता बनने के लिये निश्चित स्थान सम्बन्धी अर्हताओं को दूर करने के प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार उन सभी व्यक्तियों को नामांकित करेगी जो मत देने के अधिकारी हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री पाटस्कर** : विधेयक पारित हो जाने के बाद इस पर विचार किया जायेगा ।

श्रीमती शिवराजवती नेहरु : यह जो खानाबदोश लोग है, इनके नाम वोटर्स लिस्ट में दर्ज करते वक्त खास तौर से गड़बड़ी हो जाती है । हमारे यहां यू० पी० में जो लिस्ट्स बनी हैं, वे बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं । उनमें बहुत से लोगों के नाम ही नहीं हैं । अगर एक घर में पांच आदमी हैं, तो लिस्ट में एक का ही नाम होता है और बाकी चार के नाम ही नहीं होते। हर मुहल्ले के बारे में ही ऐसा होता है । मैं पूछना चाहती हूं कि वोटर्स की लिस्ट्स को ठीक तरह से बनाने के लिये और यह देखने के लिये कि सब के नाम उन में आ जायें गवर्नमेंट क्या इंतिजाम कर रही है ?

श्री पाटस्कर : जो बात आपने कही है यह पहले हुई होगी और इसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है । अब काम बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है और हमारे आदमी हर एक जगह और हर घर में जा कर लोगों के नाम लिख रहे हैं ।

†**श्री कामत** : कार्यालय से जो जानकारी मिली है उस से पता चला है कि निर्वाचन आयोग ने सभी राजनैतिक दलों को उनके सहयोग के लिये विनीत निमंत्रण भेजा है । क्या आयोग का विचार सभी महत्वपूर्ण राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाने का है ताकि निर्वाचक नामावली और सम्बद्ध मामलों पर चर्चा हो सके ?

†**श्री पाटस्कर** : मैंने पहले भी बताया है कि निर्वाचन आयोग सभी राजनैतिक दलों के सहयोग के लिये इच्छुक है । निकट भविष्य में सम्मेलन बुलाने के बारे में तो माननीय सदस्य मुझे लिखें और जानकारी प्राप्त करें ।

†**श्री नम्बियार** : क्या सरकार को मद्रास राज्य से शिकायतें मिली हैं कि विभिन्न जिलों के बहुत से मतदाताओं के नाम सम्मिलित नहीं किये गये हैं और क्या सरकार जिला पदाधिकारियों को समाचार सीधे भेजने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

†**श्री पाटस्कर** : यह मुख्य प्रश्न से बाहर की बात है । यदि माननीय सदस्य मुझे लिखें तो मैं इसका भी उत्तर दूंगा ।

भारत का रक्षित बैंक

*१६२९. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष में भारत के रक्षित बैंक के कृषि विभाग का किस प्रकार विस्तार किया गया था, और उसने कृषि सम्बन्धी ऋणों के बारे में क्या क्या मुख्य सेवायें की थीं;

(ख) क्या १९५६-५७ में इस विभाग को बढ़ाने के लिये कोई कार्य-क्रम बना लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अरुण चन्द्र गुह): (क) से (ग). इस सम्बन्ध में सदन की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबंध संख्या ३४]**

†**श्री श्रीनारायण दास** : विवरण से पता चलता है कि तीन विभाग चालू किये गये हैं । इन विभागों के मुख्यालय कहां-कहां हैं ?

†**श्री अरुण चन्द्र गुह** : ये विभाग रक्षित बैंक के मुख्यालय में खोले गये हैं; मुख्यालय में इन तीन विभागों के साथ-साथ बम्बई, कलकत्ता और मद्रास और दिल्ली में क्षेत्रीय कार्यालय होंगे ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : विवरण में यह बताया है कि "योजना को पूरी तरह कार्यान्वित करने के लिये जो समय लगेगा वह कुछ बातों पर जैसे भर्ती की प्रगति, कर्मचारियों का प्रशिक्षण आदि पर

†मूल अंग्रेजी में

निर्भर रहेगा" । क्या योजना को पूरी तरह कार्यान्वित करने के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

†**श्री अरुण चन्द्र गुह** : यह बढ़ती हुई चीज़ है । धीरे धीरे योजना का विस्तार किया जायगा। मैं यह नहीं कह सकता कि किस तारीख तक योजना पूरी तरह कार्यान्वित की जायगी । परन्तु इस पर पहले से ही कार्य आरम्भ हो गया है ।

†**श्री ए० एम० थामस** : विवरण से पता चलता है कि सहकारी संगठनों का उपयोग केवल अल्प कालीन एवं मध्यमकालीन ऋणों को स्वीकार करने के लिये किया गया है । क्या सहकारी भूमि बन्धक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण देने के लिये रक्षित बैंक की कोई योजना है ?

†**श्री अरुण चन्द्र गुह** : रक्षित बैंक भूमि बन्धक बैंकों के ऋण पत्र खरीदकर पहले से ही ऋण दे रहा है ।

†**श्री एन० बी० चौधरी** : तकावी तथा अन्य दूसरे कृषि सम्बन्धी जो ऋण दिये गये हैं उनको राज्य नहीं बढ़ा सकते, इस तथ्य को देखते हुये और यह दृष्टिगत रखते हुये कि प्रथम पंच-वर्षीय योजना के लिये जो लक्ष्य रखा गया था वह पूरा नहीं हुआ है क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या रक्षित बैंक ऋण की राशि बढ़ाने का प्रयत्न कर रहा है ताकि किसानों को ऋण की पर्याप्त सुविधायें मिलें ?

†**श्री अरुण चन्द्र गुह** : रक्षित बैंक द्वारा सहकारी बैंकों को दिये जाने वाले ऋण का कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है । रक्षित बैंक ऋण देने के लिये तैयार है परन्तु उसे लेना सहकारी बैंकों की योग्यता पर निर्भर है । माननीय सदस्य को इस विषय में कोई भ्रम है । कृषि सम्बन्धी ऋण के लिये १३० करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिस की पूर्त्ति प्रथम योजना के पांच वर्षों में होनी थी । हम १०० करोड़ से अधिक दे चुके हैं तथा लगभग लक्ष्य तक पहुंच गये हैं ।

†**श्री वेलायुधन** : तीन विभाग खोले गये हैं । किसानों को अब तक कितना ऋण दिया जा चुका है ?

†**श्री अरुण चन्द्र गुह** : किसानों को भांडागार निगम द्वारा ऋण देना राज्य बैंकों का काम है । यह प्रश्न रक्षित बैंक के बारे में है ।

†**श्री एन० एम० लिंगम** : क्या सारा ऋण केवल सहकारी बैंकों के द्वारा किसानों को दिया गया है अथवा कुछ ऋण सीधे राज्य बैंक द्वारा दिया गया है । यदि बाद वाली योजना कार्यान्वित की गई है तो कितना ऋण दिया गया है ?

†**श्री अरुण चन्द्र गुह** : रक्षित बैंक केवल सहकारी बैंकों के द्वारा ऋण देता है । जब भांडागार निगम स्थापित हो जायगा तो राज्य बैंक भांडागार निगम और विपणन बोर्डों को कुछ सहायता दे सकेगा, वह विधेयक सभा के समक्ष है और उसके पारित होने पर योजना कार्यान्वित की जायगी ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : इस विषय में रक्षित बैंकों को मंत्रणा देने के लिये क्या मंत्रणा परिषद् और स्थायी मंत्रणा समिति बनाई गई हैं और क्या वे कार्य कर रही हैं ?

†**श्री अरुण चन्द्र गुह** : मैं ठीक नहीं कह सकता पर जहां तक मुझे स्मरण है मंत्रणा बोर्ड बनाया गया है । निश्चित उत्तर के लिये मुझे सूचना चाहिये ।

कोनार्क मन्दिर

†*१६३० **पंडित लिंगराज मिश्र** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ वर्ष पहले कोनार्क से कुछ अत्यन्त सुन्दर और सुरक्षित मूर्त्तियां तथा पत्थर की कलाकृतियां कोनार्क से दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहगार के लिये हटा ली गईं थीं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह भी सच है कि हाल ही में ऐसी कलाकृतियों और उन मूर्तियों को कोनार्क से दिल्ली ले जाने का अग्रेतर प्रयत्न किया गया था परन्तु स्थानीय लोगों के विरोध के कारण उस प्रयत्न को त्यागना पड़ा; और

(ग) क्या राष्ट्रीय स्मारकों को हटाकर राष्ट्रीय संग्रहालय की वृद्धि करने की कार्यवाही का अन्यत्र भी पालन किया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) पुरातत्व के अधीक्षक, पूर्वी सर्किल, कलकत्ता से १९५० में राष्ट्रीय संग्रहालय के लिये १० पत्थर को कलाकृतियां कोनार्क से प्राप्त हुई थीं और वे भारत के पुरातत्व विभाग से उधार के रूप में प्राप्त हुई हैं ।

(ख) अप्रैल १९५५ के भारत के पुरातत्व विभाग के महान निदेशक ने पूर्वी सर्किल के पुरातत्व के अधीक्षक से एक खंडित कलाकृति को जो कोनार्क में पुरातत्व विभाग के शेड में पड़ी हुई थी भेजने के लिये कहा । जब यह भेजी जाने वाली थी तब कुछ स्थानीय लोग इकट्ठे हुये और उसे भेजने नहीं दिया ।

(ग) ऐसी कलाकृतियां जिसका किसी स्मारक में निश्चित स्थान नहीं होता और जो यहां वहां पड़ी रहती हैं तथा जो साधारणतया गुम जाती हैं या जिन्हें लोग उठा ले जाते हैं वे यदि राष्ट्रीय महत्व की होती हैं तो राष्ट्रीय संग्रहालय के लिये मंगा ली जाती हैं ।

†**पंडित लिंगराज मिश्र** : क्या मूर्त्ति अथवा कलाकृति को हटाते समय उसके स्थान पर प्लास्टर अथवा सीमेंट की प्रतिकृति को स्थानीय जनता के लाभ के लिये वहां रखने का प्रयत्न किया जाता है ?

†**डा० एम० एम० दास** : जब सम्भव होता है तब मूर्त्ति अथवा कलाकृति के स्थानों पर प्लास्टर अथवा सीमेंट की प्रतिकृति रख दी जाती है । जब वे बिखरी पड़ी रहती है और स्मारक में उनका कोई निश्चित स्थान नहीं होता तब वे राष्ट्रीय संग्रहालय के लिये ले ली जाती हैं यदि उनका पर्याप्त महत्व होता है तो ?

†**श्री एस० सी० सामन्त** : क्या कोनार्क में कोई संग्रहालय है और क्या यह सच है कि बहुत सी कलाकृतियां और मूर्त्तियां वहां खुले स्थान में रख दी जाती हैं ?

†**डा० एम० एम० दास** : इस विषय में मुझे कोई विशेष जानकारी नहीं हैं ।

†**श्री सारंगधर दास** : कोनार्क अथवा किसी अन्य स्थान से खंडित अथवा अच्छी कलाकृतियों को हटाने से पहले क्या उड़ीसा सरकार की अनुज्ञा ली जाती है ?

†**डा० एम० एम० दास** : कोनार्क मन्दिर भारत सरकार के पुरातत्व विभाग का है इसलिये उड़ीसा सरकार की अनुज्ञा नहीं ली जाती । मैं कह दूं कि बिखरी हुई और खंडित कलाकृतियों की सुरक्षा और उनका प्रदर्शन संग्रहालय में ही अच्छे ढंग से होता है क्योंकि यदि वे किसी अन्य स्थान पर छोड़ दी जायें तो आदर्श हीन व्यक्तियों द्वारा उनके ले लिये जाने की सम्भावना है ।

आन्ध्र को ऋण

†*१६३२. **डा० रामा राव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुरुनूल नगर और उपनगरों के विकास के लिये कन्द्रीय सरकार ने आन्ध्र सरकार को ऋण और अग्रिम के रूप में कितनी राशि दी है; और

(ख) यदि हां, तो ऋण की शर्तें क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त उपमंत्री (श्री बी० आर० भगत)** : (क) कुरुनूल नगर तथा उसके उपनगरों के विकास के लिये आन्ध्र सरकार को कोई विशिष्ट ऋण नहीं दिया गया है। जुलाई १९५३ में कुरुनूल में राजधानी बनाने के लिये सम्पूर्ण मद्रास राज्य को ४० लाख का ऋण दिया गया था। आन्ध्र राज्य अधिनियम १९५३ की सातवीं अनुसूची की धारा १२ उपधारा (२) के अधीन १ अक्टूबर, १९५३ से पहले राजधानी पर किये गये वास्तविक व्यय तक इस ऋण का उत्तरदायित्व आन्ध्र सरकार पर है। अब बताया गया है कि यह राशि १३·७१ लाख है।

(ख) ऋण १५ वर्ष के लिये था। और ब्याज की दर प्रति सैकड़ा प्रति वर्ष ४॥ है।

†**श्री बी० एस० मूर्त्ति** : क्या ४० लाख रुपये की यह राशि सम्पूर्ण मद्रास राज्य को एक करोड़ रुपये की उस राशि का आंशिक भुगतान आन्ध्र राज्य को करने के लिये दी गयी थी जिसे देने का वचन मद्रास राज्य ने आन्ध्र राज्य को कुरुनूल में राजधानी बनाने के लिये दिया था ?

†**श्री बी० आर० भगत** : जी, नहीं। १३·७१ लाख आन्ध्र राज्य के नाम में जमा किया गया था और ४० लाख में से शेष राशि सम्पूर्ण मद्रास राज्य के लिये अग्रिम समझी गई थी। आन्ध्र राज्य में सापेक्षतया कम भवन हिस्से में आये थे। इसके लिये अन्तिम रूप से आन्ध्र राज्य को प्रतिकर देने के लिये संयुक्त ऋण के उत्तरदायित्व में उसका अंश घटाकर २३०·४ लाख कर दिया जायगा। ऐसी व्यवस्था की गई है।

†**श्री बी० एस० मूर्त्ति** : क्या यह सच नहीं है कि आन्ध्र राज्य में उसकी राजधानी के लिये कोई नगर न होने के कारण केन्द्रीय सरकार तथा मद्रास राज्य ने आन्ध्र की राजधानी बनाने के लिये वित्तीय सहायता देने का वचन दिया था ? यदि हां तो कुरुनूल में राजधानी बनाने के लिये दिये गये ऋण के अतिरिक्त क्या सहायता दी गई है ?

†**श्री बी० आर० भगत** : दिसम्बर १९५४ में आन्ध्र सरकार ने वित्त मंत्रालय से प्रार्थना की थी कि कुरुनूल में राजधानी बनाने के लिये ऋण दिया जाय। उनसे कहा गया कि वे योजना आयोग को एक योजना भेंजे जो प्रथम पंचवर्षीय योजना के भाग के रूप में स्वीकृत की जा सके। उन्होंने प्राक्कलन भेजा। बाद में उन्होंने पुनरीक्षित प्राक्कलन भेजा। अब सारा विषय द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन आयेगा। पुनरीक्षित प्राक्कलन २८३·०८ लाख है, उनकी जांच की जा रही है।

†**श्री टी० एस० ए० चेट्टियार** : इस बात को देखते हुये कि हैदराबाद उस क्षेत्र की राजधानी हो जायेगी क्या कुरुनूल के विस्तार के लिये जो और अधिक व्यय किया जाने वाला है उसे रोकने के लिये क्या कोई उपाय किये जाने वाले हैं ?

†**श्री बी० आर० भगत** : यह बिल्कुल नई बात है। इसका ध्यान योजना आयोग और राज्य सरकार दोनों रखेंगी।

मृत्यु दंड

†*१६३३. **श्री वल्लाथरास** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को बौद्धों की ओर से एक अभ्यावेदन मिला है जिस में सिफारिश की गई है कि बुद्ध जयन्ती समारोह के दिनों में जो २३ मई १९५६ से प्रारम्भ हो रहा है भारत में मृत्यु दंड रोक दिया जाय; और

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वल्लाथरास :** लंका सरकार ने अभी हाल में मृत्यु दण्ड को ३ वर्ष के लिये रोक दिया है तथा इंगलिस्तान ने भी मृत्यु दण्ड को समाप्त कर दिया है, और भूतपूर्व देशी रियासतों में मृत्यु दण्ड बिल्कुल भी नहीं था, इन तथ्यों को देखते हुये क्या सरकार बुद्ध-जयन्ती तथा अन्य दूसरी बातों को ध्यान में रखते हुये कुछ वर्षों के लिये प्रयोगात्मक रूप में मृत्यु दंड को रोकेगी ?

†**श्री दातार :** कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं जिन के कारण यह आवश्यक नहीं है और न यह सम्भव ही है कि भारत में जब प्रतिवर्ष लगभग ९००० कत्ल होते हैं तब मृत्यु दंड को समाप्त करने के प्रश्न पर विचार किया जाय।

†**श्री कामत :** कम से कम पुलिस द्वारा गोली चलाना तो रोक दिया जाय ।

†**श्री ए० एम० थामस :** इस बात को देखते हुये कि हमारी संहिता इंगलिस्तान परिनियम के आधार पर बनी हुई है, क्या सरकार ने फिर से इस बात की जांच की है जब कि हाउस आफ कामन्स ने गत १६ फरवरी को मृत्यु दंड समाप्त कर दिया है ।

†**श्री दातार :** माननीय सदस्य जानते होंगे कि वहां इस प्रश्न पर लगातार ५ वर्ष तक विवाद हुआ था और गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प पर भी, जो कि पारित हो गया था, बहुत काफी बहुमत नहीं मिला था । इसका अभिप्राय यह है कि अब भी इंगलिस्तान में इसके बारे में दो रायें हैं । भारत में कठिनाइयां हैं । अतः सरकार का यह विचार है कि इस प्रश्न पर इस समय विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न उत्तर जानने के लिये पूछे जाते हैं । प्रत्येक माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि सरकार को अपनी नीति बदलनी चाहिये और मृत्यु दंड को समाप्त कर देना चाहिये ।

†**श्री दातार :** मैं यह बताना चाहता हूं कि·····

†**अध्यक्ष महोदय :** नहीं ।

डा० रुडोल्फ फ्लेश तथा श्री पी० मार्टिन स्मिथ का आगमन

†*१६३४. **डा० सत्यवादी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमेरिका के डा० रुडोल्फ फ्लेश तथा न्यूजीलैंड के श्री पी० मार्टिन स्मिथ के आगमन पर भारत सरकार द्वारा कितना रुपया खर्च किया गया था; और

(ख) उनके द्वारा किये गये कार्य का संक्षिप्त विवरण ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) :** (क) ९६ रु० १४ आ० ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ३५]**

†**डा० सत्यवादी :** क्या मैं जान सकता हूं कि यह जो विशेषज्ञ आये थे इन्होंने हमारी इन संस्थाओं में कुछ इम्प्रूवमेंट्स (सुधार) के लिये सजैश्शंस (सुझाव) या रिपोर्ट्स (प्रतिवेदन) सरकार को दिये हैं ?

†**डा० एम० एम० दास :** उन्होंने भारत सरकार को कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है ।

†**श्री वेलायुधन :** क्या मैं जान सकता हूं कि वे किस लिये भारत आये हैं ? किन किन राज्यों का उन्होंने दौरा किया है ? राज्यों के दौरे के लिये उनके पास कहां से रुपया आता है ?

†**डा० एम० एम० दास :** माननीय सदस्य कृपया सभा पटल पर रखे गये विवरण को देखें । उसमें दिया हुआ है कि किन-किन राज्यों में वे गये । भारत सरकार ने फोर्ड फाउन्डेशन तथा यूनेस्को

†मूल अंग्रेजी में

से प्रबन्ध करके इन दोनों विशेषज्ञोंकी सेवा यें प्राप्त की थीं। इनका खर्चा फोर्ड फाउन्डेशन तथा यूनुस्को द्वारा ही वहन किया जाता है। डा० रुडोल्फ फ्लेश जन सामान्य के लिये लिखने की टेकनीक के व्याख्याता हैं और श्री पी० मार्टिन स्मिथ न्यूजीलैंड में प्रौढ़ शिक्षा के राष्ट्रीय सचिव हैं।

†**श्री बी० एस० मूर्त्ति** : जिन संगठनों की ओर से ये दोनों सज्जन भारत आये हैं क्या उन्हें ये कोई प्रतिवेदन देते हैं, और यदि हां, तो क्या प्रतिवेदनों की प्रतियां भारत सरकार को भी दी जाती हैं, और यदि नहीं, तो भारत सरकार उनकी प्रतियां क्यों नहीं मांगती ?

†**डा० एम० एम० दास** : मूल प्रश्नकर्त्ता का प्रश्न यही था। ये दोनों सज्जन भारत सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करेंगे। वे इस देश में जिन विभिन्न संस्थाओं में गये उन्होंने उनके मश्वरे, भाषणों तथा चर्चा से लाभ उठाया।

†**श्री बी० एस० मूर्त्ति** : मेरा प्रश्न यह था कि·····

†**अध्यक्ष महोदय** : दोनों माननीय सदस्य बोल चुके हैं; यह सब अंग्रेजी में है।

†**श्री बी० एस० मूर्त्ति** : मेरा प्रश्न था कि·····

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न वह था और उत्तर यह है।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि जब इन दोनों विशेषज्ञों से रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुयी, तब इनके अनुभवों से लाभ किस प्रकार उठाया जा रहा है ?

†**डा० एम० एम० दास** : मैं बतला चुका हूं कि जिन संस्थाओं में वे गये उन्होंने उनके मश्वरे, भाषणों तथा चर्चाओं से लाभ उठाया।

केन्द्रीय अनुसूचित जाति और आदिम जाति कल्याण बोर्ड

*१६३५. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार एक केन्द्रीय अनुसूचित जाति और आदिम जाति कल्याण बोर्ड खोलना चाहती है;

(ख) यदि हां, तो उसके कब तक खोले जाने की आशा है; और

(ग) उसमें कितने सदस्यों को रखने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख). जी हां। केन्द्र में दो सलाहकार मंडल, एक आदिम जातियों और दूसरा अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिये, शीघ्र ही स्थापित करने का निश्चय किया गया है।

(ग) आदिम जातियों के कल्याण के लिये केन्द्रीय सलाहकार मंडल में २१ व्यक्ति होंगे जिन में १५ संसत्सदस्य और बाकी आदिम जाति कल्याण में रुचि रखने वाले व्यक्ति होंगे। अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिये केन्द्रीय सलाहकार मंडल में कुल ३० सदस्य होंगे जिन में से २० हरिजन होंगे।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों से भी कोई परामर्श किया गया है ?

†**श्री दातार** : जी नहीं। यह बिल्कुल आवश्यक नहीं है। इन बोर्डों की स्थापना हम अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याणार्थ मशविरा प्राप्त करने के लिये कर रहे हैं।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि इसका अन्तिम निर्णय कब तक हो जायगा और यह बोर्ड कब तक अपना कार्य प्रारम्भ कर देगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री दातार : जल्दी से जल्दी होगा ।

श्री पी० एल० बारूपाल : क्या मैं जान सकता हूं कि जो यह बोर्ड बनेगा, उसमें महिलायें भी सदस्य की तौर पर ली जायेंगी ?

श्री दातार : इसके ऊपर भी सरकार विचार करेगी ।

†**श्री बी० एस० मूर्त्ति** : क्या राज्य सरकारों को भी इस बोर्ड में प्रतिनिधित्व दिया गया है, और यदि हां, तो क्या सब राज्य प्रतिनिधित होंगे अथवा कुछ ?

†**श्री दातार** : बोर्ड के सदस्यों की न्यून संख्या से माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर स्पष्ट मिल जाता है । विचार यह है कि इन दोनों मण्डलों में संसद के सदस्य भी प्रतिनिधियों के रूप में हों । इसके अतिरिक्त ऐसे सामाजिक कार्यकर्त्ता भी होंगे जिन्होंने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम-जातियों के कल्याणार्थ काम किया है ।

†**श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या पिछड़े वर्गों को भी प्रतिनिधित्व दिया जायगा ?

†**श्री दातार** : यह पिछड़े वर्गों का मामला नहीं है, केवल अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का प्रश्न है ।

†**श्री वेलायुधन** : इस बोर्ड में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के प्रतिनिधियों का अनुपात क्या होगा ?

†**श्री दातार** : यह पहले ही बताया जा चुका है । जहां तक अनुसूचित जातियों का सम्बन्ध है कुल ३० सदस्यों में से २० वे होंगे, जहां तक अनुसूचित आदिम जातियों का प्रश्न है, उनका काफी प्रतिनिधित्व होगा और १५ में से संसद से जनजातियों के सदस्यों में से अनेक होंगे ।

†**श्री राधा रमण** : इस बोर्ड के सदस्य सरकार द्वारा नामज़द किये जायेंगे अथवा संसद द्वारा चुने जायेंगे ?

†**श्री दातार** : वे सरकार द्वारा नामजद किये जायेंगे ।

अन्तर्राष्ट्रीय विद्यार्थी भवन

†*१६३६. **श्री राधा रमण** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय विद्यार्थी भवन, दिल्ली के निर्माण में कितना समय लगेगा; और

(ख) इसमें कितने विद्यार्थी रह सकेंगे तथा किन शर्तों पर ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)**: (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३६**]

†**श्री राधा रमण** : विवरण के अनुसार, प्रस्तावित होस्टल में प्रारम्भ में ५० विद्यार्थियों का स्थान होगा जो बाद में ३०० तक बढ़ाया जा सकेगा । क्या मैं जान सकता हूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में विदेशों से आने वाले इतने विद्यार्थी होंगे कि प्रारम्भ में ५० से शुरू करके ३०० के लिये स्थान बनाया जाय, क्योंकि विवरण से मैं देखता हूं कि वहां रहने वाले भारतीय विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम होगी ?

†**डा० एम० एम० दास** : मुझे ठीक-ठीक नहीं मालूम कि दिल्ली विश्वविद्यालय में विदेशी विद्यार्थियों की संख्या इस समय ५० है अथवा नहीं । जहां तक भविष्य का प्रश्न है, मैं उत्तर नहीं दे सकता ।

†**श्री राधा रमण** : इस होस्टल का प्रबन्ध किस के हाथ में होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० एम० एम० दास** : दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी भवन सोसाइटी नामक एक संस्था को गत वर्ष रजिस्टर किया गया है और यह संस्था इस स्कीम के कार्यकरण व संधारण के लिये जिम्मेवार है।

†**श्री राधा रमण** : इस होस्टल में रहने वाले विद्यार्थी को लगभग कितना खर्चा देना पड़ेगा ?

†**डा० एम० एम० दास** : यह बाद में आगणित किया जायगा ।

†**श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन** : क्या इस होस्टल में छात्र और छात्रायें दोनों रहेंगे—बाहर से आने वाले छात्र और छात्रायें तथा भारत के भी ?

†**डा० एम० एम० दास** : इसके लिये मुझे पूर्व-सूचना की आवश्यकता है ।

†**श्री टी० एस० ए० चेट्टियार** : इस बात की दृष्टि में कि विदेशों से आने वाले विद्यार्थी एक बड़ी संख्या में दिल्ली विश्वविद्यालय में आते हैं, क्या सरकार ने देश के अन्य मुख्य विश्वविद्यालयों जैसे मद्रास, बम्बई और कलकत्ते के लिये भी ऐसे होस्टल खोलने का विचार किया है ?

†**डा० एम० एम० दास** : इस समय सरकार के सामने केवल यही स्कीम है।

†**श्री राधा रमण** : क्या अन्तर्राष्ट्रीय होस्टल का यह विचार किन्हीं अन्य देशों में विद्यमान इस प्रकार के होस्टलों पर आधारित है, और यदि हां, तो वहां विद्यार्थियों पर किस प्रकार की शर्तें लगायी जाती हैं ?

†**डा० एम० एम० दास** : अन्य देशों के बारे में मैं नहीं कह सकता, किन्तु मेरा निवेदन है.....

†**श्री राधा रमण** : मैंने पूछा था किस देश पर आधारित है ?

†**डा० एम० एम० दास** : ....कि दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय विद्यार्थी भवन की स्थापना के इस प्रस्ताव पर शिक्षा मंत्रालय तथा वैदेशिक कार्य मंत्रालय द्वारा विचार किया गया था ।

†**श्री कामत** : क्या आप विदेश नहीं जा रहे हैं ?

गावों के विकास में शिशिक्षण

†*१६३७. **श्री देवगम** : क्या **शिक्षा** मंत्री २८ फरवरी, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३१४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गांवों के विकास के लिये सरकार द्वारा बनायी गयी स्कीम की, जिस में कि चुने हुये विद्यार्थियों को शिशिक्षा के लिये भेजा जाता है मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) उन विश्वविद्यालयों के नाम जो १९५६ की गर्मियों की छुट्टी में इस स्कीम को क्रियान्वित करेंगे ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना दर्शाते हुये एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ९, अधुबन्ध संख्या ३७]**

†**डा० रामा राव** : इस स्कीम के प्रचारार्थ क्या कदम उठाये गये हैं और अब चूंकि गर्मियों की छुट्टियां प्रारम्भ हो गयी हैं, अब तक कितने विद्यार्थी चुने गये हैं ?

†**डा० एम० एम० दास** : चूंकि इस स्कीम का सम्बन्ध केवल विश्वविद्यालयों से है, इसलिये सरकार द्वारा इसका प्रचार करना आवश्यक नहीं समझा गया । किन्तु विश्वविद्यालयों को पत्र लिखे गये थे और हमें विश्वास दिलाया गया है कि, शायद एक-दो को छोड़ कर, देश के समस्त विश्वविद्यालय इस में भाग लेंगे ।

†**श्री ए० एम० थामस** : इस स्कीम में कुल कितना धन व्यय होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० एम० एम० दास** : इन गर्मियों की छुट्टी में लगभग ३,९७,५०० रु० के खर्च का अनुमान है ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये अनुदान

*१६३८. **श्री अमर सिंह डामर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५–५६ में मध्य भारत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये भारत सरकार द्वारा वास्तव में कितनी राशि व्यय की गई;

(ख) कितनी राशि व्यपगत हुई ; और

(ग) क्या मध्य भारत सरकार ने वहां पर हुये कार्यों के सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन भेजा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) : (क) १९५५-५६ का लेखा अभी पूरा नहीं हुआ है। इस वर्ष के वास्तविक खर्च के आंकड़े राज्य के महालेखापाल (अकाउन्टेंट जनरल) से प्राप्त करके सभा-पटल पर रख दियें जायेंगे ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) सितम्बर १९५५ के अन्त तक का कुछ योजनाओं से सम्बन्धित प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है । अगले प्रगति प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है ।

श्री पी० एल० बारूपाल : क्या सरकार ने कभी इस पर विचार किया है कि जो धनराशि हरिजनोत्थान में लगाई जाती है उसमें से सरकारी कर्मचारियों और दफ्तर आदि या प्लैन बनाने में कितना खर्च होता है और हरिजनों के ऊपर कितना खर्च होता है ?

†**श्री दातार** : जी नहीं; हमने राज्यों को बहुत स्पष्ट निदेश भेज दिये हैं कि ऊपरी कामों में बहुत कम राशि खर्च की जाय तथा कल्याण स्कीमों में सबसे ज्यादा ।

†**श्री बी० एस० मूर्त्ति** : केन्द्र राज्यों को दिये गये अनुदानों को व्यपगत होने से रोकने के लिय तथा यह देखने के लिये कि जिन कामों के लिये रुपया दिया जाता है वह सब उन पर खर्च हो, सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**श्री दातार** : गत वर्ष से यह किया जा रहा है·····

†**श्री के० के० बसु** : लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकला है ।

†**श्री दातार** : कि स्कीमें समय पर प्राप्त हों, समय पर स्वीकृत हों और राशि भी वर्ष समाप्त होने से काफी पहले दे दी जाये ।

भारतीय नौसैनिक बेड़ा

†*१६३९. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय नौसैनिक बेड़े के जहाज हाल में प्रशिक्षण अभ्यास के लिये बाहर भेजे गये थे;

(ख) यदि हां, तो ये अभ्यास कितने समय तक रहे; और

(ग) इन अभ्यासों में अन्य किन देशों ने भाग लिया ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) जी हां ।

(ख) दो मास ।

(ग) ब्रिटेन ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या मैं उन जहाजों के नाम जान सकता हूं जिन्होंने इन अभ्यासों में भाग लिया ?

†**सरदार मजीठिया** : आई० एन० एस० गोदावरी, गंगा, गोमती, आई० एन० एस० दिल्ली और आई० एन० एस० तीर ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या यह सच है कि गत तीन या चार वर्षों से हम केवल ब्रिटेन की नौसेना के साथ ही अभ्यास कर रहे हैं; और यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अन्य देशों की नौसेना के साथ भी अभ्यास कराने का है, और यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं ?

†**सरदार मजीठिया** : यह सच नहीं है । श्रीलंका की नौसेना ने भी इन अभ्यासों में भाग लिया है, और यदि मैं गलती पर नहीं हूं तो अन्य राष्ट्रमंडलीय देशों जैसे आस्ट्रेलिया ने भी भाग लिया था । इसलिये यह प्रश्न नहीं उठता ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या इन अभ्यासों के बाद संयुक्त अभ्यासों के प्रभारी अधिकारी द्वारा भारत सरकार को कोई प्रतिवेदन भेजा जाता है, और यदि हां, तो क्या उसमें भारतीय नौसेना के लोगों के सम्बन्ध में कोई राय व्यक्त की गयी है ?

†**सरदार मजीठिया** : कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जाता है । किन्तु मैं अर्ल माउण्टबेटन की राय उद्धृत कर सकता हूं । उनका कहना है कि भारतीय नौसेना रायल नेवी से किसी प्रकार कम नहीं है ।

†**श्री के० के० बसु** : यह बहुत ज्यादा शेखी है ।

†**श्री नम्बियार** : यह अतिशयोक्ति है ।

†**श्री कामत** : मंत्री जी स्वयं अपने पर हंस रहे हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इन अन्तर्बाधाओं का क्या लाभ है ? क्या माननीय सदस्य का आशय यह है कि भारतीय नौसेना बिल्कुल बेकार हो ? माननीय सदस्य यहां ताना मारने या मजाक करने के लिये नहीं हैं । प्रश्नों के समय का उन्हें यथासम्भव लाभ उठाना चाहिये कि जितने भी प्रश्न पूछ सकें पूछें । यदि इन अन्तर्बाधाओं को कोई अन्य व्यक्ति सुने, तो ऐसा प्रतीत होगा कि ऐसी चीजें जो हो रही हैं, उसक लिये सदस्यों को खेद है ।

†**श्री एन० सी० चटर्जी** : हमें इसका खेद है कि माननीय मंत्री स्वयं अपनी कमियों को महसूस नहीं करते और वास्तव में बहुत बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हैं ।

†**श्री कामत** : मेरे माननीय मित्र ने यह नहीं कहा था कि भारतीय नौसेना बेकार है, लेकिन यह कि उत्तर बेकार है ।

†**श्री नम्बियार** : रायल नेवी से इसकी तुलना करना अतिरंजना है । हम कोई अतिशयोक्ति नहीं चाहते । इसी के लिये हमें खेद है ।

भारत का राज्य बैंक

†*१६४१. **श्री रामचन्द्र रेड्डी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत का राज्य बैंक स्थापित होने के बाद से छः महीनों में उसे कुल कितना लाभ हुआ है ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अरुण चन्द्र गुह)**: ३१ दिसम्बर, १९५५ को समाप्त होने वाले अर्ध-वर्ष के लिये भारत के राज्य बैंक का कुल लाभ ३·५१ करोड़ रुपये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : गत वर्ष के इन्हीं महीनों में भारत के इम्पीरियल बैंक को कितना लाभ हुआ ?

†**श्री अरुण चन्द्र गुह** : मेरे विचार से पिछले अर्ध-वर्ष में काम अधिक अच्छा रहा । ३१ दिसम्बर, १९५४ को समाप्त होने वाले छः महीनों में लाभ ३·१२ करोड़ रुपये था । ३० जून, १९५५ को समाप्त होने वाले अगले छः महीनों में लाभ ३·२७ करोड़ रुपये था और अगले छः महीनों में भारत के राज्य बैंक के लिये वह ३·५२ करोड़ रुपये था ।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : क्या इस अवधि में भारत के राज्य बैंक के कर्मचारियों में और उनके पारिश्रमिक में कोई वृद्धि हुई है ?

†**श्री अरुण चन्द्र गुह** : हां । बैंक पंचाट के कारण पारिश्रमिक बढ़ानी होगी । बढ़ती लगभग २३ लाख रुपये तक होगी । कुछ अन्य बढ़तियां १२ लाख रुपये तक होंगी ।

†**श्री ए० एम० थामस**: क्या सरकार जानती है कि अध्यक्ष डा० जान मथाई के भाषण के आधार पर कई समाचार पत्रों में यह आलोचना की गयी थी कि जमा धन और अग्रिम देय धन में वृद्धि की प्रतिशतता उस स्तर तक नहीं पहुंची है जहां तक कि यह देश के अन्य अनुसूचित बैंकों में पहुंच चुकी है ?

†**श्री अरुण चन्द्र गुह** : मैं उसे ठीक नहीं समझता । फिर भी मुझे इसके लिये पूर्व सूचना की आवश्यकता है ।

†**श्री के० के० बसु** : क्या भारत का राज्य बैंक विनियोजन का वही प्रतिरूप अपना रहा है जो इम्पीरियल बैंक के समय में प्रचलित था ?

†**श्री अरुण चन्द्र गुह** : मेरे विचार से वे वही प्रतिरूप अपना रहे ह, सिवा इसके कि ग्रामीण उधार के सम्बन्ध में वे और आगे बढ़ेंगे ।

†**डा० गंगाधर शिव** : बैंक द्वारा कमाये गये लाभ को देखते हुए क्या सरकार सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का विचार करती है, जैसा कि बीमा कम्पनियों के मामले में किया गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह तो कार्यवाही के लिये एक सुझाव है ।

प्रतिरक्षा सेवाओं में भर्ती

†*१६४२. **श्री झूलन सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा सेवाओं में भर्ती विद्या सम्बन्धी अर्हताओं के अलावा उम्मीदवार के गुण के आधार पर भी की जाती है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : जी हां, यद्यपि निर्धारित न्यूनतम विद्या सम्बन्धी अर्हताओं पर जोर दिया जाता है ।

†**श्री झूलन सिंह** : इस प्रकार भर्ती किये लोगों की कार्यकुशलता पर भर्ती की इस पद्धति का क्या प्रभाव रहा ?

†**सरदार मजीठिया** : जैसे कि मैंने बताया, यह पूर्णतः गुण के आधार पर होता है और इसलिये कार्यकुशलता हमेशा रहती है ।

ग्रामीण विश्वविद्यालय

†*१६४४. **श्री राधा रमण** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ सरकार ने राज्य सरकारों को यह निर्देश दिया है कि वे ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना प्रारम्भ करें; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस योजना पर किया जाने वाला खर्च क्या केन्द्रीय सरकार उठायेगी या राज्य सरकारें ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) और (ख). सरकार द्वारा चुनी गयी ग्रामीण संस्थाओं के विकास के लिये, और न कि ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिये, राज्य सरकारों को अंश-आधार पर खर्च देने के लिये कहा गया है ।

जैसा कि प्रश्न में उल्लिखित है, संघ सरकार को इस विषय के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को कोई निर्देश देने का संवैधानिक अधिकार नहीं है ।

†**श्री राधा रमण** : सभासचिव ने जो कुछ कहा है उसे देखते हुए, क्या किसी राज्य में उस ढंग की योजना के अनुसार जिसका कि उन्होंने अभी उल्लेख किया है, कोई ग्रामीण विश्वविद्यालय है ?

†**डा० एम० एम० दास** : मैंने बताया है कि योजना किसी ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये नहीं बल्कि ग्रामीण संस्थाओं की स्थापना के लिये है । ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित ऐसी दस संस्थायें हैं जिन्हें वित्तीय सहायता देने के लिये सरकार ने चुना है ।

†**श्री बी० एस० मूर्त्ति** : केन्द्र कितना प्रतिशत खर्च उठाता है ?

†**डा० एम० एम० दास** : संस्थाओं पर खर्च में अंशदान के लिये राज्य सरकारों के पास निम्न सुझाव भेजा गया है: अनावर्तक व्यय के लिये केन्द्रीय सरकार दो-तिहाई देने के लिये तैयार है और एक तिहाई राज्य सरकारों से मांगा जा रहा है । आवर्तक व्यय के लिये केन्द्र एक-तिहाई देगा और दो-तिहाई राज्य सरकारों द्वारा दिये जाने के लिये उनसे प्रार्थना की गयी है ।

†**श्री राधा रमण** : इन ग्रामीण संस्थाओं के कार्य और उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

†**डा० एम० एम० दास** : माननीय सदस्य श्रीमाली समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन देखें ।

महिला कान्सटेबल

***१६४५. डा० सत्यवादी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस सेवा में महिला कान्सटेबलों के पदों के लिये न्यूनतम अर्हतायें वही हैं, जो पुरुषों के लिये हैं और यदि नहीं, तो उनमें क्या भेद है; और

(ख) पुरुषों की अपेक्षा महिला कान्सटेबलों के वेतनों तथा भत्तों में क्या अन्तर है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) : (क) जी नहीं । अन्तर इतना है कि भर्ती के समय पुरुष कान्सटेबलों के लिये न्यूनतम आयु १८ वर्ष और महिला कान्सटेबलों के लिये ३० वर्ष है । पुरुषों के लिये प्राथमिक स्तर से ऊपर की शिक्षा अनिवार्य है जब कि महिलाओं के लिये हिन्दी और उर्दू का ज्ञान ही आवश्यक है । पुरुषों के लिये कुछ न्यूनतम शारीरिक प्रतिबन्ध निर्धारित हैं जब कि महिलाओं के लिये कोई ऐसा प्रतिबन्ध नहीं है, केवल अच्छा स्वास्थ्य होना ही आवश्यक है ।

(ख) कोई नहीं ।

डा० सत्यवादी : क्या मैं जान सकता हूं कि इस महिला पुलिस की कुल कितनी स्ट्रेंग्थ यहां दिल्ली में है ?

श्री दातार : एक सब-इस्पेक्टर, दो हैड कान्स्टेबल और १७ कान्स्टेबल ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि इनमें हरिजन कितने हैं ?

श्री दातार : यह तो मुझे इस वक्त मालूम नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वल्लाथरास** : क्या चुनाव महिला-तालिका द्वारा किया जाता है या स्वतः पुरुष पदाधिकारी चुनाव करते हैं, और उन्हें किस प्रकार प्रशिक्षण दिया जायगा; क्या वह महिलाओं की गरिमा और स्वाभिमान के अनुरूप होगा ? क्या प्रसूति-अवकाश और भत्तों के लिये उपबन्ध हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : कितने प्रश्न ?

†**श्री दातार** : मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिला सकता हूं कि साधारण नियमों का पालन किया जाता है जो महिलाओं के लिये ऐसे नियमों के अनुरूप होते हैं ।

सेना कालेज, देहरादून

†***१६२६. श्री बी० एस० मूर्त्ति** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री १२ मार्च, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६४२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेना कालेज, देहरादून, में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों को प्रवेश दिलाने के लिये सरकारी संगठनों ने किस प्रकार की कार्यवाही की है;

(ख) क्या इन छात्रों को कोई रियायतें दी गयी हैं; और

(ग) यदि हां, तो वे किस प्रकार की हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)**: (क) सरकार की नीति यह है कि सेना के पदाधिकारियों की पदालि में सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति भर्ती किये जायें, चाहे वे किसी जाति और किसी धर्म के हों। उसके अनुसार, भारत सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों को सेना कालेज में प्रवेश दिलाने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जानियों के छात्रों को परीक्षाशुल्क के भुगतान के विषय में रियायत दी गयी है । जब कि सेना कालेज में प्रवेश के लिये अन्य सभी छात्रों द्वारा देय परीक्षा शुल्क प्रायः ३६ रुपये ८ आने होती है, अनसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के छात्र केवल ८ रुपये ६ आने देते हैं । जब कि उस ३६ रुपये ८ आने में से अन्य छात्रों को ३० रुपये उस समय लौटा दिये जाते हैं जब उन्हें संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में प्रवेश नहीं मिलता या लिखित प्रश्न पत्रों के कुल अंकों का ३० प्रतिशत या उससे अधिक अंक उन्हें मिलते, तब अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों को उन परिस्थितियों में ८ रुपये ६ आने में से ७ रुपये ८ आने लौटा दिये जाते हैं ।

†**श्री बी० एस० मूर्त्ति** : अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों में से सर्वोत्कृष्ट जवानों को प्राप्त करने के लिये क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

†**सरदार मजीठिया** : सभा को मालूम होगा कि सामान्य प्रक्रिया यह है कि संघ लोक सेवा आयोग आवेदन पत्र मांगता है और उनका परीक्षण करता है । जिन छात्रों को आयोग उपयुक्त समझता है उन्हें बुलाता है और उनका साक्षात्कार करके सर्वोत्कृष्ट छात्रों के परिणाम भेज देता है । उन्हें फिर चुनाव बोर्ड के सामने जाना पड़ता है और वहां दोनों शिक्षाक्रमों के संयुक्त परिणामों के आधार पर अन्तिम चुनाव होता है ।

†**श्री बी० एस० मूर्त्ति** : संघ लोक सेवा आयोग ने आखिरी चुनाव कब किया था और कितने चुने गये छात्र देहरादून कालेज में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ?

†**सरदार मजीठिया** : जैसा कि मैंने बताया, १० प्रतिशत के सिवा, जो एन० सी० सी० के लिये रक्षित है, और कोई अपवाद नहीं है । बाकी सभी संघ लोक सेवा आयोग के जरिये आते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : क्या सेना कालेज में इन लड़कों के प्रवेश के लिये कोई मनोवैज्ञानिक परीक्षायें भी ली जाती हैं ?

†**सरदार मजोठिया** : परीक्षाओं में वह एक भी है ।

†**श्री नानादास** : मंत्री द्वारा गिनायी गई अपर्याप्त रियायतों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इस कालेज में प्रवेश के लिये चुनाव के पहले अनुसूचित जातियों के छात्रों को प्रशिक्षण देने का विचार करती है ?

†**सरदार मजोठिया** : वह सरकार के विचाराधीन नहीं है । जैसा कि मैंने बताया, सरकार किसी भी दशा में भारतीय सेना में लिये जाने वाले व्यक्तियों का स्तर गिराने के लिये तैयार नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न संख्या १६३१ । माननीय सदस्य अपनी बातचीत किसी और समय के लिये रखें ।

†**एक माननीय सदस्य** : प्रश्नकाल समाप्त हो गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्नकाल समाप्त होने से पहले ही मैंने प्रश्न संख्या कही थी ।

पोलैंड का सांस्कृतिक शिष्टमंडल

†*१६३१. **श्री एच० जी० वैष्णव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत मार्च में भारत में दौरे पर आये पोलैंड के सांस्कृतिक शिष्टमंडल को भारत सरकार ने आमंत्रित किया था;

(ख) यदि हां, तो उसने कौन-कौन से स्थान देखे ; और

(ग) इस विषय में सरकार का कुल कितना खर्च हुआ ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली, भाखड़ा-नांगल, आगरा, फतेहपुर सिकरी, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, अजन्ता और एलोरा ।

(ग) ७३,००० रुपये इस प्रयोजन के लिये मंजूर किये गये थे किन्तु वास्तविक खर्च कितना हुआ यह अभी ज्ञात नहीं है क्योंकि लेखे अन्तिम रूप में अभी नहीं बनाये गये हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सैनिक शिक्षा

†*१३९५. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय विश्वविद्यालयों में किस प्रकार की सैनिक शिक्षा दी जाती है; और

(ख) क्या वह ऐच्छिक या अनिवार्य है ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) और (ख). मंत्रालय में उपलब्ध जानकारी के आधार पर स्थिति का विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ३८]**

अंधों के लिये केन्द्रीय आदर्श स्कूल

†*१४१५. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

---

†मूल अंग्रेजी में

(क) क्या अंधों के लिये केंद्रीय आदर्श स्कूल की प्रस्थापना अन्तिम रूप से तय की जा चुकी है;

(ख) यदि हां, तो भवन निर्माण पर कितना खर्च किया जायगा; और

(ग) उसके कर्मचारियों पर आवर्तक वार्षिक व्यय कितना होगा ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)**: (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

डुप्लिकेटर्स के लिये काली स्याही

†*१६२०. **श्री बंसल** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गवेषणा उपभोग परियोजना द्वारा जेस्टेटनर रोटरी डुप्लिकेटर्स को वाणिज्यिक रूप में काली स्याही दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक ट्यूब की क्या कीमत है;

(ग) क्या वह कीमत अपनी खुद की कड़ी के लिये जेस्टेटनर्स द्वारा ली जाने वाली कीमत ऊंची है या नीची; और

(घ) गवेषणा उपभोग परियोजना द्वारा तैयार की गयी स्याही जेस्टेटनर्स की स्याही की तुलना में किस प्रकार की है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली)**: (क) जी, हां ।

(ख) १ पौंड की प्रति टयूब की कीमत ३ रुपये १२ आने हैं ।

(ग) वह नीची है ।

(घ) विभिन्न उपभोक्ताओं से प्राप्त सूचनाओं से यह दिखायी पड़ता है कि स्याही सुधार परियोजना द्वारा तैयार की गयी स्याही की किस्म जेस्टेटनर्स द्वारा तैयार की गयी स्याही की किस्म जितनी ही अच्छी है ।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड

†*१६२२. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा स्थापित मंत्रणा समिति ने अपचारियों के पुनर्वास के लिये जो योजना बनायी है उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) क्या कार्यक्रम स्वीकार करने तथा खर्चे में भागीदार बनने के तरीके को स्वीकार करने के सम्बन्ध में राज्य सरकारों के दृष्टिकोण प्राप्त हो चुके हैं ; और

(ग) यदि हां, तो राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) आवश्यक जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ३९**]

(ख) **जी**, नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

नलकटा क्षेत्र (त्रिपुरा) में पुनर्वास

†*१६२५. **श्री दशरथ देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के नलकटा और चेलेंगटा क्षेत्रों में त्रिपुरा के आदिम जाति के लोगों को पुनर्वासित किया जा रहा है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है; और

(ग) क्या यह सच है कि सरकार ने वहां विस्थापित व्यक्तियों की एक बस्ती बनाने की योजना बनायी है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)**: (क) और (ग). त्रिपुरा में नलकटा और चैलेन्गटा क्षेत्र भूमिहीन आदिम जाति के लोगों को बसाने के लिये रक्षित रखे गये हैं किन्तु पूर्वी-पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों की संख्या में भारी वृद्धि के कारण त्रिपुरा सरकार उन क्षेत्रों में विस्थापित व्यक्तियों और साथ ही साथ आदिम जाति के लोगों के पुनर्वास के लिये एक योजना पर विचार कर रही है ।

(ख) इन क्षेत्रों में पुनर्वास के लिये आदिम जाति के लोगों से करीब २०० आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ।

उज्जैन में खुदाई

†*१६४०. **श्री मादिया गौडा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उज्जैन में किये गये खुदाई कार्य से क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यह कार्य कब तक जारी रहेगा ?

†**शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) खुदाई कार्य अब भी हो रहा तथा प्राप्त वस्तुओं की जांच की जा रही है ।

(ख) अप्रैल १९५६ के अन्त तक कार्य जारी रहने की आशा है ?

परिवहन विनियमों का उल्लंघन

†१२६५. **चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अक्तूबर, १९५५ से १ अप्रैल, १९५६ तक प्रत्येक भाग 'ग' राज्य में परिवहन विनियमों का उल्लंघन करने के सिलसिले में कितने पुलिस पदाधिकारियों का चालान हुआ; **और**

(ख) कितने मामले अभी निर्णय के लिये निलम्बित हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) अपेक्षित जानकारी का एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४०]**

(ख) दो

कल्याण विस्तार परियोजनायें

†१२६६. **श्री राम कृष्ण** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में महेंद्रगढ़ (पेप्सू) जिले में कितनी कल्याण विस्तार परियोज-नायें खुलेंगी; और

(ख) ये किन स्थानों पर स्थित होंगी !

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) तीन;

(ख) स्थानों के सम्बन्ध में निश्चय नहीं किया गया है ।

राजनयिक नियोजनों में सैनिक सलाहकार

†१२६७. **श्री राम कृष्ण** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सभी देशों में हमारे राजनयिक नियोजनों में सैनिक सहदूत अथवा सैनिक सलाहकार नियुक्त नहीं किये गये हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो यह कौन-कौन से देश हैं; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) जी, हां ।

(ख) इन देशों में सैनिक सहदूत सलाहकार हैं—

(१) अफगानिस्तान ।

(२) बर्मा, जो कि थाईलैंड के लिये भी मान्यता प्राप्त है ।

(३) चीन ।

(४) मिश्र, जो कि सीरिया तथा लेबनान के लिये भी मान्यता प्राप्त है ।

(५) फ्रांस, जो कि स्विटजरलैंड के लिये भी मान्यता प्राप्त है ।

(६) इन्डोनेशिया ।

(७) ईरान, जो कि ईराक तथा जोर्डन के लिये भी मान्यता प्राप्त है ।

(८) जापान ।

(९) नेपाल ।

(१०) पाकिस्तान ।

(११) तुर्की ।

(१२) ब्रिटेन ।

(१३) अमेरिका, जो कि कनाडा के लिये भी मान्यता प्राप्त है ।

(१४) रूस ।

(ग) प्रत्येक मामले पर, हिताहित का ध्यान में रख कर विचार किया जाता है तथा सैनिक सहदूत सलाहकार केवल वही नियुक्त किया जाता है, जहां ऐसा करने की आवश्यकता होती है ।

विदेशों में सशस्त्र बल कर्मचारियों का प्रशिक्षण

†१२६८. **श्री राम कृष्ण** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५५ तथा १९५५–५६ में सशस्त्र बल के कितने कर्मचारी विदेश भेजे गये; और

(ख) किन देशों को भेजे गये थे ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) १९५४–५५ : २४८; १९५५–५६ : १६७

(ख) ब्रिटेन, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, माल्टा तथा यूगोस्लाविया ।

बुद्ध जयन्ती

†१२६९. **श्री राम कृष्ण** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २३ मई को नई दिल्ली में बुद्ध जयन्ती समारोहों के लिये एक स्मारक स्थापित करने का अन्तिम निश्चय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो यह स्मारक किस प्रकार का होगा ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) जी, हां ।

(ख) मामला अभी विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अग्नि तथा डिजाइन और विकास स्थायी मंत्रणा समितियां

†१२७०. **श्री राम कृष्ण** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थायी अग्नि मंत्रणा समिति तथा डिजाइन और विकास समिति ने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके ब्यौरे क्या हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हां ।

(ख) अब तक इन समितियों की केवल एक बैठक हुई है ।

समितियों द्वारा की गई सिफारिशों की प्रतियां लोक-सभा पटल पर रखी जाती हैं । **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एस–१३७/५६]**

त्रिपुरा में मतदाता

†१२७१. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के विस्थापित व्यक्तियों को मतदाता सूची में सम्मिलित करने के कोई प्रयत्न किये जा रहे हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**विधि कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर)**: (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा प्राप्त होने पर लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

त्रिपुरा में मतदाता

†१२७२. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में मतदाताओं की गणना प्रारम्भ हो गई है;

(ख) पर्वतीय क्षेत्रों के व्यक्तियों की गणना के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या इस कार्य के लिये जनता का सहयोग मांगा गया है; और

(घ) जनता ने इसका कैसा उत्तर दिया ?

†**विधि कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर)**: (क) से (घ). जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा प्राप्त होने पर लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

भारतीय विज्ञान संस्था, बंगलौर

†१२७३. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या, भारतीय विज्ञान संस्था, बंगलौर की प्रगति की जांच के लिये स्थापित पुनरीक्षण समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)**: (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

लोक सहायक सेना के शिविर

१२७४. { **श्री भक्त दर्शन** :
श्री एस० वी० रामस्वामी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री निम्न आशय का एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) १ मार्च, १९५५ से अब तक किन-किन स्थानों पर लोक सहायक सेना के शिविर

†मूल अंग्रेजी में

आयोजित किये गये हैं;

(ख) प्रत्येक शिविर में कितने युवकों को प्रशिक्षित किया गया; और

(ग) उन पर कितना व्यय हुआ ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)**: (क) तथा (ख). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ४१]**

(ग) प्रायः ७० लाख रुपये।

सम्पदा शुल्क

†१२७५. { **श्री डी० सी० शर्मा** :
श्री कर्णी सिंहजी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में १ अक्तूबर, १९५५ से जनवरी १९५६ के अन्त तक, सम्पदा शुल्क के कितने मामले पंजीबद्ध किये गये;

(ख) कितने मामले निर्णीत हो चुके तथा उनसे कितना धन एकत्रित हुआ; और

(ग) क्या इन मामलों में से किसी पर विवाद किया गया है ?

†**राजस्व और सैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह)** : (क) १–१०–१९५५ से ३१–१–१९५६ तक विभिन्न राज्यों में १,५८७ मामले पंजीबद्ध किये गये थे ।

(ख) १३२७ मामलों का निर्णय कर दिया गया था तथा ३१–३–५६ तक इन मामलों से सम्पदा शुल्क के भुगतान के रूप में २७,४६,२९८ रुपये एकत्रित हुये ।

(ग) निर्णीत मामलों में से २० पर अभी तक विवाद किया गया है ?

प्रबन्ध सम्बन्धी पुस्तक संग्रह

†**१२७६. श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सरकार ने भारत को प्रबन्ध के सम्बन्ध में सात विस्तृत पुस्तक संग्रह भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो यह किन स्थानों पर रखे गये हैं;

(ग) अवशिष्ट पुस्तकों के अतिरिक्त पुस्तकालय में अन्य क्या वस्तुयें सम्मिलित हैं;

(घ) आवर्तक व्यय कौन उठायेगा; और

(ड) क्या इन पुस्तकालयों में गवेषणा कार्य की सुविधाओं की भी व्यवस्था होगी ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) जी, हां । चतुर्थ लक्ष्य कार्यक्रम के अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्र अमरीका की सरकार द्वारा प्रबन्ध सम्बन्धी सात पुस्तक संग्रह भेजे जा रहे हैं ।

(ख) पुस्तकालय इस समय बंगलौर, मद्रास, अहमदाबाद, बम्बई, कलकत्ता तथा दिल्ली में स्थापित हैं ।

(ग) फिल्म प्रोजैक्टर, रेकार्ड प्लेयर तथा फिल्म स्ट्राइप ।

(घ) पुस्तकालयों की देख-भाल केंद्रीय तथा प्रादेशिक प्रबन्ध संस्थायें करगी ?

(ड) जहां आवश्यक हैं वहां पुस्तकालयों में गवेषणा की जा सकेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भूतपूर्व सेना चिकित्सा कर्मचारी

†१२७७. **श्री बी० एस० मूर्ति :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५५ तथा १९५५–५६ में कितने भूतपूर्व-सेना चिकित्सा कर्मचारी नियुक्त किये गये तथा अभी कितने नियुक्त होंगे;

(ख) किस योजना के अधीन इनकी भरती की जाती हैं; और

(ग) क्या इनको कुछ रियायतें दी जाती हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) :** (क) अपेक्षित जानकारी प्राप्त नहीं है।

(ख) इस प्रयोजन के लिये कोई विशेष योजना नहीं है।

(ग) भूतपूर्व-सेना चिकित्सा कर्मचारी समेत भूतपूर्व-सैनिकों को बहुत प्राथमिकता तथा वहां रियायतें दी जा रही हैं जो केंद्रीय सरकार के छंटनी किये गये कर्मचारियों को असैनिक रोजगार देने में दी जाती हैं। इस विलीनीकरण के पश्चात जो व्यक्ति युद्ध सेवा के होंगे वे समय-समय पर गृह-कार्य, प्रतिरक्षा तथा रेलवे मंत्रालयों द्वारा जारी किये गये आदेशों के अनुसार वेतन तथा वरिष्ठता रियायतों के अधिकारी होंगे। इन आदेशों की प्रतियां, गृह उपमंत्री ने ७ मार्च, १९५६ को पूछे गये श्री नम्बियार के अतारांकित प्रश्न संख्या ३०० के उत्तर के सम्बन्ध में लोक-सभा पटल पर रखी थी।

वैज्ञानिक कार्य का समन्वय करने के लिये समिति

१२७८. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैज्ञानिक कार्य का समन्वय करने सम्बन्धी समिति की पिछली बैठक कब हुई थी; और

(ख) उस बैठक में की गई मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या थीं ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली) : (क) २९ मार्च, १९५४।

(ख) आवश्यक जानकारियों से युक्त एक विवरणपत्र साथ लगाया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ४२]**

आसाम सहायता उपाय संगठन

†१२७९. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार को मनीपुर के आदिम जाति तथा अन्य व्यक्तियों के कई प्रतिनिधान तथा शिकायतें, युद्ध प्रतिकर वितरण के सम्बन्ध में प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस प्रकार की बातें कही गई हैं कि ऐसे कितने ही व्यक्तियों को, जिनकी युद्ध में कोई हानि नहीं हुई थी, वास्तव में दुखी व्यक्तियों से अधिक धन मिला है;

(ग) क्या सरकार ने इन प्रतिनिधानों की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो इन पर क्या कार्यवाही की गई ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) :** (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) तथा (घ). भारत सरकार मुख्य आयुक्त के परामर्श से इन प्रतिनिधानों, शिकायतें तथा आरोपों की जांच कर रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

कसौली आरोग्य शाला

†**१२८०. डा० रामा राव :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी १९५४ से कसौली आरोग्यशाला में उपचार के लिये प्रतिरक्षा मंत्रालय के कितने राजयक्षमा से पीड़ित स्थाई कर्मचारी भरती किये गये; और

(ख) उपरिलिखित श्रेणी में ऐसे कितने मामले हैं जो अर्द्ध औसत वेतन वाले हैं तथा जिनको वहां भरती होने के पश्चात अब तक वेतन नहीं दिया गया है तथा इसके क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) :** (क) ऐसी धारणा है कि पूछी गई जानकारी प्रतिरक्षा मंत्रालय में तथा इससे सम्बन्धित तथा अधीन संगठनों में नियुक्त असैनिकों के सम्बन्ध में हैं। संख्या १२ है।

(ख) इस प्रकार का कोई मामला नहीं है।

बिहार में आकाशी घटना

†**१२८१.** **ठाकुर युगल किशोर सिंह :**
श्री गिडवानी :
श्री अस्थाना :

क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में गिरडीह के स्थान पर २१ फरवरी, १९५६ को आकाश में कुछ चमकदार रोशनी दिखाई दी थी; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं।

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली) :** (क) इस विषय में सरकारी जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मनीपुर में दंड प्रक्रिया के मामले

†**१२८२. श्री रिशांग किशिंग :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर राज्य पुलिस विभाग के द्वारा १९५३–५४ और १९५४–५५ में कितने फौजदारी मामले दांडिक न्यायालयों में भेजे गये हैं; और

(ख) उनमें से कितने मामलों में दंड दिया गया है कितने मामलों को खारिज किया गया है और कितने मामले अभी तक न्यायालयों में लम्बित पड़े हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार):** (क) और (ख). अभी सचना संकलित की जा रही है। प्राप्त होने पर उसे लोक-सभा के पटल पर रख दिया जायेगा।

भूतत्वीय सर्वेक्षण

†**१२८३. श्री बी० एस० मूर्ति :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार ने आन्ध्र विश्वविद्यालय के भूतत्वीय सर्वेक्षण युनिट को जिसने १९५५–५६ में आन्ध्र के कुछ भागों का सर्वेक्षण किया था कुछ सहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की; और

(ग) उस सर्वेक्षण का क्या परिणाम रहा है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास):** (क) से (ग). एतद् सम्बन्धी सूचना देने वाला एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ठ ९, अनुबन्ध संख्या ४३]**

रेलवे स्टेशनों पर भिखमंगे

†१२८४. { **ठाकुर युगल किशोर सिंह :**
श्री गिडवानी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शहरों में भिक्षुक गृह बनाने की किसी योजना की व्यवस्था की गयी है जिससे कि स्टेशनों पर भिखमंगों की संख्या कम हो सके ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) :** रेलवे स्टेशनों पर भिखमंगों को कम करने के लिये तो कोई विशेष योजना नहीं है किन्तु द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भिक्षावृत्ति को कम करने के लिये निश्चय ही कुछ न कुछ ध्यान दिया जायेगा ।

पुरातत्व सम्बन्धी प्राप्त वस्तुयें

†१२८५. **मुल्ला अब्दुल्लाभाई :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५ में किन-किन स्थानों पर पुरातत्व सम्बन्धी वस्तुयें मिली हैं तथा उनका क्या ऐतिहासिक महत्व है ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) :** एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ४४]**

निर्वाचन सम्बन्धी जमा राशियों की जब्ती

†१२८६. **मुल्ला अब्दुल्लाभाई :** क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५२ से १९५५ तक विधान सभाओं तथा संसद् के चुनाव में खड़े होने वाले अभ्यर्थियों के निक्षेपों की जब्ती के फलस्वरूप अभी तक केंद्रीय तथा राज्य सरकारों को कुल कितनी राशि प्राप्त हुई है ?

†**विधि कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर) :** एतद् विषयक सूचना सम्बन्धी तीन विवरण लोक-सभा के पटल पर रखे जाते हैं । **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ४५]**

आन्ध्र, आसाम, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में अभी यह सूचना संकलित की जा रही है और प्राप्त होने पर लोक-सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

बैंक पंचाट

†१२८७. **मुल्ला अब्दुल्लाभाई :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के विभिन्न बैंकों को बैंक पंचाट लागू करने के लिये कितना अतिरिक्त व्यय करना पड़ा है; और

(ख) इन बैंकों के नाम क्या हैं ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अरुण चन्द्र गुह) :** (क) इस प्रश्न का अनेकों बैंकों से सम्बन्ध है जो कि पहले शास्त्री न्यायाधिकरण में भी शामिल थे । बैंक पंचाट का भिन्न-भिन्न बैंकों पर वस्तुत: क्या प्रभाव पड़ा है इसके सम्बन्ध में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है । इसकी सूचना बैंकों से प्राप्त करनी पड़ेगी । इसमें बड़ा समय लग जायेगा और फिर बैंक पंचाट आयोग के प्रतिवेदन के पैरा ६ में बताये गये कारणों को दृष्टि में रखते हुए हो सकता है कि यह रिपोर्ट भी ठीक न हो (इस पंचाट की प्रतियाँ लोक-सभा के पटल पर रख दी गई हैं) । किन्तु बैंकों के सन्तुलन-पत्रों में प्रकाशित आंकड़ों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बैंक पंचाट को लागू करने के फलस्वरूप उनके संस्थापन व्यय में कितनी वृद्धि हुई होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

१९५३, १९५४, तथा १९५५ में हुए उन २२ बैंकों के संस्थापन व्यय का विवरण नीचे दिया जाता है जिन के कि १९५५ के संतुलन पत्र रक्षित बैंक के पास आ गये हैं ।

संख्या तथा बैंकों की श्रेणी	कर्मचारी व्यय (रु० लाखों में)			१९५५ में १९५३ के संस्थापन-व्यय पर प्रतिशत-वृद्धि
	१९५३	१९५४	१९५५	
९ 'क' श्रेणी के बैंक	८,८३	९,३१	१०,५०	१९
४ 'ख' श्रेणी के बैंक	८३	९४	१,१४	३७
९ 'ग' श्रेणी के बैंक	५४	५९	७०	३०

इससे यह पता लगता है कि १९५५ में संस्थापन-व्यय में बड़ी वृद्धि हुई है । यह वृद्धि इसलिये हुई कि बैंकों को औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) विनिश्चय अधिनियम, १९५५ के अनुसार बैंक पंचाट आयोग के विनिश्चय को १ अप्रैल, १९५४ के भूतलक्षी प्रभाव से लागू करना पड़ा ।

इस पंचाट से प्रभावित होने वाले सभी बैंकों के १९५५ के सन्तुलनपत्र अभी प्राप्त नहीं हैं । इसके अतिरिक्त इन सन्तुलनपत्रों में जो संस्थापन-व्यय के आंकड़े दिये गये हैं उनमें समस्त व्यय जुड़े हुये हैं उदाहरणतः उसमें ऐसे कर्मचारियों के जिन पर पंचाट लागू होता है व्यय के साथ ऐसे कर्मचारियों का व्यय भी है जिन पर पंचाट लागू नहीं होता है, और भारतीय बैंकों के सन्तुलनपत्रों में उनकी विदेशी शाखाओं का व्यय भी जुड़ा हुआ है ।

(ख) बैंक पंचाट आयोग के प्रतिवेदन के परिशिष्ट ३ की ओर ध्यान दिलाया जाता है जिसकी प्रतियाँ लोक-सभा के पटल पर रख दी जा चुकी हैं ।

लेखकों तथा ग्रंथकारों को सहायता

†**१२८८. पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा १९५५–५६ में दी गई २,००,००० रुपये की निधि में से कितने लेखकों तथा ग्रंथकारों को सहायता दी गई है तथा उनके नाम क्या हैं; और

(ख) क्या सब राशि बांट दी गई है ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा०एम० एम० दास)** : (क) एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ४६]**

(ख) जी, नहीं ।

आदिम जातीय क्षेत्रों का विकास (मनीपुर)

†**१२८९. श्री रिशांग किशिंग** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २२ दिसम्बर, १९५५ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ९०३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस समय से लेकर अब तक मनीपुर में कितने (१) कुंए, (२) ऊंची सतह से ढलवान खेतों की सिंचाई के लिये नहरें तथा (३) अश्व-पथ बनाये गये हैं तथा उन पर कितना धन व्यय किया जा चुका है ;

(ख) इन कार्यों के लिये आवेदन पत्रों को स्वीकार करने के लिये क्या शर्तें रखी गई थी; और

(ग) सिंचाई के लिये स्वीकृत आवेदन पत्रों में से कितने आवेदन पत्र ऐसे इलाकों से आये हैं जहां केवल 'झूम' ढंग की खेती होती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)**: (क) से (ग). राज्य सरकार से इस सम्बन्ध में सूचना संकलित की जा रही है और प्राप्त होने पर उसे लोक-सभा के पटल पर रख दिया जायेगा ।

पाकिस्तानियों की गिरफ्तारी

†**१२६०. श्री गिडवानी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या अमहदाबाद के रेलवे स्टेशन पर २५ मार्च, १६५६ को वैध पारपत्र न रखने वाले कोई पाकिस्तानी गिरफ्तार किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके सम्बन्ध में कोई और पूछ ताछ की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)**: (क) २४ मार्च, १६५६ को प्रातः ३ बजे के लगभग अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के बाहर दो पाकिस्तानी व्यक्तियों को पकड़ा गया है । उनके पास कोई पारपत्र नहीं था ।

(ख) और (ग). जांच से यह पता लगा है कि यह लोग भारत में अपनी दशा सुधारने के लिये आये थे ।

गाड़ियों की खरीद

†**१२६१. श्री जी० पी० सिन्हा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा १६५५–५६ में भारत में तैयार की गई तथा जोड़ी गई कितनी मोटर गाड़ियां खरीदी गई हैं; और

(ख) इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की मोटर गाड़ियों का कार्य कैसा रहा है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) ७६ ;

(ख) ७६ में से ७० गाड़ियां ठीक ढंग से चल रही हैं । अन्य गाड़ियों का परीक्षण किया जा रहा है । अभी तक उनके कार्य की रिपोर्ट नहीं मिल सकी है ।

नवसाक्षरों के लिये पुस्तकें

†**१२६२. डा० सत्यवादी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६५५ में नवसाक्षरप्रौढ़ साहित्य की कितनी पुस्तकों को पुरस्कार के लिये (भाषावार) चुना गया है तथा पंजाब और पेप्सू के राज्यों को इस प्रकार का साहित्य निर्माण कराने के लिये कितनी राशि दी गई है; और

(ख) पुरस्कार के रूप में कितना धन दिया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)**: (क) और (ख). एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४७]**

केन्द्रीय सचिवालय में एसिस्टेंट (सहायक)

†**१२६३. श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सचिवालय में एसिस्टेंटों की अग्रता उस तिथि से निश्चित की जा रही । जिससे कि वे उस ग्रेड में नियुक्त होते हैं ;

(ख) क्या यह सत्य है कि एसिस्टेंटों को अग्रता देने के लिये कुछ वर्गों में बांट दिया गया है जिस के परिणाम स्वरूप १२ वर्ष की सेवा वाला एसिस्टेंट किन्हीं-किन्हीं स्थानों पर एक अन्य वर्ग के ३ साल की सेवा वाले एसिस्टेंट से कनिष्ट हो गया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या माननीय मंत्री वर्तमान अग्रता सूची का पुनरीक्षण करने के लिये कुछ कार्यवाही करने का विचार रखते हैं ताकि अग्रता के भिन्न-भिन्न प्रकारों के सम्बन्ध में इस प्रकार की शिकायत भी दूर हो जाये और यह विषमतायें भी दूर हो जायें ?

†**गृह कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)**: (क) केंद्रीय सचिवालय की सेवा में ग्रेड ४ (एसिस-टेंट) के जिन व्यक्तियों को स्थाई बनाया गया है उनकी अग्रता का आधार इस प्रकार रखा गया है:

१. केन्द्रीय सचिवालय सेवा की प्रथम स्थापना के समय स्थाई बनाये गये व्यक्ति :

(अ) **२२ दिसम्बर, १९४३ से पहले इस ग्रेड में स्थाई बनाये गये व्यक्ति :**

जिस दिन से उनकी इस ग्रेड में पदोन्नति की गई थी ।

(ब) **१९४३ के बाद का ग्रुप**

जिस दिन से वे किसी कार्यालय विशेष में एसिस्टेंटों के रूप में नियुक्त किये गये थे अथवा उसके समतुल्य ग्रेड में नियुक्त किये गये थे ।

२. संधारण रिक्तियों में स्थायी किये गये व्यक्ति

२. संधारण प्रक्रम पर उन व्यक्तियों को ग्रेड ४ में रखा गया है जो एसिस्टेंट्स को नियमित अस्थाई व्यवस्था में नियुक्त किये जा चुके हैं और उनकी अग्रता उसी नियमित अस्थाई व्यवस्था की सूची के क्रम से निर्धारित की गई है।

(ख) और (ग). केंद्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड ४ (एसिस्टेंट्स) का गठन, जैसा कि वह वर्तमान रूप में है, केंद्रीय सचिवालय सेवा (पुर्नगठन तथा अधिक भरती) योजना के उपबन्धों के अनुसार दिया गया था । और उस समय इस ग्रेड के सभी स्थानों की पूर्त्ति ग्रेड ४ के प्रथम गठन के अनु-देशों के अनुसार की गई थी । सभी उपलब्ध स्थानों को उल्लिखित अनुपात में ऐसे उपयुक्त पात्रों के बीच बांट दिया गया था जो कि बिना-परीक्षा-वर्ग (इस उद्देश्य के लिये निश्चित पात्रता की शर्तों के अनुसार) में आते थे तथा जो संघ लोकसेवा आयोग द्वारा अस्थाई एसिस्टेंटों की दो प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफल हुये थे । यह परीक्षायें ऐसे सभी एसिस्टेंटों के लिये भी खुली थी जिन्होंने कि एक थोड़ी सी निश्चित अवधि तक की सेवा की हुई थी । अपेक्षाकृत कम सेवा-अवधि वाले ऐसे व्यक्ति ही प्रथम गठन के समय ग्रेड ४ में नियुक्त किये गये थे जिन्होंने संघ लोक-सेवा आयोग की उन परीक्षाओं में बड़े अच्छे स्थान प्राप्त किये थे । दूसरे व्यक्ति, जिन को प्रथम गठन के समय नियुक्त नहीं किया जा सका यद्यपि उनकी अपेक्षाकृत सेवा अवधि अधिक थी, ऐसे व्यक्ति थे जो या तो उस समय उपयुक्त पात्र नहीं थे अथवा जो आयोग की उन दो परीक्षाओं में असफल रहे । ऐसे व्यक्तियों की सेवा अवधि इतनी अधिक नहीं थी कि उन्हें बिना परीक्षा वाले वर्ग में रखा जा सकता । फिर भी ऐसे व्यक्तियों को १ जुलाई, १९५२ को जब नियमित अस्थाई व्यवस्था की स्थापना की ग ई फिर उसमें रख लिया गया और उन्हीं को धीरे-धीरे जब प्रथम गठन के समय नियुक्त किये गये एसिस्टेंटों की निवृत्ति अथवा पदोन्नति होती गई उनके स्थानों पर रखते गये । कुछ लोगों को उस समय रख लिया गया था जब पहले तीन वर्षों के बाद एसिस्टेंटों की संख्या का पुनर्विलोकन किया गया था । स्वभावतः जिन लोगों को संधारण रिक्तियों के स्थान पर नियुक्त किया गया है वे प्रथम गठन के समय नियुक्त किये गये लोगों की अपेक्षा कनिष्ट हो गये हैं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

केन्द्रीय सचिवालय में चौथे ग्रेड के कर्मचारी

†**१२९४. श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सत्य है कि केंद्रीय सचिवालय सेवा में चौथे ग्रेड के (एसिस्टेंट्स) कर्मचारियों

†मूल अंग्रेजी में ।

की संख्या अभी हाल ही में १८,०० से बढ़ा कर १८१९ कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो किस आधार पर ऐसा किया गया है;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि इस प्रकार के चुनाव में अधिक अर्ह तथा अनुभवी व्यक्तियों का कोई ध्यान नहीं रखा गया है; और

(घ) यदि हां, तो किस कारण से ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार):** (क) और (ख). जी, हां । जब सर्वप्रथम चौथे ग्रेड की केंद्रीय सचिवालय सेवा का गठन किया गया था उस समय सम्बन्धित अनुदेशों के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चार व्यक्तियों की उपयुक्तता का प्रश्न बड़ी देर के बाद निश्चित किया गया था; और उस समय तक इस ग्रेड के सभी स्थानों की पूर्त्ति हो चुकी थी । उस समय ये चार स्थाई स्थान सम्बन्धित अनुदेशों के अनुसार उल्लिखित अनुपात में चार श्रेणियों में से ही पूरे कर लिये गये थे । बाद में जिन ४ व्यक्तियों की पात्रता का निश्चय किया गया वे सभी एक ही श्रेणी के थे । अतः तदनुरूप शेष ३ स्थानों की पूर्ति भिन्न श्रेणियों से करनी ज़रूरी थी । अब चार भिन्न-भिन्न श्रेणियों में से इस प्रकार के १९ व्यक्ति तैयार हो गये थे जिन में ये ४ व्यक्ति भी शामिल हैं । इसलिये १९ अतिरिक्त स्थान बनाने आवश्यक हो गये थे ।

(ग) और (घ). जो व्यक्ति इस सेवा के प्रथम गठन के समय निर्धारित किये गये अनुदेशों के अनुसार तथा १९४८–५१ में इसके पुनर्गठन के समय की शर्तों के अनुसार इसके पात्र हैं उन सब को नियुक्त कर लिया गया है । अतः अधिक अर्ह तथा अनुभवी लोगों की ओर ध्यान न देने का कोई प्रश्न नहीं उत्पन्न होता है ।

प्रारम्भिक शिक्षा के लिये अनुदान

†१२९५. **श्री राम कृष्ण :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रारम्भिक शिक्षा के सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों को वर्ष १९५५–५६ में, राज्यवार कुल कितना अनुदान दिया गया; और

(ख) राज्यों द्वारा वस्तुतः कितनी राशि का उपयोग किया गया ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास):** (क) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ४८]**

(ख) राज्य सरकारों से अभी यह सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

पेट्रोल शोधन शाला

†१२९६. **श्री के० पी० त्रिपाठी :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नहरकाट्या प्रदेश में पाये जाने वाले पेट्रोल के लिये कलकत्ता में शोधन शाला स्थापित की जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (श्री के० एल० श्रीमाली):** (क) इस प्रश्न पर अभी कोई निश्चय नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

फालतू जमीनें

†१२९७. **श्री जी० एल० चौधरी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) क्या यह सच है कि सरकार छावनियों की फालतू जमीन को राज्य सरकारों को हस्तांतरित करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो किन निबन्धनों और शर्तों पर इन जमीनों का हस्तांतरण किया जायेगा ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सरकारी प्रतिनिधि मंडल

†१२९९. { **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५५–५६ में कितने सरकारी प्रतिनिधि मंडलों ने विदेशों की यात्रा की;

(ख) मंत्रालयवार उनके विस्तृत विवरण क्या हैं;

(ग) उनके प्रतिनिधि मंडलों पर कुल कितना व्यय हुआ; और

(घ) प्रत्येक प्रतिनिधि मंडल ने किन-किन देशों की यात्रा की ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह):** (क) से (घ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और वह उपलब्ध होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पंजाब और पेप्सू को ऋण और अनुदान

†१३००. { **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:–

(क) पंजाब और पेप्सू को, अब तक कुल कितना कितना ऋण और अनुदान दिया गया;

(ख) क्या राज्य सरकारों ने सारी स्वीकृत राशि का उपयोग किया; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण थे ?

†**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) :** (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

अनुसूचित बैंक

†१३०१. { **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५–५६ में भारत के रिजर्व बैंक के पास विदेशों में शाखायें खोलने के लिये अनुसूचित बैंकों के कितने आवेदन पत्र आये;

(ख) उनमें से कितने आवेदन पत्र स्वीकार किये गये;

(ग) इस अवधि में भारत में शाखायें खोलनें के लिये विदेशी बैंकों के कितने आवेदन पत्र आये; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) उनमें से कितने स्वीकार किये गये ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अरुण चन्द्र गुह)** : (क) १ अप्रैल, १६५५ से ३१-मार्च, १६५६ की अवधि में ३ अनुसूचित बैंकों के ५ आवेदन पत्र विदेशों में शाखायें खोलने के लिये भारत के रिजर्व बैंक के पास आये ।

(ख) २ अनुसूचित बैंकों के ३ आवेदन स्वीकार किये गये । एक अनुसूचित बैंक के शेष २ आवेदन अभी विचाराधीन हैं ।

(ग) इस अवधि में भारत में शाखा खोलने के लिये किसी विदेशी बैंक का आवेदन पत्र नहीं आया । केवल एक आवेदन पत्र जो भारत के रिजर्व बैंक द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था, पुनर्विचार के लिये आया ।

(घ) भाग (ग) में जिस आवेदन पत्र का उल्लेख है उसे स्वीकार कर लिया गया है ।

भूटानी छात्र

†१३०२. **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत की प्रविधिक संस्थाओं में भूटानी छात्रों के स्थान रक्षण के लिये क्या कार्यवाही की गई है या की जाने का विचार है; और

(ख) क्या एक या दो राज्यों के विश्वविद्यालयों में ऐसे स्थान रक्षित किये गये हैं या किये जायेंगे ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) भारत की प्रविधिक संस्थाओं में भूटानी छात्रों के स्थान रक्षण के लिये इस समय भारत सरकार ने न कोई कार्यवाही की है और न वह करना चाहती है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भारत का राज्य बैंक

†१३०३. **श्री राम दास** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जुलाई, १६५५ से भारत के राज्य बैंक में विभिन्न श्रेणियों में की गई नियुक्तियों की संख्या कितनी है; और

(ख) उन में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों की पृथक्-पृथक् संख्या कितनी है ?

राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अरुण चन्द्र गुह): (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायगी ।

आयुधागार (आर्डनेंस डिपो) के कामकर

†१३०४. **श्री राम चन्द्र रेड्डी** : क्या **प्रति रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १६५१–५२ में शकूरबस्ती के आयुधागार (आर्डनेंस डिपो) के श्रमिकों को समय से अधिक समय तक कार्य करने का भत्ता दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो उन्हें कितनी रकम दी गयी थी ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या वह रकम उन से वापस लेने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)**: (क) हां।

(ख) ३४,०८३. रुपये ९ आने

(ग) हां, २२,६१८ रुपये ४ आने जो श्रमिकों को नहीं दिये जाने चाहिये थे।

(घ) आयुधागारों (आर्डनेंस डिपो) में श्रमिकों को अधिक समय तक काम करने का भत्ता देने के लिये कारखाना अधिनियम (धारा ५९) और विभागीय नियमों (वेतन और भत्ते विनियम खंड १ का पैरा ८८-क) में उपबन्ध हैं। आयुध सेवाओं के निदेशक द्वारा १९४५ में जारी की गई आम अधिसूचनाओं के अनुसार अधिक समय तक काम करने के भत्ते का हिसाब पृथक् रूप से लगाया जाता है जैसा कि वह कारखाना अधिनियम के अधीन ग्राह्य होता है और जैसा कि वह उस अवधि की सारी मंजूरी पर विभागीय नियमों के अधीन ग्राह्य होता है। इन दोनों हिसाबों में जो रकम अधिक होती है वह श्रमिकों को देय होती है। जहां तक शकूरबस्ती के श्रमिकों का प्रश्न है, यह पता चला है कि हिसाब में गलती के कारण उन्होनें अधिक रकम मिल गई जो उन्हें मिलनी न चाहिये थी। यह अधिक रकम वसूल की जा रही है।

खनिज की खोज

†१३०५. **श्री एल० जोगेश्वर सिंह** : क्या **प्राकृतिक संसाधान और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री अपने मंत्रालय की १९५५-५६ की रिपोर्ट के पृष्ठ ६ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर राज्य में कितने क्षेत्रों में खनिजों की खोज की गई;

(ख) वहां कौन से खनिज प्राप्य हैं; और

(ग) उनका काम कब और किस प्रकार किया जायगा ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली)** : (क) से (ग). १९५५-५६ के चालू क्षेत्र काल (फील्ड सीजन) में भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा की गई खनिज की खोज के परिणाम भूतत्ववेत्ताओं के प्रतिवेदन प्राप्त होने पर लगभग सितम्बर, १९५६ में जाने जा सकेंग और वे भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग के वार्षिक 'रिकार्डों' में प्रकाशित किये जायेंगे।

खनिज की खोज में जो विशेष काम किये जाने को थे उन का हाल सम्बन्द्ध विवरण में दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ४९]**

लौह अयस्क

†१३०६. **श्री बी० एस० मूर्ती** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेलंगाना (हैदराबाद) में प्राप्त लौह अयस्क का कुल परिमाण कितना है;

(ख) उसकी किस्म कैसी है; और

(ग) क्या सरकार उसे निकालने के लिये एक कारखाना खोलना चाहती है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली)** : (क) तेलंगाना में कुल ३ करोड़ ७० लाख से ४ करोड़ टन लौह अयस्क होने का अनुमान है।

(ख) लौह अयस्क में ३५ से ४५ प्रतिशत लोहा है। यह घटिया किस्म का है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ग) हैदराबाद सरकार ने बताया है कि लौह अयस्क निकालने के प्रश्न की जांच की जा रही है ?

स्त्रियों में निरक्षरता

†१३०७. **श्री बी० एस० मूर्ती :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण तथा नगरीय स्त्रियों में निरक्षरता दूर करने के लिये क्या कोई योजना लागू की जायगी; और

(ख) इस के लिये कितनी रकम निश्चित की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एस० एम० दास) :** (क) और (ख). द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्त्रियों में निरक्षरता दूर करने पर अधिक जोर दिया जा रहा है । स्त्री शिक्षकों के प्रशिक्षण और स्कूलों में लड़कियों की संख्या बढ़ाने के लिये कुछ निधियां विशेष रूप से निश्चित करने के प्रश्न पर योजना आयोग से चर्चा की जा रही है ।

तम्बाकू पर उत्पादन शुल्क

†१३०८. **श्री राम दास :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५–५६ में पंजाब में तम्बाकू पर उत्पादन शुल्क की कितनी रकम वसूल की गई; और

(ख) उसी अवधि में उसकी वसूली पर कितनी रकम व्यय की गई ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अरुण चन्द्र गुह) :** (क) और (ख). १९५५–५६ में पंजाब में तम्बाकू पर ४१.६४ लाख रुपये उत्पादन शुल्क के रूप में वसूल हुये और उसी अवधि में उसकी वसूली में ९.३० लाख रुपये व्यय हुये ।

दैनिक संक्षेपिका

[शनिवार, २१ अप्रैल, ९५६]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		१६६३–८४
तारांकित प्रश्न संख्या		
१६१७	हिन्दी प्रचार ...	१६६३–६४
१६१८	भारतीय खान ब्यूरो	१६६४–६५
१६१९	भूगोल सम्बन्धी नाम	१६६५–६६
१६२१	अन्धे लोगों के सम्बन्ध में नमूने का सर्वेक्षण	१३६६–६७
१६२३	दूसरी पंचवर्षीय योजना ...	१६६७–६८
१६२४	केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिक गवेषणा संस्था	१६६८–६९
१६२७	संरक्षणात्मक खाद्यान्न	१६६९–७०
१६२८	दिल्ली मतदाता सूची	१६७०–७१
१६२९	भारत का रक्षित बैंक	१६७१–७२
१६३०	कोणार्क मन्दिर ...	१६७२–७३
१६३२	आन्ध्र को ऋण ...	१६७३–७४
१६३३	मृत्यु दण्ड	१६७४–७५
१६३४	डा० रुडोल्फ फ्लेश तथा श्री पी० मार्टिन स्मिथ का आगमन	१६७५–७६
१६३५	केंद्रीय अनुसूचित जाति और आदिम जाति कल्याण बोर्ड	१६७६–७७
१६३६	अन्तर्राष्ट्रीय विद्यार्थी भवन ...	१६७७–७८
१६३७	गांवों के विकास में शिक्षण	१६७८–७९
१६३८	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये अनुदान	१६७९
१६३९	भारतीय नौ सैनिक बेड़ा	१६७९–८०
१६४१	भारत का राज्य बैंक	१६८०–८१
१६४२	प्रतिरक्षा सेवाओं में भर्ती	१६८१
१६४४	ग्रामीण विश्वविद्यालय	१६८१–८२
१६४५	महिला कान्स्टेबल	१६८२–८३
१६२६	सेना कालेज, देहरादून ...	१६८३–८४
१६३१	पोलैंड का सांस्कृतिक शिष्टमंडल	१६८४
प्रश्नों के लिखित उत्तर ...		१६८४–१७००
तारांकित प्रश्न संख्या		
१३९५	सैनिक शिक्षा	१६८४
१४१५	अन्धों के लिये केंद्रीय आदर्श स्कूल	१६८४–८५

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)		
तारांकित प्रश्न संख्या		
१६२०	डुप्लिकेटर्स के लिये काली स्याही	१६८५
१६२२	केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड ...	१६८५
१६२५	नलकटा क्षेत्र (त्रिपुरा) में पुनर्वास	१६८५-८६
१६४०	उज्जैन में खुदायी ...	१६८६
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१२६५	परिवहन विनियमों का उल्लंघन	१६८६
१२६६	कल्याण विस्तार परियोजनायें	१६८६
१२६७	राजनयिक नियोजनों में सैनिक सलाहकार ...	१६८६-८७
१२६८	विदेशों में सशस्त्र बल कर्मचारियों का प्रशिक्षण	१६८७
१२६९	बुद्ध जयन्ती	१६८७
१२७०	अग्नि तथा डिजाइन और विकास मंत्रणा समितियां	१६८८
१२७१	त्रिपुरा में मतदाता	१६८८
१२७२	त्रिपुरा में मतदाता ...	१६८८
१२७३	भारतीय विज्ञान संस्था, बंगलौर	१६८८
१२७४	लोक सहायक सेना के शिविर ...	१६८८-८९
१२७५	सम्पदा शुल्क ...	१६८९
१२७६	प्रबन्ध सम्बन्धी पुस्तक संग्रह	१६८९
१२७७	भूतपूर्व सेना चिकित्सा कर्मचारी ...	१६९०
१२७८	वैज्ञानिक कार्य का समन्वय करने के लिये समिति	१६९०
१२७९	आसाम सहायता उपाय संगठन...	१६९०
१२८०	कसौली आरोग्यशाला	१६९१
१२८१	बिहार में आकाशी घटना ...	१६९१
१२८२	मनीपुर में दण्ड प्रक्रिया के मामले	१६९१
१२८३	भूतत्वीय सर्वेक्षण	१६९१-९२
१२८४	रेलवे स्टेशनों पर भिखमंगे ...	१६९२
१२८५	पुरातत्व सम्बन्धी प्राप्त वस्तुयें ...	१६९२
१२८६	निर्वाचन सम्बन्धी जमा राशियों की जब्ती ...	१६९२
१२८७	बैंक पंचाट	१६९२-९३
१२८८	लेखकों तथा ग्रंथकारों को सहायता	१६९३
१२८९	आदिम जातीय क्षेत्रों का विकास (मनीपुर)...	१६९३-९४
१२९०	पाकिस्तानियों की गिरफ्तारी ...	१६९४
१२९१	गाड़ियों की खरीद ...	१६९४
१२९२	नवसाक्षरों के लिये पुस्तकें ...	१६९४
१२९३	केंद्रीय सचिवालय में एसिस्टेंट सहायक	१६९४-९५
१२९४	केंद्रीय सचिवालय में चौथे ग्रेड के कर्मचारी ...	१६९५-९६

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या		
१२९५	प्रारम्भिक शिक्षा के लिये अनुदान...	१६९६
१२९६	पेट्रोल शोधन शाला	१६९६
१२९७	फालतू जमीनें ...	१६९७
१२९९	सरकारी प्रतिनिधि मंडल ...	१६९७
१३००	पंजाब और पेप्सू को ऋण और अनुदान	१६९७
१३०१	अनुसूचित बैंक	१६९७–९८
१३०२	भूटानी छात्र	१६९८
१३०३	भारत का राज्य बैंक	१६९८
१३०४	आयुधागार (आर्डनेंस डिपो) के कामकर ...	१६९८–९९
१३०५	खनिज की खोज	१६९९
१३०६	लौह अयस्क	१६९९–१७००
१३०७	स्त्रियों में निरक्षरता ...	१७००
१३०८	तम्बाकू पर उत्पादन शुल्क ...	१७००

M44LSD—190—22-6-57—GIPF

खण्ड ४ — अंक ४८
२१ अप्रैल, १९५६ (शनिवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग २ — प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

(खण्ड ४ में अंक ४६ से अंक ६० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

३७ नये पैसे (देश में) दो शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

[खण्ड ४—१८ अप्रैल से ८ मई, १९५६]

अंक ४६—बुधवार, १८ अप्रैल, १९५६

	पृष्ठ
स्थगन प्रस्ताव—	
बम्बई में नौका-गोदी और डिपो में असैनिक कर्मचारियों की हड़ताल	२४३३–३४
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	२४३४–३५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
पचासवां प्रतिवेदन ...	२४३५
कार्य मंत्रणा समिति—	
बत्तीसवां प्रतिवेदन	२४३५–३७
जम्मू तथा कश्मीर (विधियों का विस्तार) विधेयक	२४३७
राज्य पुनर्गठन आयोग ...	२४३७–३८
संविधान (नवां संशोधन) विधेयक ...	२४४३
विनियोग (संख्या २) विधेयक ...	२४४३
संविधान (छठा संशोधन) विधेयक	२४३९–४३
नियम समिति—	
दूसरा प्रतिवेदन ...	२४८५
वित्त विधेयक	२४४४–८५
विचार करने का प्रस्ताव ...	२४४४
दैनिक संक्षपिका	२४८६

अंक ४७—शुक्रवार, २० अप्रैल, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—	
बम्बई में नौका-गोदी और डिपो में असैनिक कर्मचारियों की हड़ताल	२४८७–८९
विनियोग (संख्या २) विधेयक	२४८९–९०
वित्त विधेयक ...	... २४९०–२५११
विचार करने का प्रस्ताव	२४९०
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
पचासवां प्रतिवेदन	२५११
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४२९ का संशोधन)	२५१२–२३
विचार करने का प्रस्ताव	२५१२
विद्युत् (संभरण) संशोधन विधेयक (धारा ७७, आदि का संशोधन)	२५२४–३०
विचार करने का प्रस्ताव ...	२५२४
दैनिक संक्षेपिका	२५३१

अंक ४८—शनिवार, २१ अप्रैल, १९५६

राज्य पुनर्गठन विधेयक के बारे में याचिकायें	२५३३

वित्त विधेयक २५३३–२६०२
विचार करने का प्रस्ताव २५३३
खण्ड २ से ३७ तक, अनुसूचियां १ से ४ और खण्ड १ ... २५५३–२६००
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ... २६००
कार्य मंत्रणा समिति—
तैतीसवां प्रतिवेदन ... २६०२
विनियोग (संख्या २) विधेयक २६०२–०५
विचार करने का प्रस्ताव २६०२
खण्ड १ से ३ और अनुसूची ... २६०५
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव २६०५
दैनिक संक्षेपिका २६०६

अंक ४९—सोमवार, २३ अप्रैल, १९५६

कार्य-मंत्रणा समिति—
तैतीसवां प्रतिवेदन २६०७–०८
नियम ९२ के प्रथम परन्तुक के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव ... २६०८–१७
राज्य पुनर्गठन विधेयक २६१७–५९
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव २६१७
दैनिक संक्षेपिका २६६०

अंक ५०—मंगलवार, २४ अप्रैल, १९५६

सदस्य का बंदीकरण २६६१
सभा-पटल पर रखा गया पत्र २६६२
राज्य पुनर्गठन विधेयक—
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव ... २६६२–९६
दैनिक संक्षेपिका २६९७

अंक ५१—बुधवार, २५ अप्रैल, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—
कुछ प्रदर्शन-कर्त्ताओं का बंदीकरण ... २६९९–२७००
सभा का कार्य २७००–०१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
इक्यावनवां प्रतिवेदन २७०१
नियम समिति—
तीसरा प्रतिवेदन २७०८
राज्य-पुनर्गठन विधेयक—
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव २७०१–०७, २७०८–४७
दैनिक संक्षेपिका २७४८

अंक ५२—गुरुवार, २६ अप्रैल, १९५६

प्राक्कलन समिति—
पच्चीसवां प्रतिवेदन २७४९

नियम समिति—
तीसरा प्रतिवेदन २७४९–५९
राज्य पुनर्गठन विधेयक—
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव ... २७५९–६९
संविधान (नवां संशोधन) विधेयक—
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव २७६९–९४
राज्य सभा से सन्देश २७९४
दैनिक संक्षेपिका २७९५

अंक ५३—शुक्रवार, २७ अप्रैल, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र २७९७
सदस्य की नजरबन्दी २७९७
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक के बारे में याचिका २७९७
संविधान (नवां संशोधन) विधेयक—
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव २७९८–२८२१
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, विचार करने का प्रस्ताव ... २८२१–३०
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
इक्यावनवां प्रतिवेदन २८३१
बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प ... २८३१
व्यक्ति की आय की अधिकतम सीमा के बारे में संकल्प ... २८४७
राज्य-सभा से सन्देश २८४७
श्रमजीवी पत्रकारों के बारे में आधे घण्टे की चर्चा २८४७–५२
दैनिक संक्षेपिका ... २७५३–५४

अंक ५४—सोमवार, ३० अप्रैल, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ... २८५५
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति २८५५
राज्य-सभा से सन्देश २८५६
त्रावनकोर-कोचीन विनियोग (लेखानुदान) विधेयक २८५६
प्राक्कलन समिति—
छब्बीसवां प्रतिवेदन २८५६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
युद्ध सामग्री कारखानों में छटनी ... २८५६–५८
सरकार की औद्योगिक नीति के सम्बन्ध में वक्तव्य २८५८–६५
सभा का कार्य २८६५–६६
मनीपुर राज्य पहाड़ी-लोग (प्रशासन) विनियमन (संशोधन)
विधेयक २८६६–७०
मनीपुर (पहाड़ी क्षेत्रों के ग्राम-प्राधिकारी) विधेयक २८७०

हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ... २८७०–२९१६
जीवन बीमा निगम विधेयक २९१६
सीमेण्ट के बारे में आधे खण्टे की चर्चा २९१८–२४
दैनिक संक्षेपिका २९२५–२६

अंक ५५—मंगलवार, १ मई, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र २९२७
विधान-मण्डलों की कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक ... २९२७
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ... २९२८–७७
दैनिक संक्षेपिका २९७८

अंक ५६—बुधवार, २ मई, १९५६

समिति के लिये निर्वाचन—
राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संघ सम्पर्क समिति २९७९–८०
भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) विधेयक २९८०
राज्य-सभा से संदेश ३०१९
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव २९८०–३०१८, ३०१९–२७
खण्ड २ से ५ तक ... २९८९–३०२७
दैनिक संक्षेपिका ... ३०२८

अंक ५७—गुरुवार, ३ मई, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३०२९
राज्य-सभा से सन्देश ३०२९–३०
सभा का कार्य ... ३०३०–३१
संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक ३०३१–३२
त्रावनकोर-कोचीन विनियोग (लेखानुदान) विधेयक—
संशोधन जिसकी राज्य-सभा द्वारा सिफारिश की गयी ... ३०३३–३६
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—
खण्ड ५, ६ और ४ ... ३०३६–८७
दैनिक संक्षेपिका ३०८८

अंक ५८—शुक्रवार, ४ मई, १९५६

सभा का कार्य ३०८९–९०, ३१३६–३७
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में—
खण्ड ७ से १० तक ३०९०–३१२९
कारखाना (संशोधन) विधेयक (धारा) ५१, ५४ और ५९ का संशोधन) ३१२९
विद्युत् (सम्भरण) संशोधन विधेयक (धारा ७७, आदि का संशोधन) ३१२९–३३

विधान मंडलों की कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ३१३३–३६, ३१३७–४६
खण्ड २ से ४ तक और खण्ड १ ... ... ३१३५–३६, ३१३७–४६
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में ३१४६
खान (संशोधन) विधेयक (धारा ३३ और ५१ का संशोधन)—
विचार करने का प्रस्ताव ३१४६–४८
दैनिक संक्षेपिका ३१४९

अंक ५९—सोमवार, ७ मई, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३१४९–५०
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति ३१५०
राज्य-सभा से सन्देश ३१५०
भारतीय रेड क्रास सोसाइटी (संशोधन)विधेयक ३१५०
कार्य मंत्रणा समिति—
चौंतीसवां प्रतिवेदन ३१५१
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—
चौदहवां प्रतिवेदन ३१५१
प्राक्कलन समिति की कार्यवाही का विवरण ... ३१५१
खण्ड ४, अंक २ ... ... ३१५१
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में ३१५१–३२०४
खण्ड १० से २५ तक और अनुसूची ३१५१–३२०४
दैनिक संक्षेपिका ३२०५–०६

अंक ६०—मंगलवार, ८ मई, १९५६

सदस्य की रिहाई ... ३२०७
सदस्यों का बन्दीकरण ३२०७
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में ... ३२०७–७७
खण्ड २५ से ३३ तक और १ ... ... ३२०७–४६
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में ३२७७
दैनिक संक्षेपिका ३२७८

M132LSD—190—24-3-58—GIPF.

विषय-सूची

	पृष्ठ
राज्य पुनर्गठन विधेयक के बारे में याचिकायें ...	२५३३
वित्त विधेयक ...	२५३३–२६०२
विचार करने का प्रस्ताव	२५३३
श्री विभूति मिश्र	२५३३–३७
श्री सी० डी० देशमुख	२५३८–५३
खण्ड २ से ३७ तक, अनुसूचियां १ से ४ और खण्ड १ ...	२५५३–२६००
संशोधत रूप में पारित करने का प्रस्ताव	२६००
पंडित ठाकुर दास भार्गव	२६००–०२
कार्य-मंत्रणा समिति—	
तैंतीसवां प्रतिवेदन	२६०२
विनियोग (संख्या २) विधेयक	२६०२–०५
विचार करने का प्रस्ताव	२६०२
श्री एन० बी० चौधरी	२६०२
श्री वेलायुधन	२६०३
श्री नम्बियार	२६०३
श्री पाटस्कर	२६०३
डा० केसकर	२६०३–०५
खण्ड १ से ३ तक और अनुसूची ...	२६०५
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	२६०५
श्री सी० डी० देशमुख ...	२६०५
दैनिक संक्षेपिका	२६०६

वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

लोक-सभा

शनिवार, २१ अप्रैल, १९५६

लोक-सभा साढ़े दस बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

१०-३० म० पू०

राज्य पुनर्गठन विधेयक के बारे में याचिकायें

†**सचिव** : मुझे लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम १७९ के अन्तर्गत लोक-सभा को यह सूचना देनी है कि लोक-सभा पटल पर रखे गये विवरण के अनुसार राज्य पुनर्गठन विधेयक, १९५६ के सम्बन्ध में एक याचिका प्राप्त हुई है ।

विवरण

राज्य पुनर्गठन विधेयक, १९५६ से सम्बन्धित याचिका

हस्ताक्षर कर्त्ताओं की संख्या	जिला या नगर	राज्य	याचिका की संख्या
७६		आंध्र	५८

†**श्री शिवमूर्ति स्वामी** (कुष्टगी) : मैं राज्य पुनर्गठन विधेयक, १९५६ के सम्बन्ध में सात हस्ताक्षर कर्त्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं ।

वित्त विधेयक—समाप्त

†**अध्यक्ष महोदय** : अब लोक-सभा वित्त विधेयक, १९५६ पर विचार करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा को पुनः आरम्भ करेगी ।

श्री विभूति मिश्र (सारन व चम्पारन) : अध्यक्ष महोदय, कल मैं यह कह रहा था कि जो हमारे राजनैतिक पीड़ित भाई हैं, उनके लिये प्रांतीय सरकारों ने बहुत कुछ किया है और इसके लिये वे धन्यवाद के पात्र हैं । लेकिन प्रांतीय सरकारों के इस दिशा में प्रयत्न करने के बाद भी आज उनकी

†मूल अंग्रेजी में

[श्री विभूति मिश्र]

हालत ठीक से नहीं सुधर पाई है और हमारे उन भाइयों की जिन्होंने कि आजादी की लड़ाई में अपना सब कुछ बलिदान कर दिया, उनकी आर्थिक अवस्था ठीक नहीं है। मैं केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह हमारे इन राजनैतिक पीड़ित भाइयों की हालत को सुधारने के लिये आगे बढ़े और उनकी जैसे भी संभव हो सहायता करे। सरकार फौज से रिटायर्ड [अवकाश-प्राप्त] होने वाले जवानों को जिन्होंने कि अंग्रेजों के शासन काल में विभिन्न स्थानों पर स्वाधीनता आन्दोलन को कुचलने के लिये अपने भाइयों को मारा, ऐसे लोगों को तो हमारी सरकार पेंशनें देती है लेकिन वे हमारे राजनैतिक पीड़ित भाई जिनके कि त्याग, बलिदान और तपस्या से हिन्दुस्तान को स्वतन्त्रता मिली, उनको केन्द्रीय सरकार आज कोई सहायता नहीं कर रही है। मैं अपने वित्त मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि वे हमारे इन राजनैतिक पीड़ित भाइयों की सहायता करें। मैं कितने ही ऐसे राजनैतिक पीड़ित भाइयों को जानता हूं कि जिन्होंने सन् १९०५, १९२० और १९३० के भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामों में भाग लिया, कष्ट सहे और त्याग बलिदान किया, आज उनके ऊपर काफी कर्जे का भार चढ़ गया है और उनकी आर्थिक अवस्था बड़ी ही शोचनीय हो रही है और मैं वित्त मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वे ऐसे लोगों की सहायता करने के लिये प्रांतीय सरकारों से मिलकर कोई एक योजना बनायें ताकि हमारे उन राजनैतिक पीड़ित भाइयों की जिनकी कि जीवनयापन की समस्यायें अभी तक हल नहीं हो पाई हैं, उनको भली प्रकार से हल किया जा सके।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि श्री नंदा जी ने जो पटना में कहा है कि गंडक योजना को हम लेने जा रहे हैं, वह स्वागत योग्य है और मैं उनको ऐसा कहने के लिये धन्यवाद देता हूं। यह योजना सस्ती होने के अतिरिक्त करीब ७८ लाख आदमियों का इससे उपकार होगा और इस योजना के पूरी होने से २८ लाख एकड़ जमीन पटेगी। सरकार भी इसको स्वीकार करती है कि यह सस्ती योजना है और मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि आप जो इस योजना को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लेने जा रहे हैं, तो इसको अविलम्ब कार्यान्वित करें।

सरकार करीब डेढ़ करोड़ रुपया शेडयूल्ड ट्राइब्स, [अनुसूचित आदिम जातियों] और बैकवर्ड क्लासेज [पिछड़े वर्गों] की छात्रवृत्तियों पर खर्च करती है लेकिन यह छात्रवृत्तियां केवल उन्हीं को मिल पाती हैं जो कि ६० फी सदी नम्बर पाते हैं, अब उन में कुछ ऐसे बैकवर्ड क्लासेज के विद्यार्थी भी हैं जिनको कि स्कूलों में जाने की और पढ़ाई की उतनी सुविधा प्राप्त नहीं है और उन बेचारों के कैसे ६० फी सदी नम्बर आ सकते हैं और इसलिये मैं चाहूंगा कि उसमें सरकार कुछ ऐसा क्लासिफिकेशन [वर्गीकरण] बनाये ताकि बैकवर्ड क्लासेज और शेडयूल्ड कास्ट्स में ऐसी जातियां जो कि बहुत ही ज्यादा पिछड़ी हुई हैं, उनकी सहायता के लिये खास तरीके से व्यवस्था की जाय।

इसके अतिरिक्त मैं यह बताना चाहता हूं कि शेडयूल्ड कास्ट, शेडयूल्ड ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लासेज के अलावा कुछ ऐसी भी जातियां हिन्दुस्तान में पाई जाती हैं जिन्हें सरकार कोई सहायता नहीं देती है और उनमें काफी गरीब लोग होते हैं जो दरवाजे-दरवाजे भीख मांगते घूमते हैं। मैं सरकार से कहूंगा कि इन आदमियों की आर्थिक स्थिति के बारे में जांच करवाये और देखे कि उनमें गरीबी है या नहीं। मैं इसका विरोधी हूं कि जात-पांत के नाम पर किसी आदमी को कोई सहायता दी जाय, अगर सहायता दी जाय तो गरीबी की बुनियाद पर दी जाय। इन जातियों में ऐसे भी लड़के हैं जो कि बहुत गरीब हैं और जिनको कि खाने पीने का भी सुभीता नहीं है और जिनको कि पढ़ने की सुविधा नहीं है, आज उनको कोई सहायता नहीं देता है जब कि पहले यह जो हमारे बड़े-बड़े जमींदार और राजे महाराजे ऐसे लड़कों की सहायता किया करते थे और यहां पर आपके बेतिया राज्य के मैनेजर विपिन बाबू बैठे हुए हैं जो कि गरीब विद्यार्थियों की पढ़ने लिखने में सहायता किया करते थे और हर प्रकार से उनकी धन से सहायता करते थे लेकिन आज वह काम राज्य सरकार के हाथ में आ गया है

और हम देख रहे हैं कि आज उन गरीबों को कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिये मैं सरकार से कहूंगा कि सरकार ऐसे लोगों के लिये छात्रवृत्ति की रकम अपने यहां रखे ताकि उनका कल्याण हो।

अम्बर चर्खे की उपयोगिता के सम्बन्ध में आज हम देखते हैं कि लोगों में मतभेद विद्यमान है और हममें से कुछ लोगों को उसकी उपयोगिता के बारे में संदेह है। मैं तो समझता हूं कि यह मतभेद आज सिर्फ इसलिये उठ खड़ा हुआ है कि आज गांधी जी हमारे बीच मौजूद नहीं हैं और अगर गांधी जी मौजूद होते तो मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान का कोई भी आदमी यह चीज न कहता कि मैं अम्बर चर्खे के खिलाफ हूं।

कल मेरे भाई श्री सी० डी० पांडे ने कहा कि चर्खा बेकार चीज है। मैं और पांडे जी एक ही साथ पढ़ते थे। गांधी जी काशी विद्यापीठ में आये थे, वहां उन्होंने जेवन्स, जो कि एक बड़ा भारी अर्थ-शास्त्री था, से पूछा था कि तुम कोई ऐसा उपाय बता सकते हो जिस से गांव के गरीब लोगों को दो या चार रुपया महीने की आमदनी हो सके। हमारे पांडे जी भी वहीं पढ़ते थे, उनको मालूम होगा कि वह कोई भी उत्तर नहीं दे सका था। लेकिन आज हमारे पांडे जी चर्खे का विरोध करते हैं जिससे किसानों को कुछ मिल सकता है।

श्री सी० डी० पांडे (जिला नैनीताल व जिला अलमोड़ा—दक्षिण-पश्चिम व जिला बरेली—उत्तर) : मैंने सन् १९३२ में एक थीसिस [सैद्धांतिक निबन्ध] लिखी थी जिसमें अपने पक्ष का प्रतिपादन किया था।

श्री विभूति मिश्र : सुन तो लीजिये, मैं कहता हूं कि आज अम्बर चर्खे के सिवा और कोई चीज ऐसी नहीं है जो कि गांव के लोगों को कुछ दिला सके। इसलिये जहां तक हो सके इस अम्बर चर्खे को अविलम्ब शुरू किया जाय ताकि लोगों का कल्याण हो।

हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर [वित्त मंत्री] साहब कहते हैं कि रुपये की कमी है। लेकिन रुपये की आज कमी नहीं है, उनका रुपया लेने का जो तरीका है उसमें कमी है। आज जो बड़े-बड़े पूंजीपति हैं, जिनके पास अथाह धन है, उनसे कभी आपने लेने का प्रयत्न किया है? आपने हैदराबाद स्टेट को लिया, हैदराबाद के निजाम के पास कितना पैसा था, यहां राजे महाराजे बैठे हुए हैं, आप उनके राज्य ले लीजिये, उनके पास लाखों करोड़ों की सम्पत्ति है, आप उसको ले सकते हैं। अगर आप उनसे छीनना नहीं चाहते हैं, तो कर्ज ले लीजिये, उनको सूद दीजिये। लेकिन आप तो टैक्स ही लगाना जानते हैं मीडियम क्लाथ (मध्यम दर्जे के कपड़े) के ऊपर। इस तरह से जो गरीब किसान है वह बेचारा क्या करे। उसके लिये कपड़ा पहनना लाजिमी है, वह टैक्स देकर भी उसको खरीदेगा। आज मैं अपने वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह वाणप्रस्थ की अवस्था में हैं, वह अपनी गृहस्थ की जिन्दगी गुजार चुके हैं, वह गांधी जी की तरह से हमारे गांवों में चलें और वहां की स्थिति को देखें कि वहां पर रहने वाले किसान कितने गरीब हैं। वह लोग बकरी पालते हैं, भेड़ चराते हैं, लेकिन उनको उससे आज कितना पैसा मिलता है? गांधी जी गांवों में घूमा करते थे तब उनको अन्दाजा लगता था। उसी तरह से वित्त मंत्री जी गांव की ओर चलें तो वह पायेंगे कि गांव के किसानों की हालत सुधरी नहीं है, उनकी हालत में कोई प्रगति नहीं हुई है। इसलिये मेरा कहना यह है कि गांवों पर जितना कम हो सके उतना कम कर लगाना चाहिये। आज जो बड़े-बड़े धनी लोग हैं, जिनके पास अथाह दौलत है उनसे टैक्स लीजिये, जो विदेशी आदमी यहां व्यापार करते हैं, उनके ऊपर टैक्स लगाइये और उनसे टैक्स लेकर किसानों की बेकारी को दूर कीजिये। आपको गरीब किसानों पर टैक्स लगाने से बहुत पैसा नहीं मिलेगा। आज अगर हिन्दुस्तान लड़ाई में फंस जाता है तो मेरा यह तजुर्बा है कि गरीब लोग ही अपनी जान देने जायेंगे, बड़े-बड़े और अमीर आदमी नहीं जायेंगे, इसलिये जरूरत इस बात की है कि जहां तक हो सके उन धनिकों पर टैक्स लगा कर गांव में रहने वाले लोगों को सुविधा दी जाय। आज आपको

[श्री विभूति मिश्र]

पैसा मिलने की दिक्कत नहीं है, लेकिन आपमें विल [इच्छा] की कमी है । धनिकों के पास खूब पैसा है लेकिन आप उन पर टैक्स लगाते हुए घबराते हैं । आप घबराइये नहीं क्योंकि आप जितना भी टैक्स लगायेंगे, वे देंगे । इसी तरह से आप जमींदारी उठाने के पहले घबराते थे, आप सोचते थे कि जमींदारी के उठाते ही देश में एक क्रांति हो जायेगी, लेकिन कोई क्रांति नहीं हुई । इसी तरह से धनिकों पर टैक्स लगाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ।

कल श्री तुलसी दास किलाचन्द जी ने कहा था कि सरकार सब रोजगार खत्म कर रही है और प्राइवेट सेक्टर [निजी क्षेत्र] को मार रही है । मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आखिर क्या आप गांधी जी के ट्रस्टीशिप [प्रन्यासी] के सिद्धांत को मानते हैं या नहीं, अगर आप ट्रस्टीशिप सिद्धांत को मानते तो आपको कोई परेशानी नहीं होती । सरकार को टैक्स इसलिये लगाना पड़ता है कि आप टैक्स देते नहीं हैं । आपने यह कहा कि सरकार बराबर टैक्सेशन [कराधान] के कानून बनाती जा रही है, लेकिन जब आप टैक्स इवेजन [कर अपवंचन] करते हैं तो वह क्या करे ? सरकार आप से पूरा टैक्स लेना चाहती है लेकिन आप देना नहीं चाहते हैं । क्या कभी आपने यह समझा कि सरकार मजबूर है और ऐसा समझ कर उसको टैक्स दे देते ताकि सरकार परेशान न हो ? अगर आप गांधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत को मानते तो आज इसकी जरूरत न पड़ती । आज आप इस पर विचार कीजिये कि सारे देश की योजना में सरकार कुल ७२ अरब रुपया खर्च करने जा रही है जबकि आप से वह कुल २३ अरब रुपया खर्च करने को कहती है । लेकिन प्राइवेट सेक्टर से २३ अरब रुपया भी खर्च नहीं हो पायेगा । आज सरकार बेकारी को खत्म करना चाहती है तो वह आप के ही पक्ष में तो काम करती है, लेकिन आप इसको सोचते नहीं हैं । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज तो मिली-जुली सरकार है जिसकी वजह से आपके पक्ष में भी बातें हो रही हैं, लेकिन दस वर्ष के बाद यह स्थिति नहीं रहेगी ।

श्री गाडगील (पूना मध्य) : इससे भी कम वक्त लगेगा ।

श्री विभूति मिश्र : हो सकता है कम लगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा दस साल में स्थिति सुधर जायेगी, नहीं सुधरेगी तो हमको इस पर सोचना पड़ेगा क्योंकि हमारे ऊपर इसकी जवाबदेही है कि हम बेकारी को दूर करने का प्रयत्न करें । आज आप किसी मिल एरिया में चले जाइये, उसका मैनेजर जिस मकान में रहता है, प्रोप्राइटर [मालिक] जिस मकान में रहता है, उसको देखिये कि वह किस तरह से रहता है, उसके बाद आप किसी मजदूर एरिया में चले जाइये और वहां देखिये कि वे किस तरह से रहते हैं । मैं कभी-कभी गांवों में जाता हूं, हमारे प्रांत में चीनी की मिलें हैं, जहां पर कि बड़े-बड़े पूंजीपति रहते हैं, उनके मैनेजर रहते हैं । आज उनमें और जमींदारों में क्या फर्क है इसको आप देखिये । गांधी जी ने रस्किन की एक किताब 'अनटु दि लास्ट' का अनुवाद किया है जिसका नाम उन्होंने 'सर्वोदय' रखा है । रस्किन ने लिखा है कि जब तक आप मालिक और मास्टर के सम्बन्धों को ठीक नहीं करेंगे तब तक देश का कल्याण नहीं हो सकता है । इसलिये मैं कहूंगा कि जो हमारे पूंजीपति हैं वह सर्वोदय के सिद्धांतों पर चलें और समझें कि उनमें और उनके आदमियों में क्या सम्बन्ध होने चाहिये । उसको समझ कर उन पर अमल करेंगे तभी जनकल्याण होगा और आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है ।

मैं अपने वित्त मंत्री जी से फिर कहना चाहता हूं कि वह अब वाणप्रस्थ की अवस्था में हैं । उन्हें गरीबी को दूर करने में पूरी सहायता करनी चाहिये ।

श्री सी० डी० पांडे : पारसाल ही तो शादी की है ।

श्री विभूति मिश्र : उसमें भी वाणप्रस्थ होता है । आज वित्त मंत्री जी को सारे संसार का अनुभव है, वह हमारे साथ देहातों में चलें और देखें कि हिन्दुस्तान की क्या हालत है । उसको देखने के बाद जैसी उचित समझें वैसी व्यवस्था करें ।

जहां तक स्माल सेविंग्स स्कीम [अल्प बचत योजना] का ताल्लुक है यह मंत्रालय उसको ठीक से नहीं चलाता है । एक आदमी जो कि मुजफ्फरपुर में काम करता है मुझसे मिला, उसका कहना है कि मंत्रालय में एक ऐसा अफसर रखा जाय कि स्माल सेविंग्स स्कीम का ही काम करे । अगर स्माल सेविंग्स स्कीम के अन्तर्गत आपको एक-एक पैसा मिले तो भी आपको खर्चे की कमी नहीं होगी और आप को बाहर से कर्जा नहीं लेना पड़ेगा । लेकिन आप इस स्कीम को ठीक से चलायें तभी आपको पैसे ठीक से मिलेंगे । हम कांग्रेसमैन आपको पूरी मदद करेंगे, कोई भी इस काम में पीछे हटने वाला नहीं है, लेकिन गांवों में यह काम बहुत ढीले ढंग से चल रहा है । आप खुद चल कर इसको देख सकते हैं कि वहां पर किस तरह से काम किया जा रहा है । अगर आप किसी अफसर को भेजेंगे तो वहां से आपको यही रिपोर्ट मिलेगी कि सब ठीक से चल रहा है, लेकिन सच्ची बात का पता आपको नहीं चलेगा । आप खुद चल कर देखिये कि वहां पर स्माल सेविंग्स का काम ठीक से चल रहा है या नहीं । अगर आप इस कर्जे के काम को ठीक से चलायें तो मैं कह सकता हूं कि आपको रुपये की कमी नहीं होगी ।

इसके बाद मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान हिन्दी न्यूमरल्स [अंकों] के ऊपर दिलाऊंगा । उन्होंने इस बारे में कोशिश भी की है, लेकिन फिर भी मैं देखता हूं कि कहीं-कहीं पर यह हो रहा है कि सब कुछ तो हिन्दी में है पर नम्बर लिखे हैं अंग्रेजी में । यह तो वही बात हो गई कि गुड़ खायें और गुलगुले से परहेज ।

एक माननीय सदस्य : उन्होंने तो हिन्दी में लिख दिया है ।

श्री विभूति मिश्र : यह गवर्नमेंट भी गुड़ खा कर गुलगुले से परहेज करती है । सब कुछ तो हिन्दी में लिख दिया लेकिन नम्बर लिखे अंग्रेजी में । यहां हमारे शिक्षा मंत्री होते, जो कि हमारे देश के पुराने सेवक हैं, जिनके नेतृत्व में हम लोगों ने काम किया है, तो मैं उनसे कहता कि आखिर वह जब सब कुछ हिन्दी में लिखते हैं तो संख्यायें ही क्यों अंग्रेजी में लिखते हैं । मुझे दो चार रिपोर्टें ऐसी मिली हैं जिनको पढ़ने पर मुझे मालूम हुआ कि सब कुछ हिन्दी में है लेकिन अंक अंग्रेजी के हैं । मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों है, इसको दूर करना चाहिये । आपको और कोई ऐतराज होता तो बात दूसरी है, लेकिन जब हमने इसको राष्ट्रभाषा स्वीकार कर लिया है तो उसमें जिस तरह से भी हो सके, सुधार करना चाहिये ।

इसके बाद मुझे यह कहना है कि आपके डिपार्टमेंट [विभाग] में, प्रांतीय सरकारों के डिपार्टमेंटों में भी और केन्द्र में भी एक जगह पर अफसरों का ओवरलैपिंग [अतिछादिता] होता है । एक जगह सरकार का सर्किल इन्स्पेक्टर है, एक जगह पर इनकम टैक्स आफिसर [आयकर अधिकारी] है और तम्बाकू का एक्साइज इन्स्पेक्टर है । यह तीनों ही एक जगह पर काम करने जाते हैं । अगर आप विचार कीजिये तो यह काम एक या दो ही आदमी कर सकते हैं । एक आदमी को आप कम कर सकते हैं और आपको कुछ सेविंग [बचत] हो सकती है । आपको चाहिये कि आप इस तरह की सेविंग करने में मदद करें और जो काम कम आदमियों द्वारा हो सकता है उनमें ज्यादा आदमी न लगाये जावें । जो आपके अफसर हैं वह तो सोचते हैं कि उनको तनख्वाह मिलती ही है, उनको क्या गरज है कि वह खर्चे की कमी की तरफ ध्यान दें । इसको तो आपको ही देखना होगा । देश की जनता बहुत गरीब है । वह टैक्स देती है, पैसे देती है, लेकिन उसको बहुत कष्ट होता है । एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देश के लोग बड़े होशियार हैं, हुकूमत के लोग जो कुछ कहेंगे उसको वह सुनेंगे । जो कुछ आप कहेंगे उसको वह सुनेंगे, इसलिये और भी आपको उनके हक में काम करना चाहिये ।

†**श्री गाडगील** : अम्बर चरखे के आर्थिक और प्राविधिक पक्ष की जांच करने के लिये सरकार ने जो एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की थी, वह उचित रूप से कार्य नहीं कर रही है । वह समिति अम्बर चरखे की त्रुटियां बताने वालों की बात ही नहीं सुनती ।

†**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख)** : मैं इस प्रश्न का विशेष तौर पर उत्तर देता हूं । मुझे भी इसी प्रकार की एक शिकायत मिली है और मैंने उत्पादन मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वह मुझे उसकी स्थिति के सम्बन्ध में पूरे तथ्य बताये । समिति की नियुक्ति उत्पादन मंत्रालय ने की है ।

मैं बहुधा सामान्य महत्व के विषयों पर ही पहले बोलता हूं, और फिर बाकी बचे हुए समय में ही ब्योरे वाले विषयों को लेता हूं । लेकिन चर्चा की इस अवस्था में मेरा विचार है कि उस पद्धति को उलट देना ही अधिक उचित होगा । मैं माननीय सदस्यों द्वारा उल्लिखित ब्यौरे के विषयों को ही पहले लूंगा । मेरा विचार है कि इससे वित्त विधेयक पर होने वाली और आगे की चर्चा में अधिक सुविधा रहेगी ।

डा० लंका सुन्दरम् ने ९१·९ प्रतिशत की संख्या पर आपत्ति की है, विशेषकर निजी समवायों के अंशधारियों और पंजीबद्ध समवायों के भागीदारों के मामले में । यह संख्या किसी व्यक्ति द्वारा वास्तव में प्राप्त की गई राशि या उचित रूप में उसे मिलने वाली राशि पर अदा करने योग्य कर की राशि के सम्बन्ध में ही निर्धारित की गई थी । इसमें किसी समवाय या पंजीबद्ध व्यावसायिक संस्था द्वारा अदा किये जाने वाले किसी भी कर का लेखा नहीं रखा गया है जिसका कि वह एक अंशधारी या एक सदस्य है । समवाय द्वारा अदा किया जाने वाला कर उस समवाय की अपनी आय पर ही लगाया गया है, जो समवाय के अंशधारियों की आय से भिन्न है । हमारी प्रणाली में, समवाय द्वारा अदा किये जाने वाले कर को अंशधारियों के कर से मिला देने का कोई भी औचित्य नहीं है । भारत में निर्धार्य द्वारा अदा किये गये आय कर को, पर अधिकर को नहीं, अंशधारियों की ओर से अदा किया हुआ कर माना जाता है, और उनके निजी कर-निर्धारण के समय उसको भी देखा जाता है । यह सही है कि अमरीका जैसे कुछ देशों में निर्धार्य द्वारा अदा किये हुए आयकर को अंशधारी के निजी कर-निर्धारण के समय ध्यान में नहीं रखा जाता है, उतनी राशि कम नहीं की जाती है । हमारी प्रणाली इंगलैंड से ली गई है और उसी से हमें उसका मिलान भी करना चाहिये । इस देश के कर के स्तर को सामान्य प्रतिशतता का मिलान भी इंगलैंड की सामान्य प्रतिशतता से ही करना चाहिये । और हमें हर हालत में, अपने यहां के कर-स्तरों पर भी समय-समय पर विचार करना चाहिये । जब तक इन संख्याओं के संकलन की हमारी प्रणाली में एकरूपता बनी रहती है, तब तक मुझे यह बात कोई अधिक महत्व की नहीं लगती कि उनका ब्यौरेवार संकलन किस प्रकार किया जाता है ।

वे निगम कर के सम्बन्ध में यहां प्रस्तावित कर-सुविधाओं के बारे में भी काफी पर्याप्त स्पष्टीकरण चाहते थे । निगमों के सम्बन्ध में हाल ही में घोषित सुविधायें केवल निम्नांकित हैं । अधिभार की दर बढ़ाने के कार्य के लिये समवायों द्वारा अंशों के अधिमूल्य में से दिये गये बोनस-अंशों को ध्यान में नहीं रखा जायेगा, लेकिन किसी भी अन्य संसाधन में से दिये गये बोनस-अंशों को उसमें रखा जायेगा । लाभांश वितरित करने वाले किसी समवाय पर लागू किये जाने वाले कर की दर का निर्धारण करने के लिये, धन के रूप में मिलने वाले अंश-अधिमूल्य को उस समवाय को प्रदत्त पूंजी में सम्मिलित किया जायेगा । इसका प्रभाव यह पड़ेगा कि गणना करने का आधार कुछ अधिक विस्तृत हो जायेगा । पंजीबद्ध व्यावसायिक संस्थाओं के सम्बन्ध में, मूल योजना में प्रस्ताव है कि वह उसमें प्रस्तावित कर को ही अदा करेगा । भागिता के मामले में, उन्हीं अंशों पर कर

†मूल अंग्रेजी में

लगाया जायेगा जो वास्तव में उनको बांटने योग्य होंगे। भागीदारों को बांटे जाने योग्य अंशों पर और व्यावसायिक संस्था द्वारा अदा किये जाने वाले कर पर, आय-कर की सुविधा दी जायेगी, अधिकर की नहीं। अब प्रस्ताव यह है कि यह सुविधा अधिकर के सम्बन्ध में भी दी जाय, और वह उस अधिकर के सम्बन्ध में दी जाय, जो भागीदार को बांटे जाने योग्य अंश पर लगाया जाता है, फिर चाहे आय कर अधिनियम में परिभाषित व्यवसाय के अतिरिक्त अन्य स्रोत द्वारा प्राप्त आय पर उस व्यावसायिक संस्था ने चाहे कुछ भी कर क्यों न अदा किया हो।

वह यह भी जानना चाहते थे कि अब प्रस्तावित कर-सुविधाओं के रूप में कुल कितना धन छोड़ा जा रहा है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि मूल प्रस्तावों में किये गये इन परिवर्तनों का राजस्व पर बहुत थोड़ा ही प्रभाव पड़ेगा। हालांकि सही-सही संख्या बताना संभव नहीं है, फिर भी मेरा विश्वास है कि वह ५० लाख रुपयों से अधिक नहीं होगा।

एक अन्य सदस्य श्री टी० एस० ए० चेट्टियार ने कहा कि आयकर अधिकारियों को उचित प्रशिक्षा नहीं दी जाती है और उन्हें समय-समय पर आयकर विधि में होने वाले परिवर्तनों के उपलक्षणों सम्बन्धी अनुदेश समय पर नहीं दिये जाते हैं। हमारा उत्तर यह है कि आयकर अधिकारियों और जनता को भी वित्त अधिनियम, १९५५ द्वारा संशोधित आय कर अधिनियम की एक प्रति उसके विधि बनने के पन्द्रह दिनों के अन्दर ही अन्दर, उपलब्ध कर दी गई थी। इस वर्ष भी उसी प्रकार का प्रबन्ध किया गया है। वर्ष १९५५ से ही अधिकारियों और निरीक्षकों के उपयोग के लिये सभी अनुदेशों और परिवर्तनों को सम्मिलित करने वाले त्रैमासिक बुलेटिन प्रकाशित किये जा रहे हैं। यह सही है कि ये केवल विभागीय उपयोग के लिये ही हैं। नये भर्ती किये गये अधिकारियों के लिये कलकत्ता में प्रशिक्षण-क्लासें लगती हैं और अन्य केन्द्रों में भी उनका प्रबन्ध किया जा रहा है। वर्ष १९५४ से अब तक, आवश्यकता पड़ने पर, पांच केन्द्रों में प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रमों का प्रबन्ध किया जा चुका है।

श्री वी० पी० नायर ने कहा था कि कर-अपवंचन को समाप्त करने और वैध कर की पाई-पाई वसूलने के लिये शीघ्र ही कार्यवाही की जानी चाहिये। इस सम्बन्ध में, मुझे पहली बात तो यह कहनी है कि मुझे इस बात पर विश्वास नहीं है कि कोई एक ऐसा देश भी है जहां एक-एक पाई या मुद्रा के ऐसे ही किसी अंश के कर की वसूली होती है। मेरा ब्यौरेवार उत्तर यह है। आयकर जांच आयोग को सौंपे गये मामलों की जांच एक विशेष निदेशालय कर रहा है, जिसमें विभाग के तीन बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। एक अन्य विशेष निदेशालय कर-अपवंचन की अलग-अलग मदों की जांच कर रहा है। बम्बई और कलकत्ता में दो केन्द्रीय आयुक्त विशेषरूप से चुने गये मामलों की छानबीन कर रहे हैं। प्रत्येक आयुक्त के अधिकार के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में और भी उपक्षेत्र बना दिये गये हैं, जो उनके निदेशों के अनुसार काम करते हैं और अधिक पेचीदा मामलों की जांच करने के लिये बनाये गये हैं। इतना ही नहीं, कर अपवंचन का पता चलाने की पद्धतियों में अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिये विशेष प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रमों का भी प्रबन्ध किया जा रहा है। कर अदा न करने वाले व्यक्तियों का पता लगाने के लिये विशेष सर्वेक्षण दल बनाये गये हैं और सर्वेक्षण किये जा रहे हैं। अभी उस दिन मैंने अपने उत्तर में सर्वेक्षण के इस कार्य विशेष में की गई प्रगति सम्बन्धी आंकड़े दिये थे। मैं अन्तिम तौर पर यह कहना चाहता हूं कि सभी प्रकार की त्रुटियों को दूर करने के लिये सामान्यतः अधिनियम में लगातार सुधार किये जा रहे हैं। उदाहरण के लिये, चालू वित्त विधेयक में अधिकारियों को तलाशी लेने, पत्रादि को अपने अधिकार में करने और कर-अपवंचन के पुराने मामलों को फिर से चालू करने की शक्तियां दी जा रही हैं। यहां कठिनाई यही है कि हम कर-अपवंचन और वैधानिक रूप से कर से बचने दोनों ही प्रकार के मामलों को ले रहे हैं।

[श्री सी० डी० देशमुख]

जो कार्यवाहियां हम कर चुके हैं, उनके अतिरिक्त, हमारे लिये तब तक कर संचय की इस विधि को और अधिक कठोर बनाना सम्भव नहीं होगा जब तक कि हमें उनके बदले में कुछ सामान्यीकृत धन नहीं मिलता है। कल मैंने कहा था कि हम इस विधान पर भी विचार कर रहे हैं। वह हमारे सामने कब पेश हो सकेगा यह मैं नहीं बता सकता क्योंकि उसमें बड़ी विकट प्रशासनिक कठिनाइयां सामने आती हैं। यह सही है कि अभी हमें करों के रूप में धन मिलना है, या यह कहिये कि हमारे पास एक विवरण है जिसमें ३६,००० रुपयों से अधिक आय वाले व्यक्तियों से कर लेने की व्यवस्था करनी है। लेकिन, जब तक हमें कर-अपवंचना का संदेह करने के कुछ प्रत्यक्षतः कारण न मिलें, तब तक हम बहुधा इस विवरण में दिये गये ब्यौरों की जांच-पड़ताल नहीं करते हैं। जैसा कि मैं कह चुका हूं कि यदि किसी समय उनके स्थान पर धन पर लगने योग्य सामान्यीकृत कर को रखना पड़े, तो प्रशासनिक व्यवस्था का यह कर्त्तव्य हो जायेगा कि वह प्रत्येक ऐसे विवरण का सत्यापन करने के लिये उसकी जांच करे।

हालांकि माननीय सदस्यों ने इसे कहा नहीं है, फिर भी लोगों का कुछ ऐसा विश्वास सा है कि यदि कर-स्तर नीचे हों तो देश में कर-अपवंचन बहुत ही कम हो जायेगा। लेकिन, मेरा पूर्ण विश्वास यह है कि यदि करों को आधा भी कर दिया जाये, तो भी कर-अपवंचन इतने ही पैमाने पर होता रहेगा। यह तो अपनी सावधानी बढ़ाने और जनता को नागरिक कर्त्तव्यों की शिक्षा देने का ही एक प्रश्न है।

इस कर के अतिरिक्त, माननीय सदस्यों ने अन्य तमाम करों के भी सुझाव दिये हैं——व्यापार मुनाफा कर, उत्तराधिकार शुल्क, दान कर, इत्यादि। मैं इस सम्बन्ध में केवल एक आम बात कहता हूं। मेरे कल के भाषण से लगता है कि लोगों पर यह असर पड़ा है कि मैंने कल जो कुछ भी कहा था वह केवल कराधान जांच आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के सम्बन्ध में ही था। परन्तु मैं यह बता दूं कि आयोग द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तैयार किये जाने से पहले नियुक्त किया गया था। इस दस्तावेज में देश की परिस्थितियों को देखते हुए कर लगाने के सिद्धांत को दिया गया है। क्योंकि परिस्थितियों में परिवर्तन होता रहता है इसलिये इसके कुछ भागों के पुराने हो जाने की सम्भावना है। हमें कई साधनों से सुझाव भी मिलते रहते हैं। उदाहरणतः एक सुझाव व्यय पर कर लगाने के बारे में था। यह नये विचार हैं जिनका पूर्ण अध्ययन और अनुसन्धान करके यह देखना होता है कि इससे क्या प्रशासनिक परिणाम प्राप्त होंगे। इतना सब कुछ करने के पश्चात्, यदि सरकार उचित समझे, तो वह उसे विधान मण्डल के समक्ष रखेगी।

कराधान के बारे में एक यह बात भी कही गई थी कि विधान मण्डल ने कर जांच आयोग के प्रतिवेदन पर विचार नहीं किया। यह याद रखना चाहिये कि इसमें जो सिफारिशें थीं उनका केवल हमारे करों से ही नहीं बल्कि राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के करों से भी सम्बन्ध है। इसमें प्रशासन व्यवस्था के विकास के बारे में भी सुझाव दिये गये थे। इसमें मितव्ययता समितियां आदि बनाने के बारे में भी सुझाव थे। परन्तु श्रीमान् इस प्रकार के प्रतिवेदन पर लोक-सभा में सामान्य चर्चा करने की आवश्यकता नहीं थी। उस निकाय ने जो सुझाव दिये उनमें से कई को हम कार्यान्वित कर चुके हैं। कुछ सुझाव गत वर्ष कार्यान्वित किये गये थे और कुछ एक को इस वर्ष किया जा रहा है और इस पर केवल एक सामान्य चर्चा ही हो सकती थी। जिस प्रकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये संसाधनों के प्रश्न पर विचार किया जाता है उसी प्रकार इस पर चर्चा की जा सकती थी। उत्पादन शुल्क के प्रश्न को ही लीजिये। कर जांच आयोग ने कई उत्पादन शुल्कों का सुझाव दिया है। हमारे लिये वह सभी ब्यौरा बताना सम्भव नहीं है जिससे जनता को पता चले कि सरकार के मन में क्या है। अतः यह अच्छा है कि जब भी हमें किसी मामले को निश्चय करना हो तो हम उसे संसद्

के सामने लायें और उस समस्या के बारे में कर जांच आयोग के प्रतिवेदन को सामने रखते हुए संसद् ही कोई निश्चय करे ।

†**श्री बी० एस० मूर्ति** (एलुरु) : यदि कर जांच आयोग के प्रतिवेदन पर लोक-सभा में चर्चा हो तो क्या उससे सरकार को कोई लाभ नहीं होगा ?

†**श्री सी० डी० देशमुख** : यह तो लोक-सभा को उसके सामने आने वाले मामलों के बारे में पहले ही से कोई निर्णय देने के लिये कहने के समान होगा । इस प्रकार की प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया जाता है । कर जांच आयोग के प्रतिवेदन की बात आप रहने दें । नियमित कराधान के बारे में भी मैं नवम्बर सत्र में यह नहीं बताता हूं कि मेरे मन में यह बात है, मैं इन करों के बारे में सुझाव देता हूं "आपका क्या विचार है" और उनकी स्वीकृति और प्रोत्साहन मिलने पर ही मैं आय-व्ययक सत्र में वे विशेष कर प्रस्तुत नहीं करता हूं । अतः मेरा निवेदन है कि कराधान एक ऐसा मामला है जिस पर समय से पूर्व विचार नहीं किया जाना चाहिये ।

†**श्री मोहन लाल सक्सेना** (जिला लखनऊ व जिला बाराबंकी) : कर जांच आयोग ने केवल कराधान के बारे में ही नहीं बल्कि अर्थ व्यवस्था और देश के फालतू श्रमिकों को प्रयोग में लाने के बाद में भी सिफारिशें दी हैं । उन्होंने कहा कि वास्तव में राष्ट्रीय आय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । परन्तु माननीय मंत्री प्रति दिन कहते हैं कि राष्ट्रीय आय बढ़ गई है । अतः अन्य कई बातों पर भी चर्चा हो सकती है ।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : श्रीमान्, माननीय सदस्य ने तो दूसरा भाषण ही दे डाला । मैं यह कह रहा था कि किसी न किसी सन्दर्भ में लोक-सभा इन सब मामलों पर विचार करती है । या तो आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा के समय, अथवा इससे अधिक, योजना पर चर्चा करते समय इन मामलों पर विचार किया जा सकता है । प्रायः प्रत्येक दिन राष्ट्रीय आय और अधिक उत्पादन का उल्लेख होता है । अर्थ व्यवस्था के बारे में मुझे जो कुछ कहना था वह मैं कह चुका और इस मामले में सरकार जिन परिणामों पर पहुंची उस पर माननीय सदस्य आक्षेप कर सकते थे । जहां तक मुझे विदित है अपने आय-व्ययक भाषण में मैंने पहली बार जो सुझाव दिये थे उनका किसी सदस्य ने भी विरोध नहीं किया था ।

श्रीमान्, अब मैं पुनः कराधान के मामले और वित्त विधेयक की विषय-वस्तु को लेता हूं । कुछ माननीय सदस्यों ने वित्त विधेयक द्वारा आय कर अधिनियम में किये गये संशोधनों पर आपत्ति की है । हमारा यह दावा है कि इन संशोधनों का प्रक्रिया से कोई सम्बन्ध नहीं है बल्कि यह करों के आरोपण, हटाये जाने, उनमें परिवर्तन करने और उन्हें विनियमित करने के बारे में हैं और इन सब मामलों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद ११० में किया गया है ।

†**श्री के० के० बसु** (डायमण्ड हार्बर) : इसीलिये अधिनियम में रूप भेद किया गया ।

†**श्री एन० सी० चटर्जी** (हुगली) : बिना प्रवर समिति को निर्देश किये ।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : प्रत्येक विधेयक प्रवर समिति को नहीं सौंपा जाता है । परन्तु हमारा दावा है कि अन्य विधेयकों की भांति वित्त विधेयक पर चर्चा करने का लोक-सभा को एक अवसर अवश्य दिया जाता है । इस बात पर चर्चा नहीं की जाती कि विधेयक प्रवर समिति को क्यों नहीं सौंपा गया ।

†**श्री एन० सी० चटर्जी** : श्रीमान्, कहने का अभिप्राय यह था कि अगले वर्ष का राजस्व बढ़ाने के लिये दरें और शुल्क निश्चित करने के अतिरिक्त आप कुछ ऐसे सारवान संशोधन कर रहे हैं जो

†मूल अंग्रेजी में

[श्री एन० सी० चटर्जी]

प्रवर समिति को नहीं भेजे जाते। इसीलिये कहा गया था कि उन्हें किसी अन्य विधेयक में शामिल किया जा सकता था और साधारण विधान प्रक्रिया का अनुसरण किया जा सकता था।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : यह तो सुविधा की बात है। यदि लोक-सभा इन विशेष संशोधनों को जल्दी में पारित नहीं करना चाहती है तो वह अपनी इच्छा प्रकट कर सकती है।

†**श्री एन० सी० चटर्जी** : हम यही तो करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : परन्तु अधिकतर अवसरों पर लोक-सभा का यह मत नहीं होता है। श्री सी० डी० पांडे ने ८ वर्ष के बाद मामलों को पुनः आरम्भ करने की शक्ति पर आपत्ति की है। मैं पुनः यह कहता हूं कि छोटे करदाताओं पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि वह कुल राशि जिसके सम्बन्ध में कर अपवंचन किया गया हो वह एक लाख रुपये से अधिक होनी चाहिये, और फिर केन्द्रीय राजस्व बोर्ड से पहले अनुज्ञा लिये बिना किसी मामले को पुनः आरम्भ नहीं किया जायेगा। इस प्रकार किसी को बेकार उत्पीड़ित नहीं किया जा सकेगा। इस विषय में श्री पांडे ने मुझे एक सुझाव दिया कि मामलों को पुनः आरम्भ करने से पूर्व सम्बन्धित पक्ष को उसकी व्याख्या करने का अवसर दिया जाना चाहिये। इस सुझाव पर मैं विचार करूंगा।

मैं यह बताना चाहता हूं कि अन्य देशों में राशियों और मामलों पर पुनः विचार करने के लिये समय सम्बन्धी कोई प्रतिबन्ध नहीं है। अतः मुझे कोई कारण दिखाई नहीं देता कि इन जालसाजी के मामलों का निबटारा करने के लिये कोई समय सीमा निश्चित क्यों न की जाये।

†**श्री एन० सी० चटर्जी** : अन्य देशों में केवल जालसाजी के मामलों को पुनः आरम्भ किया जा सकता है अन्य को नहीं।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : खंड की भाषा इस प्रकार की है कि उसमें जालसाजी के अतिरिक्त अन्य मामले भी आ जाते हैं, परन्तु मैंने अपने इरादे की घोषणा कर दी है कि केवल जालसाजी के मामलों को और विशेषकर उन मामलों को जिनका निबटारा किसी अन्य प्रक्रिया से किया गया है और जिनका निबटारा केन्द्रीय राजस्व बोर्ड इस विस्तृत शक्ति के अन्तर्गत करना उचित समझेगा, पुनः आरम्भ किया जायेगा।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (गुड़गांव) : तो आप स्वयं विधेयक में ही ऐसा उपबन्ध क्यों नहीं बनाते ?

†**श्री सी० डी० देशमुख** : इसमें कई विधि और विधान सम्बन्धी कठिनाइयां हैं जिनके द्वारा हम इस प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। हमें उन मामलों की जांच करके पता लगाना होगा। मैं इसके विधि सम्बन्धी आधारों के बारे में कुछ नहीं कह सकता।

एक अन्य माननीय सदस्य ने पंजीबद्ध सार्थों और लाभांश अंशों पर कर लगाये जाने पर आपत्ति की। श्री मुरारका ने इन सब बातों के उत्तर दे दिये हैं। जैसा कि उन्होंने कहा भूतकाल में पंजीबद्ध सार्थों के साथ कुछ रियायत की जाती रही है और उन्हें निगम कर के स्थान पर अवश्य कुछ न कुछ देना चाहिये। अपने आय व्ययक भाषण में मैं इस मामले की व्याख्या कर चुका हूं और इस नये कराधान का औचित्य बता चुका हूं।

लाभांश अंशों के लिये समवायों पर करारोपण के औचित्य को मैं भली भांति बता चुका हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

उन्हीं माननीय सदस्य ने कहा कि यदि एक समवाय किसी ऐसे वर्ष में लाभांश अंश जारी करता है जिसमें कि उसे घाटा हुआ है, तब कोई कर नहीं लगेगा और उनका विचार था कि चाय समवायों के साथ रियायत की जा रही थी। कराधान की योजना यह है कि लाभांश अंशों के जारी करने से समवाय को जो कुल आय होती है उस पर कर प्राप्त किया जाये। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, लाभांश अंशों पर कोई कर नहीं है। अतः यदि कर लगाये जाने योग्य कोई आय ही नहीं है तो लाभांश अंश जारी करने मात्र पर कोई कर नहीं लगाया जा सकता है। अतः इसका उपचार इस प्रशासनिक कार्यवाही द्वारा हो सकता है कि समवाय को उस वर्ष में जब उसे घाटा हुआ हो और यदि उसने इसके लिये प्रार्थना की हो तो उसे लाभांश अंश जारी करने की अनुज्ञा न दी जाये।

चाय समवायों के बारे में, लाभांश के ६ प्रतिशत से बढ़ जाने पर अतिरिक्त निगम कर अवश्य लागू होता है। और हमारी योजना थी कि समवाय की कुल आय पर आय कर लगाया जाये।

एक अन्य माननीय सदस्य को आय कर विभाग के कर्मचारियों की ठीक-ठीक स्थिति जानने में कठिनाई हो रही है और उन्होंने समाचार पत्रों में छपे एक लेख का भी उल्लेख किया जिसमें कहा गया था कि आय कर विभाग में आवश्यकता से अधिक कर्मचारी थे। हम इस बात का दावा करते हैं कि लेख में दी गई जानकारी ठीक नहीं थी। हमने जो विशेष पदाधिकारी नियुक्त किया था वह इस परिणाम पर पहुंचा है कि वहां कर्मचारियों की इतनी कमी नहीं है जितनी हम समझते हैं, परन्तु ऐसी कोई बात नहीं है कि इस विभाग में कर्मचारी आवश्यकता से अधिक हों। पिछली बार दिसम्बर १९५२ में इस विभाग में अधिक पदाधिकारियों की भर्ती के लिये विज्ञापन दिया गया था। यह भर्ती विभाग के विस्तार के लिये ही नहीं बल्कि सेवा निवृत्तियों के कारण हुई रिक्तियों की पूर्ति करने के लिये की गई थी। यह भर्ती साधारणतः लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है।

एक अन्य सदस्य ने यह शिकायत की कि आय कर विभाग के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के अधिकतर कर्मचारी अस्थायी हैं। इन वेतनक्रमों के कुल १४,५०० स्थानों में से ८,००० स्थान स्थायी हैं। केन्द्रीय राजस्व बोर्ड के विशेष पदाधिकारी से कर्मचारीवृन्द के पर्याप्त अथवा अपर्याप्त होने सम्बन्धी अन्तिम प्रतिवेदन मिलने पर अधिक स्थान स्थायी बनाये जायेंगे।

सांख्यकी के अपर्याप्त होने के बारे में कई शिकायतें की गईं। कुमारी एनी मैस्करीन ने शिकायत की कि खाद्य सम्बन्धी आंकड़ों में यह नहीं बताया गया कि सरकारी खाते में कितना आयात किया। उन्होंने पुस्तक के प्रस्तावना टिप्पण की कंडिका १३ की ओर निर्देश किया था। वह इस समय लोक-सभा में उपस्थित नहीं हैं। खाद्यान्नों के आयात के समय सरकारी भंडारों को खाली करने की एक विशेष प्रणाली के व्यवहार में लाये जाने के कारण जिसके अन्तर्गत व्यापार पंजीयन के लिये अपेक्षित आंकड़े प्रारम्भ में ही उपलब्ध नहीं होते हैं इस लेखे में सरकार की ओर से किये गये आयात के आंकड़े सम्मिलित करना सम्भव नहीं होता है। बाद में सीमा शुल्क चौकियों से अपेक्षित आंकड़े एकत्र हो जाने पर इन लेखों का समायोजन कर लिया जाता है। जहां तक खाद्यान्नों का सम्बन्ध है अप्रैल १९५२ से सरकारी लेखे में ऐसे अवशिष्ट आयात के अनुमानित कुल मूल्य प्रकाशित करने के प्रबन्ध किये जा रहे हैं जो नियमित व्यापारी लेखों में सामासिक शीर्षों—अन्य खाद्य वस्तुओं, दालें, आटा के आयात—के अन्तर्गत नहीं रखा गया है। यह पृष्ठ ५२-५३ पर दिया गया है।

उसके मूल्य को निर्यात की कुल मात्रा में इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं किया गया है।

श्री मोरारका ने शिकायत की है कि श्री एम० सी० शाह ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि जानकारी उपलब्ध नहीं थी जबकि विभाग द्वारा प्रकाशित कुछ सांख्यकी में वह उपलब्ध थी। वह

[श्री सी० डी० देशमुख]

ऐसे समवायों की निश्चत संख्या जानना चाहते थे जिन्होंने कुछ वर्षों में अवितरित मुनाफे पर एक आने का अवहार प्राप्त किया था। जो आंकड़े संकलित और प्रकाशित किये हैं उनमें समवायों की संख्या नहीं वरन् कर-निर्धारणों की संख्या दी गई है। यह संभव है कि किसी विशिष्ट वर्ष में किसी समवाय के बारे में एक से अधिक बार कर-निर्धारण किया गया हो इसलिये जो कर-निर्धारणों की संख्या बताई गई होगी वह समवायों की सही संख्या नहीं होगी। श्री मोरारका के प्रश्न का उत्तर न दिये जाने का यही कारण है ।

अप्रत्यक्ष कराधान के बारे में दो बातें हैं। श्री बसु ने शिकायत की कि परिलब्धियों पर पूर्ण कराधान नहीं किया गया है। किसी किराया मुक्त मकान की कीमत कराधान का एक विषय रही है। जिन लोगों का वेतन प्रतिवर्ष १८,००० रुपये से अधिक हो उनके बारे में मकान को छोड़कर अन्य परिलब्धियां १९५५ से कर योग्य रही हैं ।

†**श्री के० के० बसु** : मैं यह कहना चाहता हूं चूंकि समवाय द्वारा धन का भुगतान किया जाता है तो यदि वह साधारण व्यय का एक अंग है तो समवाय को मुनाफे की मात्रा में कमी होने के कारण लाभ प्राप्त होता है ।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : हां, मैं समझ गया हूं। आपका कथन है कि वह उतना ही होना चाहिये जितना कि अनुज्ञेय है। मुझे खेद है कि ऐसा नहीं किया जा सकता है। वह समवाय के साधारण व्यय का एक अंग है ।

†**श्री के० के० बसु** : यदि समवाय अनुपात के अनुसार व्यय करता है तो निश्चय ही यह देखना सरकार का कर्त्तव्य है कि किसी विषय विशेष पर व्यय की गई राशि आवश्यकताओं के अनुपात में है अथवा नहीं। यही मैं स्पष्ट करना चाहता था। आपने उसे अब अंशधारियों और निदेशकों के सम्बन्ध में बदल दिया है ।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : जहां हम यह देखते हैं कि व्यय अत्यधिक है वहां वह किसी अन्य व्यय के लिये भी लागू होता है। हम उसके बारे में पूछताछ कर सकते हैं। इस मामले की और अधिक जांच करने के लिये हम ने अधिक शक्तियां ली हैं और समवाय कर-निर्धारण पर विचार करते समय हम माननीय सदस्य की बात को ध्यान में रखेंगे ।

कुछ माननीय सदस्यों ने एक महत्वपूर्ण बात उठाई है और वह है भूमि की अधिकतम सीमा की आय की उच्चतम सीमा के प्रश्न के साथ किसी प्रकार की समता। उन्होंने इस सम्बन्ध में आलोचना की है और यह प्रश्न उठाया है कि भूमि की अधिकतम सीमा क्यों हो जबकि आय के सम्बन्ध में ऐसी कोई सीमा नहीं है। बात यह है कि प्रत्येक बड़े और घने बसे देश में भूमि को उत्पादन के एक ऐसे साधन के रूप में देखा जाता है जिसे अधिक काम में नहीं लाया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भूमि की कमी है और किसी ग्रामीण समाज में प्राकृतिक संसाधन, स्वामित्व और भूमि की कृषि यह बातें आर्थिक और सामाजिक सम्बन्धों को एक महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित करती हैं। इसलिये भूमि का स्वामित्व, धारणावधि और भाटकता और भूमि को काम में लाना आदि बातों के विनियमन के लिये विशेष स्थिति है। आय को सीमित करने के लिये भूमि की अधिकतम सीमा को एक उपाय के रूप में काम में नहीं लाया जा सकता है यद्यपि उत्पादन पर कुछ व्यक्तियों का एकाधिकार न हो यह देखने के लिये वास्तव में यही एक उपाय है। जहां तक सिद्धान्त का सम्बन्ध है किसी भूमिधारी को अन्य आस्तियों जैसे एक मकान, सरकारी बन्धपत्र या औद्योगिक अंश रखने से प्रतिबन्धित करने के बारे में कोई बात नहीं है। जिस बात को सीमित करने का प्रयास किया जा रहा है वह

†मूल अंग्रेजी में

उसकी भूधृति है न कि उसकी कुल आय; यद्यपि इसमें कोई संदेह नहीं है कि भूमि की अधिकतम सीमा के निर्धारण का आय पर एक प्रत्यक्ष—अस्थिर प्रभाव पड़ता है।

माननीय सदस्यों को इस बात को जानने में दिलचस्पी होगी कि अमरीका में भी संघानीय सरकार की सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत आनेवाली भूमि की जोत को १६० एकड़ तक सीमित कर दिया गया है। निस्संदेह उस देश की स्थिति विभिन्न है। उनकी विधि भिन्न है और हमारा देश ऐसा है जहां छोटे भूमिधारी हैं और हमारे समक्ष प्रश्न है इन छोटे भूमिधारियों की भूमि से धनी कृषि, सहकारी खरीद आदि बातों के जरिये अधिक उत्पादन प्राप्त करने के उपायों की खोज करना। बड़े भूमिधारी कम हैं किन्तु उनके पास उपलब्ध कृषियोग्य कुल भूमि का एक बड़ा हिस्सा है। जबकि कई लोगों के पास न्यूनतम या मूलभूत धृतक्षेत्र है और अन्य लोग भूमिहीन हैं तो इस प्रकार के विभेद का समर्थन नहीं किया जा सकता है। सभी सम्पदा की अधिकतम सीमा का निर्धारण करके आय की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का प्रस्ताव इस समय व्यवहार्य नहीं है क्योंकि उसमें क्षतिपूर्ति का प्रश्न भी आयेगा। इसलिये कार्यवाही उन्हीं क्षेत्रों तक सीमित की जानी है जहां कि वह समाज के समग्र हित में आवश्यक हो। किन्तु आय और सम्पत्ति के मौजूदा विभेदों की समाप्ति को अधिक समय तक निलम्बित नहीं किया जा सकता है और न किया जाना ही चाहिये और जो प्रयत्न करता है उसे उसका फल मिलता है। इसलिये इन कारणों से भूधृति की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का प्रश्न एक विशेष मामला है जिसके सम्बन्ध में कार्यवाही को जानी आवश्यक है और यह प्रश्न आय की अधिकतम सीमा के सामान्य प्रश्न से भिन्न है।

अन्तिम वक्ता ने किसानों की दशा और कराधान को वहन करने की उनकी अक्षमता के बारे में कुछ कहा था। उन्होंने इस सम्भावना का भी निर्देश किया था कि शिक्षा या सिंचाई परियोजनायें या अम्बर चरखे को वित्तीय सहायता देने के लिये हमें जितने धन की आवश्यकता है वह राजा-महाराजाओं पर कर लगा कर प्राप्त किया जा सकता है। राजा-महाराजा अब मौजूद भी हैं तो संविधान के उपबन्धों के अनुसार उन पर कर लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त संविधान में कुछ विशेष उपबन्ध हैं जिनके अन्तर्गत उनसे कर लिया जाता है। उदाहरण के लिये, सम्पदा शुल्क का जहां तक सम्बन्ध है उनसे कर लिया जाता है। किन्तु मेरा ख्याल है कि कुछ अत्यधिक ऊंचा स्थान रखने वाले व्यक्तियों को दिखाना और यह कहना कि उनकी गतिविधियों के समाप्त होते ही समुदाय के हित के बारे में कोई शिकायत नहीं रहेगी, प्रश्न को अति सरल बनाना होगा। उसी वक्ता ने अल्प बचतों के बारे में एक उपयोगी सुझाव दिया जिस पर कि हम कल दिये गये सुझावों के समान विचार करेंगे।

अब मैं अप्रत्यक्ष करों के बारे में कुछ कहूंगा। डीजल आयल पर लगाये गये कर के बारे में एक माननीय सदस्य ने कहा कि यह कर और मद्रास राज्य में लगाया गया कर किसानों को प्रभावित करेगा। एक अन्य सदस्य ने सुझाव दिया है कि किसानों को इस कर से विमुक्ति दी जाये। राज्य सभा में ८ मार्च को इसी तरह की आलोचना का उत्तर देते हुए मैंने इस प्रकार कहा था :

> "यह दुर्भाग्य की बात है कि कभी-कभी उत्पादन-शुल्क राज्यों द्वारा लगाये गये बिक्री-कर के अतिरिक्त होता है। कराधान के सम्बन्ध में यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर आसानी से नहीं दिया जा सकता है। उसका समायोजन किया जाना है, किन्तु जहां तक केन्द्र का सम्बन्ध है केन्द्र द्वारा जो बातें लागू की जाती हैं उन्हें पूर्ववर्तिता अवश्य दी जानी चाहिये। दूसरे शब्दों में केन्द्र उसे इसलिये एकत्रित करेगा क्योंकि वह राज्य की अपेक्षा अधिक सुगमता से एकत्रित कर सकता है।"

[श्री सी० डी० देशमुख]

डीज़ल आयल और अन्य वस्तुओं के बारे में यह स्थिति है। इस सम्बन्ध में इस बात पर जोर दिया गया है कि खाद्यान्नों की व्यापारिक फसलों के मामले में २५ एकड़ के फार्म में पानी के नल चलाने के लिये काम में लाये गये डीजल आयल पर उत्पादन-शुल्क के कारण बढ़े हुए व्यय का आपात उत्पादन व्यय का केवल ·६६ प्रतिशत है। जब ट्रेक्टर भी काम में लाये जाते हैं तो डीजल आयल और विद्युत् शक्ति की खपत पर शुल्क वृद्धि का आपात ४·३ प्रतिशत होता है। कृषि फार्मों का यंत्रीकरण चाय, काफी आदि बागान उद्योगों में अधिक अच्छी तरह किया जा सकता है क्योंकि कुल मिलाकर इन लोगों की आर्थिक स्थिति देश के उन किसानों से अच्छी है जो कृषि के परम्परागत तरीकों को काम में लाते हैं। इसलिये उस हद तक किसी प्रकार की छूट देने का समर्थन नहीं किया जा सकता है। मई १९५५ से खाद्यान्नों के मूल्य क्रमशः बढ़ते गये हैं——चावल के मूल्य में १६·९ प्रतिशत, बाजरा के मूल्य में १५·५ प्रतिशत, गेहूँ के मूल्य में ४९·४ प्रतिशत और जवार के मूल्य में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। राज्य सरकारों को डीजल आयल और शक्तिमद्यसार पर लगे बिक्री कर को बढ़ाने में कोई हिचक नहीं हुई है·····

†**श्री सी० डी० पांडे** : हम समन्वय का सुझाव देते हैं।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : मैं उस सम्बन्ध में कह चुका हूं। मुझे खेद है कि आपके हस्तक्षेप की ओर ध्यान नहीं दे सकता हूं। मद्रास में डीजल आयल पर बिक्री कर में प्रति गैलन डेढ़ आने से चार आने तक की वृद्धि और राजस्थान में इस तेल पर मौजूदा साढ़े तीन प्रतिशत बिक्री कर को साढ़े छै प्रतिशत करने सम्बन्धी प्रस्ताव यह बातें हाल ही के उदाहरण हैं। देश के उत्पादन में हुई वृद्धि के कारण आयात शुल्क के रूप में जो राजस्व की कमी हुई है उसे प्रतिस्थापित करने के लिये यह प्रस्ताव रखा गया है। किन्तु डीजल कर के किसानों पर पड़ने वाले आपात के मामले की जांच मैंने की है। इस समय मैं यह नहीं कह सकता हूं कि कोई उपाय हमारे समक्ष है। हमने अवहार और वित्तीय सहायता आदि के बारे में सोचा था किन्तु प्रशासनिक कठिनाइयां काफी हैं। उच्च शक्ति डीजल आयल पर कुल कर ५० लाख रुपये के लगभग होगा। हमें इस बारे में सन्देह है कि यदि किसानों के लाभ के लिये कोई व्यवस्था की गई तो लाभ किसानों को ही होगा और यह लाभ समाज के अयोग्य विभागों को अवैध रास्तों से हस्तान्तरित नहीं कर दिया जायेगा। तथापि हमने प्रश्न को हल करने की आशा त्याग नहीं दी है और हम प्रयास करते रहेंगे। यदि हम कोई हल खोज निकालते हैं तो मेरा खयाल है कि उसे क्रियान्वित करने के लिये हमारे पास आवश्यक शक्तियां हैं।

अब मैं साबुन पर लगाये गये कर को लेता हूं। हमारा उद्देश्य साबुन के उन निर्माताओं को जो विद्युत् शक्ति का उपयोग नहीं करते हैं, विद्युत् शक्ति का उपयोग करने वाले साबुन निर्माताओं के स्तर पर लाना नहीं है। हमारा उद्देश्य यह है कि साबुन का बड़े पैमाने पर निर्माण करने वाला व्यक्ति, जो कि विद्युत् शक्ति का उपयोग नहीं करता है, ऐसी स्थिति में न हो कि विद्युत् शक्ति का उपयोग करने वाले साबुन निर्माता के साथ वह खुलकर प्रतियोगिता न कर सके। इस छूट को वापिस ले लेने का समर्थन इस तथ्य में निहित है कि पिछले दो वर्षों में इस छूट के नाम पर प्रति वर्ष २,००० या ३,००० टन साबुन बनाने वाली बड़ी इकाइयां काफी लाभ उठा रही थीं जबकि राज्यकोष को हानि उठानी पड़ रही थी और विद्युत् शक्ति के प्रयोग से साबुन तैयार करने वाले अन्य छोटे निर्माताओं की तुलना में इतना उत्पादन करने वाले इन कारखानों को छोटे पैमाने के उद्योग या कुटीर उद्योग नहीं कहा जा सकता है जिन्हें कि वित्तीय सहायता दी जाये। किन्तु इस बात को देखते हुए कि विद्युत्शक्ति से साबुन बनाने वाले अच्छी किस्म का साबुन तैयार करते हैं और उन्हें उत्पादन व्यय में भी काफी बचत हो जाती है, ऐसे निर्माताओं के लिये जो विद्युत्शक्ति से काम नहीं लेते हैं,

†मूल अंग्रेजी में

कुछ वरीयताओं का उपबन्ध किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रति वर्ष २०० टन के उत्पादन का अर्थ है प्रति दिन २० मन साबुन जिसका मूल्य ५०० और ८०० रुपये के बीच होगा, इसलिये यह तर्क प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है कि इससे भी अधिक मात्रा में साबुन बनाने वाला व्यक्ति एक छोटा निर्माता माना जाये जोकि पूर्ण छूट पाने का अधिकारी हो। जिन इकाइयों को पूर्ण छूट दी गई है उन्हें दी गई रियायत राजस्व के पदों में लगभग २०,००० रुपये प्रति वर्ष प्रति इकाई है। निस्संदेह यह राशि किसी भी प्रामाणिक छोटी इकाई के हितों की रक्षा के लिये पर्याप्त है। इसके अतिरिक्त जो विमुक्ति दी गई है वह २०० टन प्रति वर्ष से अधिक उत्पादन करने वाली इकाइयों के लिये एक खंड प्रणाली का सा कार्य करती है, इसलिये छोटे कारखानों पर वास्तविक आपात विहित दर से काफी कम है। उदाहरण के लिये एक ऐसे निर्माता को लीजिये जो प्रतिवर्ष ३०० टन ही उत्पादन करता है। वह उसके कुल उत्पादन के लिये विहित दरों का एक-एक तिहाई और ४०० टन का उत्पादन करने वाला व्यक्ति आधी राशि देता है। इस प्रकार जो खंड प्रणाली मुक्ति कार्य करती है वह सीमान्त इकाइयों को शुल्क बचाने के लिये और छोटी इकाइयों में विभाजित हो जाने के मोह को भी कम करती है। इसलिये विहित दरों को समाप्त करने अथवा कम करने योग्य स्थिति इस समय नहीं है।

एक माननीय सदस्य ने गत्ते [कार्डबोर्ड] का निर्देश भी किया था। यहां भी छोटी इकाइयों को दी गई रियायतों का मूल्य प्रति वर्ष ३५,००० रुपये है। खंड प्रणाली से उद्भूत लाभ के अतिरिक्त, मेरा ख्याल है कि यह रियायत ऐसी इकाइयों को प्रोत्साहन देने में काफी सहायक होगी।

अब हम नारियल के तेल को लेते हैं। एक माननीय सदस्य यह जानना चाहते थे कि वनस्पति तेल पर लगाये गये उत्पादन शुल्क से जितना राजस्व प्राप्त होने की आशा की जाती है उसे विदेशों से आयात किये खोपरा और नारियल के तेल पर और अधिक उत्पादन शुल्क लगाकर क्यों न बढ़ाया जाये। उन्होंने इस सम्बन्ध में पिछले कुछ वर्षों के खोपरे के आयात के आंकड़े देते हुए आयात की वृद्धि बताया था और वह यह साफ-साफ जानना चाहते थे कि श्रीलंका से आयातित खोपरा और नारियल के तेल पर जो आयात-शुल्क लगाया जाता है उसे क्यों बढ़ाया नहीं जा सकता है। यह सच है कि १९५०-५१ में खोपरा के आयात में काफी वृद्धि हुई है। किन्तु १९५१-५२ से नारियल के तेल का आयात कम हुआ है और १९५५-५६ में यह परिमाण दिसम्बर १९५५ के अन्त तक ७५ लाख गैलन से घट कर ४३ लाख गैलन रह गया है। वर्ष १९५५-५६ के पहले नौ महीनों में मूल्य घटकर २·४१ करोड़ रुपये रह गया है जबकि १९५१-५२ में वही मूल्य ६·०३ करोड़ रुपये था। देश में नारियल के तेल की कमी है और इसे पूरा करने के लिये नारियल अथवा स्वयं नारियल के तेल के आयात को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इससे यह आवश्यक हो गया है कि खोपरा के देशी निर्माताओं, घानीवालों और नारियल के तेल का उपयोग करने वालों के मध्य हितों का समुचित सन्तुलन किया जाये। खोपरा और नारियल के तेल के आयात और प्रत्येक पर लगाये गये आयात शुल्कों के स्तरों के बीच जो अनुपात मौजूद है उसे सावधानी से समय-समय पर देखा और निर्धारित किया जाना चाहिये। यह एक ऐसा कर है जो एक ओर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का और दूसरी ओर खाद्य और कृषि मंत्रालय का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। यद्यपि उत्पादन शुल्क उद्योग पर एक भार है तथापि हमारा उद्देश्य वास्तव में उसे उपभोक्ता को देने का है। जहां तक नारियल के तेल का सम्बन्ध है उपभोक्ता लाभान्वित हुए हैं इसके निश्चित संकेत मिले हैं। मैं यह पहले ही बता चुका हूं कि नारियल के तेल और खोपरे के आयात को नियंत्रित किया गया है और इसकी उसी हद तक अनुमति दी जाती है जहां तक कि वह आंतरिक अभावों को पूरा करने के लिये आवश्यक है। किन्तु श्रीलंका द्वारा अस्वस्थ प्रतियोगिता की जायेगी इस आशय की आशंका निराधार है। इसके अतिरिक्त, हमने ऐसे आयातों पर अतिरिक्त प्रतिशुल्क लगा दिया है, ताकि उत्पादन शुल्क के कारण आयातित उत्पाद की तुलना में देशीय उत्पाद पर भार न रहे। मोटर तेल पर शुल्क के बारे

[श्री सी० डी० देशमुख]

में डा० लंका सुन्दरम् ने कहा था। चूंकि वह यहां उपस्थित नहीं हैं इसलिये मैं इसका उल्लेखन नहीं करता।

अब मैं भक्षणीय तेलों पर कर के प्रश्न को लेता हूं। कुछ माननीय सदस्यों ने इस पर आपत्ति की है। इस ओर के कुछ सदस्यों ने भी आलोचना की है। वनस्पति उत्पाद पर एक आना प्रति पौंड की दर से शुल्क पहले से ही है और वनस्पति तेलों पर ६ पाई प्रति पौंड की दर से है। चूंकि वनस्पति उत्पाद वनस्पति तेलों से बनता है, इसलिये वास्तव में वनस्पति उत्पाद पर ०–१–६ का शुल्क लगता है। एक आना प्रति पौंड का अन्तर जारी रखा जा रहा है। सदन को मालूम है कि घानियों में निकाले हुए तेल पर शुल्क नहीं लगता है। शुल्क केवल उस तेल पर लगता है, जो शक्ति चालित घानियों की सहायता से निकाला गया हो किन्तु शक्ति का प्रयोग करने वाले उस उत्पादक को जिसका उत्पादन प्रति वर्ष १२५ टन से अधिक नहीं होता है, शुल्क नहीं देना पड़ता है।

वनस्पति तेलों पर उत्पादन शुल्क वसूल करने के लिये एक संयुक्त उद्ग्रहण व्यवस्था जारी करने के सुझाव दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि नकली रेशम उद्योग और वनस्पति तेल उद्योग की स्थितियां बिल्कुल भिन्न हैं, क्योंकि इन दोनों की तुलना करने की कोशिश की गई है। हर प्रकार का तिलहन एक बराबर तेल नहीं निकालता है और न ही हर प्रकार के यन्त्र—अर्थात् कोल्हू और एक्सपैलरों [तेल निकालने के यंत्रों] की उत्पादन क्षमता बराबर होती है। तथापि एक संयुक्त उद्ग्रहण व्यवस्था जारी करने की संभाव्यता पर विचार किया जा रहा है, जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया, संरक्षण यह है कि १२५ टन तक का उत्पादन करने वाले कारखाने विमुक्त हैं।

उपभोक्ता की दृष्टि से, सरसों के तेल और नारियल के तेल पर कर लगाने के प्रस्ताव की इस आधार पर आलोचना की गई है कि यह सामान्य उपभोग की वस्तुएं हैं और अमीर गरीब जो भी भक्षणीय तेलों का उपयोग करते हैं, सभी को कुछ न कुछ देना पड़ता है। परिवार के आय व्ययक पर इस कर का क्या आपात है, हमने यह हिसाब लगाया है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में ·०९ प्रतिशत और नगरीय क्षेत्रों में ·१२ प्रतिशत है। मैं यह बात नहीं मानता कि हाल ही में मूल्यों में जो वृद्धि हुई है, वह इसी कर के कारण हुई है। इस वृद्धि के कारण और भी हो सकते हैं, सम्भवतः यह आसंचय और सट्टा करने वालों की गतिविधियों का परिणाम हो। यदि ऐसा है, तो इस का उपाय भी उस आधार पर किया जाना चाहिये। यदि हम इस काम में सफल हुए, तो यह ज्ञात होगा कि प्रस्तावित कर से कोई भार नहीं पड़ता है। आरंभिक अवस्थाओं में मूल्य प्रायः अनुचित सीमाओं तक बढ़ जाते हैं, परन्तु यह भी याद रखना चाहिये कि विभिन्न कारणों से मूल्य पहले ही बढ़ रहे थे : उदाहरणतया मूंगफली के मामले में, कारण यह था कि फसल कम हुई थी। यह आम तौर पर देखा गया है कि मूल्यों में आरंभिक वृद्धि शुल्क से कहीं अधिक होती है। किन्तु हमें आशा है कि यदि दूसरी समस्या को हल कर लिया गया, तो मूल्य उस स्तर पर आ जायेंगे, जो कि मांग और संभरण की साधारण क्रियाओं द्वारा निश्चित होता है। आय-व्ययक से तुरन्त पहले सरसों के तेल का मूल्य ४८ रुपये प्रति मन था। यह मूल्य अधिक से अधिक ६६ रुपये प्रति मन तक बढ़ा है। ७ अप्रैल को यह ६२ रुपये प्रति मन था।

†**श्री के० के० बसु :** कलकत्ता में यह ७२ रुपये तक बढ़ गया था।

†**श्री सी० डी० देशमुख :** कदाचित् माननीय सदस्य के भाषण के बाद बढ़ा होगा।

चाय के बारे में कहा गया था कि लन्दन मूल्य निर्यात शुल्क का हिसाब लगाने के लिये उपयुक्त आधार नहीं है। इस सम्बन्ध में मेरा कहना यह है कि चूंकि लन्दन संसार की सब से बड़ी मंडी है,

†मूल अंग्रेजी में

इसलिये लन्दन नीलामी मूल्य विश्व मूल्य माने जाते हैं। ये मूल्य ४४·८५ पैंस से बढ़कर ५९·०८ पैंस हो गये हैं, अर्थात् उस स्तर तक बढ़ गये हैं जिसमें कि हाल की कमी से लाभ होने लगता है। सन् १९५६ की पहली तिमाही में जो निर्यात हुआ है, वह पिछले दो वर्षों की तटस्थानी अवधि में किये गये निर्यातों से अधिक है और इससे १९५५ की अन्तिम तिमाही की कमी पूरी हो गई है।

मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये विशिष्ठ प्रश्नों का उत्तर दे चुका हूं। अब मैं कुछ सामान्य प्रश्नों को लेता हूं। मुझे खेद है कि मैं एक प्रश्न का, जो कि बार-बार उठाया गया है, उत्तर देना भूल गया था, वह उस पुस्तक के बारे में है, जिसका लेखक किसी समय आयकर विभाग का कर्मचारी था। मेरे विचार में माननीय सदस्य इस बात से अत्यधिक प्रभावित हो गये हैं कि क्योंकि वह आयकर विभाग का कर्मचारी था, इसलिये उसे आयकर के बारे में समस्त ज्ञान प्राप्त था।

†**श्री ए० एम० थामस** (एरणाकुलम्) : इस पुस्तक का प्राक्कथन श्री एन० सी० चटर्जी ने लिखा है।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : क्या उन्होंने सारी पुस्तक पढ़ी है ?

†**श्री एन० सी० चटर्जी** : इस पुस्तक में प्रशासन की बहुत सी त्रुटियों की ओर ध्यान दिलाया गया है।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : मैं माननीय सदस्य की गलतफहमी को दूर करना चाहता हूँ। कुछ बातें अवश्य कही गई हैं। एक व्यक्ति जो आय-कर विभाग में काम कर चुका हो. कुछ न कुछ उपयोगी सुझाव अवश्य दे सकता है। हमने स्वयं कुछ मामलों का स्पष्टीकरण किया है। समय-समय पर किये गये संशोधनों के द्वारा बहुत से सुधार किये गये हैं। किन्तु उसके कुछ निष्कर्ष अति-षयोक्तिपूर्ण हैं और विचित्र हैं। पुस्तक का सावधानी से अध्ययन करने के बाद हम ऐसा कह रहे हैं।

एक दो सदस्यों ने विचित्र प्रयोजनों के लिये समितियां बनाने का सुझाव दिया है। वे समझते हैं कि यदि कोई समस्या एक बार किसी समिति को निर्दिष्ट कर दी जाये तो वह हल हो जाती है। मैं समझता हूं कि समिति मिनटों का तो हिसाब रखती है, किन्तु घंटे नष्ट कर देती है।

आर्थिक स्थिति के बारे में कहा गया है कि राष्ट्रीय आय में वस्तुतः कोई वृद्धि नहीं हुई है या अमुक क्षेत्र को राष्ट्रीय आय का उचित अंश नहीं मिला है। राष्ट्रीय आय को दूसरे शब्दों में राष्ट्रीय उत्पादन कहा जा सकता है। उदाहरणतया यदि खाद्य फस्लों के उत्पादन में वृद्धि हो, तो उस वृद्धि से उत्पादकों की आय में अवश्य वृद्धि हुई होगी। यह और बात है कि बाद में समाज में जो विनिमय होते हैं, उन में क्या होता है, उनका, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं पता लगाना बहुत कठिन है, क्योंकि हमारे पास विस्तृत आंकड़े नहीं हैं। हम सांख्यकी में पूर्णरूपेण सुधार करने का प्रयत्न कर रहे हैं और अन्ततः हमारे लिये यह जानना संभव हो जायेगा कि इन कथित विनिमयों के बाद आय वितरण की ठीक-ठीक स्थिति क्या होती है।

†**श्री के० के० बसु** : इस का अर्थ यह है कि वास्तविक उत्पादक और मिलों के बीच कोई मध्य-जन काम नहीं कर रहे हैं।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : मध्यजनों को भी कुछ आय होती है, जो कि राष्ट्रीय आय के लेखे में लिखी जाती है, उदाहरणतया उत्पादन से, खानों से, द्वितीयक और तृतीयक उपजीविकाओं से होने वाली आय को लेखों में सम्मिलित किया जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री के० के० बसु** : खाद्य के उत्पादन में वृद्धि होने से वास्तविक उत्पादक की आय में वृद्धि होना अनिवार्य नहीं है और संभव है आय की वृद्धि उसी अनुपात से न हो।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : नहीं, उसी अनुपात से नहीं। न ही मैंने यह कहा है कि यह समस्त २० प्रतिशत कृषकों के पास रह जाता है। वास्तव में मैं यह ठीक-ठीक नहीं कह सकता कि समुदाय के प्रत्येक विभाग के पास ठीक-ठीक कितना प्रतिशत रह जाता है।

इस बात की ओर भी निर्देश किया गया था कि सरकार सट्टेबाजी को बन्द नहीं कर सकी है। सट्टेबाजी दो प्रकार की होती है। पहली स्टॉक और शेयर की और वायदा बाजारों की विभिन्न वस्तुओं के नियमित या अर्ध-नियमित सट्टेबाज़ी है। इस पर नियन्त्रण करने के लिये हमारी एक व्यवस्था है और हम आवश्यक विधेयक प्रस्तुत करने की आशा करते हैं। वास्तव में विधेयक प्रवर समिति के सामने है और उसकी रिपोर्ट शीघ्र ही सदन को प्रस्तुत कर दी जायेगी। मानव के स्वभाव को देखते हुए, कुछ न कुछ सट्टेबाजी का होना अनिवार्य है, यद्यपि सैद्धान्तिक रूप से हम मानते हैं कि राज्य व्यापार और नियन्त्रण एक उपाय हो सकता है, वास्तव में हम अनुभव करते हैं कि हम इस तरह से समस्या को अच्छी तरह हल नहीं कर सकते हैं। जिस हद तक संभव है, हम सट्टेबाजों के मकाबले में रक्षित स्टॉक अपने पास रखने के लिये तैयार हैं और खाद्य के मामले में हम ऐसा कर भी चुके हैं। दूसरा तरीका है, नियन्त्रण का जो लोगों को स्वीकार्य नहीं है। तथापि जब भी किन्हीं आवश्यक वस्तुओं को, या औद्योगिक कच्चे माल को रोकने का प्रयत्न किया जाता है, तो हम समय-समय पर नियंत्रण या बंटवारे का तरीका अपनाने का उपाय करते हैं। शेष मामलों में केवल ऋण व्यवस्था का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि सट्टेबाजी बैंकों से धन लेकर की जाती है। जैसा कि माननीय सदस्यों ने समाचारपत्रों में पढ़ा होगा, इसी प्रयोजन के लिये रक्षित बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों से यह रिपोर्ट मांगी थी कि उन्होंने माल के आधार पर कितने ऋण दिये थे। मैं सदन को आश्वासन देने के लिये यह कह रहा हूं कि हम समस्या पर विचार कर रहे हैं और हम सावधान रहेंगे।

कुछ बातें सरकारी उपक्रमों और संसद् के प्रति उनके उत्तरदायी होने के बारे में कही गई थीं। इस पर सदन में अनेक बार चर्चा हो चुकी है। हमारा विचार यह है कि सदन की समितियां इस स्थिति की जांच कर सकती हैं। यह प्राक्कलन समिति की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है कि वह स्वयं प्रत्येक मामले की जांच करे या उसके लिये उप-समितियां नियुक्त करे। लोक लेखा समिति भी है। मुझे विश्वास है कि सदन की ओर से ये दो समितियां सरकारी उपक्रमों के संचालन सम्बन्धी मामले पर उचित ध्यान दे सकती हैं। मेरे विचार से यह सिद्धान्त सर्वमान्य है कि इन उपक्रमों के दिन-प्रतिदिन से काम में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये और इस क्षेत्र में उन्हें पर्याप्त स्वायत्तता प्राप्त होनी चाहिये।

दो बातें और थीं—प्रादेशिक असमानतायें और व्यय की कमी। मेरे विचार में इन दोनों विषयों पर दूसरी योजना पर की जाने वाली चर्चा के समय प्रकाश डाला जायेगा। इनके बारे में भी सिद्धान्त स्वीकार कर लिया गया है और इस पर पूरा विचार किया जायेगा।

प्रादेशिक असमानता कोई ऐसा मामला नहीं है जिसकी ओर राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षित नहीं होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक शीघ्र ही होने वाली है और मुझे विश्वास है कि योजना व्यय के असमान वितरण के बारे में किसी भी गम्भीर शिकायत पर इस बैठक में विचार किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

व्यय की कमी के बारे में कोई पूर्ण उत्तर नहीं दिया जा सकता है। इसके कई कारण हैं, कई बार विदेशी सामान उपलब्ध नहीं होता है, कभी प्रशासनिक व्यवस्था उतनी तेजी से कार्य नहीं करती है जितनी की आशा होती है। बहुधा इस का कारण यह होता है कि राज्य सरकारें पूरक अंशदानों के लिये रुपया इकट्ठा करने में असमर्थ रहती हैं। मुझे विश्वास है कि इस अन्तिम मामले पर वित्त आयोग विचार करेगा, क्योंकि, पहली पंचवर्षीय योजना के द्वारा किये गये विकास कार्य को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था करना उसका एक कर्तव्य है कि राज्य सरकारें सुविधापूर्वक अपना कार्य चलाने में सक्षम बनें। दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिये धन इकट्ठा करने के सम्बन्ध में राज्यों का जो उत्तरदायित्व है या जो उत्तरदायित्व उन पर पड़ेगा, वित्त आयोग उस पर भी विचार करेगा। इन मामलों में हमें वित्त आयोग के निर्णय की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।

बहुत से सदस्यों ने घाटे की अर्थ-व्यवस्था का उल्लेख किया है। श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा ने इस पर काफ़ी प्रकाश डाला है, सिद्धान्त के मामले में उनसे सहमत होते हुए भी, मैं उनसे यह जानना चाहूंगा कि उनकी राय में घाटे की अर्थ-व्यवस्था की राशि क्या होनी चाहिये।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** (पटना—पूर्व) : मैंने दो बातों का सुझाव दिया था कि अपनी रोकड़ बाकी के आधार पर रक्षित बैंक से स्टर्लिंग खरीदा जाय और बचत का उपयोग किया जाय।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : परन्तु राशि कितनी हो ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : ठीक-ठीक राशि बताना बहुत कठिन है।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : यही तो सारी बात है। किन्तु मुझे हर्ष है कि माननीय सदस्या यह अनुभव करती हैं कि राशि का हिसाब लगाना बहुत कठिन है। हमने एक संख्या बताई है। हो सकता है कि वह संख्या गलत सिद्ध हो जाये। हमें आशा है कि वह इस अर्थ में गलत सिद्ध होगी कि एक वर्ष के अनुभव के बाद, हमको यह ज्ञात होगा कि कहीं हमने उसको आवश्यकता से अधिक अथवा आवश्यकता से कम तो नहीं कर दिया है। हम देश के मूल्य स्तर पर और उपलब्ध सभी संकेतों पर बराबर अपनी नजर रखेंगे। उदाहरण के लिये, यदि हम को ज्ञात हुआ कि हम मुद्रा-स्फीति दबाव को उत्पन्न कर रहे हैं, तो हम इस के लिये स्वतन्त्र होंगे कि उन कार्यवाहियों में से, जिनको हम पहले कर चुके हैं, अथवा जिनकी इस विषय पर विशेषज्ञों ने समय-समय पर सिफारिश की है, जितनों को भी चाहें कर सकते हैं।

अन्त में, मुझे एक छोटे से मामले का और उल्लेख करना है।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : अपने भाषण में मैंने इस बात का उल्लेख किया था कि सरकार को अपने नकद पावने के बदले में स्टर्लिंग खरीदने की समस्या पर विचार करना है। मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या नकद पावने के बदले में खरीदे गये स्टर्लिंग का उपयोग सार्वजनिक-क्षेत्र के लिये उपकरण खरीदने में किया जायेगा और क्या सरकार सार्वजनिक बचत का उपयोग आयात करने और उपकरणों को खरीदने अथवा परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देने के लिये करेगी ? इन प्रश्नों को थोड़ा और स्पष्ट किया जाना चाहिये।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : इस प्रश्न पर हम इन से पूर्णतया असहमत हैं। सरकार राज्य हुंडियों अथवा आयात किये गये सामानों के बदले में स्टर्लिंग प्राप्त करती है। इस से देश के मुद्रा संभरण में कोई कमी नहीं होती है। यदि, दूसरी ओर, व्यक्तिगत रूप से स्टर्लिंग खरीदा जाये, तो उनको रुपये देने पड़ते हैं और इससे मुद्रा-परिचालन में कमी आ जाती है। इसलिये, ऐसी

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सी० डी० देशमुख]

परिस्थिति में हम को यह प्रतीत होता है कि उनकी परिकल्पना के अनुसार बाद वाले ढंग से कार्य करना अधिक अच्छा होगा।

एक माननीय सदस्य ने अति संयम, विशेष रूप से स्त्रियों द्वारा, के सम्बन्ध में जो बातें कहीं हैं, वह मुझ को बहुत पसंद आयी हैं। मैं समझता हूं कि उन्होंने जो कुछ कहा है उसमें बहुत कुछ अर्थ निहित है, और यह प्रतीत होता है कि ऐसा केवल इसलिये हुआ है कि स्त्रियों ने पंडित ब्रज-नारायण 'चकबस्त' द्वारा दिये गये इस परामर्श की बिल्कुल अवहेलना कर दी है। यह बड़ी ही सुन्दर कविता है :

"रंग है जिनमें मगर बूए वफ़ा कुछ भी नहीं
ऐसे फूलों से न घर अपना सजाना हर्गिज,
खुदपरस्ती को लकब देते हैं आजादी का,
ऐसे इखलाक पर ईमान न लाना हर्गिज।"

†**एक माननीय सदस्य** : इसका अर्थ क्या हुआ ?

†**श्री सी० डी० देशमुख**: एक माननीय सदस्य संस्कृत में उत्तर चाहते थे कि और अब मैं उसको देने का प्रयास कर रहा हूं।

क्षौमं केनचिदिन्दुपांडुतरुणा मांगल्यभाविष्कृतम्।
निष्ठ्भूतश्चरणोपभोग सुलभो लाक्षारसः केनचित्॥

वृक्षों ने शकुन्तला को यह आभूषण दिये थे। प्राचीन दिनों में यही स्त्रियों के आभूषण थे।

अब यह मेरा है :

इत्येतल्ललना प्रसाधनमभून्नेसर्गिकं भारते।
जानीमः कविकालिदासरचनात् शाकुन्तलांह्वद्वयम्॥

कालिदास की कृतियों से हमको यही ज्ञात होता है।

यातो हन्त स भूतिसार विपुलः कालोऽधुना संकुलं
राष्ट्रं निर्धनताविगाढ़तिमिरे स्वायत्ततन्त्रं पुनर्।
युक्तं भारत भूललामवनिता स्त्यत्त्वांगभूषां स्वतः
कुर्यर्बन्धुजनस्य जीवनमथ प्रत्यग्रभारक्षमम्॥

दुर्भाग्यश यह बहुमूल्य समय अब व्यतीत हो चुका है और राष्ट्र

यातो हन्त स भूतिसार विपुलःकालोऽधुना संकुलं

अब—

राष्ट्रं निर्धनताविगाढ़ तिमिरे

निर्धनता के घोर अंधकार में विलीन हो गया है

स्वायत्ततन्त्रं पुनर्

यद्यपि यह अब पुनः स्वतन्त्र है

इसलिये ऐसी परिस्थितियों में :

युक्तं भारतभूललामवनिताह

वनिताओं को, जो हमारे देश की आभूषण हैं

---

†मूल अंग्रेजी में

त्यत्त्वांग भूषां स्वतः

अपने अंगभूषणों को त्याग देना चाहिये, अपने आप को भार मुक्त कर देना चाहिये ।

कुर्यर्बन्धुजनस्य जीवनमथ प्रत्यग्रभारक्षमम्

अपने सहचरों के जीवन के उन भारों को, जो उनके ऊपर छोड़े गये हैं, और अधिक वहन करने योग्य बना देना चाहिये ।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : नैतच्छक्यम्

†**श्री सी० डी० देशमुख** : यदि यह शक्यम् न हो तो मेरा उत्तर यह है कि श्री आल्तेकर की कविता को मान लिया जाये,

रश्मयो दिनकरस्य वा मम

वह चाहे दिनकर की रश्मियां हों या मेरी—दिनकर का तात्पर्य सूर्य से है, एक कवि भी हैं—

स्त्री समाज विनय प्रबोधनाः ।

उनको समाज के महिला वर्ग के आचरण को प्रभावित करना चाहिये । जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मेरे टैक्सों को—मेरे कर नहीं—

भ्रष्ट कार्य निरतं महाजनं
वारयन्तु सपदि स्वतेजसा ।।

जो लोग भ्रष्ट कार्यों में लगे हुए हैं, उनको पूर्ण तीव्रता से प्रभावित करना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि वर्ष १९५६-५७ के वित्तीय वर्ष के लिये केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी बनाने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब लोक-सभा वित्त-विधेयक के प्रत्येक खण्ड पर अलग-अलग विचार करेगी, जिसके लिये चार घण्टे आवंटित किये गये हैं ।

जो माननीय सदस्य विभिन्न खण्डों में संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं, वह कृपया अपने संशोधनों की क्रमसंख्या, खण्डों की संख्या का निर्देश करते हुए दस मिनट के भीतर, दे दें ।

खण्ड २ में कोई संशोधन नहीं हैं ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ३—(धारा २ आदि का संशोधन)

†**श्री तुलसीदास** (मेहसाना—पश्चिम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि पृष्ठ ३, पंक्तियां ४० और ४१ में शब्द "whether capitalized or not" ["पूंजी कृत की गयी हो अथवा नहीं"] निकाल दिये जायें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री तुलसीदास]

आप देखेंगे कि, पृष्ठ ३, खण्ड ३ (ग), में "पूंजीकृत की गयी हों अथवा नहीं" शब्द जोड़ दिये गये हैं। यह खण्ड लाभांश की परिभाषा में इस आशय का संशोधन करता है कि किसी समवाय के परिसमापन होने पर उसके समस्त संचित लाभ को चाहे वह पूंजीकृत किया गया हो अथवा नहीं, लाभांश के रूप में वितरित किया जाये। यह संशोधन पूंजीकृत लाभ को इस परिभाषा से अलग कर देना चाहता है।

शब्द 'लाभांश' की परिभाषा में पिछले ही वर्ष संशोधन किया गया था जिस से समवाय के परिसमापन के समय केवल पिछले ६ वर्षों के लाभ पर ही नहीं, वरन् पिछले सभी वर्षों के लाभ पर कर लगाया जा सके। इस संशोधन के द्वारा तो सरकार पूंजीकृत रक्षित निधि को भी लाभांश में शामिल करके इन पर भी उसी रूप में कर लगाना चाहती है। ऐसा प्रतीत होता है कि कानून के साथ निरन्तर खिलवाड़ करने का तो कभी अन्त होगा ही नहीं।

जब रक्षित निधि को पूंजीकृत कर लिया जाता है तो वह समवाय की पूंजी का ही एक भाग बन जाती हैं। इसकी कोई वजह नहीं है कि समवाय के परिसमापन के समय प्रदत्त पूंजी को दो भागों में—अंशधारियों द्वारा दिये गये अंशदान और अंशधारियों को न दिये गये लाभ में — विभक्त किया जाये।

इसमें संदेह नहीं है कि यह तर्क प्रस्तुत किया जायेगा कि यह खण्ड केवल आय कर अधिनियम की धारा २ (६क) (ग) के उपबन्धों को वर्त्तमान धारा २ (६क) (क) के स्तर पर लाना चाहता है। परन्तु मैं यह कहूंगा कि यह दोनों मामले एक ही से नहीं हैं। और इनमें आधारभूत अन्तर है। इस के अतिरिक्त इन असम न्याय करों का समवाय की वित्तीय स्थिति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। चाहे समवाय के लाभ वितरित किये जायें अथवा नहीं, आप तो उन पर कर लगा ही देंगे। सुरक्षित निधि को अलग रखने पर भी आप उस पर कर लगाने की जिद करते हैं। इसके अलावा, जब इस प्रकार की पूंजीकृत सुरक्षित निधि अंशधारियों को वापस लौटायी जाती है, उस समय भी आप उस पर कर लगाने की जिद करते हैं।

इस प्रकार की कार्यवाहियों का अंशों की विक्रय-योग्यता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह आप भली प्रकार समझ सकते हैं। ऐसा अंश कौन खरीदेगा जो इस समय उसके प्रदत्त मूल्य से अधिक पर बेचा जा रहा हो, और जिसके सम्बन्ध में यह ज्ञात हो कि समवाय के परिसमापन के समय प्राप्त होने वाले अतिरिक्त लाभ पर उसको कर अदा करना पड़ेगा।

ऐसे समवायों के भी मामले हैं; जिन्होंने ३० अथवा ४० वर्षों के प्रयास से अपनी सुरक्षित निधि संचित की है। जिस समय इन समवायों के परिसमापन के समय, यदि लाभ को पूंजीकृत न भी किया गया हो, प्रदत्त पूंजी के अतिरिक्त अंशधारियों को जो भी कुछ वितरित किया जायेगा, उसको लाभांश समझना वास्तव में असमन्याय है। आप उन पर पहले ही कर लगा चुके थे और अब लाभांश पर भी कर लगा रहे हैं। इन सब बातों के कारण यह संशोधन किया जाना वांछनीय नहीं है।

मान लीजिये, एक बोनस अंश है। जनता को तो यह मालूम नहीं है कि वह बोनस अंश है अथवा एक मूल-अंश है। जब इस समवाय का परिसमापन हो, उस समय जिस व्यक्ति के पास भी यह बोनस अंश होगा। उसको लाभांश के रूप में इस पर भी कर अदा करना पड़ेगा। इसलिये मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है और असमन्याय है।

†**राजस्व और असैनिक व्यय-मंत्री (श्री एम० सी० शाह)**: यह अत्यन्त ही सीधा-सा मामला है, यद्यपि मेरे मित्र श्री तुलसीदास ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि यह असमन्याय है।

---

†मूल अंग्रेजी में

गत वर्ष हमने इस परिभाषा में संशोधन कर दिया था। इससे पहले, परिभाषा के अनुसार परिसमापन के पहले के ६ वर्षों के वितरित न किये गये लाभ को लाभांश माना जाता था। जो लोग करों से बचना चाहते थे उनके पास अवितरित लाभों को संचित कर लेने का एक साधन था। वह ६ वर्षों के लिये व्यापार बन्द कर देते थे, ६ वर्ष तक परिसमापन नहीं करते थे, और उसके बाद परिसमापन कर देते थे और करों को अदा करने से बच जाते थे। इसलिये गत वर्ष हमने उस धारा में संशोधन कर दिया था। इसके बाद उन्होंने दूसरा हथियार निकाल लिया। ६ वर्षों तक बन्द रखने के स्थान पर उन्होंने संचित अवितरित लाभ के एक भाग को पूंजीकृत कर लिया। जिस समय इनका परिसमापन किया जाता था, उस समय अवितरित संचित लाभ को लाभांश नहीं माना जाता था। बम्बई के उच्च न्यायालय ने इसी आशय का विनिर्णय किया था। इसलिये, इससे बचने के लिये अथवा इस हथियार को उन लोगों पर, जो कराधान से ही बचना चाहते थे, ही प्रयोग में लाने के लिये हम इस बात को लाये हैं कि अवितरित संचित लाभ के उस भाग तक को जिस को पूंजीकृत कर लिया गया था लाभांश माना जायेगा। बम्बई उच्च न्यायालय के विनिर्णय के उपरान्त हम को इस स्थिति को स्पष्ट करना था।

†**श्री तुलसीदास** : मंत्री महोदय यही तर्क दे रहे हैं कि जो कुछ भी किया जाता है वह कराधान से बचने के लिये किया जाता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि कराधान से बचने के प्रश्न के अलावा ईमानदार व्यक्तियों के लिये तो कोई उपबन्ध किया जाना चाहिये।

†**श्री एम० सी० शाह** : मुझे कुछ और नहीं कहना है। एक गड़बड़ी थी, उसको दूर करना था और उसको दूर कर दिया गया है। बस।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ३ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ३ विधेयक में जोड़ दिया गया।

†**श्री तुलसीदास** : श्रीमान्, कुछ ऐसे संशोधन हैं जिनका आयकर अधिनियम पर व्यापी प्रभाव पड़ेगा। इसी दृष्टि से मैंने मंत्री महोदय को पत्र लिख कर उनसे यह अनुरोध किया था कि संशोधन प्रस्तुत करने वाले सदस्यों के दृष्टिकोण को समझने के लिये उनकी एक बैठक बुलायी जाये। इस समय लोक-सभा में इस बात की चर्चा करना कठिन है। वित्त विधेयक पर कोई प्रवर समिति भी नहीं थी। इस समय वित्त मंत्री भी यहां नहीं हैं। मैं समझता हूं कि सभा के अधिकारों के रक्षक होने के नाते आपको हमारी सहायता करनी चाहिए। वह तो हमको इन मामलों पर उनसे चर्चा करने का अवसर दिये बिना ही इस प्रकार बढ़ते चले जा रहे हैं।

†**श्री एम० सी० शाह** : सरकार द्वारा जो संशोधन प्रस्तुत किये जा रहे हैं, उन का प्रयोजन वित्त मंत्री द्वारा अपन प्राक्कथन भाषण और वित्त विधेयक पर हुई चर्चा के उत्तर में समझाया जा चुका है। यदि और कोई सूचना आवश्यक हो तो मैं उसको देने के लिये तैयार हूं। जैसे माननीय सदस्य के अपने प्राविधिक परामर्शदाता हैं वैसे ही हमारे भी प्राविधिक परामर्शदाता हैं। हमने इन सभी प्रश्नों पर पूरी तौर से विचार कर लिया है और मेरे मित्र श्री तुलसीदास के इन सभी संशोधनों

†मूल अंग्रेजी में

[श्री एम० सी० शाह]

पर लगभग आठ घण्टे व्यय किये हैं। मुझे विश्वास है कि सभा जब उन संशोधनों का स्पष्टीकरण सुनेगी तो उसको इस बात का विश्वास हो जायेगा कि उन संशोधनों को अब तक की गई कराधान प्रस्थापनाओं के प्रभाव को कम करने के लिये प्रस्तुत किया गया है।

†**श्री तुलसीदास** : मेरा तात्पर्य यह था — कि हम को वित्त मंत्री से इन मामलों पर चर्चा करने का अवसर मिलना चाहिये अथवा नहीं ?

†**श्री एम० सी० शाह** : इस समय मैं उन बातों के सम्बन्ध में नहीं कह रहा हूं जो कराधान प्रस्थापनाओं के सम्बन्ध में उठायी गयी हैं। यह संशोधन इस बात को निकालने, उस बात को निकालने, यह करने, वह करने के सम्बन्ध में हैं। इन सब को बड़ी आसानी से समझाया जा सकता है।

†**श्री एन० सी० चटर्जी** : मैं यह कहना चाहता हूं कि इन कराधान प्रस्थापनाओं के सम्बन्ध में वित्त मंत्री ने जो नीति अपनायी है, उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। यहां तक कि, जो संशोधन किये जा रहे हैं, उनका सम्बन्ध केवल कराधान प्रस्थापनाओं से ही नहीं है और उनका प्रभाव केवल लखपतियों अथवा करोड़पतियों पर ही नहीं वरन् प्रत्येक करदाता पर पड़ेगा और वह केवल आय कर अधिकारियों की दया पर ही निर्भर रहेगा। हमारे कहने का तात्पर्य केवल यही है कि आप अपने कराधान के लिये चाहे कुछ करों को घटायें अथवा बढ़ायें, परन्तु कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनका कराधान से कोई सम्बन्ध नहीं है—और यह हैं विधि के उपबन्धों में सारवान परिवर्तन करना। यह तो बड़ी ही गम्भीर बात है। इसीलिये आपके द्वारा हम माननीय मंत्री से अपील करना चाहते हैं कि क्या इन बातों पर आमने-सामने बैठ कर विचार नहीं किया जा सकता है। कृपया विधेयक में से इन बातों को निकाल दीजिये। केवल कराधान प्रस्थापनाओं को ही पारित कराइये। हम जरा भी बाधक नहीं बनना चाहते हैं, केवल इसी कार्य को पूरा कराना चाहते हैं। परन्तु वित्त विधेयक के नाम पर ऐसे सख्त संशोधन मत कीजिये जो कराधान के लिये आवश्यक न हों। वित्त विधेयक का प्रयोजन तो केवल कराधान प्रस्थापनाओं को अधिनियमित कराना ही होता है।

हम इस प्रश्न पर आपका विनिर्णय चाहते हैं। क्या इस प्रकार के सारवान संशोधन किये जा सकते हैं जिनका कराधान अथवा राजस्व की बसूली से कोई सम्बन्ध न हो ? क्या यह बात वित्त विधेयक के क्षेत्राधिकार से बाहर नहीं है ? हमारा निवेदन है कि यह बात असंगत और अनुचित है। इसलिये हम इस सम्बन्ध में आपका विनिर्णय और संरक्षण प्राप्त करना चाहते हैं।

†**श्री एम० सी० शाह** : इन धाराओं को संशोधित करने का प्रयोजन वित्त मंत्री ने अपने आय-व्ययक भाषण भाग 'ख' में विस्तारपूर्वक बताया है। मुझे ज्ञात नहीं कि जो सदस्य अब सभा में खड़े हुए थे वे उस समय उपस्थित थे अथवा नहीं। उन्हें पूर्णतः ज्ञात है कि गत वर्ष हमने आयकर अधिनियम में धारा ३४ (१क) बढ़ा उसका संशोधन किया था। माननीय सदस्य को भली प्रकार ज्ञात है कि उच्चतम न्यायालय ने निर्णय में आय कर जांच आयोग अधिनियम की धारा ५ (४) को संविधान की शक्ति से परे घोषित किया है। अतएव हमें अधिनियम को संशोधित करना पड़ा ताकि जिन मामलों का निबटारा आय कर जांच आयोग ने नहीं किया था उनकी जांच धारा ३४ (१क) के अधीन हो सके। तत्पश्चात उच्चतम न्यायालय ने फिर निर्णय दिया कि धारा ५ (१) १७ जुलाई १९५४ को संविधान की शक्ति के परे थी। इसलिये उस समय जितने मामले निबटारे के लिये विचाराधीन थे वे उस विशेष निदेशालय को भेजने पड़े जो स्थापित किया गया था। फिर दिसम्बर १९५५ में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया जिसमें धारा ५ (१) के संविधान के प्रवर्त्तन

---

†मूल अंग्रेजी में

के आरम्भ से संविधान की शक्ति से परे घोषित किया गया। अतः फिर हमें आय कर अधिनियम के साधारण उपबन्धों का आश्रय लेना पड़ा और लगभग १,३०० मामले विशेष रूप से स्थापित किये गये विभाग को जांच के लिये भेजे गये।

एक ओर हमें इस सभा के माननीय सदस्य कहते हैं कि आयकर विभाग द्वारा अपवंचन के मामलों की जांच की कार्यवाही नहीं की जाती। वे हमें बताते हैं कि कर अपवंचन होता है। जब हम ने इन सब कर अपवंचन के मामलों की जांच करनी चाही और आयकर जांच आयोग को निर्दिष्ट कर दिया तो उस विधि की कतिपय धारायें संविधान की शक्ति के परे घोषित की गईं। अब हम से कहा गया है कि हम ऐसी बातें क्यों करते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री पहले भी बोले थे और अब उन्होंने पर्याप्त समय ले लिया है। अब क्यों न वित्त मंत्री की प्रतीक्षा की जाय। वित्त मंत्री ने इस विषय को विशेष रूप से किया था। एक वित्तीय विधेयक का उद्देश्य एक वर्ष के लिये कर बढ़ाना है। अतः स्थायी महत्व के और परिनियम सम्बन्धी अन्य उपबन्धों को जो स्थायी प्रकार की होती है इसके साथ नहीं लेना चाहिये वरन् उन पर अधिक समय लगा कर चर्चा करनी चाहिये। प्रविधिक रूप में संशोधन के हेतु कुछ अधिनियमों को एक साधारण विधेयक में मिला देना गलत नहीं है। अधिक सहत्व के संशोधनों की चर्चा के लिये अधिक समय लगाना चाहिये। यदि उच्च न्यायालय ने किसी विधान के सम्बन्ध में निर्णय दिया है तो उसके लिये पृथक् विधान होना चाहिये। वार्षिक वित्त विधेयक का उद्देश्य तो और है। किसी वर्ष अधिक कर की आवश्यकता होती है किसी वर्ष कम कर की। स्थायी महत्व की बातों को इसके साथ नहीं लेना चाहिये। इस से उन पर पर्याप्त विचार नहीं हो सकता। श्री तुलसीदास कहते हैं कि इस पर विचार किया जाये और वित्त मंत्री और राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री का कथन है कि इस पर विचार किया गया है।

†**श्री एन० सी० चटर्जी** : हम समझते थे कि इन खण्डों को हटाने के लिये प्रस्तुत किये गये संशोधनों के लिये वित्त मंत्री सहमत थे। परन्तु उनका कुछ नहीं हुआ और हमें आप का विनिर्णय मांगना पड़ा है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि वित्त मंत्री इस सामान्य सिद्धान्त से सहमत हैं कि इन उपबन्धों पर अलग विचार किया जाये तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं यह विनिर्णय नहीं दे सकता कि यह विधेयक का अंग नहीं बन सकता। प्रविधिक रूप से यह ठीक है। परन्तु यह भिन्न बात है कि यह वांछनीय ह अथवा नहीं। तो भी माननीय वित्त मंत्री को आने दीजिये।

†**श्री एम० सी० शाह** : क्या मैं धारा ३४ के सम्बन्ध में एक बात को स्पष्ट कर दूं। उन्होंने जो धारणा व्यक्त की है वह ठीक नहीं है। यदि इन बातों में देर की गई होती तो ये सब कर अपवंचक मुक्त हो जाते।

†**अध्यक्ष महोदय** : खण्ड १८ के समय हम इसे देखेंगे।

खण्ड ४—(धारा ४ का संशोधन)

†**श्री तुलसीदास** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

(१) पृष्ठ ४ पंक्ति ३१ में "industrial" ['औद्योगिक'] शब्द के पश्चात् "or other" ['अथवा अन्य'] शब्द रखे जायें।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री तुलसीदास]

(२) पृष्ठ ४, पंक्ति ३१ और ३२ में "industrial practice" ['औद्योगिक वृत्ति'] शब्दों के स्थान पर "their practice" ['उनकी वृत्ति'] शब्द रखे जायें ।

इस खण्ड में विदेशी टेक्नीशियनों को दी जाने वाली आयकर की छूट को बढ़ाया गया है। संशोधनों में टेक्नीशियन की परिभाषा को विस्तृत करने का प्रयत्न किया गया है ताकि इस में वाणिज्य बैंकिंग और अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी आ जायें। एक प्रकार के टेक्नीशियनों को छूट देना पक्षपात-पूर्ण है। औद्योगिक, कला और विज्ञान से भिन्न कला और विज्ञान के विशेषज्ञों को भी यह छूट मिलनी चाहिये क्योंकि उनकी सेवाओं का भी महत्व है।

†**श्री के० के० बसु** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ४ पर पंक्ति १४ के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाये :

"Provided that all such non-Indians are appointed with the consent of the Central Government after being fully satisfied that similar qualified persons are not found in India."

["परन्तु ऐसे सब अभारतीयों को, इस बात का पूर्ण संतोष करने के पश्चात् कि इसी प्रकार के अर्हता प्राप्त व्यक्ति भारत में नहीं हैं, केन्द्रीय सरकार की सहमति से नियुक्त किया जाता है।"]

मैं इसलिये परन्तुक जोड़ना चाहता हूं कि यदि विदेशी विशेषज्ञ यहां आयें तो उन्हें सरकार की मंजूरी लेनी पड़े। कलकत्ता के वाणिज्यिक समवायों में युद्ध काल में भारतीय प्रशासकों को ऊंचे पद दिये गये। परन्तु बाद में कहा गया कि वे अर्हता प्राप्त नहीं हैं। विदेशी कर्मचारी बुलाये गये और अत्यधिक वेतन दिये गये। अतः देश में जब विशेषज्ञ न हों तभी विदेशी विशेषज्ञों को बुलाया जाये और यह देखा जाये कि इस खण्ड के प्रयोग से देश को लाभ हो।

† **श्री टी० एस० ए० चेट्टियार** (तिरुपुर) : इस योजना के अधीन अभी तक कितने विदेशी विशेषज्ञ बुलाये गये हैं ? इस के क्षेत्र को जान कर ही इसे स्वीकार किया जा सकता है।

भविष्य में बहुत से समवाय विदेशी समवायों के सहयोग से कार्य करेंगे तथा कथित विशेषज्ञ अत्यधिक वेतन पर बुलाये जायेंगे। अतः सरकार को अधिकार होना चाहिये कि उन लोगों की आवश्यकता है अथवा नहीं। माननीय मंत्री बतायें कि कितने विशेषज्ञों के आने की आशा है।

†**श्री एम० सी० शाह** : मुझे खेद है कि हमारे पास ये आंकड़े नहीं हैं। मैं श्री के० के० बसु के संशोधन को इस कारण स्वीकार नहीं कर सकता कि वे जिस बात का उपबन्ध करना चाहते हैं वह साधारणतः वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का विषय है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय सदैव इस बात को देखता है कि किसी विशेषज्ञ को भारत आने की अनुमति दी जाये अथवा नहीं।

†**श्री के० के० बसु** : क्या गैर-सरकारी उद्योग के सम्बन्ध में भी ?

†**श्री एम० सी० शाह** : उस सम्बन्ध में भी, जब दृष्टांक देने का प्रश्न पैदा होता है तो वह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाता है। प्रत्येक मामले में मंत्रालय ब्योरे की जांच करता है। यह सामान्यतः किया जाता है।

†**श्री के० के० बसु** : राष्ट्रमंडलीय देशों के लिये दृष्टांक नहीं है।

†**श्री एम सी० शाह** : वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय सदैव इस बात की जांच करता है कि एक विशेष विशेषज्ञ की आवश्यकता है अथवा नहीं। मेरे मित्र श्री तुलसीदास चाहते हैं कि "अथवा

†मूल अंग्रेजी में

अन्य" शब्द जोड़े जायें। वस्तुतः हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि हम औद्योगिक विकास के लिये टेक्नीशियनों को आने की अनुमति देते हैं और उस विषय पर भी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय चर्चा करता है। अतः 'अथवा अन्य' शब्द जोड़ देने से इसकी व्यापकता नहीं बढ़ेगी। टेक्नीशियनों को आने की अनुमति देने के लिये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ही उपयुक्त है। अतः हम दोनों संशोधनों को स्वीकार नहीं कर सकते।

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा जब तक किसी विषय पर एक मत न हो, मध्यान्ह भोजन के समय उस पर निर्णय नहीं किया जाता अतः खण्ड ४ को ३ बजे तक के लिये स्थगित किया जाता है।

खण्ड ५—(धारा ७ का संशोधन)

†**श्री टी० एस० ए० चेट्टियार** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ४, पंक्ति ४२ और पृष्ठ ५ पर पंक्ति १ में—

"Such sum as the Income-Tax Officer may estimate in respect of such use as representing."

"इस प्रकार के प्रयोग के सम्बन्ध में जो राशि आय कर पदाधिकारी द्वारा अनुमित हो।" शब्दों को हटाया जाये।

इस खण्ड में कार स्वामियों को एक नया भत्ता दिया जाता है। विषय आयकर पदाधिकारी की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। क्या इन पदाधिकारियों के पथ प्रदर्शन के लिये कोई नियम है? सम्पूर्ण नियम तो असम्भव है परन्तु फिर भी कुछ होना चाहिये। क्या वित्त मंत्रालय इस स्वविवेक के सम्बन्ध में आयकर पदाधिकारी को कुछ सुझाव भेजती है?

†**श्री एम० सी० शाह** : यह नई रियायत दी गई है। अब तक उन कर्मचारियों को कोई भत्ता नहीं दिया जाता था जिनके पास कारें थीं। हमने सोचा कि जब व्यापार सम्बन्धी प्रयोजनों के लिये कतिपय कम भत्ता दिया जाता है तो यह उचित और न्यायपूर्ण नहीं कि जिन कर्मचारियों की अपनी कारें हों और जो अपनी नौकरी के लिये कार का प्रयोग करते हों उन्हें कुछ रियायत न दी जाये। अतः यह नई रियायत है। वस्तुतः इस रियायत के सम्बन्ध में कुछ दृढ़ नियम नहीं है। यह आयकर पदाधिकारी के स्वविवेक पर छोड़ देना चाहिये जो मामले की जांच करेगा और निश्चित करेगा कि कितनी छूट दी जाये, तथा पदाधिकारी ने नौकरी के प्रयोजन से कार का कितना प्रयोग किया और उसने निजी पारिवारिक प्रयोजनों के लिये कितना प्रयोग किया। हमें इसके प्रयोग को देखना होगा। इस सम्बन्ध में कोई सुझाव नहीं दिया गया। हम कार स्वामी के वक्तव्य को स्वीकार नहीं कर सकते कि उसने केवल नौकरी के प्रयोजन में कार का प्रयोग किया है। आयकर पदाधिकारी स्थानीय पूछताछ कर सकता है और जान सकता है। अतः मैं समझता हूं कि मेरे माननीय मित्र संशोधन के लिये आग्रह नहीं करेंगे।

†**डा० कृष्णस्वामी** (कांचीपुरम) : कार का प्रयोग सरकारी प्रयोजन के लिये अथवा अन्यथा किया गया इस का ब्योरा वे आयकर पदाधिकारी को दे सकते हैं। क्या मंत्री आश्वासन देंगे कि इस प्रयोजन के लिये नियम और विनियम जारी कर दिये जायेंगे?

†**श्री एम० सी० शाह** : जिन व्यापारियों को यह भत्ता दिया जाता है उनके मामलों को देखने से पता चलेगा कि आयकर पदाधिकारी स्वविवेक से काम लेते हैं। इस के लिये निश्चित नियम नहीं

†मूल अंग्रेजी में

[श्री एम० सी० शाह]

है। आयकर पदाधिकारियों को अपने विवेक से काम लेने देना चाहिये। स्थानीय जांच से वे स्थिति का पता लगा सकेंगे यदि मेरे माननीय मित्र इस खण्ड पर आपत्ति उठाते हैं तो हम सारा खण्ड वापस लेने के लिये तैयार हैं।

†**डा० कृष्णस्वामी** : मैं इस पर आपत्ति नहीं कर रहा हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : वास्तव में घर का उपयोग रहने और उसके कुछ भाग में व्यापार करने के लिये किया जाता है। इस सम्बन्ध में कोई निश्चित नियम नहीं है। अतः व्यक्तिगत रूप से मकान का निरीक्षण करके निर्णय किया जाना चाहिये कि कितना भाग विभिन्न कार्यों के लिये इस्तेमाल किया जाता है और उसका क्या मूल्य होगा, पदाधिकारी मनमानी नहीं करने पायेंगे। ऐसी बातों को रोकने पर ध्यान दिया जायेगा।

†**श्री एम० सी० शाह** : अवश्य।

†**अध्यक्ष महोदय** : अतः संशोधन पर मतदान लेने की आवश्यकता नहीं है।

†**श्री टी० एस० ए० चेट्टियार** : मैं अपने संशोधन पर आग्रह नहीं करता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ५ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ५ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड ६ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड ७—(धारा १० का संशोधन)

†**श्री तुलसीदास** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ६ में :

पंक्तियां २ से ४ निकाल दी जायें।

इस खण्ड द्वारा १ अप्रैल, १९५६ के बाद के भवनों और लगाये गये संयन्त्र और मशीनों पर का प्रारम्भिक अवक्षयण भत्ता वापस ले लिया जाता है। संशोधन से यह भत्ता जारी रहेगा। नये संयन्त्र और मशीनरी पर विकास छूट की व्यवस्था हो जाने पर भवनों और कार्यालय के सामान पर अब प्रारम्भिक अवक्षयण भत्ता उपलब्ध होगा। प्रारम्भिक अवक्षयण हटा देने का अर्थ तो संयन्त्र और मशीनरी पर विकास छूट का मूल्य कम करना होगा।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए]

प्रारम्भिक अवक्षयण से कर मुक्ति नहीं मिलती। केवल उसका दिया जाना स्थगित हो जाता है। यह विकास छूट से भिन्न है जिस से वास्तव में कर में कमी हो जाती है।

प्रारम्भिक अवक्षयण १९४६ में इसलिये आरम्भ किया गया था कि आस्तियों की लागत जल्दी वापस मिल जाये और इस रूप में उद्योग को बिना ब्याज के रूप में ऋण मिल सके। पूंजी की अभी भी कमी है। अतएव इसे हटाना ठीक नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

इसे हटाने से बहुत से उपक्रमों की वित्तीय व्यवस्था बिगड़ जायगी। यदि इसे हटाना भी हो तो इसे १ अप्रैल, १९६१ से हटा लिया जाना चाहिये। ऐसा करना वित्त विधेयक के खण्ड ११ के प्रयोजनों के अनुरूप होगा। उसी समय द्वितीय योजना की कालावधि समाप्त होगी। इसको हटाने से नये उपक्रमों को स्थापित करना कठिन हो जायेगा। इसे ५ वर्ष तक और बनाये रखने में कोई कठिनाई नहीं है क्योंकि इससे कर में छूट नहीं देनी पड़ती है।

†**श्री टी० एस० ए० चेट्टियार** : प्रारम्भिक अवक्षयण उन नये उद्योगों को भी दिया जाना चाहिये जो १ अप्रैल, १९५६ के पश्चात् आरम्भ होंगे, हमारी समझ में नहीं आया कि इसे वापस क्यों लिया गया है। हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगीकरण करना चाहते हैं इसके लिये गैर-सरकारी क्षेत्र में भी बहुत राशि व्यय की जायेगी। जब हम औद्योगिक विकास की योजना बना रहे हैं तो इस रियायत को वापस नहीं लेना चाहिये। गैर-सरकारी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिये इसे हटाना ठीक नहीं होगा।

†**श्री मुरारका** (गंगानगर झुनझुनू) : खण्ड ५ में करदाताओं को वाहन भत्ते के बारे में छूट दी गई है। यदि आयकर पदाधिकारी समझता है कि वाहन का उपयोग व्यवसाय के लिये किया गया है तो इसकी छूट दी जा सकती है। परन्तु जिन लोगों को वाहन-भत्ता स्वतन्त्र रूप से अथवा वेतन के अंश के रूप में मिलता है उन पर खण्ड ५ लागू नहीं होगा।

खण्ड ७ में कहा गया है कि यदि समवाय, निदेशक आदि को वाहन भत्ते के रूप में ऐसी राशि देती है जिसका प्रभाव वेतन वृद्धि होता हो तो समवाय के आयकर निर्धारण में उसके लिये छूट नहीं दी जायेगी। ऐसे मामलों में भी निदेशक आदि को उचित सीमा तक छूट देनी चाहिये। उसे अन्य करदाताओं से भिन्न नहीं समझना चाहिये।

†**श्री टेक चन्द** (अम्बाला-शिमला) : भवनों सम्बन्धी रियायत को जारी रखना आवश्यक है। चण्डीगढ़ में सरकार लोगों को मकान बनाने के लिये प्रोत्साहन देना चाहती है। ऐसे समय इस रियायत को वापस नहीं लेना चाहिये। जब तक मकानों की कमी रहेगी तब तक यह रियायत देनी चाहिये अन्यथा लोगों को अत्यधिक निराशा और कठिनाई होगी।

†**श्री एम० सी० शाह** : जहां तक मेरे मित्र श्री टी० एस० ए० चेट्टियार का सम्बन्ध है, उन्हें कुछ भ्रम हो गया है। पिछले वर्ष हमने विकास के लिये २५ प्रतिशत छूट दी थी। इसके साथ में प्रारम्भिक अवक्षयण, सामान्य अवक्षयण और अतिरिक्त अवक्षयण भी है। मोटर गाड़ियों और फर्नीचर के मामले में प्रारम्भिक अवक्षयण २० प्रतिशत है। सामान्य अवक्षयण और अतिरिक्त अवक्षयण भी २० प्रतिशत है। यह सब मिलकर ६० प्रतिशत होता है। जब हमने विकास छूट दी तो संयन्त्र और मशीनों पर प्रारम्भिक अवक्षयण वापस ले लिया। वह गत वर्ष समाप्त कर दिया गया था। अतएव हमें वास्तव में गत वर्ष सब वस्तुओं पर प्रारम्भिक अवक्षयण समाप्त कर देना चाहिये था। फिर भी यह जारी रहा। हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया कि ऐसा करना उचित न होगा। भवनों पर भी प्रारम्भिक अवक्षयण १-४-१९५६ से वापस लिया गया है। अतएव इस में आकस्मिकता की कोई बात नहीं है। उन्हें सामान्य अवक्षयण और अतिरिक्त अवक्षयण मिलता रहेगा। मैं सोचता हूं कि इसके साथ प्रारम्भिक अवक्षयण मांगना ठीक नहीं है। वह आस्थगित भुगतान है। परन्तु हम ऐसी बातें क्यों होने दें जब भवनों, मशीनों और संयन्त्रों के बारे में हम उसकी अनुमति नहीं लेते। जहां तक निवास भवनों का सम्बन्ध है, सम्बन्धित लोगों को कोई अवक्षयण भत्ता नहीं दिया जाता।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री एम० सी० शाह]

अतएव यह उचित ही है है कि प्रारम्भिक अवक्षयण १-४-१९५६ से, जब हमने मशीनों, संयंत्रों और भवनों से प्रारम्भिक अवक्षयण वापस लिया, वापस लिया जाना चाहिये।

†**सभापति महोदय** : इसे तीन बजे तक निलम्बित रखा जाता है। खण्ड ८ का कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ८ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ८ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड ९–(धारा १४ का संशोधन)

†**श्री एम० सी० शाह** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ६, पंक्ति ३९ के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाये :

"Provided that in relation to super-tax the provisions of this clause shall have effect as if for the words 'excluding the income-tax, if any, payable by the firm', the words 'excluding the income-tax, if any, payable by the firm, at the rate of income-tax applicable to its total income, on the amount of its profits or gains from all sources other than from any business carried on by it' had been substituted."

["परन्तु अधिकर के सम्बन्ध में इस खण्ड के उपबन्धों का प्रभाव इस प्रकार होगा मानो 'सार्थ द्वारा देय, आयकर, यदि कोई हो, को छोड़ कर, शब्दों के स्थान पर 'उसके द्वारा किये गये व्यापार से प्राप्त लाभ को छोड़ कर, अन्य स्रोतों से प्राप्त लाभ की राशि पर, उसकी समस्त आय पर लागू होने वाली आय की दर से उस सार्थ द्वारा दिये गये आयकर, यदि कोई हो, को छोड़कर', रख दिये गये हों।"]

वित्त विधेयक को पुरःस्थापित करते समय वित्त मंत्री ने यह छूट या रियायत स्वीकृत की है। सभा को यह भली भांति विदित है कि जहां तक पंजीबद्ध फर्मों का सम्बन्ध है, हमने यह उपबन्ध किया है कि फर्म द्वारा जिसका कर का भुगतान किया जायेगा उसमें अंशभागियों का जो हिस्सा होगा उसमें छूट दी जायेगी। एक उदाहरण द्वारा मैं इसको स्पष्ट करूंगा। मान लीजिये १ लाख रुपया आय है और २५,००० रुपये एक अंशभागी का अंश है। मान लीजिये कि मोटे तौर से १ लाख रुपये पर ४,००० रुपये कर देना है, तो अंशभागी की आय में से १,००० रुपये कम कर दिये जायेंगे और आयकर केवल शेष २४,००० रुपयों पर वसूल किया जायेगा। अर्थात् अंश भागी की आय पर आयकर के प्रयोजनों क लिये, फर्म द्वारा भुगतान किये गये आयकर में से अंशभागी का अंश घटा दिया जायेगा। इस दिशा में अधिकतर देय नहीं होगा। जहां तक अभ्यार्थियों और अन्य वृत्तिक फर्मों का सम्बन्ध है, हमने यह उपबन्ध किया है कि अधिकर में सहायता की जायेगी।

संशोधनों का यह मुख्य सारांश है और मुझे आशा है कि इस रियायत का स्वागत किया जायेगा और श्री तुलसीदास तथा अन्य सभी सदस्य इससे सहमत होंगे।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

---

†मूल अंग्रेजी में

पृष्ठ ६, पंक्ति ३९ के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाये :

"Provided that in relation to super-tax the provisions of this clause shall have effect as if for the words 'excluding, the income-tax, if any, payable by the firm' the words 'excluding the income-tax, if any, payable by the firm, at the rate of income-tax applicable to its total income, on the amount of its profits or gains from all sources other than from any business carried on by it' had been substituted."

["परन्तु अधिकर के सम्बन्ध में इस खण्ड के उपबन्धों का प्रभाव इस प्रकार होगा मानो 'सार्थ द्वारा देय, आयकर, यदि कोई हो, को छोड़ कर', शब्दों के स्थान पर 'उसके द्वारा किये गये व्यापार से प्राप्त लाभ को छोड़ कर अन्य स्रोतों से प्राप्त लाभ की राशि पर, उसकी समस्त आय पर लागू होने वाली आय की दर से उस सार्थ द्वारा दिये गये आयकर, यदि कोई हो, को छोड़ कर', रख दिये गये हों।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है कि :

" खण्ड ९, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ९, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १० से १२ तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड १३—(धारा १७ का संशोधन)

†**श्री एम० सी० शाह** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ७ पर

खण्ड १३ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :

"**13. Amendment of Section 17**—In Section 17 of the Income-tax,—

(a) in sub-section (1), in clause (b), for the words 'at the rate applicable in the case of an individual to the slab next to the slab exempt from super-tax', the words 'at the rate of three annas in the rupee' shall be substituted;

(b) in sub-section (3), after the words, 'exempted from tax under' the words, brackets and letters 'clause (aa) or' shall be inserted."

["**१३. धारा १७ का संशोधन**—आयकर अधिनियम की धारा १७ में—

(क) खण्ड (ख) की उप-धारा (१) में 'व्यक्ति के मामले में अधि कर से विमुक्त राशि से अगली राशि पर लागू होने वाली दर, शब्दों के स्थान पर 'रुपये में ३ आने की दर से' शब्द रखे जायेंगे;

(ख) उप-धारा ३ में 'के अधीन कर से विमुक्त' शब्दों के स्थान पर शब्द, कोष्टक और वर्ण 'खण्ड (कक) अथवा' रखे जायेंगे।"]

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री एम० सी० शाह]

इस समय अनिवासियों को एक निश्चित दर पर अथवा कुल आय पर उचित दर के हिसाब से अधि-भार का भुगतान करने का विकल्प है। विद्यमान विधि के अधीन, यह निश्चित दर ऐसी दर है जो ऐसी निम्नतम आय पर लागू होती है जिसके लिये अधि-कर वसूल किया जा सकता है। यह दर १९५४–५५ में ३ आना प्रति रुपया थी। गत वर्ष वह न्यूनतम राशि जिस पर अधि-कर लगता था २०,००० रुपये से २५,००० रुपये थी और हर रुपये पर एक आना थी। १९५६-५७ में हम एक निश्चित दर अर्थात् रुपये पर ३ आना लगाना चाहते हैं। इसीलिये हमने यह संशोधन प्रस्तुत किया है। उप-खण्ड (क) के द्वारा १९५६-५७ में अधि-कर की दर रुपये पर ३ आना निश्चित की गई है। उप-खण्ड (ख) आनुषंगिक संशोधन है। उसकी आवश्यकता खण्ड ९ के कारण हुई, जिसमें उपबन्ध किया गया है कि पंजीबद्ध सार्थों के भागीदारों पर, चाहे वे अलग अधि-कर दर आदि का हक रखते हों, अथवा नहीं, अधि-कर की गणना कैसे की जायेगी।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ७ पर खण्ड १३ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :

"**13. Amendment of Section 17**—In section 17 of the income-tax Act,—

(a) in sub-section (1), in clause (b), for the words 'at the rate applicable in the case of an individual to the slab next to the slab exempt from super-tax', the words 'at the rate of three annas in the rupee' shall be substituted;

(b) in sub-section (3), after the words 'exempted from tax under' the words, brackets and letters 'clause (aa) or' shall be substituted."

["**१३. धारा १७ का संशोधन**—आयकर अधिनियम की धारा १७ में—

(क) खण्ड (ख) की उपधारा (१) में 'व्यक्ति के मामले के अधिकर से विमुक्त राशि से अगली राशि पर लागू होने वाली दर' शब्दों के स्थान पर 'रुपये में ३ आने की दर से' शब्द रखे जायेंगे;

(ख) उप-धारा ३ में 'के अधीन कर से विमुक्त' शब्दों के स्थान पर शब्द, कोष्टक और वर्ण 'खण्ड (कक) अथवा' रखे जायेंगे।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड १३, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १३, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड १४ (धारा २३ का संशोधन)

†**श्री तुलसीदास** : मेरा संशोधन पंजीबद्ध सार्थों के बारे में है। चूंकि इसका सम्बन्ध प्रथम अनुसूची से है इसलिये इस खण्ड को अनुसूची १ के साथ लिया जाये।

†**सभापति महोदय** : यदि हम खण्ड पर अभी निर्णय कर लेंगे तो उससे कोई अन्तर नहीं पड़ेगा।

†**श्री तुलसीदास** : श्री मुरारका ने कहा है कि यह विशेष कर न्याय है क्योंकि अपंजीबद्ध सार्थों को भी यह कर देना पड़ेगा। इसके उत्तर में मुझे यह कहना है कि अपंजीबद्ध सार्थों पर अलग से कोई अधि कर नहीं लगाया जाता। उस पर निगम-कर भी नहीं लगाया जाता। यह जो कर लगाया

---

†मूल अंग्रेजी में

जा रहा है वह ऐसी सार्थों पर लगाया जा रहा है जो विधि की दृष्टि से व्यक्ति नहीं है और उन्हें कोई छूट नहीं दी जा सकेगी। अपंजीबद्ध सार्थों को समस्त राशि पर कर लगता है तथा भागीदारों को दुहरा कर नहीं देना पड़ता परन्तु पंजीबद्ध सार्थों में भागीदारों को दुहरा कर देना पड़ेगा क्योंकि उन्हें वैयक्तिक सीमित समवाय के रूप में कर देना पड़ेगा। यह वैयक्तिक सीमित समवाय नहीं है।

भागीदार अपने दायित्व देने के लिये विधानतः बाध्य होते हैं। उनके असीमित दायित्व होते हैं। इस को ध्यान में रखते हुए यह नवीन ढंग का कर है। आय कर विभाग अपने कर को बढ़ाने के लिये किसी भी समवाय को पंजीबद्ध या अपंजीबद्ध बना लेगा, जैसा इसको जंचेगा, और तदनुसार कर लगायेगा। इस प्रकार का कर किसी भी देश में नहीं लगाया जाता, इसलिये मैं अपने संशोधनों के द्वारा चाहता हूं कि यह खण्ड अपने मूल रूप में रखा जाए।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ७, पंक्ति ३३ और ३४ में—

"निश्चय किया जायगा;" और के स्थान पर "निश्चय नहीं किया जायगा; किन्तु" रख दिया जाए।

†**श्री एम० सी० शाह** : जब कभी करारोपण का कोई प्रस्ताव आता है, तो वह नवीन करारोपण होता है, और एक प्रकार के नवीन होता है। मैं माननीय सदस्य की इस आपत्ति को मान सकता हूं कि पंजीबद्ध सार्थों पर कर न लिया जाये। परन्तु सरकार ने बहुत सोच विचार के पश्चात पंजीबद्ध सार्थों पर कर लगाने का निर्णय किया है और जैसा कि श्री मोरारका ने कहा है, मैं समझता हूं उन्हें एक प्रकार का निगम कर देना चाहिये, जो अब वे नहीं देते। उन्हें पंजीबद्ध सार्थ होने से इतने लाभ होते हैं। पंजीबद्ध सार्थ में पुत्र, पुत्री, पत्नी और परिवार के दूसरे सदस्य हो सकते हैं और जब यह पंजीबद्ध सार्थ होता है तो स्वभावतः भागीदारों पर कर लिया जायगा। मान लीजिय सार्थ ४०,००० रुपये कमाता है और यदि चार भागीदार हैं, तो १०,००० रुपये पर कर दिया जायगा, ४०,००० रुपये पर नहीं। अपंजीबद्ध सार्थ में ४०,००० रुपये पर कर लिया जायगा। इसमें यह लाभ हैं। इसलिये केन्द्रीय राजस्व बोर्ड ने यह नवीन ढंग का कर निकाला है और मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल ठीक है। किन्तु जब हम ने देखा कि छोटे व्यापारियों को कठिनाई होगी यदि वे परिवार के व्ययस्क सदस्यों की भागिता भी बना लें जिन्हें पंजीबद्ध सार्थ में भागीदार स्वीकार किया जाय। इसलिये हमने सोचा कि ४०,००० रुपये कम कर दिये जाने चाहियें और पहले ४०,००० रुपये पर कर नहीं होना चाहिये। उसके पश्चात् एक सीमा रखी गई है और केवल ६ पाई लिया जायगा। ४०,००० रुपये से ऊपर ७५,००० रुपये तक, ३५,००० रुपये की राशि पर ६ पाई की दर से कर लिया जायगा। उसके बाद ७५,००० रुपये से १,५०,००० रुपये तक, दर एक आना होगी। साथ ही, कुछ और आराम देने के लिये, क्योंकि उन पर पंजीबद्ध सार्थों के भागीदार के नाते कर लिया जायगा, हमने उपबन्ध किया है कि जो कर पंजीबद्ध सार्थ में अंशों के अनुसार दिया जायगा, उस भागीदार की आय का विचार करते हुए, उसका ध्यान रखा जायगा। इसलिये मैं समझता हूं कि अब श्री तुलसीदास का इस प्रकार के करारोपण पर आपत्ति करना ठीक नहीं है।

†**श्री तुलसीदास** : यह विभेद क्यों किया जाता है ? व्यवसायियों के प्रति पक्षपात क्यों किया जाता है ?

†**श्री एम० सी० शाह** : जहां तक व्यवसायों का सम्बन्ध है, व्यवसायियों का एक सार्थ होता है उदाहरणार्थ अभ्यार्थी का सार्थ। उस सार्थ में पिता और पुत्र नहीं रह सकते जब तक कि पुत्र भी अभ्यर्थी न हो। वे कुछ घाटे में हैं क्योंकि उन्हें अभ्यार्थियों या ऐडवोकेटों के सार्थ में आने के लिये पहले

†मूल अंग्रेजी में

[श्री एम० सी० शाह]

अपने आपको अभ्यार्थी के योग्य बनना होता है। उन्हें ऐडवोकेट की परीक्षा पास करनी पड़ती है। डाक्टरों के सार्थ के लिये उन्हें भागीदार होने के योग्य बनना पड़ता है। निस्सन्देह वे घाटे में हैं। हम जो कुछ सहायता कर सकते हैं, हमें समान आधार पर करनी चाहिये।

†**श्री एन० सी० चटर्जी** : कोई विभेद नहीं है। डाक्टर, और सर्वेक्षक आदि आपके या मेरे पितृकुल से नहीं है। मेरा कहने का यह अर्थ है कि यह पूर्णतया ठीक है। माननीय मंत्री को जो अभ्यावेदन मिले हैं, उनमें कहा गया है कि एजेंटों और एडवोकेटों के सार्थों को व्यापारी सार्थों के सामान स्तर पर रखना सर्वथा अनुचित है। धारा १४ में सब नागरिकों को समानता दी गई है, किन्तु उच्चतम न्यायालय ने ठीक कहा है कि समानता में उचित श्रेणीकरण होना चाहिये। व्यापार का व्यवसाय के आधार पर वर्गीकरण करना बिल्कुल ठीक है, इसमें विभेद की कोई बात नहीं है। विभेद तब होता, यदि एक ही व्यवसाय में विभेद किया जाता। माननीय मंत्री ने ठीक कदम उठाया है।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या ३२ मतदान के लिये प्रस्तुत किया गया और अस्वीकृत हुआ।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १४ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १४ विधयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड १५ (धारा २३-क का संशोधन)

†**श्री तुलसीदास** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि : (i) पृष्ठ ८, पर पंक्ति १९ से २६ हटा दिया जाय। (ii) पृष्ठ ८, पंक्ति २२ में "आठ आने" के स्थान पर "पांच आने" रखा जाय। और (iii) पृष्ठ ८, पंक्ति २५ में "नियोजन" शब्द के बाद नया अंश जोड़ा जाय।

मेरे संशोधन संख्या ३३, ३४ और ३५ विनियोजन समवायों के कर लगाने के उपबन्ध हटाने के सम्बन्ध में हैं। विकल्प में, मैंने दर को घटा कर पांच आने करने की सिफारिश की है। धारा २३ के अनुसार विनियोग समवाय रक्षित निधि नहीं रख सकते, उन्हें प्रारम्भ से ही सब लाभ बांटने पड़ते हैं। यह उनके प्रति विभेद किया गया है। फिर उन पर अधिक कर क्यों लगाया जाय ? जबकि वे उपयोगी काम करते हैं। वे निर्माता और दूसरे समवायों को धन देते हैं। उनकी आस्तियों में कमी-बेशी होने की तुलनात्मक अधिक संभावना होती है। इसीलिये वे चार आना अधिकर देने के बाद भी रक्षित निधि रखते हैं। उन पर ऊंची दर पर व्यक्तिगत आयकर लगाया जाता है। कुछ एक लोगों के पास धन जमा न हो, इसे रोकने के लिये आप यह कर लगाना चाहते हैं। वित्त देने वाले समवायों पर अधिक कर लगाने से उद्योगों को धन कहां से मिलेगा ? इसलिये करारोपण का यह विभेद हटाना चाहिये या कर पांच आने की दर से लिया जाना चाहिये, तथा विनियोजन समवायों की परिभाषा दी जानी चाहिये, ताकि इसके बारे में भ्रांति न रहने पाये, यह मेरे संशोधनों का प्रयोजन है।

केवल उन्हीं समवायों को विनियोजन समवाय मानना चाहिये, जिनकी ९० प्रतिशत या अधिक आय केवल विनियोजन के आधार पर होती है।

बोनस अंश जारी करने पर कर लगाने का अब विचार किया जा रहा है। यदि कोई समवाय अपनी आय ४० प्रतिशत रखता है तो उस पर कर लगता है और यदि वह बोनस अंश जारी करता है

†मूल अंग्रेजी में

तो भी कर लगता है और यदि परिसमापन करता है तब भी उस व्यक्ति को कर देना पड़ता है। मुझे समझ में नहीं आता सरकार ऐसे करारोपण के द्वारा विनियोजन समवायों को क्यों तंग करना चाहती है। सारा लाभ बांट देने से वे समवाय नहीं चल सकते और यदि वे लाभ नहीं बांटते तो उन्हें रुपये में आठ आना दण्ड कर देना पड़ता है। समवायों पर पहले ही ४७ प्रतिशत कर लगा हुआ है। आठ आने रुपया कर लेने से उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा।

मेरा निवेदन है कि या तो परिभाषा का उचित आधार होना चाहिये या कर की दर उचित होनी चाहिये। यदि सरकार विभेद करना ही चाहती है तो उसे विनियोजन समवाय की उचित परिभाषा देनी चाहिये। मैं आशा करता हूं कि इन बातों पर विचार किया जायगा।

†**सभापति महोदय** : संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

†**श्री मूरारका** (गंगानगर—झुनझुनू) : अब धारा २३-क समवायों को, जिनमें छः या कम व्यक्तियों की ५० प्रतिशत पूंजी होती है, ६० प्रतिशत लाभांश बांटना पड़ता है और यदि रक्षित निधि प्रदत्त पूंजी से अधिक हो तो सारा लाभ बांटना पड़ता है अन्यथा रुपये में चार आने अधिकर देना पड़ता है। अब लाभांश कर भी है। यदि समवाय अपना ६० प्रतिशत या १०० प्रतिशत लाभांश न बांटें तो उन्हें ४ आने अपना अधिकर देना पड़ेगा, और यदि वे लाभांश बांटे और यदि वह १० प्रतिशत से अधिक हो, तो क्या उन्हें उस राशि पर ३ आने प्रति रुपये के हिसाब से लाभांश कर भी देना पड़ेगा ?

१९४६ में लाभांश कर लगाते समवाय इन २३-क समवायों को विशेष रूप से इस उपबंध से मुक्त किया गया था। मैं इस बारे में स्पष्टीकरण चाहता हूं कि यह लाभांश कर इन समवायों पर नहीं लगेगा।

†**श्री एन० सी० चटर्जी** : श्री मोरारका की यह बात बड़े महत्व की है।

प्रत्येक समवाय को अपने लाभ का ६० प्रतिशत बांटना पड़ता है और ऐसा न करने पर उसे ६० प्रतिशत से अधिक पर रुपये में चार आने कर देना पड़ता है। इसका अर्थ है कि आय का यह भाग जब्त कर लिया जाता है।

मैं मंत्री महोदय से अपील करूंगा कि वह श्री मोरारका की बात पर विचार करें। इस समय उपबंध है कि प्रदत्त पूंजी से वितरित किया जाने वाला लाभांश यदि छः प्रतिशत से अधिक बढ़ जाय तो २ आना प्रति रुपया तथा १० प्रतिशत से अधिक बढ़ जाने पर ३ आने प्रति रुपया कर लिया जाता है।

इस प्रकार समवायों का बहुत अधिक धन तो कर देने में ही निकल जाता है और उसके पास बहुत कम बचता है। यह तर्क संगत नहीं है कि यदि ६० प्रतिशत लाभांश प्रदत्त पूंजी के ६ प्रतिशत से बढ़ जाय तो उस पर भी दो आने प्रति रुपया कर लिया जाय। इस प्रकार सारा धन ही कर में ले लिया जायगा। इसलिये मैं मंत्री महोदय से अपील करता हूं कि यह ठीक नहीं है कि एक ओर तो समवायों को ६० प्रतिशत से अधिक बाँटने को कहा जाता है और न बांटने पर दाण्डिक अधिकर लगाया जाता है और यदि वह राशि ६ प्रतिशत से बढ़ जाय तो उस पर लाभांश कर भी लगाया जाता है। दोनों ओर से समवाय को दंड देना ठीक नहीं है। मैं मंत्री महोदय से अपील करूंगा कि वह इस बात पर गम्भीरतापूर्वक विचार करके इसका निदान करें।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री एन० सी० चटर्जी]

एक ही समय सब लाभांश बांटने के लिये कहना और उतनी राशि देने के लिये दंड देना सर्वथा असंगत एवं अनुचित है। यह मैं मान सकता हूं कि ६० प्रतिशत से कम बांटने पर कमी के लिये अधिकर लगा लिया जाय। परन्तु दोनों ओर से कर लगाना ठीक नहीं है।

†**श्री बंसल** (झज्जर-रेवाड़ी) : प्रथम अनुसूची पर मेरे संशोधन संख्या ९२ में यह बात उठाई गई है। क्या उस संशोधन पर अभी चर्चा की जायगी या बाद में ?

†**श्री एम० सी० शाह** : मेरे पास उत्तर तैयार है। किन्तु पहले वह संशोधन प्रस्तुत होना चाहिये।

†**सभापति महोदय** : प्रथम अनुसूची के समय उस पर विचार किया जायगा।

†**श्री एन० सी० चटर्जी** : श्री बंसल ने कहा है कि उस अनुसूची में लाभांश कर केवल वही लागू होना चाहिये जहां धारा २३-क लागू नहीं की जा सकती।

†**सभापति महोदय** : उस संशोधन का भी यही विषय प्रतीत होता है, अतः उस पर भी चर्चा की जा सकती है।

†**श्री एम० सी० शाह** : ये संशोधन विनियोजन समवायों के बारे में हैं। तीन संशोधन संख्या ३३, ३४ और ३५ हैं।

†**श्री तुलसीदास** : इनमें विकल्प भी हैं।

†**श्री एम० सी० शाह** : संशोधन संख्या ९२ का विभिन्न मामले से सम्बन्ध है, अतः उसका उत्तर बाद में देना ठीक होगा। फिर, आप के आदेशानुसार मैं उत्तर दूंगा।

†**श्री बंसल** : श्री मोरारका की बात पर उस अनुसूची की चर्चा के समय चर्चा करना अधिक उपयुक्त होगा।

†**सभापति महोदय** : चाहे इनका सीधा सम्बन्ध विनियोजन समवायों से न हो, किन्तु इनका उद्देश्य इनके बारे में है। उन्होंने विनियोजन समवायों की परिभाषा भी दे दी है।

†**श्री बंसल** : धारा २३-क समवायों में विनियोजन समवायों के अतिरिक्त अन्य समवाय भी आते हैं। श्री तुलसीदास के संशोधनों में केवल विनियोजन समवायों का उल्लेख है। इनका निबटारा होने के बाद संशोधन संख्या ९२ को लिया जा सकता है।

†**सभापति महोदय** : क्या इन संशोधनों पर विचार करने के बाद में संशोधन संख्या ९२ को ले सकेंगे।

†**श्री बंसल** : जी।

†**सभापति महोदय** : इन तीन संशोधनों को हम अभी लेंगे और संशोधन संख्या ९२ को बाद में लेंगे।

†**श्री एम० सी० शाह** : जहां तक विनियोजन समवायों का सम्बन्ध है, मैं नहीं समझता——और संभवतः माननीय मित्र श्री तुलसीदास भी इस बात से सहमत होंगे कि विनियोजन समवाय निर्माण करने वाले समवाय नहीं हैं, जहां रिजर्व (रक्षित) रखने की आवश्यकता होगी। जब विनियोजन समवाय २३-क समवाय हैं, तो सब लाभ अर्थात् शत-प्रतिशत लाभ का वितरण होना चाहिये। पिछली बार हमने उसके वितरण न किये जाने पर दण्ड स्वरूप चार आना कर की व्यवस्था की थी। जहां तक

†मूल अंग्रेजी में

दूसरे २३-क समवायों का सम्बन्ध है, ६० प्रतिशत बांटा जायगा । अब इन सब २३-क समवायों के बारे में यह स्थिति है--अंशधारी छः हों या कम--यदि वे सब लाभ बांट लेते हैं, तो उन पर १० आना के हिसाब से अधिकर लगेगा । १० आने के कर से बचने के लिये, वे लाभ का वितरण नहीं करेंगे और उसे रक्षित निधि में रखेंगे यद्यपि रक्षित निधि आवश्यक नहीं है । इस प्रकार वे विधि-पूर्वक उस कर से बचेंगे जो उन पर लगाया जा सकता है । इसलिये गत वर्ष हमने उन सब २३-क समवायों पर चार आना दण्ड कर लगाया था, जहां ६० प्रतिशत बांटा जाता था, यदि वह न बांटा जाता और जमा कर लिया जाता । अब अधिक आय पर अधिकर की दर बढ़ जाने के साथ इसकी संभावना है--कि वे विनियोजन समवाय रिजर्व रखें और सारा लाभ वितरण न करें । इसलिये वे १० आना अधिकर देने से बच सकते हैं । मैं नहीं समझता कि हम इस त्रुटि को रहने दे सकते हैं । इसलिये हम ८ आना दंड कर रखना चाहते हैं । उदाहरणार्थ, एक २३-क समवाय को लीजिये । मान लीजिये इसका लाभ १०० रुपये है । वे लाभ पर प्रति रुपया ६ आना ९ पाई देंगे । इसका यह अर्थ है कि उनको ४३ रुपये देने पड़ेंगे । ५७ रुपये बाकी बचेंगे । उस पर, रुपये में चार आना देकर उन्हें १९ रुपये के लगभग देने पड़ेंगे । ४३ रुपये में १९ रुपये जमा करके ६२ रुपये होंगे । अन्यथा, उन्हें ८२ रुपये देने होंगे । अतः उन लोगों के पास २० रुपये बचेंगे जो सरकारी कोष में आने चाहियें । हम उन्हें २० रुपये रखने नहीं दे सकते, इसलिये चार आने को बढ़ाकर ८ आना कर देना उचित है ।

संशोधन संख्या ३५ के बारे में श्री तुलसीदास का सुझाव है कि ९० प्रतिशत लाभ विनियोजन से होना चाहिये । यदि यह ९० प्रतिशत होगा, तो वे देंगे, यदि यह ८९ प्रतिशत होगा तो वे नहीं देंगे । यह बड़ा अच्छा तर्क है । ये लोग कर देने से नहीं बच सकते ।

मुझे खेद है कि मैं इन तीनों में से कोई भी संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता ।

जहां तक निर्माण करने वाले समवायों का सम्बन्ध है, वे विस्तार करने के लिये रक्षित निधि को पुनः लगा देते हैं । किन्तु यहां विनियोजन समवाय अधिकाधिक धनवान होने के लिये केवल अधिक धन जमा करते हैं ।

[सभापति महोदय द्वारा तीनों संशोधन मतदान के लिये प्रस्तुत किये गये और अस्वीकृत हुए ।]

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १५ विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १५ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १६ और १७ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड १८--(धारा ३४ का संशोधन)

†**श्री बंसल :** मैं संशोधन संख्या ७२, ७४, ७५, ७६ आदि का प्रस्ताव करता हूं ।

†**श्री एन० सी० चटर्जी :** मैं संशोधन संख्या २२, २३, २४, २५ का प्रस्ताव करता हूं ।

†**श्री तुलसीदास :** मैं संशोधन संख्या ३६, ३७, और १०१ का प्रस्ताव करता हूं ।

†**सभापति महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुए ।

†**श्री बंसल :** धारा २२-क अधीन आयकर से बचने के लिये आय का ब्योरा न देने के मामलों में आयकर अधिनियम की धारा ३४ (१) में दी गई समय-सीमा को खण्ड १८ के उपखण्ड (क)

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बंसल]

और (ख) दूर करते हैं। १९४०-४१ के मामलों के लिये तो सीमा है परन्तु भविष्य के लिये कोई नहीं है। और अधिकर पदाधिकारी २० साल के मामलों की फिर से जांच कर सकेगा।

जब मामले की फिर से जांच आरम्भ कर दी जाय तो उस पर जितने चाहे उतने वर्ष के लिये कार्यवाही की जा सकती है। ऐसे मामलों को बन्द करने की कोई समय-सीमा नहीं है। मामलों पर फिर से विचार करने के बारे में शर्त यह है कि कुल आय एक लाख होनी चाहिये। लोगों में यह धारणा पैदा की गई है कि यह आय एक साल की होनी चाहिये।

†**सभापति महोदय** : मूल विधेयक में स्पष्ट कर दिया गया था कि यह राशि एक साल के लिये नहीं थी। अपितु इसका सम्बन्ध कुछ वर्षों के लिये था।

†**श्री बंसल** : मैं भी यही कहने वाला था। अब यदि आठ वर्ष की छिपाई गई आय एक लाख या अधिक होती है तो आठों वर्षों के कर निर्धारण की जांच की जायेगी। आयकर की यह सीमा बहुत घटा दी गई है और इस परिवर्तन का प्रभाव मध्यम वर्ग के करदाताओं पर पड़ेगा। मेरे संशोधन में कहा गया है कि यदि ऐसी आय, जो किसी एक वर्ष में एक लाख से अधिक हो और वह छिपाई गई हो, तो उसकी जांच आठ वर्ष के बाद भी हो सके।

संशोधन ७४ और ७५ का उद्देश्य यह है कि मामलों की जांच तभी हो जब वैसा करने का कोई प्रत्यक्ष कारण हो और करदाता को कार्रवाई से पूर्व अपना मामला स्पष्ट करने का अवसर मिले।

भारत के आयकरदाता संघ की ओर से एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है जिसमें कहा गया है कि यदि धारा ३४ में परिवर्तन किया जायगा तो आयकर पदाधिकारी किसी भी जानकारी पर कार्रवाई कर सकेगा और करदाता पर कार्रवाई की जायेगी। इसे बाद में बन्द न किया जा सकेगा, यदि उक्त जानकारी गलत सिद्ध हुई। मेरे संशोधन ७४ और ७५ का उद्देश्य इस कठिनाई को दूर करना है।

जब धोखा दिया गया हो और दांडिक अपराध किया गया हो तो कार्रवाई के लिये समय-सीमा आवश्यक नहीं है। परन्तु धारा ३४ के अधीन ऐसे व्यक्तियों पर कार्रवाई की जा सकती है जो धोखे के लिये उत्तरदायी नहीं है। अन्य देशों में भी धोखे और सामान्य कर-अपवंचन में भेद किया गया है। इंगलैंड और अमेरिका और आस्ट्रेलिया की विधियों में इस बात का उपबन्ध है।

उक्त देशों में कार्रवाई धोखे की निश्चित सूचना पर ही आरम्भ की जाती है, केवल सन्देह पर नहीं। करदाता को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का भी अवसर दिया जाता है। मेरे संशोधनों में उपर्युक्त दो परिमाणों का उपबन्ध किया गया है।

आय छिपाने के मामलों में करनिर्धारण की कोई सीमा नहीं है। इंगलैंड में यदि कोई करदाता, जिसकी आय पर कर निर्धारित नहीं किया गया है, मर जाता है, तो उसकी भू-सम्पत्ति पर सारा पिछला शुल्क तीन वित्तीय वर्षों की समाप्ति से पहले निर्धारित कर लिया जाता है। यदि वह जीवित रहे तो पिछले कर निर्धारण के लिये कोई सीमा नहीं रहती। करारोपण सम्बन्धी रायल कमीशन ने भी कहा है कि यदि किसी व्यक्ति ने आय छिपाई हो और यदि वह मर जाय तो उसकी पिछली आय पर शुल्क निर्धारण पिछले छः वर्षों तक के लिये किया जाना चाहिये। मेरे संशोधन संख्या १०२ में मृत व्यक्ति की आय पर कर निर्धारण के मामलों की पुनः जांच करने के लिये समय-सीमा का सुझाव दिया गया है। मेरे संशोधन संख्या १७६ में यह उपबन्ध है कि आय छिपाने के

†मूल अंग्रेजी में

मामलों में समय-सीमा हटाने वाली विधि का परिवर्तन केवल दो वर्ष के लिये लागू रहे, अर्थात् १९४०-४१ तक के मामलों की फिर से जांच करने से सम्बन्धित विधि १९५७-५८ तक लागू रहे। यदि मेरे अन्य संशोधन स्वीकार न भी किये जायें, तो इसे अवश्य स्वीकार कर लिया जाय।

†**श्री एन० सी० चटर्जी** : मेरे संशोधन २३, २४ और २५, श्री बंसल के संशोधनों के समान हैं, जिनके अनुसार यह उपबन्ध किया गया है कि निश्चित जानकारी होने पर ही मामलों की जांच होनी चाहिये और इस सम्बन्ध में पदाधिकारी को फिर से जांच करने के कारणों की एक प्रति करदाता को देनी होगी।

धारा ३४ के अधीन कार्रवाई केवल ऐसे मामलों में नहीं की जा सकती, जहां आय छिपाई गई हो अपितु ऐसे मामलों में भी की जा सकती है जहां आयकर पदाधिकारी को प्रतीत हो कि आय पर पूरा कर नहीं लगाया गया है। अधिकांश मामले धोखेबाजी के नहीं होते। ऐसे मामलों की फिर से जांच की जा सकती है यदि आयकर पदाधिकारी समझता है कि कम आयकर लगाया गया है। क्या पदाधिकारी को इतनी विस्तृत शक्ति देना उचित है? खण्ड (क) से समय-सीमा समाप्त हो जाती है। श्री बंसल ने ठीक कहा है कि १९५६ में १९४१-४२ के मामलों पर भी फिर से जांच की जा सकेगी। इससे लोगों को बड़ा कष्ट होगा। यदि मंत्री जी का अभिप्राय यह हो कि बेईमान और धोखेबाज लोगों के विरुद्ध जिन्होंने आय छिपाई है, कार्रवाई की जाय, तो पदाधिकारियों को शक्ति देना ठीक है, परन्तु धारा ३४ (१) का उपयोग ऐसे मामलों में न किया जाय जहां पर धोखा इत्यादि नहीं किया गया है। यह बात विधेयक में स्पष्ट की जानी चाहिये। वित्त मंत्री सोचते हैं कि इससे उच्चतम न्यायालय में मामला आयेगा। परन्तु यदि धोखेबाजी के आधार पर मामले की फिर से जांच की जाय तो विधेयक के आधार पर इस पर कोई आपत्ति नहीं कर सकेगा। सूरज मल महता के मामले में मुख्य न्यायाधिपति श्री महाजन ने कहा था कि यह अधिनियम संविधान द्वारा दी गई शक्ति से बाहर है, क्योंकि उसके द्वारा विभिन्न मामलों में विभेद किया जा सकता है। मैं चाहता हूं कि समय-सीमा का खण्ड हटा दिया जाय। मेरे संशोधन २५ का उद्देश्य यह है कि २१ मार्च, १९५८ के बाद धारा ३४ के उपबन्ध, जैसे कि वे इन संशोधनों से पहले थे, प्रभावी रहें।

मामलों पर फिर से जांच करने का अधिकार तभी होना चाहिये जब आयकर पदाधिकारी के पास निश्चित जानकारी हो और वह जानकारी सम्बन्धित व्यक्ति को दी गई हो। सूरज मल महता के मामले में मुख्य न्यायाधिपति श्री महाजन ने भी ऐसी ही बात कही है। धारा ३४ की व्याप्ति केवल धोखे के मामलों तक ही सीमित नहीं है, अपितु वह ऐसे मामलों पर भी लागू होती है जहां कम कर लगाया गया हो अथवा अधिक छूट दी गई हो। अतएव जब कारण लिख लिये गये हों, तो वे सम्बन्धित व्यक्ति को दिये जाने चाहियें। यदि उक्त धारा को फिर से लिखा जाय तो न्यायालय में उस पर आपत्ति नहीं की जा सकेगी तथा लोग अनुच्छेद १४ की शरण नहीं ले सकेंगे। विभेद करने के सिद्धांत पर जांच आयोग अधिनियम अवैध ठहराया गया है। अब ऐसा नहीं हो सकेगा यदि 'जान बूझ कर छिपाने, धोखा देने आदि के मामले में' शब्द रख दिये जायें। मेरा कहना यह है कि दो वर्ष का समय और बढ़ाना पर्याप्त होगा। अनिश्चित कालावधि कर देने से पदाधिकारियों को ऐसी शक्तियां मिल जायेंगी, जिनका वे दुरुपयोग कर सकेंगे और लोगों को त्रास देंगे। इस प्रक्रिया का उपयोग लोग बदला लेने के लिये भी करेंगे।

†**श्री तुलसीदास** : मेरे संशोधन संख्या ३६ और ३७ हैं। मैंने संशोधन संख्या १०१ भी रखा है, जो संशोधन संख्या ३६ के अस्वीकृत होने की अवस्था में स्वीकार कर लिया जाय। मेरे मित्र

†मूल अंग्रेजी में

[श्री तुलसीदास]

श्री चटर्जी और श्री बंसल ने विभिन्न देशों के अधिनियमों की बात कही है। मैं उनकी चर्चा नहीं करूंगा। मैं मानता हूं कि कर-अपवंचन के मामले में समय सीमा नहीं हो सकती। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि आयकर अधिकारी को ऐसे मामलों की पड़ताल कराने का अधिकार होना चाहिये जिनमें कि कर न लगाया जा सका हो और मेरे विचार में इस सभा को आयकर अधिकारी को ऐसे अधिकार देने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

विदेशों में केवल धोखा-धड़ी अथवा जानबूझ कर गड़बड़ी करने वालों के विरुद्ध ही कार्रवाई की जाती है। किन्तु हमारे अधिनियम में यह कहा गया है कि सभी आवश्यक तथ्य न बताये जा सकने अथवा किसी बात को छूट जाने पर भी कार्रवाही की जा सकती है। विदेशों में पहले यह सिद्ध किया जाता है कि इस व्यक्ति ने धोखा-धड़ी की है। तब उस पर कार्रवाई की जाती है। मगर इस विधेयक के अनुसार आयकर अधिकारी "यह विश्वास करने के लिये उसके पास कारण हैं" इस आधार पर ही किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाही कर सकता है। चाहे अन्त में किसी प्रकार का अपवंचन न भी सिद्ध हो सके।

इसके अतिरिक्त ये संशोधन इसलिये किये जा रहे हैं क्योंकि अब आयकर जांच आयोग अधिनियम शक्ति परस्तात् हो रहा है। ऐसी दशा में हमें उपर्युक्त शक्ति को नित प्रति की तरह नहीं इस्तेमाल करना चाहिये। इतनी अधिक शक्तियों के उपयोग के लिये बड़े स्वविवेक की आवश्यकता है। हमें आयकर अधिकारियों को निर्बाध शक्ति नहीं देनी चाहिये। उनके ऊपर संसद् द्वारा बनाई गई विधियों द्वारा उचित नियन्त्रण रखना चाहिये ताकि वे इनसे किसी निरपराध करदाता को न सता सकें।

आयकर जांच आयोग में दो न्यायाधीश थे। वे शक्तियों के प्रयोग को रोक सकते थे। और फिर पहला अधिनियम भी अस्थाई था। अब आप यह अधिकार कार्यपालक आयकर अधिकारियों को देने जा रहे हैं और इसे एक स्थाई परिनियम बनाने जा रहे हैं। ऐसी दशा में हम नये-नये तथा कनिष्ट आयकर अधिकारियों पर कहां तक निर्भर रह सकते हैं?

आयकर (जांच आयोग) अधिनियम की धारा ५ में कहा गया है कि प्रत्यक्षत: अपवंचन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध ही कार्रवाही की जायेगी फिर १९४७ के अधिनियम में यह भी कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्णय किये गये किसी मामले की परीक्षा के बाद यदि आयोग यह समझता है कि उसकी और जांच करने से अपवंचन सिद्ध नहीं होगा तो वह उस मामले को बन्द करवा सकता है। किन्तु वर्तमान विधेयक में आयोग को इस प्रकार का स्वतन्त्र मत बनाने की कोई शक्ति नहीं दी गई है। आयोग अथवा केन्द्रीय राजस्व बोर्ड को आयकर अधिकारी द्वारा दिये गये तथ्यों पर ही सब कुछ करना होगा। यह कोई ठीक सुरक्षा नहीं है। इस विधेयक में ऊपर कही गई कोई भी सुरक्षा नहीं दी गई है। जब यह विधेयक लाया गया था तो वित्त मंत्री ने कहा था कि मैं पर्याप्त संरक्षण दूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने कौन से संरक्षण प्रदान किये हैं?

मैंने इसमें दो संशोधन रखे हैं। उनका उद्देश्य उचित संरक्षण प्राप्त करना है। मुझे उनके शब्दों से विशेष मोह नहीं। यदि आप चाहें तो उन शब्दों को बदल भी सकते हैं। मैं तो केवल संरक्षण चाहता हूं ताकि कराधान अधिकारियों को दी गई इन व्यापक शक्तियों से किसी प्रकार का खतरा न पैदा हो सके।

एक और बात भी है। आयकर का कोई मामला कितनी देर तक दोबारा खोला जा सकता है इस अधिनियम में इस प्रकार की कोई समय-सीमा नहीं रखी गई है। बल्कि इसमें यह कहा गया है कि निर्धाय की मृत्यु के कई वर्ष बाद यह लेखा दोबारा खोला जा सकता है। इस सम्बन्ध में ब्रिटेन में यह

नियम है कि निर्धार्य की मृत्यु के दो वर्ष के बाद उस लेखे पर कोई कार्रवाही नहीं की जा सकती है। हमें भी इस प्रकार की समय सीमा निश्चित कर देनी चाहिये। आप तीन वर्ष की सीमा रख सकते हैं। किन्तु इस प्रकार के संरक्षण का होना बड़ा आवश्यक है। आखिर किसी उत्तराधिकारी को अपने किसी पूर्वज के कृत्यों के लिये क्यों दंड का भागी बनाया जाये। मुझे आशा है कि वित्त मंत्री मेरे इन संशोधनों संख्या ३६ और ३६१, पर विचार करके उन्हें स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

†**श्री टी० एस० ए० चेट्टियार** : यह कहा गया है कि दूसरे देशों में जब तक धोखा-धड़ी न सिद्ध हो जाये जब तक किसी व्यक्ति पर कोई कार्रवाही नहीं की जाती है। हमारे यहां भी परिसीमन अधिनियम में यह कहा गया है कि कपट के किसी भी मामले में पिछले तीन वर्ष तक जांच की जा सकती है। परन्तु यह सोमा पर्याप्त नहीं है। हमने यह संशोधन इसलिये रखा है ताकि सरकार ऐसे १,३०० व्यक्तियों को जिन्होंने सरकार को धोखा दिया है अपनी गिरफ्त में ला सके। परन्तु उच्च न्यायालय के एक विनिश्चय के अनुसार हम उनके विरुद्ध कोई कार्रवाही नहीं कर सके हैं। किन्तु उस सभा का कोई भी सदस्य उनमें से किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ना चाहता है जिन्होंने करों का अपवंचन करके देश को धोखा दिया है। मेरा यह कहना है कि कपट के विषय में कोई परिसीमा नहीं होनी चाहिये।

अब मैं खंड १८ (ख) के उपखंड (२) की ओर आता हूं। मुझे इसके बारे में एक सन्देह है। वह यह कि अगर आयकर अधिकारी की गलती से किसी मामले में कम कर निर्धारण किया गया हो तो क्या फिर भी उस मामले की दोबारा जांच की जायेगी ? मेरे विचार में यदि कोई व्यक्ति ठीक-ठीक लेखा भेज देता है और आयकर अधिकारी की गलती के कारण उस पर कम कर लगाया गया हो तो उस लेखे की दोबारा जांच नहीं होनी चाहिये। मैं वित्त मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह इस मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की कृपा करें।

श्री बंसल ने यह कहा है कि १ लाख रुपय की राशि ८ वर्ष के लिये नहीं किन्तु एक ही वर्ष के लिये है। इसमें उन्हें कुछ गलतफहमी हुई है। पहले विधेयक में भी यह ८ वर्ष के लिये ही थी।

†**श्री बंसल** : मैंने सरकार का एक प्रकाशन "इन्कमटैक्स फार दी लैमैन" में यह देखा है। वहां स्पष्टतया यह लिखा हुआ है कि यह १ लाख रुपये की राशि एक ही वर्ष के लिये है।

†**श्री टी० एस० ए० चेट्टियार** : जब आप जानते हैं कि पहला अधिनियम ऐसा नहीं था तो फिर आपने सरकार के प्रकाशन पर क्यों विश्वास कर लिया ? आपको तो इस विधान की सारी पृष्ठ भूमि पता थी।

मैं यह कहना चाहता हूं कि कर निर्धारण के मामलों को दोबारा खोलने के लिये हमें लम्बी अवधि चाहिये। मैं चाहता हूं कि सरकार बड़े लोगों पर जो करों का अपवंचन कर रहे हैं, खास निगाह रखे। यह ८,००० रुपय प्रति वर्ष की आय की सीमा को बढ़ा देना चाहिय। ताकि सरकार के अधिकारी छोटी-छोटी आय वाले लोगों पर समय बर्बाद न करके बड़े लोगों पर अधिक ध्यान दे सकें।

यह भी हो सकता है कि कहीं पर कुछ आयकर अधिकारियों को लोगों के सताने में ही मज़ा आता हो। क्या इस विधान में ऐसे अधिकारियों को दंड देने के लिये भी कोई उपबन्ध किया गया है ? इस प्रकार सताय जाने वाले लोगों को कैसे छुटकारा दिलाया जायेगा ? क्या इस सम्बन्ध में केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अथवा किसी अन्य प्राधिकारी की अनुमति लेना बहुत जरूरी है ? खैर सरकार को इस बात का विशष ध्यान रखना चाहिये कि किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से न सताया जाय।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री एम० सी० शाह** : मैंने श्री बंसल, श्री एन० सी० चटर्जी, श्री तुलसीदास और श्री टी० एस० ए० चेट्टियार के तर्क बड़े ध्यान से सुने हैं। श्री चेट्टियार यह जानना चाहते थे कि क्या ऐसे मामले फिर उठाए जा सकते हैं जहां आयकर पदाधिकारी को बाद में चल कर यह मालूम हुआ हो कि धनराशियों पर कम कर लिया गया है। उस पर मेरा उत्तर "नहीं" है। आगे उन्होंने पूछा था कि क्या केन्द्रीय राजस्व बोर्ड की पूर्व मंजूरी होगी। निश्चय ही वह होगी। बात यह है कि कर जांच आयोग का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के बाद, उच्चतम न्यायालय ने धारा ५(४) को संविधान के शक्ति-परस्तात् घोषित किया। तब हमें धारा ३४ (क) लानी पड़ी और वहां हमने यह उपबन्ध रखा कि वर्ष १९३९ से १९४६ तक यदि कोई आय जिस पर कर निर्धारित न किया गया हो, १ लाख रुपये से अधिक हो, तो उसके मामले केन्द्रीय राजस्व बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से फिर चालू किये जा सकेंगे।

उसके बाद १७ जुलाई, १९५४ को खंड ५ (१) पुनः संविधान के शक्ति-परस्तात् घोषित किया गया। तब १७ जुलाई, १९५४ के पहले निबटाये गये सभी मामले बच गये। वह निर्णय केवल उन्हीं मामलों के लिये लागू हुआ जिनका निर्णय १७ जुलाई, १९५४ को नहीं हुआ था। इसलिये धारा ३४ (१क) में हमने उपबन्ध रखा है कि वे मामले, जिनके लिये सूचनायें जारी की गई थीं और विशेष निदेशालय ने जिनका निर्देश किया था, ३१ मार्च, १९५६ के पूर्व निबटाये जा सकेंगे और उन सभी मामलों को वैसा ही अनिर्णीत छोड़ दिया गया। तत्पश्चात् गत दिसम्बर में, उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि जब से संविधान लागू हुआ अर्थात् २६ जनवरी, १९५० से ऐसे सभी मामले वैध भी नहीं थे और उन्हें संविधान के शक्ति-परस्तात् समझा गया। अब ३१ मार्च, १९५६ बीत गई है। धारा ३४ (१ क) व्ययगत हो गई है। हमें उन सभी १,३०० मामलों पर विचार करना है जिनका अभी अनुसंधान करना है और उसके बाद कर निर्धारित करना है।

अब हमें विधि में भी कुछ उपबन्ध रखना होगा। कई उच्च न्यायालयों में धारा ३४(१-क) पर भी शंका की गई थी इसलिये हमने यह परन्तुक रखने की सोची। कर जांच आयोग ने अपने प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि वे मामले जहां कुछ छिपाया गया हो जो कपट के बराबर होता है, ऐसे उपायों के द्वारा उठाये जा सकेंगे और सरकार उन उपायों से वे मामले फिर चालू कर सकेगी। वैसी शक्ति सरकार के पास अवश्य स्थायी आधार पर होनी चाहिये। इसलिये धारा ३४ में हमने यह संशोधन सामने रखा है।

अब यह कहा जाता है कि ८ वर्ष की अवधि रखने से हम असीमित शक्ति अपने हाथ में ले रहे हैं। जब तक अत्यन्त आवश्यक न हो, यह असाधारण शक्ति लेने में सरकार को कोई प्रसन्नता नहीं है। अनेक माननीय सदस्यों ने इस सभा में और दूसरी सभा में कई बार यह कहा है कि काफी मुनाफा छिपाये गये हैं और जानबूझ कर आयकर न देने का प्रयत्न किया गया है। कुछ सदस्यों ने यह सुझाव दिया था कि यदि कड़ी कार्यवाही की जाये तो ५० प्रतिशत अधिक धन प्राप्त किया जा सकेगा। इसका अर्थ यह है कि ९० करोड़ रुपया अधिक मिल सकेगा। किन्तु वह ठीक अनुमान नहीं है। अभी एक दिन वित्त मंत्री ने कहा था कि ३० करोड़ रुपये तक अपवंचन हुआ है। इसलिये प्रशासन को अधिक मजबूत बनाने और जानबूझ कर कर-अपवंचन करने वालों को पकड़ने के लिये ऐसा उपबन्ध नितान्त आवश्यक है।

आगे यह कहा गया है कि लोगों को तंग और परेशान किया जाता है। यदि ऐसी कोई बात हमारे ध्यान में लायी जाती है तो हम उस विषय में तुरन्त कार्यवाही करने के लिये तैयार हैं। १ लाख रुपये की कुल राशि भी बहुत बड़ी है। इसका अर्थ है कि आयकरदाताओं को बिल्कुल परेशान नहीं किया जाता। यदि आप ८ वर्ष भी लें, तो औसत १२ हजार रुपये साल पड़ता है। एक साल वह १० हजार रुपये और किसी दूसरे साल में १४ हजार रुपये भी हो सकता है। अवश्य ही करदाता ने जानबूझ कर

†मूल अंग्रेजी में

छिपाया होगा। इसलिये जब आयकर पदाधिकारी के पास उस विषय में निश्चित जानकारी हो और आवश्यक साक्ष्य भी हो, तब वह केन्द्रीय राजस्व बोर्ड को सूचित करेगा जो मामला फिर चालू करने की अनुज्ञा देगा। किसी एक व्यक्ति का अथवा प्रत्येक व्यक्ति का मामला फिर चालू करना खुशी की बात नहीं है। उसके लिये पर्याप्त संरक्षण है क्योंकि केन्द्रीय राजस्व बोर्ड में सर्वोच्च पदाधिकारी होते हैं और वे प्रत्येक मामले को देखेंगे। फिर, सूचना जारी करने का यह मतलब नहीं कि तुरन्त कार्यवाही की जायगी। उसे यह दिखाने का काफी अवसर मिलेगा कि आयकर विभाग की जानकारी ठीक नहीं है और वह यह सिद्ध कर सकता है कि उसने कोई आय नहीं छिपायी है और उस पर कोई कर नहीं लगाया जा सकता। मेरे मित्र श्री तुलसीदास ने जिन संरक्षणों का सुझाव दिया है वे बिल्कुल अनावश्यक हैं। आयकर पदाधिकारी इस विषय में जांच करेगा और अपने प्रतिवेदन में बतायेगा कि किन कारणों से वह मामला फिर चालू किया जाना चाहिये। तब केन्द्रीय राजस्व बोर्ड उस प्रतिवेदन पर विचार करेगा और मामले को फिर से उठाने पर अपना अनुमोदन देगा आयकर पदाधिकारी से केवल सूचना प्राप्त होते ही केन्द्रीय राजस्व बोर्ड यह आदेश नहीं दे देगा कि मामला फिर चालू किया जाये।

संशोधन संख्या १०१ के तीन सुझाव हैं। पहला यह कि आयकर पदाधिकारी जिन कारणों के आधार पर आयकर कमिश्नर या केन्द्रीय राजस्व बोर्ड से धारा ३४ के अधीन पुनः कर निर्धारण के लिये मंजूरी की प्रार्थना करता है, वे उस करदाता को भी उसी दशा में बना दिये जायें। दूसरा सुझाव यह है कि आयकर कमिश्नर या केन्द्रीय राजस्व बोर्ड मामला फिर चालू करने के लिये तब तक मंजूरी न दे जब तक कि करदाता को सुनवाई का मौका न दिया जाये। तीसरा सुझाव यह है कि कमिश्नर या केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अपने या उसके समाधान के लिये उन कारणों को भी लिख ले जिससे कि वह मामला धारा ४१ के अधीन सूचना जारी करने के लिये उपयुक्त मामला है।

मेरा कहना है कि ऊपर निर्देशित विषय पुनर्निधारण की कार्यवाही चालू करने के लिये प्रारंभिक बातें हैं। आयकर कमिश्नर, बंगाल बनाम मेसर्स महाली राम रामजी दास (१९४० इनकम टैक्स रिपोर्ट, पृष्ठ ४४२) के मामले में प्रिवी कौंसिल ने कहा है कि पुनर्निर्धारण के विषय में कोई विनिश्चय करने के पूर्व आयकर पदाधिकारी कोई न्यायिक अथवा अर्ध-न्यायिक जांच नहीं कर रहा है और उसपर अर्ध-न्यायिक जाँच का भार लादना अनुचित तथा अव्यवहार्य भी होगा क्योंकि उससे संबन्धित व्यक्ति को कोई लाभ न होकर केवल प्रक्रिया दोहराई जायेगी। अभी हाल में प्रेसीडेन्सी टाकीज लिमिटेड बनाम आयकर कमिश्नर, मद्रास (१९५४ इनकम टैक्स रिपोर्ट, पृष्ठ ४४८) के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि मुख्यतः आयकर कमिश्नर का समाधान आवश्यक है और यह निर्बन्धन केवल इसलिये है कि आयकर पदाधिकारी की ओर से कोई-कोई जल्दबाजी की कार्यवाही अथवा बिना किसी औचित्य की कार्यवाही के विरुद्ध करदाता के हितों का संरक्षण हो।

†**श्री एन० सी० चटर्जी** : माननीय मंत्री ने मेरी बात ठीक-ठीक नहीं समझी। मैंने कहा कि मद्रास उच्च न्यायालय ने यह कहा कि करदाता को कारण बताने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु मद्रास उच्च न्यायालय के इस दृष्टिकोण के बावजूद, यही उचित है कि वे उसे बताये जाने चाहिये। मैं वित्त मंत्री से भी अपील कर रहा हूँ। यदि आयकर पदाधिकारी को निश्चित जानकारी है और वह उसे बता दी जाती है तो क्या आपत्ति है?

†**श्री० एम० सी० शाह** : माननीय सदस्यों ने जिन संरक्षणों का समर्थन किया है उनके सम्बन्ध में यह स्पष्ट होगा कि यह एक न्यायिक अथवा अर्ध-न्यायिक जांच नहीं है। केन्द्रीय राजस्व बोर्ड और आयकर आयुक्त दोनों ही सभी मामलों की जांच करेंगे और जब केन्द्रीय राजस्व बोर्ड को पूरा-पूरा समाधान हो जायेगा कि उस व्यक्ति का पुनर्निर्धारण का मामला फिर उठाना ठीक है तभी सूचना

†मूल अंग्रेजी में

[श्री एम० सी० शाह]

जारी की जायगी। वह अपने पास का सभी साक्ष्य यह दिखाने के लिये प्रस्तुत करने का अधिकारी होगा कि उसने कोई आय नहीं छिपायी है। अतः श्री तुलसीदास ने अपने संशोधन संख्या १०१ में जिन संरक्षणों का सुझाव दिया है वे आवश्यक नहीं हैं।

यह भी सुझाव दिया गया था कि तीन वर्ष के बाद मृतक व्यक्ति के उत्तराधिकारियों पर दायित्व नहीं लादा जाना चाहिये। आयकर एक व्यावहारिक दायित्व है। यदि कोई व्यक्ति करादेय आय प्राप्त करता है तो उसकी मृत्यु से उसकी आय दायित्व से मुक्त नहीं हो सकती। इसी तरह जहां मृत व्यक्ति ने जीवित रहते अपनी आय छिपायी हो, वहां विधि के सभी उपबन्ध लागू किये जा सकते हैं जिससे कि सरकार उस अर्जित आय पर कर प्राप्त कर सके। अतः जहां करदाता मर गया हो वहां धारा ३४ के अधीन मामलों में पुनर्निर्धारण करने के लिये समय-सीमा निर्बन्धित करने के लिये कोई औचित्य नहीं है। अतः संशोधन स्वीकार नहीं किया जा सकता। मेरे विचार से पर्याप्त संरक्षण दिये गये हैं। चूंकि माननीय सदस्य चाहते हैं कि कर-अपवंचकों को यों ही न छोड़ दिया जाये, उन्हें सरकार को ये शक्तियां देने के लिये सहमत होना चाहिये। उन्हें यह देखना चाहिये कि इन शक्तियों का उपयोग न्यायिक प्रकार से किया जाता है या नहीं। उन्हें यह नहीं कहना चाहिये कि निर्दोष व्यक्ति को परेशान करने के लिये सरकार ये शक्तियां ले रही है। मैं नहीं समझता कि नवीन धारा ३४ के अधीन किसी इमानदार व्यक्ति को जो अपने लेखे ठीक-ठीक पेश करता है, कभी परेशान किया जायेगा। अतः मैं कोई भी संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता।

†**सभापति महोदय** : क्या मैं इन संशोधनों को सभा के मतदान के लिये रख सकता हूं ?

†**श्री बंसल** : आप इनको अस्वीकृत हुआ मान लीजिये।

†**सभापति महोदय** : माननीय सदस्य को ऐसा नहीं कहना चाहिये। इसमें सभा पर कटाक्ष होता है।

†**श्री बंसल** : मैं कटाक्ष नहीं करना चाहता। मेरा तात्पर्य यह था कि जब माननीय मंत्री इन्हें मानने को तैयार नहीं हैं तो .....

†**सभापति महोदय** : यदि वह मान भी लें तब भी सभा को उन पर मत तो देना ही है।

मेरे विचार में अध्यक्ष महोदय ने यहां से उठते समय यह कहा था कि वह इस सम्बन्ध में वित्त मंत्री से मिलकर बातचीत करेंगे। मुझे पता नहीं पीछे क्या हुआ है। यदि यह बात नहीं होती है तो मैं इन्हें सभा के मतदान के लिये रखता हूं अन्यथा मैं कुछ देर प्रतीक्षा कर सकता हूं।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : मुझे इससे ऐसा लगता है कि शायद अध्यक्ष महोदय मुझे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य देने के लिये कहना चाहते हों, किन्तु मैं यहां नहीं था।

†**सभापति महोदय** : आपकी अनुपस्थिति में श्री तुलसीदास तथा श्री एन० सी० चटर्जी आदि द्वारा यह सुझाव रखा गया था कि ये स्थाई धाराएं, स्थाई अधिनियम में, ये संशोधन शेष भाग से पृथक् रखे जायें। तब उन्होंने कहा था कि वह वित्त मंत्री से बात करेंगे। अगर यह बातचीत होनी हो तो मैं प्रतीक्षा करूं।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : क्या मुझे पता लग सकता है कि अध्यक्ष महोदय ने क्या कहा था ?

†**सभापति महोदय** : मैं उस समय सभा में था। उस समय एक औचित्य प्रश्न उठाया गया था। तब अध्यक्ष महोदय ने यह कहा था कि वह वित्त मंत्री से बातचीत करेंगे। वह इस बात से यह चाहते थे कि यदि सम्भव हो सके तो यह स्थाई धाराएं शेष विधेयक से पृथक् कर दी जायें।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सी० डी० देशमुख** : क्या वह यहां नहीं हैं ?

†**सभापति महोदय** : नहीं, खैर यह निश्चय है कि वह वित्त मंत्री से बात करना चाहते थे। हमारे लिये यही अच्छा होगा कि हम आधे घंटे के बाद, जब तक कि शायद वह आ जावें, इस खंड पर मतदान स्थगित करें। क्योंकि शायद उनकी बात से कुछ अच्छा परिणाम निकल आये। मैं खंड १८ को आधे घंटे के बाद लूंगा।

अब मैं खंड १९ को लेता हूं।

खंड १९—(धारा ३५ का संशोधन)

†**श्री तुलसीदास** : मुझे कई संशोधन रखने हैं।

†**सभापति महोदय** : सभा को यह ध्यान रखना चाहिये कि हमें ५ बजे तक यह सब खंड समाप्त कर लेने चाहियें। और फिर तृतीय वाचन के लिये केवल एक घंटा रखा गया है। इसमें चार अनुसूचियां हैं। अतः हमें जल्दी करनी चाहिये और मुख्तसर रहना चाहिये।

†**श्री तुलसीदास** : इस खंड में कुछ अवस्थाओं में पुनः करनिर्धारण का उल्लेख किया गया है। संशोधन में यह कहा गया है कि निर्धार्य को पुनः कर निर्धारण से पहले अपना पक्ष सिद्ध करने के लिये अवसर दिया जाना चाहिये और यदि किसी कम्पनी ने कर नहीं दिया है तो उसके निर्धारण के तीन वर्ष बाद उसके अंशधारियों को कर देने के लिये नहीं कहा जाना चाहिये। आयकर अधिनियम की धारा ३५ (८) को दोबारा लिखते समय कुछ सुरक्षाओं का उल्लेख छूट गया है जो कि अब तक करदाता को मिली हुई थीं। यह कहा गया है कि धारा ३४ के अनुषंग में इस धारा को दोबारा लिखा गया है क्या ऐसा करते समय पहले से उपलब्ध किसी अधिकार को समाप्त करना उचित है ? निर्धार्य के लिये अपील का यह अधिकार एक मौलिक अधिकार है। सरकार इसको किसी वस्तु की आनुषांगिकता में नहीं छीन सकती हैं। यह तरीका बिल्कुल गलत है। प्रायः ऐसा होता है कि निर्धारण वर्ष के तीन वर्ष पश्चात् भी कम्पनियों का निर्धारण चलता रहता है। शेयर होल्डर इस निर्धारण के पूरे होने के पश्चात् ही उसके करों को भुगताने का जिम्मेवार हो सकता है। वह केवल लाभांश की प्राप्ति के पश्चात् ही उसके कर देने का जिम्मेवार नहीं हो सकता है। अन्यथा कई कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। जैसे कम्पनी का कर निर्धारण पूरा न होने पर भी इस विधेयक के अनुसार आयकर अधिकारी अंशधारियों के लाभांश का कुछ भाग रोक सकता है। कम्पनी की कुल राशि का निश्चय हुए बिना भी यह हो सकता है। यह एक विचित्र स्थिति होगी। कम्पनी कर देने के लिये तैयार होगी परन्तु फिर भी अंशधारियों के लाभांश में कटौती की जा रही होगी। अतः मेरा यह निवेदन है कि तीन वर्ष की यह अवधि कर निर्धारण की पूर्ति के पश्चात् गिननी चाहिये न कि जिस दिन से कम्पनी अपना लाभांश वितरित कर दे।

पहले परन्तुक के अनुसार सरकार किसी कम्पनी के कर को पुनः राशिकृत कर सकती है और वितरित लाभ में से लिये जाने वाले कर की राशि को अवितरित लाभ की राशि में से निकाल सकती है। यह बात ठीक है। किन्तु यह सन्देहास्पद हो सकता है कि वास्तव में कितना लाभ बांटा गया है। मान लीजिये कोई कम्पनी पिछले कर-मुक्त लाभों को बांट देती है और आयकर अधिकारी उनको पिछले ऐसे लाभों में शामिल कर लेता है जिन पर कि छूट मिल चुकी है और उसी के अनुसार उस पर करनिर्धारण कर देता है। अब क्या कम्पनी को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का मौका नहीं दिया जाना चाहिये।

इन सभी खंडों में पुनः राशिकरण के कारण निर्धारण की देयता बढ़ जाती है। अतः उसकी सुनवाई होना बड़ा आवश्यक है। मेरे संशोधनों में यही बातें कही गई हैं। संशोधन १०५ में मैंने यह कहा है

†मूल अंग्रेजी में

[श्री तुलसीदास]

कि निर्धार्य को अपील का अधिकार देना चाहिये और उस अधिकार की रक्षा होनी चाहिये। मैंने यह संशोधन राजस्व को हानि पहुंचाने के लिये नहीं रखा है। मैं केवल यही चाहता हूं कि उसकी सुनवाई हो।

मैं अब संशोधन संख्या ३८, ३९, १०३, १०४ और १०५ का प्रस्ताव करता हूं।

†**सभापति महोदय** : अब ये संशोधन सभा के सामने हैं।

†**श्री एम० सी० शाह** : जहां तक तीन वर्ष की अवधि का प्रश्न है, मैं श्री तुलसीदास द्वारा बताई गई इस कठिनाई को पूरी तरह महसूस करता हूं कि हो सकता है कि करनिर्धारण पूर्ण न हो। अतएव ऐसे मामलों में हम निदेश जारी कर देंगे कि निर्धारण पूरा होने के पश्चात् इसे कार्यान्वित किया जाये। परन्तु वर्तमान परिस्थिति यह है कि इसकी बहुत कम सम्भावना प्रतीत होती है कि निर्धारण तीन वर्ष में पूरा न हो। फिर भी मेरे माननीय मित्र द्वारा बताई गई कठिनाई का निवारण करने के लिये यह निदेश जारी कर दिये जायेंगे।

†**श्री तुलसीदास** : इस कठिनाई का निवारण करने के लिये अधिनियम में ही उपबन्ध क्यों नहीं कर दिया जाता।

†**श्री एम० सी० शाह** : ऐसे मामले मुश्किल से एक या दो होंगे और ऐसे अपवाद स्वरूप मामलों के लिये इस प्रकार का संशोधन अधिनियम में सन्निहित नहीं किया जा सकता। लेकिन यह हम विश्वास दिलाते हैं कि यह निदेश दे दिया जायेगा कि इसे तब तक कार्यान्वित न किया जाये जब तक निर्धारण पूरा न हो जाये।

अब मैं संशोधन संख्या ३८ पर आता हूं। यह स्पष्ट रूप से उपबन्धित कर दिया गया है कि धारा ३५ की उपधारा (१) अपने वर्तमान रूप में उपधाराओं (८), (९) और (१०) के अन्तर्गत किये गये किसी भी सुधार पर लागू होगी, और उपधारा (१) के परन्तुक के अन्तर्गत, यदि उक्त सुधार का प्रभाव करनिर्धारण में वृद्धि हो जाना हो, तो करदाता को एक नोटिस भेजना होगा तथा आयकर अधिकारी द्वारा सुधार सम्बन्धी आदेश जारी करने से पूर्व करदाता को सुनवाई का अवसर देना होगा। संशोधन के प्रस्तावक द्वारा अपेक्षित लक्ष्य पहले ही विधि में उपबन्धित है। इसलिये संशोधन आवश्यक नहीं है। उनका लक्ष्य स्वयं धारा ३५ के पहले परन्तुक से पूरा हो जाता है।

संशोधन १०५ के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि धारा ३५ में निर्दिष्ट मामले ऐसे मामले नहीं हैं जिनमें कि कोई सिद्धान्त विवादास्पद होगा जिससे कि किसी उपबन्ध को अपील के लिये छोड़ दिया जाये। वे प्रत्यक्ष गलतियों के सुधार के मामले हैं अथवा अन्य धाराओं के अन्तर्गत, जिन्हें स्वयं अपील के बतौर लिया जा सकता है, आनुषंगिक प्रभाव देने वाले मामले हैं। इसलिये यहां अपील का उपबन्ध करने को कोई आवश्यकता नहीं है।

[**सभापति महोदय** द्वारा संशोधन संख्या ३८, ३९, १०३, १०४ तथा १०५ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"खंड १९ विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १९ विधेयक में जोड़ दिया गया।

---

†मूल अंग्रेजी में

खंड २०—(धारा ३७ के स्थान पर नई धारा का रखा जाना)

†**श्री तुलसीदास** : मैं संशोधन संख्या ४१, ४२, १०६, १०७ और १०८ का प्रस्ताव करता हूं।

†**श्री बंसल** : मैं संशोधन संख्या ७७ और ७८ का प्रस्ताव करता हूं।

†**श्री बंसल** : मेरे संशोधनों ७७ और ७८ में यह अपेक्षा की गई है कि आयकर पदाधिकारी को किन्हीं दस्तावेज़ों के पकड़ने और जब्त करने अथवा किसी भी इमारत में घुसने का अधिकार केवल तभी हो जब कि उसके पास कोई निश्चित सूचना हो और आयकर कमिश्नर की राय में दस्तावेजों का पकड़ना, जब्त करना अथवा इमारत के अन्दर घुसना लाभदायक हो। यदि यह सुरक्षण प्रदान न किया गया और आयकर पदाधिकारी को उपर्युक्त बातों के विषय में निर्बन्ध अधिकार प्रदान किये गये तो उनका दुरुपयोग होने की सम्भावना है।

यदि हम वित्त विधेयक में जो कि धन विधेयक है कुछ संशोधन करके आयकर अधिनियम में संशोधन करेंगे तो इसका प्रभाव यह होगा कि उन संशोधनों के सम्बन्ध में राज्य सभा का क्षेत्राधिकार समाप्त हो जायगा। यदि ये संशोधन किसी अन्य विधेयक द्वारा किये गये होते तो यह संशोधक विधेयक राज्य सभा को गया होता। किन्तु इस धन विधेयक के द्वारा ये संशोधन करके हम राज्य सभा को कोई मत व्यक्त करने से रोक रहे हैं। इसलिये इस बात पर भी विचार किया जाना चाहिये।

†**श्री एन० सी० चटर्जी** : मेरे संशोधन संख्या २६ और २७ वही हैं जो श्री बंसल के संशोधन संख्या ७७ और ७८ यदि आप पृष्ठ १२, पंक्ति २६ को देखें तो विदित होगा कि पहली बार यह असाधारण अधिकार आयकर पदाधिकारी को सौंपा जा रहा है। इस अधिकार के द्वारा वह केवल करदाता की में ही नहीं वरन् किसी भी इमारत में घुस सकता है। हम इन संशोधनों के ज़रिये केवल यह परित्राण उपबन्धित कर रहे हैं कि आयकर पदाधिकारी को दिये गये अधिकार महज़ संदेह होने पर ही प्रयुक्त न किये जाकर निश्चित सूचना होने पर प्रयुक्त हों।

आप जानते हैं कि कुछ मामलों में बड़ी असाधारण बातें हुई हैं। मुझे एक मामले के सम्बन्ध में ज्ञात है जो दो कम्पनियों के बारे में था। यद्यपि यह था दो कम्पनियों के बारे में तथापि ४० या ५० फर्मों के खाते के लिये गये और उनका सारा व्यापार दो वर्ष के लिये चौपट हो गया। इसलिये हमने कुछ परित्राण का संशोधन दिया है जो न्यूनतम परिणाम है। इससे आयकर पदाधिकारियों के अधिकारों का प्रयोग सीमित, संयमित और विवेकपूर्ण ढंग से होगा।

†**श्री तुलसीदास** : मैं समझता हूं कि किसी भी अन्य देश में आयकर अधिकारियों को इतने वृहत अधिकार प्राप्त नहीं हैं जितने इस विधेयक के अनुसार उन्हें इस देश में दिये जा रहे हैं। इंग्लैण्ड में एक वर्ष पूर्व इस विषय पर विस्तारपूर्वक विचार किया गया था। यह विषय लाभ और आय पर करारोपण के लिये नियुक्त किये गये रायल कमीशन ने यह राय व्यक्त की है कि इंस्पेक्टर को किसी व्यापारिक कार्यालय में जाने और उसके दस्तावेज़ों की जांच करने का अधिकार नहीं होना चाहिये। इसी प्रकार अमेरिका ने आयकर पदाधिकारी को तलाशी लेने से पूर्व न्यायपालिका की अनुमति लेनी पड़ती है। भारत में भी इस समय इसके लिये जिलाधीश की आज्ञा लेनी पड़ती है। लेकिन मैं इसका कोई कारण नहीं देखता कि यह अधिकार अब उससे क्यों लिया जा रहा है।

यह भी आवश्यक है कि जब इस प्रकार की जांच की जाये तो कमिश्नर की स्वीकृति महज़ औपचारिक न हो। कमिश्नर प्रत्येक मामले पर विचार करके देखे कि क्या उसमें कम कड़ाई से काम नहीं चल सकता। मुझे मालूम है कि इस प्रकार के परित्राण किसी काम के नहीं होते। कुछ मामलों

†मूल अंग्रेजी में

[श्री तुलसीदास]

में यह एक नित्य-कर्म सा बन जाता है और कमिश्नर बिना कुछ देखे भाले आयकर पदाधिकारी को अनुमति दे देता है। मेरा कहना केवल इतना ही है कि इन अधिकारों का दुरुपयोग न होने देने के लिये पर्याप्त परित्राण होने चाहिये।

†**श्री टी० एस० ए० चेट्टियार** : इस विधेयक के अन्तर्गत आयकर पदाधिकारियों को जो अधिकार दिये जा रहे हैं वे वास्तव में खतरनाक हैं। सदन को यह बात तय करनी चाहिये कि ये अधिकार दिये जायें या नहीं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के संशोधन वित्त विधेयक पर चर्चा करते समय सरकार के लिये प्रस्तुत करना बहुत अनुचित है। हमें अच्छी प्रथाएं कायम करनी चाहिये। वित्त विधेयक पर विचार करते समय आयकर अधिनियम में इस प्रकार के सारभूत संशोधन करना अच्छी प्रथा कायम करना नहीं है।

खंड २ में यह कहा गया है कि सन् १८९८ के दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुबन्ध, इस धारा के अन्तर्गत की गई तलाशो के सम्बन्ध में लागू होंगे। यह बहुत वृहत अधिकार है और दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार इसके प्रयोग का क्या परिणाम होगा यह मैं नहीं जानता। इसी प्रकार उपखण्ड (३) में भारतीय दण्ड विधान का निर्देश किया गया है। मेरा कहना है कि इतना बड़ा अधिकार देने वाले उपबन्ध के लिये कुछ परित्राण होना बहुत आवश्यक है। यहां केवल यह परित्राण है कि इस सम्बन्ध में उसे कमिश्नर से अधिकार प्राप्त होना जरूरी है। मेरी समझ में यह काफी नहीं है। मेरा सुझाव है कि इस प्रकार के मामले वित्त विधेयक के क्षेत्र में नहीं लाये जाने चाहियें।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : माननीय सदस्यों ने यहां जो प्रश्न उठाया है, उसके सम्बन्ध में मैं आपके समक्ष कुछ विचार रखना चाहता हूं। जहां तक संशोधन के गुण दोषों का सम्बन्ध है, इसका उत्तर मेरे सहयोगी देंगे।

माननीय सदस्यों ने शिकायत की कि हम इस खण्ड के सम्बन्ध में जल्दबाज़ी कर रहे हैं। मैं जल्दबाजी की कोई बात नहीं देख रहा हूं। हमने खण्ड १८ पर सविस्तार चर्चा की तथा अब इस खण्ड पर भी सविस्तार चर्चा कर रहे हैं।

मैंने आज प्रातः संविधान के अनुच्छेद ११०, विशेषकर उसके उपखंड (क) की ओर निर्देश किया है। मैं सभा को याद दिलाऊं कि जब हमने १९५३ का आयकर (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत किया तो अध्यक्ष ने इसे धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किया। आपको शायद याद होगा कि उस संशोधक विधेयक में प्रक्रिया सम्बन्धी कई बातें थीं। परन्तु हमारी राय है कि यदि इन खंडों का विश्लेषण किया जाये तो पता चलेगा कि इनका किसी कर के आरोपण, उत्साहन, परिहार अथवा परिवर्तन अथवा अन्तिम विनियमन से निकट का सम्बन्ध है। यह एक वास्तविकता है कि वसूल की गई कर की राशि केवल कर की दरों पर ही निर्भर नहीं होती। यह इस बात पर भी निर्भर है कि यह किस व्यक्ति पर लगाया जा रहा है, कितनी राशि पर लगाया जा रहा है, यह आगणन के ढंग तथा वसूली प्रक्रिया पर भी निर्भर होती है।

दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूं यह है कि यह कोई असामान्य बात नहीं है जो हमने इस वर्ष अपनाई है। हम कई वर्षों में ऐसा करते रहे हैं, उदाहरणतः भारतीय वित्त अधिनियम, १९५० में इस प्रकार के तीन उपबन्ध थे, एक विलीनीकृत क्षेत्रों तथा भाग 'ख' राज्यों में आयों पर छूट देने के सम्बन्ध में था, दूसरा उन व्यक्तियों के आयकर वकीलों के रूप में काम करने की अनुमति देने से था जिन्होंने कि भाग 'ख' राज्यों में इस हैसियत से काम किया था, फिर एक और खण्ड था

†मूल अंग्रेजी में

जिसने आसाम उच्च-न्यायालय का क्षेत्राधिकार उन मामलों तक बढ़ा दिया जो कि मनीपुर तथा त्रिपुरा से प्रोद्भूत होते थे।

१९५१ के वित्त अधिनियम में गैर-निवासियों के कर निर्धारण के सम्बन्ध में खंड १७ (१) था जिसके स्थान पर १९५१ के भारतीय वित्त अधिनियम का वही खण्ड रखा गया।

१९५३ में मकान सम्पत्ति पर कर निर्धारण के सम्बन्ध में धारा ९ (२) का द्वितीय परन्तुक भारतीय वित्त अधिनियम, १९५३ की एक धारा के द्वारा पुरःस्थापित किया गया था। इसके पश्चात् स्वामिस्व अथवा साहित्यक तथा कलात्मक कार्यों की लिप्याधिकार फीस के कर निर्धारण के सम्बन्ध में धारा १२ (कक) निविष्ट की गई फिर छूट तथा उन्मुक्ति के सम्बन्ध में दूसरी धारा है जो कि पूर्णतः नई बनाई गई। परन्तुक (२) तथा धारा २४ (१) के नीचे स्पष्टीकरण १ तथा २ जो सट्टे की हानियों के सम्बन्ध में अनुतोष को सीमित करता था, भी समाविष्ट किया गया तथा अन्त में धारा ४९-क जो कि केन्द्रीय सरकार को दुहरे करारोपण के अनुतोष के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को हस्तक्षेप का अधिकार देता था, भी रखा गया।

अन्त में धारा ५६-क थी जो कि समवायों को कुछ विशिष्ट उद्योगों में विनियोजन के सम्बन्ध में अधिकर के बारे में अनुतोष देता था।

१९५४ में भारतीय वित्त विधेयक में एक खण्ड निविष्ट किया गया जो कि किन्हीं प्रतिभूतियों पर विदेशियों को ब्याज देने का उपबन्ध करता था। १९५५ के वित्त विधेयक में १७ खण्ड तथा कई उपखण्ड उसी प्रकार के थे जिस प्रकार के कि यहां हैं।

इन बातों को दृष्टि में रखते हुए कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता है कि सभा को एक ऐसी प्रक्रिया अपनाने के लिये कहा जा रहा है जोकि बिल्कुल अपूर्व है। वित्त विधेयक में जिन विभिन्न खण्डों को प्रस्तुत किया गया है उनके सम्बन्ध में मेरे पास विश्लेषण है परन्तु इस विस्तार में जाना आवश्यक नहीं। अभी यह खण्ड है जोकि हमने अभी पास नहीं की है। निस्संदेह खण्ड १८ कुछ ऐसी आयों पर कर लगाने में सहायक होगा जोकि वैसे छूट जातीं। जिस प्रकार के मामले हमारे विचार में हैं उनको दृष्टि में रखते हुए कर की अन्तर्ग्रस्त राशि काफी भारी है। इस समय तक वसूल की गई राशि ६ से ७ करोड़ रुपये तक है तथा हमें आशा थी कि हम इसी उपाय से ३ अथवा ४ करोड़ रुपये और वसूल कर सकेंगे।

वर्तमान खण्ड उन लोगों से कर वसूल करने के लिये आवश्यक है जिन्हें खण्ड १८ करारोपण के क्षेत्र के अन्तर्गत लाता है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि न हम कोई नई प्रक्रिया अपना रहे हैं और न ही इसे पास कराने में जल्दबाज़ी कर रहे हैं। सभा की यह परम्परा है तथा हम यह मान् चुके हैं कि वित्त विधेयक के सम्बन्ध में यह कायदा नहीं कि पहले यह प्रवर समिति को सौंपा जाये तथा फिर इस पर सभा में चर्चा हो जाये।

†**श्री तुलसीदास :** मैं संशोधन संख्या ४० का प्रस्ताव करता हूं।

†**श्री एम० सी० शाह :** मुझे अधिक कुछ नहीं कहना है। यदि श्री चटर्जी का संशोधन स्वीकार कर लिया जाये तो यह परन्तुक कार्यान्वित नहीं किया जा सकेगा। वास्तव में हम कोई निश्चित सूचना निर्धारित नहीं कर सकते। दण्ड प्रक्रिया संहिता में ऐसा नहीं है। जहां तक दण्ड प्रक्रिया संहिता में परित्राणों का प्रश्न है, वे परित्राण वहां मौजूद हैं, नामतः गवाहों, तालिका तथा अन्य चीजों का रखा जाना। इसलिये संशोधन को स्वीकार करना सम्भव नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री एम० सी० शाह]

जहां तक मुझे मालूम है, इस प्रकार के अधिकार बिक्री कर के प्रशासन के सम्बन्ध में हैं । सन् १९५१ में जबकि आयकर अधिनियम को संशोधित करने का विधेयक हमने प्रस्तुत किया था; उसमें भी इस प्रकार का उपबन्ध था, किन्तु यह अंतःकालीन संसद् थी और इसलिये विधेयक व्यपगत हो गया । फिर, आयकर जांच आयोग को भी यह अधिकार प्राप्त था । मैं कह सकता हूं कि लोगों द्वारा आयकर से बचने के लिये दो प्रकार के बहीखाते रखे जाने पर इससे रोक लगेगी । यह अधिकार बहुत कम प्रयोग किया जायेगा, आयकर जांच आयोग द्वारा भी इस अधिकार का प्रयोग केवल दो मामलों में किया गया था । सदन को यह जान कर दिलचस्पी होगी कि ऐसे भी करदाता हैं जो आय कर जांच आयोग के सम्मुख पेश बहीखातों की चोरी करवा देते हैं । इसलिये हमें कुछ वर्ग के लोगों से व्यवहार करना है और जब हम ऐसे लोगों से व्यवहार करते हैं तो हमारे पास अधारण अधिकार होना आवश्यक है । किन्तु प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने पर कमिश्नर पहले यह स्वयं निश्चित कर लेगा कि इस प्रकार के अधिकार का प्रयोग किये जाने का उचित कारण है या नहीं । कमिश्नर बहुत जिम्मेवार व्यक्ति होता है और एक आयकर डिवीजन का प्रधान होता है जिससे कि ५० करोड़ रुपये की आमदनी होती है । जब ऐसी कोई चीज़ उसके सामने पेश होगी तो निश्चय ही उस पर वह गौर करेगा । इस अधिकार का प्रयोग बहुत कम किया जाएगा किन्तु इससे उस प्रवृत्ति पर रोक लगेगी जिसके अन्तर्गत लोग आयकर से बचने के लिये कई बहीखाते रखते हैं । इसलिये यह विधेयक का सबसे महत्वपूर्ण खण्ड है ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या १०६, ७७, ७८, ४०, ४१, १०७, ४२, और १०८ मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"खण्ड २० विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २० विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड २१—(धारा ३८ का संशोधन)

†**श्री तुलसीदास :** मैं अपने संशोधन संख्या १०९, ११० और १११ का प्रस्ताव करता हूं ।

संशोधन द्वारा यह चाहा गया है कि शक्तियों का प्रयोग नामांकित निर्धार्य के निर्धारण के सम्बन्ध में आयकर अधिकारी द्वारा किया जाये ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

वर्तमान खण्ड केवल निर्धार्य से ही सम्बन्धित नहीं है वरन् एक तीसरे व्यक्ति से । जांच का विषय निर्धार्य के सम्बन्ध में है, किसी तीसरे व्यक्ति के नहीं । इस धारा के अन्तर्गत प्रस्तावित जांच केवल निर्धार्य से सम्बन्धित मामलों से सम्बन्धित है अन्य व्यक्तियों में नहीं । उदाहरणार्थ एक कैंकर के मामले में जांच उसके एक ग्राहक तक ही सीमित रहनी चाहिये, उसके अन्य ग्राहकों को उसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिये । मेरा सुझाव है कि उपखण्ड में "नामांकित निर्धार्य" शब्द सम्मिलित करके यह स्पष्ट कर देना चाहिये ।

दूसरी बात यह है कि पूरे आय कर अधिनियम में प्रत्यक्ष शक्तियां अनन्यतः आयकर अधिकारियों को दी गई हैं । यही एकमात्र धारा है जिसमें सहायक आयुक्त को प्रत्यक्ष शक्तियां दी गई हैं । सत्ता की इस द्वैधता से कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं । इसलिये मैं चाहता हूं कि इस उपखण्ड में से "सहायक कमिश्नर" शब्द निकाल दिये जायें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री एम० सी० शाह** : मुझे दुख है कि हम इन संशोधनों को स्वीकार नहीं कर सकते।

सहायक कमिश्नर की भी अपनी शक्तियां हो सकती हैं। उसको उनसे वंचित क्यों रखा जाये? जब वह विशेष बैंकों अथवा बहुत से लोगों के खातों या उनकी स्थिति के सम्बन्ध में जानकारी चाहता तब उसके लिये उन शक्तियों का होना आवश्यक होगा। 'क' का मामला जानने के लिये 'ख' और 'ग' के खाते देखना आवश्यक हो सकता है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि 'क' ने अपनी कुछ आस्तियां 'ख' और 'ग' को हस्तान्तरित कर दी हों। हम इन शक्तियों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग करने जा रहे हैं परन्तु आवश्यकता पड़ने पर ही। जब वैसा करना अत्यन्त आवश्यक होगा तभी उसका प्रयोग किया जायगा। मैं नहीं समझता कि यह जानने के लिये कि 'क' ने कुछ छिपाया तो नहीं है दूसरों के खाते देखने में क्या आपत्ति है।

†**श्री टी० एस० ए० चेट्टियार** : मैं खंड २० के सम्बन्ध में एक प्रश्न उठाना चाहता हूं जो मैंने मध्यान्ह पूर्व में उठाया था।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह एक बार उठाया जा चुका है और मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री को उसके सम्बन्ध में सूचित कर दिया गया है। मैं उनसे उत्तर देने के लिये कहूंगा।

†**श्री टी० एस० ए० चेट्टियार** : वित्त मंत्री ने यह कहा था कि पिछले वर्षों में वित्त विधेयक में ऐसे उपबन्ध किये गये थे।

†**अध्यक्ष महोदय** : कोई भी प्रश्न किसी भी समय उठाने से क्या लाभ है; इस समय हम खण्ड २१ पर हैं। किसी अन्य खण्ड के सम्बन्ध में बोलने का क्या अर्थ है।

†**श्री तुलसीदास** : उन पर मतदान किया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : बहुत अच्छा मैं खण्ड २१ के संशोधन पर मतदान लूंगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री तुलसीदास के संशोधन संख्या १०९, ११० और १११ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २१ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २१ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड ४, ७ और १८

†**अध्यक्ष महोदय** : अब हम खंड ४, ७ और १८ पर विचार करेंगे जिनको पहले छोड़ दिया गया था।

†**श्री टी० एस० ए० चेट्टियार** : मैं यह कह रहा था कि वित्त विधेयक में केवल वे ही उपबन्ध सम्मिलित किये जाने चाहियें जो अगले वर्ष के लिये वित्त के उपबन्ध का निर्देश करते हों और आय-कर अधिनियम में सामाय संशोधन एक पृथक् विधेयक में लाये जाने चाहियें ताकि लोक-सभा उन पर अच्छी तरह विचार कर सके। यदि पिछले वर्षों में वैसा होता आया है तो वह ठीक नहीं है। मेरा सुझाव है कि आयकर अधिनियम के संशोधन एक पृथक् विधेयक में लाये जायें ताकि उन पर उचित ढंग से विचार किया जा सके।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : मैंने अभी-अभी कुछ विचार व्यक्त किये थे और मैं उन्हीं को दुहराऊंगा। मैंने कहा था कि जब हम ने १९५३ का आयकर (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत किया था, जिसमें

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सी० डी० देशमुख]

धन सम्बन्धी बातें थी, तो एक प्रक्रिया सम्बन्धी प्रश्न उठाया गया था और अध्यक्ष महोदय ने उसको एक धन विधेयक प्रमाणित किया था। मुझे दुःख है कि मैं पहले अवसर पर अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गए निर्णय पर आपत्ति नहीं कर सकता और न मैं उस प्रक्रिया से सहमत होने के लिये संसद् को विद्वता पर ही शक कर सकता हूं। इस सम्बन्ध में विचार करना लोक-सभा का काम है कि क्या किसी अन्य प्रक्रिया का अनुसरण किया जाना चाहिये। मैं यह भी कहूंगा कि वसूल किया गया कर केवल करों की दरों पर निर्भर नहीं करता, वह कर लगाये जाने वाले व्यक्तियों, कर लगाई जाने वाली आयों, आय की संगणना के तरीके और करों की वसूली की प्रक्रिया पर भी निर्भर करता है, यदि वित्तीय वर्ष के प्रस्तावों को पूर्णतः लागू करना हो।

रोक लिये गये खंडों—खंड ४, ७ और ८ का निर्देश किया गया। हम विचार करेंगे कि क्या ये केवल प्रक्रिया सम्बन्धी बातें हैं अथवा वे करयोग्यता के मूल तक जाती हैं। खण्ड ४ को लीजिये वह विदेशी प्रविधिज्ञों को छूट देता है। मैं नहीं कह सकता आप यह कैसे कह सकते हैं कि यह करारोपण से सम्बन्धित नहीं है। इसको मूलतः गत वर्ष अधिनियम के द्वारा पुरःस्थापित किया गया था। हम जो कर रहे हैं वह केवल उसका संशोधन नहीं है। यह कहना अनुचित होगा कि इस वर्ष हमें इस संशोधन पर विचार नहीं करना चाहिये जब तक कि वह एक अलग विधेयक के रूप में न आये जबकि गत वर्ष हम उसके पुरःस्थापन के लिये सहमत हो गये थे।

†**श्री ए० एम० थामस** (एरुणाकुलम्) : क्या उन्होंने बजट प्रस्तावों में उस धनराशि का कोई ध्यान रखा है जो बन्द हुए लेनदेनों के पुनः खोल देने से मिलेगी ?

†**श्री सी० डी० देशमुख** : मैं बजट प्रस्तावों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं धन विधेयकों की बात कर रहा हूं। धन विधेयक बनाते समय में की जाने वाली उगाहियों से यथासंभव या अच्छे से अच्छा अनुमान करता हूं। कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सही अनुमान करना संभव नहीं होता और यह उनमें से एक है। मैं आय का परित्राण कर रहा हूं। उस नई धारा के अन्तर्गत कितने मामले फिर से खुलेंगे अथवा पुनरीक्षित किये जायेंगे ? मैं नहीं कह सकता। परन्तु मैं कह चुका हूं, जब अध्यक्ष महोदय यहां उपस्थित नहीं थे, कि आयकर जांच आयोग के प्रयत्नों के परिणामस्वरूप ६-७ करोड़ रुपये वसूल किये जा चुके हैं और ३-४ करोड़ रुपये और वसूल कर की आशा कर रहे हैं। इसमें से कितना पूरा हो जायेगा यह कहना मेरे लिये सम्भव नहीं है। जैसे भी हो, आप इतना ही कह सकते हैं कि मैंने आय के प्राक्कलन के सम्बन्ध में गलती की है। इससे यह सिद्ध नहीं होता कि इस प्रकार का उपबन्ध अनावश्यक है।

फिर खंड ७ को लीजिये। वह प्रारम्भिक अवमूल्यन छूट पर रियायत वापस ले लेता है। यह भी वित्त अधिनियम, १९५५ में किये गये विकास छूट के उपबन्ध के पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप है। इसी तरह खण्ड ७ (ख) १९५५ के वित्त अधिनियम द्वारा लागू किये गये पुरस्कारों पर कर के पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप है। यह एक अन्य दृष्टान्त है जिसमें आय की हानि का अनुमान लगाना प्रायः असम्भव है।

खण्ड १८ का निर्देश मैं पहले ही कर चुका हूं। उस पर विस्तारपूर्वक चर्चा की जा चुकी है केवल इसलिये कि हमारे यहां प्रवर समिति नहीं है। कोई कारण नहीं है कि हम इसको धारा ११० के अन्तर्गत धन विधेयक का अंग न मानें और कोई कारण नहीं है कि हम एक ऐसे अभ्यास का अनुसरण न करें जो अच्छी तरह जम चुका हो।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : जब यह मामला उठाया गया था मंत्री जी, उपस्थित नहीं थे। मैंने कुछ विचार व्यक्त किये थे। जब कभी भी इस विधेयक के उपबन्धों को अलग करना संभव हो तो उनको वित्त विधेयक से पृथक् वर्तमान अधिनियमों में संशोधनों के रूप में लाया जा सकता है। परन्तु यदि वे विधेयक के अन्य उपबन्धों से बहुत निकटतया सम्बन्धित हों तो उन्हें एक साथ ही लाया जा सकता है। यह वैधता का प्रश्न नहीं है वरन् औचित्य का प्रश्न है। ऐसा करने से लोक-सभा के सदस्य उन पर अधिक अच्छी तरह विचार कर सकेंगे। मैंने इतना ही सुझाव दिया था।

मैंने अभी तक यह विचार नहीं किया कि जहां तक उपबन्धों का सम्बन्ध है वे उससे निकटतया सम्बन्धित हैं अथवा पृथक् किए जा सकते हैं ? मैंने इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : आपने जो पूछा मैं उस पर आपत्ति नहीं कर रहा हूं। यदि एक पृथक् आयकर संशोधन विधेयक लाने का पर्याप्त आधार होता तो मैं निश्चय ही ऐसा विधेयक प्रस्तुत करता और यह तथ्य कि वह भी एक संशोधन विधेयक होगा, एक पृथक् वित्त विधेयक न होने का कोई कारण नहीं है। मैं इसे समझता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं खण्ड ४ के संशोधनों पर मतदान लूंगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १, २९ और ३० मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ४ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ४ विधेयक में जोड़ दिया गया।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं खण्ड ७ के संशोधन पर मतदान लूंगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ३१ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ७ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ७ विधेयक में जोड़ दिया गया।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं खण्ड १८ के संशोधनों पर मतदान लूंगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या २२, ३६, ७२, १०१, २३, ७४, २४ (जो ७५ के समान है); १०२, ३७ व २५ (जो ७६ के समान है) मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १८ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १८ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड २२ और २३ विधेयक में जोड़ दिये गये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

खण्ड २४—(धारा ५८ का संशोधन)

संशोधन किया गया : पृष्ठ १४, पंक्ति १८ से २१ तक—

निम्नलिखित शब्द हटा दिये जायें :

"and for the words, brackets and letters 'clauses (a) and (b)', the words, brackets and letters 'clauses (a), (a a) and (b)' shall be substituted."

['खण्ड (क) और (ख)' शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर 'खण्ड (क), (क क) और (ख)' शब्द कोष्ठक और अक्षर रख दिये जायेंगे"।]

—[श्री एम० सी० शाह]

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड २४, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २४, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड २५ से २९ तक विधेयक में जोड़ दिये गये।

नया खण्ड २९क

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अरुण चन्द्र गुह)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ १५ में पंक्ति तीन के पश्चात् निम्नलिखित रखा जाये :

"29A. **Additional duty of customs on spirits other than denatured spirit**—In the case of good chargeable with a duty of customs under Item No. 22 (4) of the First Schedule to the Tariff Act, or under that Schedule read with any notification of the Central Government for the time being in force, there shall, on and from the 1st day of April, 1956 and up to the 31st day of March, 1957; be levied and collected as an addition to, and in the same manner as, the total amount so chargeable, a sum equal to 155 per cent of such amount."

["२९क. **विप्रकृत स्पिरिट के अतिरिक्त अन्य स्पिरिटों पर अतिरिक्त सीमा शुल्क**—प्रशुल्क अधिनियम की प्रथम अनुसूची की मद संख्या २२ (४) के अन्तर्गत अथवा उस अनुसूची के साथ तत्समय लागू केन्द्रीय सरकार की किसी अधिसूचना के साथ पढ़ते हुए उस अनुसूची के अन्तर्गत सीमा-शुल्क वसूल की जाने वाली वस्तुओं के मामले में १ अप्रैल, १९५६ को और से और ३१ मार्च, १९५७ तक इस तरह वसूली योग्य कुल धनराशि के अतिरिक्त उसी तरीके से ऐसी धनराशि के १५५ प्रतिशत के बराबर धनराशि वसूल की जा सकेगी।"]

यह संशोधन पृष्ठ १५ में, पंक्ति १० में एक मुद्रण की गलती के कारण है जिसमें यह कहा गया है :

"a sum equal to 55 per cent of such amount, in the case of goods comprised in Item No. 22 (4);"

["मद संख्या २२ (४) में सम्मिलित वस्तुओं के मामले में ऐसी धनराशि के ५५ प्रतिशत के बराबर धनराशि"]

---

†मूल अंग्रेजी में

यह १५५ प्रतिशत होना चाहिये था। यह विप्रकृत स्पिरिट के अतिरिक्त, अन्य स्पिरिटों पर अधिभार महसूल है और ब्रांडी, जिन, व्हिस्की आदि पर वसूल किया जाता है। यह महसूल १५५ प्रतिशत होना चाहिये था और यही वर्तमान दर है। इस अभागी मुद्रण की गलती के कारण स्थिति बड़ी खराब हो गई है। हमने विधि मंत्रालय से परामर्श किया है और श्रीमान् आप से तथा लोक-सभा सचिवालय से भी। केवल मुद्रण की गलती के सुधार से इस गलती के समस्त आनुषंगिक प्रभाव नहीं सुधार सकते थे। इसलिये, विधि मंत्रालय और श्रीमान आपके परामर्श से हमने यह संशोधन प्रस्तुत किया है। अगले खण्ड में भी कुछ आनुषंगिक संशोधन होंगे। मैं आशा करता हूं कि यह संशोधन लोक-सभा द्वारा स्वीकार किया जायेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ १५ में पंक्ति ३ के पश्चात् निम्नलिखित रखा जाये :

"29A. **Additional duty of customs on spirits other than denatured spirit.**— In the case of good chargeable with a duty of customs under Item No. 22 (4) of the First Schedule to the Tariff Act, or under that Schedule read with any notification of the Central Government for the time being in force, there shall, on and from the 1st day of April, 1956 and up to the 31st day of March, 1957, be levied and collected as an addition to, and in the same manner as, the total amount so chargeable, a sum equal to 155 per cent of such amount."

["**२९क. विप्रकृत स्पिरिट के अतिरिक्त अन्य स्पिरिटों पर अतिरिक्त सीमा शुल्क**—प्रशुल्क अधिनियम की प्रथम अनुसूची की मद संख्या २२(४) के अन्तर्गत अथवा उस अनुसूची के साथ तत्समय लागू केन्द्रीय सरकार की किसी अधिसूचना के साथ पढ़ते हुए उस अनुसूची के अन्तर्गत सीमा शुल्क वसूल की जाने वाली वस्तुओं के मामले में १ अप्रैल, १९५६ को और से और ३१ मार्च, १९५७ तक इस तरह वसूली योग्य कुल धनराशि के अतिरिक्त उसी तरीके से ऐसी धनराशि के १५५ प्रतिशत के बराबर धनराशि वसूल की जा सकेगी।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खण्ड २९क विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड ३०—(अतिरिक्त सीमा-शुल्क)

संशोधन किये गये : (१) पृष्ठ १५—

१—पंक्ति १० और ११ हटा दी जायें; और

२—पंक्ति १२, १७, १९ और २३—"(b)" [ख], "(c)" [ग], "(d)" [घ] and "(e)" [ङ] के स्थान पर क्रमशः "(a)" [क], "(b)" [ख], "(c)" [ग] and "(d)" [घ] रख दिया जाये।

(२) पृष्ठ १५, पंक्ति २१ और २२—

"Specified in clauses (a), (b) and (c) of this section."

["इस धारा के खण्ड (क), (ख) और (ग) में निर्दिष्ट"] शब्दों के स्थान पर

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अरुण चन्द्र गुह]

"Specified in section 29A or in clauses (a) and (b) of this section."

["धारा २९क अथवा इस धारा के खण्ड (क) और (ख) में निदिष्ट"] शब्द रख दिये जायें।

—[श्री अरुण चन्द्र गुह]

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ३०, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ३०, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड ३१ से ३३ तक विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड ३४—(पहिली अनुसूची का संशोधन)

†**श्री एन० बी० चौधरी** (घाटल) : मैं संशोधन संख्या १०, ११ और १७ का प्रस्ताव करता हूं।

†**श्री ए० एम० थामस** : मैं संशोधन संख्या ८४ का प्रस्ताव करता हूं।

†**श्री अच्युतन** (क्रेंगनूर) : मैं संशोधन संख्या ८३ का प्रस्ताव करता हूं।

†**श्री तुलसीदास** : मैं संशोधन संख्या ११४ का प्रस्ताव करता हूं।

†**श्री टी० एस० ए० चेट्टियार** : मैं संशोधन संख्या ८१, ८६, ८७ का प्रस्ताव करता हूं।

†**श्री विश्वनाथ रेड्डी** (चित्तूर) : मैं संशोधन संख्या ११६, ११७ और ११८ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री के० सी० सोधिया** (सागर) : मैं संशोधन संख्या ११२ का प्रस्ताव करता हूं।

†**श्री श्रीनारायण दास** (दरभंगा मध्य) : मैं संशोधन संख्या ११३ का प्रस्ताव करता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं उक्त सभी संशोधनों को सभा के सम्मुख प्रस्तुत करता हूं। अब श्री एन० बी० चौधरी अपना भाषण प्रारम्भ कर सकते हैं, मुझे बताया गया है कि संशोधन संख्या ११७ में कुछ गलती है। मैं देखूंगा कि वह संशोधन नियमानुकूल है अथवा नहीं।

†**श्री एन० बी० चौधरी** (घाटल) : मेरे संशोधन संख्या १० और ११ का उद्देश्य मोटे कपड़े पर उत्पादन शुल्क लगाने का विरोध करना है। प्रति वर्ष आप कपड़े पर उत्पादन शुल्क बढ़ाते जा रहे हैं इस वर्ष सरकार इस शुल्क से १४·५ करोड़ रुपये प्राप्त करना चाहती है। खाद्यान्न तथा खाद्य तेलों के दाम बढ़ गये हैं इसके साथ ही यदि मोटे कपड़े के दाम भी बढ़ गये तो गरीब व्यक्तियों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। हमारे देश में प्रति व्यक्ति कपड़े की खपत बहुत कम है इसलिये हमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में न केवल उत्पादन ही बढ़ाना है अपितु लोगों को अधिक कपड़ा खरीदने के लिये प्रोत्साहित भी करना है। इसलिये मोटे कपड़े पर उत्पादन शुल्क लगाना उचित नहीं है।

संशोधन संख्या १७ में मैंने खाद्य तेलों अथवा निर्गन्ध तेलों पर उत्पादन शुल्क लगाने का विरोध किया है। पश्चिमी बंगाल में सरसों या नारियल के तेल का बहुत व्यवहार किया जाता है किन्तु वहां यह तेल बहुत कम पैदा होता है। अतः हमें अन्य राज्यों से होने वाले आयात पर ही निर्भर रहना होता है। इस उत्पादन शुल्क का परिणाम यह होगा कि उत्तर प्रदेश इत्यादि के मिल मालिक तेल के

†मूल अंग्रेजी में

भाव चढ़ा देंगे और हमें तेल मिलना दुर्लभ हो जायेगा। यह कहा गया है कि विद्युत् शक्ति इत्यादि का प्रयोग न करने वालों और १२५ टन प्रति वर्ष से कम उत्पादन करने वाले उत्पादकों पर यह शुल्क नहीं लगेगा। यद्यपि यह हिसाब लगाया गया था कि उक्त शुल्क से ३ रुपये प्रतिमन से अधिक दाम नहीं बढ़ेंगे किन्तु वस्तुतः तेल के मूल्य २५ रुपये मे ३० रुपये प्रति मन तक बढ़ गये हैं। इसका कारण यह है कि बड़े उत्पादक तथा बीच के आढतिये इस शुल्क की आड़ में लाभ कमा रहे हैं और इस प्रकार स्थिति से फायदा उठा रहे हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि कम से कम खाद्य तेलों में यह शुल्क न लगाया जाये।

†**श्री ए० एम० थामस** : मुझे दुःख है कि वित्त मंत्री ने इतने आग्रह के पश्चात् भी खाद्य तेलों पर से उत्पादन शुल्क नहीं हटाया विशेषतः नारियल के तेल पर से। मेरा संशोधन वस्तुतः नारियल के तेल पर से उत्पादन शुल्क हटाने से सम्बन्ध रखता है।

लोक-सभा को यह भी ज्ञात होना चाहिये कि हमारा देश नारियल के तेल के सम्बन्ध में स्वावलम्बी नहीं है। हम प्रति वर्ष बाहर से भी बहुत सा नारियल का तेल मंगाते हैं। यदि इस सम्बन्ध में खाद्य और कृषि मंत्रालय की राय ली जाती तो वे कभी सहमत नहीं होते क्योंकि उक्त मंत्रालय के सचिव स्वयं भारत की केन्द्रीय नारियल समिति के अध्यक्ष हैं। इस शुल्क से सभी वर्गों—नारियल उगाने वालों तथा नारियल के तेल के उपभोक्ताओं को कष्ट होगा। विशेषतः केरल के लोगों को, जो नारियल के तेल का ही उपयोग करते हैं और जिनकी आय भी बहुत कम है, बहुत कठिनाई होगी। त्रावणकोर-कोचीन के वित्त मंत्री के अनुसार वहां १००० परिवारों में से २९४ परिवारों की आय ५० रुपय से भी कम है और वे खाने तथा सर में लगाने इत्यादि के लिये नारियल के तेल का ही उपयोग करते हैं। इस पर शुल्क लगने से उपभोवता लोगों पर बहुत भार पड़ेगा। ऐसा ज्ञात होता है कि इस सम्बन्ध में वित्त मंत्री ने, कर जांच आयोग पर विश्वास किया है, जिसने अपने प्रतिवेदन में संकेत दिया है कि अब खाद्य तेलों पर कर लगाने का समय आ गया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि इस पर बहुत कम कर लिया जाय। किन्तु वित्त मंत्री ने ७० रुपये प्रति टन शुल्क लगा दिया है। यह बहुत अधिक है।

वस्तुतः नारियल के तेल के उद्योग पर पहिले ही बहुत अधिक कर लग चुका है। नारियल पर बिक्री कर दो पैसा प्रति रुपया है, जो एक टन गोले के तेल बनाने के लिये ४५ रुपया २ आना हो जाता है। इस पर ४ आना प्रति हंड्रेडवेट भारत केन्द्रीय नारियल समिति को उप-कर देना पड़ता है, जो ८ रुपये पड़ता है इस प्रकार एक टन में ५३ रुपये २ आने कर देना पड़ता है इस पर यदि ७० रुपये और कर लगाया जायेगा तो इस उद्योग की हालत नाजुक हो जायेगी। शुल्क लगाने पर उत्पादन व्यय बढ़ जायेगा इससे नारियल उगाने वालों को मूल्य कम मिलेगा, परिणामस्वरूप उन्हें भी हानि होगी। १९५१ से नारियल के भाव गिरते गये हैं और वस्तुतः बहुत अस्थिर रहे हैं। मैं आंकड़ों द्वारा यह सिद्ध कर सकता हूं कि यदि यह कर लगाया जायेगा तो केरल के श्रमिक वर्ग की हालत पर बहुत खराब प्रभाव पड़ेगा। इस समय यह अवस्था है कि एलेप्पी में जो कि तेल पेरने का एक बड़ा केन्द्र है वहां ६२४ चकों में से २१९ ही चल रहे हैं। तब भला इस उप-कर लगने के बाद क्या स्थिति होगी? इसलिये मैं वित्त मंत्री से यह निवेदन करूँगा कि वह इस मामले पर पुनः विचार करें और इस पर कर न लगायें।

वित्त मंत्री ने लंका के नारियल के उद्योग का जिक्र किया है। वहां नारियल की खेती बागानों में की जाती है जब कि यहां बहुत छोटे पैमाने पर उसकी खेती होती है। इसलिये आयात पर शुल्क बढ़ा कर भी स्थिति में कोई मूर्त्त सुधार नहीं किया जा सकेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ए० एम० थामस]

जैसा कि मैं पहिले कह चुका हूं, इस कर का भार एक विशेष क्षेत्र में पड़ेगा जहां लोग बहुत गरीब हैं। अतः मैं वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह इस सूची में से नारियल के तेल को निकाल दें क्योंकि इस पर कर लगाना सभी दृष्टियों से अनुचित है।

†**अध्यक्ष महोदय** : हमें इस विधेयक पर ६ बजे तक चर्चा समाप्त कर देनी है—एक घंटा तृतीय वाचन के लिये नियत किया गया है। ठीक ५ बजे मैं मुख बंध लगा दूंगा।

†**श्री एन० सी० चटर्जी** : यह एक महत्वपूर्ण अनुसूची है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि सदस्यों की यह इच्छा है तो मैं इस पर चर्चा के लिये एक घंटे का समय और बढ़ा देता हूं। चाहे हम किसी भी स्थिति में हों चर्चा ६ बजने के १० मिनट पूर्व समाप्त हो जायेगी और १० मिनट तृतीय वाचन के लिये निश्चित रहेंगे। सदस्य कृपया संक्षेप में बोलें, क्योंकि कई सदस्य बोलने को इच्छुक हैं। श्री विश्वनाथ रेड्डी का संशोधन संख्या ११७ अनियमित घोषित कर दिया गया है क्योंकि उसमें एक नया कर लगाने का उपबन्ध है और नया कर बिना राष्ट्रपति की अनुमति के नहीं लग सकता है। यदि वे चाहें तो संशोधन संख्या ११६ पर बोल सकते हैं।

†**श्री विश्वनाथ रेड्डी** : मेरा संशोधन निर्गन्ध खाद्य तेलों पर शुल्क लगाने के सम्बन्ध में था। इस शुल्क के, उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले कुप्रभाव के बारे में मैं श्री एन० बी० चौधरी व श्री थामस की बातों का समर्थन करता हूं। इसके अतिरिक्त मैं इसके उद्योग पर पड़ने वाले प्रभाव के सम्बन्ध में भी कुछ शब्द कहना चाहता हूं। संगठित तेल उद्योग में २५ रुपया प्रति टन बिक्री कर लगता है। उस पर यदि ७० रुपये प्रतिटन उत्पादन शुल्क लगा दिया जायेगा तो कुल शुल्क ९५ रुपये प्रतिटन हो जायेगा। इससे इस उद्योग को बहुत धक्का लगेगा। इसमें कुल उद्योग के ८५ प्रतिशत व्यक्ति काम करते हैं तथा यह उद्योग ९० प्रतिशत तेल का उत्पादन करता है। मैंने अपने संशोधन में यह सुझाव दिया है कि उत्पादन शुल्क घटा कर ३५ रुपये प्रति टन कर दिया जाय। इससे घानी उद्योग को पर्याप्त संरक्षण मिल जायेगा।

एक अन्य आदेश द्वारा यह कहा गया है कि पहले १२५ टन में कोई शुल्क नहीं लगेगा। इससे घानी उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा क्योंकि राटरी तेल की मिलों से जो २,००० रुपये या ३,००० रुपये की लागत पर स्थापित की जा सकती हैं, वर्ष भर में १२५ टन ही तेल निकल सकता है। परिणाम यह होगा कि राटरी तेल मिलों का तेल अधिक सस्ता पड़ेगा और संगठित तेल उद्योग व घानी उद्योग दोनों ही उनसे प्रतियोगिता नहीं कर सकेंगे। अतः मेरा सुझाव यह है कि छूट मात्रा में न देकर उद्योग की क्षमता के एक अंश—यथा २० प्रतिशत अथवा दस प्रतिशत—में दी जानी चाहिये। डीजल तेल पर ४ आना प्रति गैलन शुल्क लगाया गया है। दक्षिण के कई राज्यों में हम पर साढ़े तीन आना प्रति गैलन बिक्री कर भी लगता है। सभा को ज्ञात होगा कि कई गांवों में बिजली के स्थान पर प्रकाश के लिये इसका प्रयोग किया जाता है। पानी को ऊंचाई में चढ़ा कर सिंचाई के लिये भी इसका उपयोग किया जाता है इस कर का परिवहन पर भी बहुत असर पड़ेगा और मेरा मोटा हिसाब यह है कि परिवहन का भाड़ा २५ प्रतिशत तक बढ़ जायेगा। क्योंकि द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में मार्ग परिवहन पर दो तिहाई परिवहन का भार पड़ेगा, अतः इससे जनता तथा परिवहन उद्योग दोनों की ही हानि होगी और विशेषतः पिछड़े प्रदेशों की प्रगति अवरुद्ध हो जायेगी वस्तुतः, यह एक प्रतिगामी कदम है। अतः मेरा सुझाव है कि वित्त मंत्री को यह शुल्क ४ आना प्रति गैलन से घटा कर १ आना प्रति गैलन कर देना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वेलायुधन** : (क्विलोन व मावेलिक्करा-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : मैं श्री ए० एम० थामस के संशोधन का समर्थन करता हूं। वस्तुतः हमें यह जानकर नितांत आश्चर्य हुआ कि नारियल का तेल भी इस अनुसूची में शामिल है। ऐसे समय जब कि हमारा राज्य संक्रांतिकाल से होकर गुजर रहा है, इस प्रकार का कर लगना अनुचित है। पहिले ही त्रावणकोर-कोचीन राज्य में केन्द्रीय शासन का भार है। भूतकाल में वित्त मंत्री हमारे राज्य पर कर लगाने के मामले में कृपालु रहे हैं, परन्तु अब न जाने कैसे यह कर लगा दिया गया है। यह वस्तुतः नौकरशाही शासन का नमूना है—जहां एक बार निश्चय होने पर फिर उसे आसानी से नहीं बदला जा सकता है। मैं इस समय भी आशा करता हूं कि यह कर हटा लिया जायेगा।

†**श्री राघवचारी** (पेनुकोंडा) : मैं श्री विश्वनाथ रेड्डी की बात का समर्थन करता हूं। मुझे डीजल तेल पर शुल्क लगने के विरोध में लगभग ५० पत्र प्राप्त हुए हैं। हमारे राज्य में सिंचाई का मुख्य साधन ही डीजल से चलने वाले पम्प हैं। इस पर आठ आने के लगभग कर लगता है जो कि मूल कीमत का ५० प्रतिशत हो जाता है। इससे मुख्यतः किसानों को बहुत धक्का पहुंचेगा। इसलिये कम से कम किसानों के लिये डीजल तेल को शुल्क से छूट दी जाय। मुझे वित्त मंत्री के स तर्क में कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता कि इसमें प्रशासनिक कठिनाइयां हैं। मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में आज ही निश्चित आश्वासन दिया जाय।

†**श्री अच्युत्तन** : बनस्पति निर्गन्ध तेलों से सम्बन्धित मद संख्या २३ में से नारियल के तेल को छूट देन के लिये मैंने एक संशोधन भी प्रस्तुत किया है। आप जानते हैं कि समस्त पश्चिमी तट मुख्यतः नारियल से बनी हुई वस्तुओं और पहाड़ी स्थानों पर उत्पन्न होने वाले पदार्थों पर निर्भर है।

जहां तक पहाड़ी स्थानों पर उत्पन्न होने वाले पदार्थों का सम्बन्ध है, अमेरिका की मंडियों में काली मिर्च का जो पहले भाव था अब उसका लगभग पांचवां भाग रह गया है। काली मिर्च का भाव पहले ४,००० रुपये प्रति टन था और अब कम हो कर ८०० रुपये प्रति टन हो गया है।

पिछले तीन या चार वर्षों में नारियल के दामों में भी बराबर कमी होती रही है। १९५३-५४ में नारियल से ३२ करोड़ रुपये की आमदनी हुई थी और १९५४-५५ में वह ३१ करोड़ रह गई और १९५५-५६ में यह और भी कम हो गई है और २७ करोड़ रुपये रह गई। पिछले तीन वर्षों में उसमें लगभग ५ करोड़ रुपये की कमी हुई है। इसलिये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इससे वहां के काश्तकारों को कितनी हानि हुई होगी।

जहां तक नारियल के बागानों का सम्बन्ध है, यहां नारियल के बड़े-बड़े बाग नहीं हैं। एक बाग में ज्यादा से ज्यादा दस या पन्द्रह एकड़ भूमि पर नारियल की खेती होती है और ऐसे बागानों की संख्या भी बहुत कम है। ८० प्रतिशत छोटे किसानों के पास केवल आधा एकड़ का बाग ही होगा। वर्ष के तीन या चार महीनों के समय में उन्हें अपने बागान से लगभग ५० या ६० रुपये की आमदनी होती होगी। परन्तु इस एक शुल्क से ही उन्हें अब लगभग दस प्रतिशत की हानि होगी।

नारियल के व्यापार के तीन मुख्य केन्द्र हैं, अलप्पी, कोचीन और त्रिचूर। माननीय मंत्री द्वारा इस शुल्क की घोषणा करने के बाद भी इन स्थानों पर अब भी पहले जितने दाम ही हैं। केवल दो या तीन रुपये का अन्तर है। कोचीन मंडी में २८ और २९ फरवरी को तेल की एक कैन्डी का दाम ३८५ रुपये था परन्तु मार्च में इसका भाव केवल ३८५ से ३९२ तक ही बढ़ा। त्रिचूर में फरवरी में भाव ३८६ रुपये था और मार्च में ३९५ रुपये था। इसलिये इस करारोपण के कारण काश्तकारों पर प्रतिकूल प्रभाव हुआ है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अच्युत्तन]

उपभोक्ताओं को भी नारियल के तेल के लिये उच्चतर दाम देने होंगे। देश के मेरे भाग में नारियल का तेल विलास की वस्तु नहीं है बल्कि दैनिक आवश्यकता का एक पदार्थ है। यह औषधियों के काम आता है। इससे खाना पकाया जाता है। यह प्रतिदिन काम में आने वाली वस्तु है।

इसलिये एक ओर तो काश्तकार को अपने उत्पादन पर दस प्रतिशत दाम कम मिलेंगे और दूसरी ओर शुल्क के कारण उपभोक्ता को दस प्रतिशत अधिक दाम देने होंगे। यदि दामों में वृद्धि हुई होती तो मैं इस करारोपण की बात समझ सकता था। परन्तु यहां तो उसके बिल्कुल विपरीत बात है। त्रावनकोर-कोचीन के वित्त मंत्री ने अपने आय-व्ययक सम्बन्धी भाषण में इस बात को स्वीकार किया था कि कृषि आय १९५३-५४ के मुकाबले २१·२ प्रतिशत कम हो गई है। इस बात से आप समझ सकते हैं कि त्रावनकोर-कोचीन राज्य में नारियल की खेती करने वालों की स्थिति क्या है। मुझे आशा है कि वित्त मंत्री स्थिति की गम्भीरता को समझेंगे और इस प्रस्तावित आरोपण में से कम से कम नारियल के तेल को निकाल देंगे।

†**श्री के० सी० सोधिया :** ३० से ३५ करोड़ रुपये के कुल अतिरिक्त करारोपण में से लगभग १५ करोड़ रुपये की रकम कपड़े पर शुल्क से प्राप्त होगी। पिछले तीन वर्षों के आंकड़ों को देखने से पता चलेगा कि तीन वर्ष पहले दरम्याने दर्जे के कपड़े से हमें चार करोड़ रुपये आमदनी होती थी और अब इस पर १२ करोड़ रुपये का करारोपण किया जा रहा है। आप जानते हैं कि इस देश की आम जनता दरम्याने दर्जे का कपड़ा पहनती है। जो बहुत ही गरीब हैं वे मोटा कपड़ा पहनते हैं परन्तु आम लोग दरम्याना कपड़ा व्यवहार में लाते हैं।

अब वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तावित नये करारोपण में बारीक कपड़ा, दरम्याना कपड़ा तथा मोटा कपड़ा सभी को एक स्तर पर लाया गया है। सभी प्रकार के कपड़े में छः पाई प्रति रुपया वृद्धि की गई है। मैं इसका विरोध करता हूं। जो व्यक्ति दरम्याना तथा मोटा कपड़ा पहनते हैं यदि उन्हें शुल्क की वही रकम देने के लिये विवश किया जाये जो बहुत बढ़िया तथा बारीक कपड़ा उपयोग करने वाले लोग देंगे तो यह एक अन्याय होगा।

दरम्याने और मोटे कपड़े पर शुल्क में कम करने के लिये मेरा विचार एक संशोधन प्रस्तुत करने का था परन्तु द्वितीय पंचवर्षीय योजना को आरम्भ करने तथा पूरा करने के लिये अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता को देखते हुए तथा वित्त मंत्री के इस वक्तव्य को देखते हुए कि करारोपण का आधार विस्तृत होना चाहिये और निर्धन से निर्धन व्यक्ति को भी कुछ न कुछ योग देना चाहिये मैंने संशोधन प्रस्तुत नहीं किया। परन्तु अब मैंने केवल यह प्रस्ताव किया है कि धोतियों तथा साड़ियों पर उतना ही शुल्क रहने दिया जाय जितना वह इस समय है। इससे आमदनी में कम बहुत ही कम अन्तर होगा हमें भी यह संतोष होगा कि वित्त मंत्री ने कम से कम एक संशोधन तो स्वीकार किया।

†**श्री टी० एस० ए० चट्टियार :** यह एक दुर्भाग्य की बात है कि भारत जैसे निर्धन देश में, जहां व्यक्तियों की संख्या बहुत ही कम है, यदि करारोपण की अधिकतर राशि प्राप्त करनी हो तो हमें समाज के निचले वर्ग पर बोझ डालना पड़ता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये हमें प्रत्येक वर्ष में लगभग ५० करोड़ रुपये प्राप्त करने हैं और केवल धनी व्यक्तियों से यह राशि प्राप्त न हो सकेगी इसलिये हमें उन लोगों से करारोपण द्वारा यह राशि प्राप्त करनी होगी जिनकी आमदनी कहीं कम है।

त्रावनकोर-कोचीन के मेरे माननीय मित्रों ने जो दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, उससे मुझे गहरी सहानुभूति है। उस राज्य के लोगों के लिये नारियल ही सब कुछ है। मुझे मालूम है कि इस करारोपण

†मूल अंग्रेजी में

से उन्हें बहुत हानि होगी। इसलिये मुझे आशा है कि वित्त मंत्री उन्हें कुछ रियायत देने की बात पर विचार करेंगे।

श्री विश्वनाथ रेड्डी ने जिस अन्य विषय की चर्चा की है, उस सम्बन्ध में मैं इससे अधिक कुछ नहीं कह सकता हूं कि वित्त मंत्री यह वचन दे चुके हैं कि वह इस बात पर विचार करेंगे कि डीज़ल तेल पर करारोपण से जिन कृषकों को हानि हुई है उन्हें किसी प्रकार की छूट देकर किसी सम्भव ढंग से उनकी सहायता कैसे की जा सकती है।

अब मैं कुटीर उद्योग की चर्चा करना चाहता हूं। कुटीर उद्योगों की देख-रेख के लिये हमने उत्पादन मंत्रालय का विशेष रूप से गठन किया था। कुटीर उद्योगों की उन्नति पर हम लगभग २०० करोड़ रुपये ख़र्च करना चाहते हैं। परन्तु करारोपण का जो प्रस्ताव है, वह ऐसा है कि उससे बिजली से चलने वाले कारख़ानों तथा दूसरे कारख़ानों के बीच एक सी कठिनाइयां हो जायेंगी। साबुन तथा कागज़ी गत्ते के सम्बन्ध में वित्त मंत्री का यह तर्क है कि इन छोटे कुटीर कारख़ानों का उत्पादन भी कम नहीं है और वे बिजली द्वारा चलाये जाने वाले बड़े-बड़े कारख़ानों से मुक़ाबला कर सकते हैं इसलिये उन पर करारोपण युक्तियुक्त है। तब फिर हम कुटीर उद्योगों को बढ़ावा क्यों देना चाहते हैं? जिन कारख़ानों में बिजली द्वारा काम नहीं होता और जिनका अधिक उत्पादन होता है, उनमें अवश्य ही बड़ी संख्या में लोग काम करते होंगे। रोज़गार के दृष्टिकोण से हम उनकी सहायता करना चाहते हैं। यदि उनका उत्पादन अधिक है तो उनमें अधिक व्यक्तियों को रोज़गार भी मिला होगा। इसलिये हमें उन पर कर न लगा कर उनकी सहायता करनी चाहिये। इसलिये मेरे विचार में उत्पादन मंत्रालय जिस सिद्धान्त को चाहता है और वित्त मंत्रालय कुटीर उद्योगों पर करारोपण द्वारा जिस सिद्धान्त पर चलना चाहता है उनमें अन्तर है।

हम अम्बर चर्ख़ा को बढ़ावा देना चाहते हैं। हम इसकी इसलिये सहायता करना चाहते हैं कि इससे अधिक व्यक्तियों को रोज़गार मिल सकेगा यदि हम अम्बर चर्ख़े की धन से सहायता नहीं भी करते हैं तो कम से कम हमें उस पर कर भी नहीं लगाना चाहिये। कुटीर उद्योगों की ओर से मैं वित्त मंत्री से यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि रोज़गार के दृष्टिकोण से उन पर करारोपण न किया जाये। इनसे अधिक व्यक्तियों को काम मिल सकेगा।

†**श्री अरुण चन्द्र गुह :** अध्यक्ष महोदय, मेरे विचार में खण्ड ३४ के सम्बन्ध में अधिकतर आपत्तियां, खाने के काम आने वाले तेल पर करारोपण से सम्बन्धित हैं। कई सदस्यों ने नारियल के तेल पर उत्पादन शुल्क के विरुद्ध कहा है कुछ सदस्यों ने सरसों के तेल की भी चर्चा की है, परन्तु इस पर नारियल के तेल जितना ज़ोर नहीं दिया गया है।

श्री थामस ने यह बताने का प्रयत्न किया था कि कर जांच आयोग ने कम शुल्क का सुझाव दिया था परन्तु शुल्क का आपात बहुत अधिक है। मेरे विचार में यदि तुलना की जाये तो एक आना प्रति सेर शुल्क अधिक नहीं है। यदि आप खाने के काम आने वाले इन तेलों की वर्तमान कीमतों की तुलना करें तो मेरे विचार में नारियल के तेल पर भी एक आना प्रति सेर के शुल्क को अधिक नहीं कहा जा सकता है। त्रावनकोर-कोचीन में नारियल के तेल के उद्योग के सम्बन्ध में जो कुछ कहा गया है उस पर सरकार विचार कर चुकी है और जो तर्क प्रस्तुत किये गये हैं उन पर भी न केवल वित्त मंत्रालय ने बल्कि कृषि पदार्थों से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित अन्य मंत्रालय ने भी विचार किया है।

†**श्री ए० एम० थामस :** क्या आपने खाद्य और कृषि मंत्रालय से परामर्श किया था?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अरुण चन्द्र गुह :** जिन बातों की यहां चर्चा की गई है उन सब पर है न केवल वित्त मंत्रालय द्वारा विचार किया गया था बल्कि अन्य तत्सम्बन्धी मंत्रालयों ने भी, जिनमें खाद्य और कृषि मंत्रालय भी शामिल है, विचार किया था ।

खाने के काम आने वाले सभी तेलों का जो उत्पादन है नारियल के तेल की खपत उसकी केवल ८ से ९ प्रतिशत है ।

†**श्री वेलायुधन :** क्या आपने त्रावनकोर-कोचीन सरकार से बातचीत की है ?

†**श्री अरुण चन्द्र गुह :** ऐसी कोई प्रथा नहीं है । माननीय सदस्य यह भी स्वीकार करेंगे कि केन्द्रीय सरकार के लिये वर्ष का आय-व्ययक बनाते समय सभी राज्य सरकारों से परामर्श करना असम्भव है । बजट को गुप्त रखा जाता है और गोपनीय समझा जाता है और जिन राज्यों की ज़नता पर उसका प्रभाव होता है उन सभी सरकारों से हम परामर्श नहीं कर सकते हैं ।

जैसा कि मैं कह रहा था नारियल का तेल देश में खाने के काम आने वाले तेलों के उत्पादन का केवल ८ या ९ प्रतिशत है । इस ८ या ९ प्रतिशत खाद्य तेल को कर मुक्त करने का कोई कारण नहीं है । देश के अन्य भागों में कई अन्य प्रकार के खाने के काम आने वाले तेल उपयोग होते होंगे और उन भागों ने भी इस शुल्क का प्रभाव अनुभव किया होगा । नारियल के तेल के सम्बन्ध में मैं इतना कह सकता हूं कि उसके वर्तमान भाव का देश में अन्य खाद्य तेलों के भावों से भलीपूर्वक तुलना की जा सकती है । यदि माननीय सदस्य नारियल के तेल की वर्तमान क़ीमत का १९५१ की क़ीमतों से अर्थात कोरिया युद्ध के बाद के दिनों में महंगाई की कीमतों से तुलना करना चाहें तो यह तुलना उचित न होगी । परन्तु यदि हम सभी खाद्य तेलों की वर्तमान क़ीमतों का तुलनात्मक अध्ययन करें तो मेरे विचार में नारियल के तेल की वर्तमान क़ीमत बहुत ही कम न होगी । बल्कि कई अन्य खाद्य तेलों के भावों से उसका भाव अधिक होगा । इसलिये इसकी शोचनीय दशा नहीं है । इसलिये माननीय सदस्यों के इस तर्क को स्वीकार करने का मुझे कोई कारण प्रतीत नहीं होता कि नारियल के तेल को इस शुल्क से छूट दी जाये ।

कुछ माननीय सदस्यों ने मोटे कपड़े के सम्बन्ध में कुछ कहा है । विशेष रूप से श्री चौधरी मोटे कपड़े पर शुल्क लगाये जाने के विरुद्ध हैं । वह न केवल मोटे कपड़े की धोतियों और साड़ियों बल्कि सभी प्रकार के मोटे कपड़े पर शुल्क लगाये जाने का विरोध करते हैं । उन्हें मालूम होना चाहिये कि मोटे कपड़े की अन्य किस्में बहुत ही मंहगी हैं और विलास वस्तुएं हैं । कुछ कपड़ा तो ३, ४, ७ या ८ रुपये प्रति गज़ तक के हिसाब से बिकता है । बल्कि मुझे तो इस बात पर आश्चर्य है कि माननीय सदस्यों ने यह सुझाव क्यों नहीं दिया कि मोटे कपड़े की अन्य क़िस्मों पर जो उत्पादन शुल्क लगाया गया है वह और भी अधिक होना चाहिये । मोटे कपड़े की धोतियों और साड़ियों पर उत्पादन शुल्क में कोई वृद्धि नहीं की गई है । मोटे कपड़े की धोतियों और साड़ियों पर कई वर्षों से शुल्क चला आ रहा है और कई वर्षों से चले आ रहे इस शुल्क को हटाने का यह कोई अवसर नहीं है ।

मैं माननीय सदस्यों को श्री चेट्टियार के शब्द याद दिलाना चाहता हूं कि हमारा देश एक निर्धन देश है । यदि हम उन विकास कार्यों के लिये अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करना चाहते हैं, जिनका अधिकतर लाभ निर्धन वर्ग को होगा, तो हम निर्धन वर्ग को किसी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क या अतिरिक्त कर देने से छूट नहीं दे सकते हैं । यदि हम प्रत्यक्ष करारोपण द्वारा राजस्व इकट्ठा करने का प्रयत्न करें तो यह प्रयत्न असफल रहेगा क्योंकि हमारे देश में प्रत्यक्ष करारोपण की दर किसी भी देश की वर्तमान दर से अधिक है । हमें अप्रत्यक्ष करारोपण का आश्रय लेना ही होगा । फिर भी हम इस बात की ओर विशेष ध्यान देते रहे हैं कि लोगों के निर्धन वर्ग पर अप्रत्यक्ष करारोपण का अत्यधिक भार न पड़े । हम

---

†मूल अंग्रेजी में

इस बात की ओर भी ध्यान देते रहे हैं कि छोटी इकाइयों को, विशेष रूप से कुटीर तथा ग्राम उद्योग से सम्बन्धित इकाइयों को, लाभ हो सके। कुछ मामलों में हम एक प्रकार से आर्थिक सहायता करते रहे हैं और अधिकतर मामलों में हम इन उद्योगों में से कई एक को उत्पादन की एक विशिष्ट क्षमता तक छूट भी देते रहे हैं। जब सरकार अपने आय-व्ययक के प्रस्ताव तैयार करती है तो वह सभी तत्सम्बन्धी बातों का ध्यान रखती है। हमारे विकास कार्यक्रम के वर्तमान प्रसंग में यह सम्भव नहीं है कि जनता के निर्धन वर्ग को किसी भी प्रकार का नया कर देने से पूर्णतः छूट दी जाये।

दरम्यानी क़िस्म के कपड़े की धोतियों और साड़ियों की सब से अधिक खपत है और उनके सम्बन्ध में कुछ कहा गया है। उन पर केवल दो पैसे प्रति गज़ की दर से शुल्क में वृद्धि की गई है। मध्यम वर्ग की जनता पर इससे बहुत अधिक बोझ नहीं पड़ेगा जब माननीय सदस्य करारोपण सम्बन्धी प्रस्तावों से छूट देने या उनमें ढील देने के लिये ज़ोर देते हैं तो उन्हें राजस्व की उस राशि को भी ध्यान में रखना चाहिये जिसे हमें प्राप्त करना है। इस विशिष्ट सुझाव से ४·३० करोड़ रुपये की हानि होगी।

कुछ माननीय सदस्यों ने डीज़ल तेल की चर्चा भी की है। २५ एकड़ के एक फ़ार्म के लिये, जहां पर बिजली से चलने वाला पम्प प्रयोग होता हो, डीज़ल तेल के नये उत्पादन शुल्क का आयात केवल ६६ प्रतिशत होगा। कुछ अन्य सदस्यों ने कहा है कि इससे परिवहन का खर्च बढ़ जायेगा। परन्तु मेरे विचार में वे इस तथ्य को बिल्कुल भूल गये हैं कि यह उत्पादन शुल्क वर्तमान आयात शुल्क का केवल एक प्रतिरूप मात्र है। अब तेल साफ़ करने के तीन कारखानों में उत्पादन आरम्भ होने से हमें विदेशों से डीज़ल तेल मंगवाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। डीज़ल तेल पर आयात शुल्क था और हमने हिसाब लगाय है कि वह लगभग चार आने प्रति गैलन था और उत्पादन शुल्क के लिये हमने यही दर रखी है।

†**श्री विश्वनाथ रेड्डी** : माननीय मंत्री ने कहा है कि यह केवल एक प्रति-शुल्क मात्र है। क्या वह हमें यह आश्वासन दे सकते हैं कि इस करारोपण से डीज़ल तेल के शुद्ध दामों में कोई वृद्धि नहीं होगी? यदि यह केवल प्रति-शुल्क मात्र है तो दाम में वृद्धि नहीं होनी चाहिये।

†**श्री अरुण चन्द्र गुह** : यदि डीज़ल तेल के दाम में सरसों के तेल और अन्य खाद्य तेलों की भांति क्रमशून्य वृद्धि हो तो कुछ व्यापारी अनुचित लाभ उठायेंगे। प्रत्येक पग पर हस्तक्षेप करना सरकार के लिये सम्भव नहीं है। परन्तु यदि अनियमित परिस्थिति रहे तो निश्चय ही सरकार कुछ कार्यवाहियां करेगी। परन्तु हमें आशा है कि दाम अपने स्वाभाविक स्तर पर आ जायेंगे और उपभोक्ताओं को कुछ खाद्य तेलों के लिये यह जो अतिरिक्त कीमत देनी पड़ती है उसे वे सहन नहीं करेंगे।

यदि डीज़ल तेल के दामों में भी किसी प्रकार की क्रम शून्य वृद्धि हुई तो मेरे विचार में व्यापार के निबन्धन दामों को सामान्य स्तर पर नीचे ले आयेंगे। यदि ऐसा न हुआ और यदि ऐसी किसी आकस्मिकता में सरकार के लिये हस्तक्षेप करने की आवश्यकता हुई तो सरकार उस दिशा में कुछ न कुछ कार्यवाही करेगी। परन्तु इस समय चिन्तित होने की कोई बात नहीं है।

ऐसी और कोई बात शेष नहीं है जिसका मैं उत्तर दूं।

†**श्री एन० बी० चौधरी** : मोटे कपड़े की कई किस्मों को बढ़िया कपड़े में सम्मिलित कर लिया गया है। क्या साधारण जनता द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मोटे कपड़े की खास किस्मों को अलग करना संभव नहीं है?

†**श्री अरुण चन्द्र गुह** : उन्हें छूट दे दी गयी है। यह शुल्क अधिकतर बढ़िया कपड़े पर ही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं ये संशोधन सभा के सम्मुख मतदान के लिये रखता हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री एन० बी० चौधरी के संशोधन संख्या १०, ११, १७; श्री ए० एम० थामस का संशोधन संख्या ८४; श्री अच्युतन का संशोधन संख्या ८३; श्री तुलसीदास का संशोधन संख्या ११४; श्री टी० एस० ए० चेट्टियार के संशोधन संख्या ८१, ८६, ८७; श्री विश्वनाथ रेड्डी के संशोधन संख्या ११६, ११७, ११८; श्री के० सी० सोधिया का संशोधन संख्या ११२ तथा श्री श्रीनारायण दास का संशोधन संख्या ११३ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ३४ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ३४ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ३५ से ३७ तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

प्रथम अनुसूची

†**श्री एम० सी० शाह** : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

(१) पृष्ठ २२ तथा २३ में —

क्रमश: पंक्तियां ३५ से ४२ तथा पंक्तियां १ और २ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :

	Rate
On the first Rs. 40,000 of total income	*Nil*
On the next Rs. 35,000 of total income ..	Nine pies in the rupee
On the next Rs. 75,000 of total income ..	one anna in the rupee
On the balance of total income	one anna and six pies in the rupee

दर

["कुल आय के प्रथम ४०,००० रुपये पर ...	कुछ भी नहीं
कुल आय के अगले ३५,००० रुपये पर ...	एक रुपये में नौ पाई
कुल आय कें उससे अगले ७५,००० रुपये पर ...	एक रुपये में एक आना
कुल आय के शेष भाग पर	एक रुपये में डेढ़ आना"]

(२) पृष्ठ २५, पंक्ति ८ में—

"paid up capital, and" ["प्रदत्त पूंजी तथा"] के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :

"paid-up capital, except to the extent to which such bonus shares or bonus have been issued out of premiums received in cash on the issue of its shares; and"

["प्रदत्त पूंजी, सिवाय अंशों के निर्गम पर नकदी में प्राप्त किस्तों में से बोनस अंश या बोनस जारी किये जाने की सीमा तक; और"]

---

†मूल अंग्रेजी में

(३) पृष्ठ २५, पंक्ति ४४ में—

अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

"Increased by any premiums received in cash by the company on the issue of its shares, standing to the credit of the share premium account as on the first day of the previous year aforesaid."

["समवाय द्वारा अपने अंशों के निर्गम पर नकदी में प्राप्त किस्तों द्वारा वर्णित जो कि अंश पूंजी लेखे में उपरोक्त पूर्ववर्ती वर्ष के पहले दिन जमा हो"]

(४) पृष्ठ २५ पर—

पंक्ति ४७ के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

" (iii) where any portion of the profits and gains of the company is not included in its total income by reason of such portion being exempt from tax under any provision of the Income-tax Act, the amount of the 'paid up capital' of the company, the amount distributed as dividends (not being dividends payable at a fixed rate), the amount representing the face value of any bonus shares and the amount of any bonus issued to the shareholders, shall each be deemed to be such proportion thereof as the total income of the company for the previous year bears to its total profits and gains for that year other than capital gains or capital receipts, reduced by such allowances as may be admissible under the Income-tax Act which have not been taken into account by the company in its profit and loss account for that year."

["(तीन) जहां समवाय के लाभ तथा प्राप्तियों का कोई भाग आयकर अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन कर से मुक्त होने के कारण कुल आय में सम्मिलित न हो, वहां समवाय की 'प्रदत्त पूंजी' की राशि, लाभांशों के रूप में वितरित राशि (लाभांश किसी निश्चित दर पर देय न होंगें), किन्हीं बोनस अंशों के अंकित मूल्य के बराबर राशि तथा अंशधारियों को जारी किये गये किसी बोनस की राशि में से प्रत्येक राशि उसका उतना ही अनुपात समझी जायेगी, जितना कि उससे पूर्ववर्तीवर्ष में समवाय की कुल आय का उसके उस वर्ष के पूंजी लाभ तथा पूंजी प्राप्तियों के अतिरिक्त कुल लाभ तथा प्राप्तियों से हो ऐसी छूट घटा कर जो आयकर अधिनियम के अन्तर्गत दी जा सकती हो और समवाय द्वारा उस वर्ष के लाभ तथा हानि के लेखे में सम्मिलित नहीं की गई हो ।"]

प्रथम अनुसूची के सम्बन्ध में ये चार संशोधन हैं । इनका सम्बन्ध वित्त मंत्री द्वारा घोषित रियायतों से है । प्रथम संशोधन का सम्बन्ध पंजीबद्ध सार्थों को प्रथम ४०,००० रुपये पर दी जाने वाली छूट से है । दूसरा यह है कि हम अंशों पर प्रब्याजि को भी प्रदत्त पूंजी में सम्मिलित करना चाहते हैं । तीसरा यह है कि प्रदत्त पूंजी का तात्पर्य समवाय द्वारा अंशों के निर्गम पर नकदी के रूप में प्राप्त प्रब्याजि द्वारा वर्धित प्रदत्त पूंजो से है । चौथे संशोधन का सम्बन्ध उन समवायों को रियायत देने से है जिनके लाभ में कई ऐसी राशियां आती हैं जिन पर भारतीय आयकर अधिनियम के अधीन कर नहीं लगता; उदाहरण के लिये चाय समवायों में कुछ प्रतिशत तक निर्माण कर्ताओं पर और कुछ प्रतिशत तक कृषि-आय पर कर न लगेगा । बोनस तथा लाभांश पर लगाने वाले विशेष कर के प्रश्न पर विचार करते हुए, केवल उसी भाग पर अनुपाततः अच्छी प्रकार से विचार किया जायेगा जिस पर आय कर अधिनियम के अधीन कर लग सकता है ।

†**श्री तुलसीदास** : मैं संशोधन संख्या ४८, ५५ तथा ११५ का प्रस्ताव करता हूं । मैं केवल ये ही तीन संशोधन प्रस्तुत करता हूं; मैं शेष संशोधन प्रस्तुत नहीं करना चाहता ।

संशोधन संख्या ४८ के द्वारा मैंने यह सुझाव दिया है कि धारा २३ के समवायों को अतिरिक्त लाभांशों पर लगाये जाने वाले कर से छूट दी जाये । एक ओर तो आप उन समवायों को इस बात के लिये बाध्य कर रहे हैं कि वे लाभांश बांटें और दूसरी ओर यदि वे प्रदत्त पूंजी की निर्धारित प्रतिशत राशि से अधिक बांट दें तो आप अतिरिक्त राशि पर कर लगा देते हैं । यह उनके प्रति अन्याय है । इसीलिये मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है ।

संशोधन संख्या ५५ में मैंने यह निवेदन किया है कि समवायों को प्रति वर्ष अपने लाभांशों की कमी को हिसाब-किताब में आगे ले जाने की अनुमति दी जाये । इस प्रकार का एक उपबंध धारा २३-क में है । मैं चाहता हूं कि यहां भी इसी प्रकार का एक उपबंध रखा जाये ।

संशोधन संख्या ११५ में मैं यह चाहता हूं कि पूंजी लाभों में से जारी किये गये बोनस अंशों को छोड़ दिया जाये । वित्त मंत्री ने अपने संशोधन के द्वारा अंशों के प्रब्याजि में से जारी किये गये बोनस अंशों को छोड़ दिया है । मैं चाहता हूं कि यह छूट यहां पर भी दी जाये । इन आधारों पर समवायों पर कर लगाना अन्याय है । कर योग्य लाभों तथा अकरयोग्य लाभों में से जारी किये गये अंशों में बड़ा भारी अन्तर है । इसलिये मेरा यह सुझाव है कि अकरयोग्य लाभों में से दिये गये बोनस अंशों को कर से मुक्त कर दिया जाये ।

†**श्री बंसल** : मैं संशोधन संख्या ९२, ९३, ९६, ९९ तथा १०० का प्रस्ताव करता हूं । मैं संशोधन संख्या ९४ तथा ९७ को प्रस्तुत नहीं करना चाहता ।

संशोधन संख्या ९२ का सम्बन्ध धारा २३-क के समवायों से है । मेरा संशोधन श्री तुलसीदास के संशोधन के समान ही है ।

शेष सभी संशोधनों का सम्बन्ध प्रदत्त पूंजी से है । इस सम्बन्ध में मेरा यह सुझाव है कि प्रदत्त पूंजी की परिभाषा में मुक्त संचिति (फ्री रिज़र्व) सम्मिलित कर ली जाये । लाभ अंश समिति ने भी, जिसमें हमारे मंत्री श्री खंडू भाई देसाई एक सदस्य के रूप में थे, यह निर्णय दिया था कि मुक्त संचिति भी प्रदत्त पूंजी का ही एक भाग है ।

†**श्रम मंत्री (श्री खंडू भाई देसाई)** : जरा विमत्त टिप्पण भी तो पढ़िये ।

†**श्री बंसल** : मैं उस सभा का बहुमत बता रहा हूं जिसमें निर्णय किया गया था कि मुक्त संचिति का ५० प्रतिशत भाग प्रदत्त पूंजी में सम्मिलित कर लिया जाये । अतः मेरा भी यही सुझाव है कि मुक्त संचिति को भी प्रदत्त पूंजी में जमा कर लिया जाये ।

†**श्री एम० सी० शाह** : मुझे खेद है कि मैं इनमें से कोई भी संशोधन स्वीकार न कर सकूंगा । इन संशोधनों के पक्ष में दिये गये तर्क ऊपर से तो भले प्रतीत होते हैं परन्तु वास्तव में वे निराधार हैं । कोई २३-क का समवाय हो अथवा सरकारी समवाय हो, सभी का आधार एक ही है । यदि उन्हें ६० प्रतिशत अथवा शत प्रतिशत बांटने के लिये कहा जाता है, तो केवल इसी आधार पर कि वे अधि-कर के ऊंचे दर से बचना चाहते हैं । गैर-सरकारी मर्यादित समवायों (लिमिटिड कम्पनीज़) के केवल चार पांच अंशधारी होते हैं और जब लाभ बांटे न जायें तो वे अधिकार से बच सकते हैं । इसलिये इस प्रकार का उपबंध रखना उचित समझा गया है ।

लाभांशों पर इस विशेष अधि-कर के सम्बन्ध में, हमें एकरूप नीति बनानी पड़ेगी चाहे कोई समवाय २३-क का समवाय हो अथवा सरकारी समवाय हो । हम २३-क के समवायों के तथा सरकारी समवायों

---

†मूल अंग्रेजी में

के अंशधारियों में कोई भेद-भाव रखने वाली नीति स्वीकार नहीं कर सकते। प्रदत्त-पूंजी के क्षेत्र को बढ़ाने के सम्बन्ध में जहां हमने यह सोचा था कि अंशों पर प्रब्याजि को इसमें शामिल करना उचित है, वहां अंशों पर ली गयी किस्तों की राशि को भी प्रदत्त पूंजी में सम्मिलित कर लिया गया है। मुक्त संचिति (फ्री रिज़र्व) के क्षेत्र को विस्तृत कर देगा, और इसलिये लाभाशों पर अधि-कर प्राप्त करने का अवसर बहुत कम हो जायेगा। मैं नहीं समझता कि सरकार इसे स्वीकार कर सकेगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ २२ तथा २३ में—

क्रमश: पंक्तियां ३५ से ४२ तथा पंक्तियां १ और २ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :

	Rate
"On the first Rs. 40,000 of total income	Nil
On the next Rs. 35,000 of total income	Nine pies in the rupee
On the next Rs. 75,000 of total income	One anna in the rupee
On the balance of total income	One anna and six pies in the rupee."

दर

["कुल आय के प्रथम ४०,००० रुपये पर	कुछ भी नहीं
कुल आय के अगले ३५,००० रुपये पर	एक रुपये में नौ पाई
कुल आय के उससे अगले ७५,००० रुपये पर	एक रुपये में एक आना
कुल आय के शेष भाग पर	एक रुपये में डेढ़ आना"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ २५, पंक्ति ८ में—

"paid up capital; and" ["प्रदत्त पूंजी; तथा"] के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :

paid up capital, except to the extent to which such bonus shares or bonus have been issued out of premiums received in cash on the issue of its shares; and'

["प्रदत्त पूंजी सिवाय अंशों के निर्गम पर नकदी में प्राप्त किस्तों में से बोनस अंश या बोनस जारी किये जाने की सीमा तक; और"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ २५, पंक्ति ४४ में—

अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

"increased by any premiums received in cash by the company on the issue of its shares, standing to the credit of the share premium account as on the first day of the previous year aforesaid."

["समवाय द्वारा अपने अंशों के निर्गम पर नकदी में किस्तों द्वारा वर्धित है जो कि अंश पूंजी लेखे में उपरोक्त पूर्ववर्ती वर्ष के पहले दिन जमा हो"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

(४) पृष्ठ २५ पर--

पंक्ति ४७ के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

"(iii) where any portion of the profits and gains of the company is not included in its total income by reason of such portion being exempt from tax under any provision of the Income-Tax Act, the amount of the 'paid-up capital' of the company, the amount distributed as dividends (not being dividends payable at a fixed rate), the amount representing the face value of any bonus shares and the amount of any bonus issued to the shareholders, shall each be deemed to be such proportion thereof as the total income of the company for the previous year bears to its total profits and gains for that year other than capital gains or capital receipts, reduced by such allowances as may be admissible under the Income-tax Act which have not been taken into account by the company in its profit and loss account for that year."

["(तीन) जहां समवाय के लाभ तथा प्राप्तियों का कोई भाग आयकर अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन कर से मुक्त होने के कारण कुल आय में सम्मिलित न हो, वहां समवाय की 'प्रदत्त पूंजी' की राशि, लाभांशों के रूप में वितरित राशि (लाभांश किसी निश्चित दर पर देय न होंगे), किन्हीं बोनस अंशों के अंकित मूल्य के बराबर राशि तथा अंशधारियों को जारी किये गये किसी बोनस की राशि में से प्रत्येक राशि उसका उतना ही अनुपात समझी जायेगी, जितना कि उससे पूर्ववर्ती वर्ष में समवाय की कुल आय का उसके उस वर्ष के पूंजी लाभ तथा पूंजी प्राप्तियों के अतिरिक्त कुल लाभ तथा प्राप्तियों से हो, ऐसी छूट घटा कर जो आयकर अधिनियम के अन्तर्गत दी जा सकती हो, और जो समवाय द्वारा उस वर्ष के लाभ तथा हानि के लेखे में सम्मिलित नहीं की गई हो।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं अन्य संशोधन सभा के सम्मुख मत दान के लिये रखूंगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री तुलसीदास के संशोधन संख्या ४८, ५५ तथा ११५ और श्री बंसल के संशोधन संख्या ९२, ९३, ९६, ९९ तथा १०० मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"प्रथम अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रथम अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दी गयी। दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची, खण्ड १ अधिनियम सूत्र तथा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**श्री० सी० डी० देशमुख** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक, को संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (गुड़गांव) : जनाब स्पीकर साहब, मैं फाइनेन्स मिनिस्टर (वित्त मंत्री) साहब को जब कि यह फाइनेन्स बिल पास होने वाला है, इसके पास होने के ऐन्टीसिपेशन (पूर्व ही) मैं मुबारकबाद देता हूं। जहां तक फाइनेन्स मिनिस्ट्री का सवाल है, जब यहां पर टैक्स लगाये जाते हैं

†मूल अंग्रेजी में

और हमसे गुहा साहब खड़े होकर बतलाते हैं कि यह टैक्स दुरुस्त हैं और हमने किसी पर भी सख्ती नहीं की है, तो हम यकीन करते हैं कि जो मिनिस्टर टैक्स की वाजबियत के हक में कहते हैं, वह यकीन के काबिल है, जब शाह साहब खड़े होते हैं और कहते हैं कि यह बातें सही हैं तो हम बिल्कुल यकीन करते हैं उनकी बातों पर, जब फाइनेन्स मिनिस्टर साहब कहते हैं कि इतना टैक्स लगाना फाइव इअर प्लैन की कामयाबी के लिये जरूरी है, तो हमारे वास्ते कोई चारा नहीं रह जाता है, चारा ही नहीं होने का सवाल नहीं है, हमें पूरा भरोसा होता है कि जो टैक्स उन्होंने लगाये हैं वह देश की भलाई के लिये लगाये हैं, और हम उनको फौरन मंजूर कर देते हैं ।

हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने कई मर्तबा यहां पर बतलाया है कि हमारे देश में खांड की खपत एक मिलियन टन से बढ़ कर १·८ मिलियन टन हो गई है, इसी तरह से कपड़े की खपत काफी बढ़ गई है । तो जब खपत और प्रोड्यूस (उत्पादन) बढ़ गई है चीजों की तो मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि देश के अन्दर आदमियों की आमदनी नहीं बढ़ी है । इस बारे में मुझे कोई शुबहा नहीं है, और इसलिये मैं यह समझता हूं कि जिस मल्लाह के हाथ में हमने अपनी किश्ती दी है उस पर हम पूरा ऐतबार करें, इसके सिवा और कुछ नहीं कर सकते । लिहाजा जहां तक फाइनैन्शियल प्रपोजल्स (वित्तीय प्रस्ताव) का सवाल है, मैं उनको पूरे जोर के साथ सपोर्ट (समर्थन) करता हूं ।

लेकिन ताहम इस वक्त में अन्दरूनी दुःख को जाहिर किये बगैर नहीं रह सकता । जिस वक्त सन् १९४८ में हमारे सामने इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन कमिशन बिल (आयकर जांच आयोग विधेयक) पेश हुआ था उस वक्त मैंने अर्ज किया था कि मुझे डर है कि जितनी पावर्स (शक्ति) इनकम टैक्स आफिसर्स को दी जा रही है वह जेनरल ला (सामान्य विधि) में आकर हमारे ला को डिस्फिगर (शून्य) कर देंगी, और आज हम देखते हैं कि जो कुछ मैंने उस वक्त अर्ज किया था, वह सही निकला । मैं नहीं चाहता हूं कि इस देश में टैक्स डाजर्स (धोखे बाज) और इवेडर्स हों, और आपको टैक्स न दें, लेकिन साथ ही मैं यह भी नहीं चाहता कि आपके इनकम टैक्स आफिसर्स में वह पावर्स जायें क्योंकि उनके अन्दर आप जैसी स्पिरिट इन्जेक्ट (भावना जाग्रत) नहीं हुई है । उनमें करप्शन (भ्रष्टाचार) भी है और अगर हम उनको और पावर्स दे देंगे तो उससे लोग हैरेस होंगे । आज कोई नहीं चाहता कि हमारे मुल्क के अन्दर टैक्स इवेडर्स हों लेकिन यह भी कोई नहीं चाहता कि लोगों को बेजा हैरेसमेंट (तंगी) हो । जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो वहां भी इस चीज को नाजायज करार दिया गया । मैं बतलाना चाहता हूं कि वहां पर भी उन्हीं वजूहात पर नाजायज करार दिया गया था जो कि मैंने इस हाउस में कानून बनते वक्त बयान की थीं । आज आपको पावर्स इनकम टैक्स आफिसर्स को दे रहे हैं उनसे मुझे तकलीफ है । मैं जानता हूं कि जो भी पावर्स इनकम टैक्स ला में मौजूद हैं उनसे देश के अन्दर आप पूरा टैक्स वसूल कर सकते हैं और बिला किसी पावर्स को लिये हुए ।

जब सन् १९५५ में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को नाजायज करार दिया और वह हाउस के अन्दर फिर आया तो मैंने अपील की थी शाह साहब से कि आप उन लोगों पर इस कानून को न लागू कीजिये जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उसकी जदसे से बच गये हैं, आज उसी चीज को मैं फिर दोहराना चाहता हूं और अर्ज करता हूं कि मैं नहीं चाहता कि इस कानून के दूसरे ऐमेन्डमेंट (संशोधन) की वजह से अगर कोई टैक्स इवेडर साबित होता है तो उसके बरखिलाफ आप किसी तरह रियायत करें, लेकिन मैं यह नहीं चाहता हूं कि आपने जो नया ला बनाया है उसके ऊपर अमल करके मामूली आदमी को आप तक्लीफ पहुंचायें । आपने फरमाया है कि सात सालों में सिर्फ दो दफा इन्वेस्टिकेशन कमिशन ने तलाशी का हुक्म दिया । उन्होंने तो सात बरस में ऐसा किया, मैं चाहता हूं कि साठ बरस में भी किसी एक आदमी के घर की तलाशी न ली जाय । जो टैक्स इवेडर्स हैं उनके लिये मामूली कानून आप इस्तेमाल नहीं करते हैं । वह इतना जबरदस्त है कि सारी खराबियाँ दूर हो सकती हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

इस कानून को पास हुए आठ वर्ष हो गये हैं, इस अर्से में हमारे मुल्क में नार्मैलिटी (साधारण स्थिति) आ गई है। वह दिन अब दूर नहीं है जब हम इस प्राविजन को जो मियाद और तलाशी के आप बना रहे हैं हटा कर छोड़ेंगे, लेकिन ताहम,.....

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

कार्य मंत्रणा समिति

तैंतीसवां प्रतिवेदन

†**संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)** : श्रीमान् आपकी अनुमति से मैं कार्य मंत्रणा समिति का तैंतीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

विनियोग (संख्या २) विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा में विनियोग (संख्या २) विधेयक पर और आगे चर्चा होगी । इस के लिये आधे घंटे का समय निश्चित है ।

†**श्री वेलायुधन** (क्विलोन व मावेलिक्करा-रक्षित—अनुसूचित जातियां) : क्या हम किसी भी मंत्रालय की चर्चा कर सकते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : नहीं सदस्य केवल सूचना और प्रसारण तथा विधि मंत्रालयों के बारे में बोलें जिन पर बजट की साधारण चर्चा के समय कुछ नहीं कहा गया है ।

†**श्री बंसल** (झज्जर-रेवाड़ी) : औचित्य प्रश्न के हेतु मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या विचार-प्रस्ताव पेश कर दिया गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है ।

†**श्री एन० बी० चौधरी** (घाटल) : मैं अपने भाषण में केवल एक बात पर जोर देना चाहता हूं और वह यह है कि मतदाताओं का नाम सूचियों में दर्ज करने के लिये विधि मंत्रालय को उचित प्रबन्ध करना चाहिये । पंचायतों और बोर्डों में इस बात की अधिक चिन्ता नहीं की जाती है । इसका परिणाम यह होता है कि रजिस्ट्रार के पास सैंकड़ों मामले आते हैं और लोगों को बहुत असुविधा होती है ।

मुझे याद है कि मिदनापुर जिले में एक पंचायत क्षेत्र में ५०० लोगों का नाम मतदाताओं की सूची में लिखे जाने से रह गया था ।

†**विधी-कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर)** : यह कौन से राज्य की बात है ?

†**श्री एन० बी० चौधरी** : पश्चिमी बंगाल की । वे लोग अपना मत नहीं दे सके । हमारे देश में ८० प्रतिशत लोग निरक्षर हैं और यदि स्थानीय अधिकारी उनका नाम दर्ज न करें तो मत देने से वंचित रह जाते हैं । यह दशा किसी राज्य विशेष में नहीं बल्कि समस्त भारत में विद्यमान है । अतः इस ओर उचित ध्यान दिया जाना चाहिये ।

दूसरी बातें मैं शरणार्थियों के नाम दर्ज किये जाने के बारे में कहना चाहता हूं । सीमावर्ती जिलों में जो शरणार्थी बस गये हैं उन्हें हमारे संविधान के अधीन नागरिक बनने का अधिकार है किन्तु हम देखते हैं कि मतदाताओं की सूची में उनके नाम दर्ज नहीं किये गये हैं । अंत में, मैं आशा करता हूं कि सरकार इस ओर अवश्य ध्यान देगी ताकि अगले चुनाव में उन्हें मतदान का अवसर प्राप्त हो सके ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वेलायुधन** : मैं कुछ शब्द सूचना और प्रसारण मंत्रालय के बारे में कहना चाहता हूं। यह मंत्रालय हमारे विशाल देश में सांस्कृतिक जागरण का काम कर रहा है। प्रचार कार्य के लिये इतना बड़ा संगठन अन्य किसी देश में नहीं है और इस मंत्रालय ने थोड़े ही समय में इतना विकास करके अपना प्रबन्ध अच्छा कर लिया है ।

भारतीय संस्कृति बहुत प्राचीन है और उसका पुनरुत्थान करना तथा देश को एक नया सांस्कृतिक जीवन देना एक बड़ी कठिन समस्या है। एक ओर तो हमें प्राचीन कलाओं का पुनरुत्थान करना है और दूसरी ओर जो नवीन प्रगति हो रही है उसका भी विकास करना है क्योंकि जनता की सदैव यह इच्छा रहती कि आधुनिकता को यथेष्ट स्थान दिया जाय। सूचना और प्रसारण के बारे में बस मुझे यही कहना है।

†**श्री नम्बियार** (मयूरम्) : मुझे कुछ बातें सूचना और प्रसारण मंत्रालय की आलोचना के रूप में कहनी हैं। इस मंत्रालय का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है किन्तु मैं यहां केवल राजनैतिक विषय का उल्लेख करता हूं। कांग्रेस चाहे प्रसारण द्वारा अपना प्रचार करती रहे किन्तु उसके लिये यह शोभा नहीं देता कि वह अन्य दलों के विचारों को असत्य रूप में प्रस्तुत करे ।

उदाहरण के लिये इस सभा की कार्यवाही सम्बन्धी समाचारों को लीजिये। वहां भी पक्षपात होता है और कांग्रेस अथवा कांग्रेसियों के कार्यों का ही समर्थन किया जाता है। मैं मानता हूं कि १५ मिनट के समाचार बुलेटिन में उनकी गतिविधियों पर प्रकाश डालने के लिये उचित समय दिया जाना चाहिये किन्तु विरोधी दल के विचारों को भी तो कोई स्थान दिया जाना चाहिये। आखिर हम लोग भी लाखों व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे दृष्टिकोण भी जनता को बताये जाने चाहिये। यह मैं मानता हूं कि प्रत्येक सदस्य का मत नहीं दिया जा सकता फिर भी शिष्टता के नाते विरोधी दलों की अवहेलना नहीं की जानी चाहिये। यही दशा राजनैतिक सम्मेलनों सम्बन्धी प्रसार के बारे में है। यदि इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का कोई जलसा होता तो उसका लम्बा चौड़ा विवरण सुनाया जाता है और यदि आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का कोई आयोजन हो तो उसकी केवल सूक्ष्म सी सूचना दे दी जाती है।

अतः मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि वे इस पक्षपात को दूर करें और सब दलों के विचारों और कार्यों के समान रूप से प्रसारण का प्रबन्ध करें ।

†**श्री पाटस्कर** : मुझे श्री एन० बी० चौधरी की आलोचना के उत्तर में अधिक नहीं कहना है। जहां तक मतदाताओं की सूचियों का प्रश्न है, मैं देखता हूं कि अब की बार विभिन्न दलों के सदस्य उनके तैयार किये जाने के बारे में काफी दिलचस्पी ले रहे हैं। जब विधेयक पर सभा में चर्चा हो रही थी तब भी मैंने कहा था कि पिछली बार निर्वाचन आयोग ने यह शिकायत की थी कि ऐसी सूचियों के सम्बन्ध में विभिन्न दलों ने सहयोग नहीं दिया है। मुझे खुशी है कि अब वह स्थिति नहीं रही है।

मुझे आशा है कि निर्वाचन आयोग समस्त मतदाताओं की सम्पूर्ण सूचियां तैयार करेगा। अधिक कहने की मैं आवश्यकता नहीं समझता। जो उदाहरण अभी दिया गया है वह शायद कई वर्ष पहले की बात है।

†**श्री एन० बी० चौधरी** : यह तो अभी कुछ महीने पहले की बात है ।

†**श्री पाटस्कर** : ऐसा तो पुरानी सूचियों के कारण हुआ होगा। नयी सूचियों में हम लोग औचित्य का पूरा ध्यान रखते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि माननीय सदस्य को कोई गलती मालूम हो तो वे माननीय मंत्री को सूचित कर सकते हैं ।

†**श्री पाटस्कर** : मैंने तो आज सबेरे ही एक प्रश्न के उत्तर में कहा है कि यदि कोई भी सदस्य कोई विशेष सुझाव दे तो मैं उसे आवश्यक कार्यवाही के लिये निर्वाचन आयोग के पास भेज दूंगा।

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : सब से पहले तो मैं श्री वेलायुधन की आलोचना का उत्तर देना चाहता हूं। मैं इस बात से सहमत हूं कि हमें सांस्कृतिक कार्य को प्रोत्साहन देना चाहिये

---

†मूल अंग्रेजी में

[सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)]

किन्तु आल इंडिया रेडियो अथवा मेरे मंत्रालय को केवल सांस्कृतिक काम ही नहीं रहता है । हम और भी कार्य करते हैं । हम इन कार्यों में विशेष भेदभाव नहीं रखते । फिर भी मैं आश्वासन देता हूं कि संस्कृति के लिये यथाशक्ति प्रयत्न करेंगे ।

माननीय सदस्य संस्कृति के आधुनिकीकरण के पक्ष में हैं किन्तु हमारी इच्छानुसार एक दम ऐसा नहीं हो सकता । संस्कृति और परम्पराओं में परिवर्तन इतना आसान नहीं है । यदि हम इसके लिये दृढ़ निश्चय कर लें तो ऐसा हो सकता है । यदि प्राचीन और अर्वाचीन में समन्वय हो तो हम अर्वाचीन के विरोधी नहीं हैं । हम उसका स्वागत करते हैं किन्तु कोई भी वस्तु केवल आधुनिक होने से अच्छी नहीं होती । इस विषय में हम कोई निश्चित नियम नहीं बना सकते । यदि हम शास्त्रीय कला का पुनरुत्थान करत हैं तो उसका यह अर्थ नहीं कि हम अर्वाचीन की अवहेलना करते हैं । भारत में कला की दृष्टि से एक शून्य वातावरण बन गया था जिसमें प्राचीन और अर्वाचीन दोनों ही नगण्य बन गये थे । अतएव, अपना कार्य आरम्भ करने से पूर्व हमें यह जानना जरूरी है कि हमारे देश में कौन सी कलायें विद्यमान हैं । वे जैसी भी हैं हम उनका स्वागत करते हैं और उनकी सहायता करने का आश्वासन देते हैं ।

श्री नम्बियार ने जो बात कही है वह उनके साथियों तथा अन्य विरोधी सदस्यों द्वारा अनेक बार कही जा चुकी है । पहले तो आल इंडिया रेडियो द्वारा प्रसारित समाचारों में विभिन्न बातों को स्थान देने का प्रश्न है और उसके बाद विरोधी विचारों को स्थान देने का प्रश्न है । पहले मैं समाचार के प्रश्न को लेता हूं । राजनैतिक राय के अनुसार समाचारों के लिये समय का बंटवारा करना संभव नहीं है । समाचारों को स्थान तो घटनाओं के महत्व के अनुसार दिये जाते हैं । पत्रकारिता में भी ऐसा ही होता है और देश के लगभग सभी पत्र ऐसा ही करते हैं । मैं जानता हूं कि श्री नम्बियार के दल के कुछ सदस्य पत्रों में कुछ भाषणों को महत्व दिये जाने और कुछ को न दिये जाने का विरोध करते हैं । हमारे यहां ऐसा नहीं होता । हम तो अपने समय के भीतर वस्तु स्थिति का अच्छा चित्रण करने का प्रयत्न करते हैं । यह हो सकता है कि श्री नम्बियार के मत से कोई घटना विशेष महत्व की हो और मेरे मत से न हो । ऐसी दशा में भिन्नता सदैव रहती है ।

जहां तक सभा की कार्यवाही के प्रसारण का प्रश्न है, मैं उनसे सहमत नहीं हूं । कार्यवाही को मैं भी सुनता हूं । यह तो संभव नहीं है कि सब भाषणों का हाल बताया जाय । यदि कोई वाद-विवाद है और रेडियो पर जब पांच-सात मिनिट में उसका सारांश देना होता है तो प्रत्येक सदस्य के भाषण को स्थान नहीं दिया जाता । यदि श्री नम्बियार चाहें तो मैं उन्हें रेडियों पर प्रसारित सारांशों को दिखा सकता हूं । हम देखते हैं कि विरोधी दलों के मुख्य सदस्यों का केवल नाम ही नहीं लिया जाता बल्कि उनके विचार भी बताये जाते हैं । हम प्रत्येक विरोधी दल का वर्णन नहीं कर सकते । यदि छः विरोधी दल हों तो हम छः-सात मिनट में सब के विचार कैसे बता सकते हैं ।

यदि श्री नम्बियार चाहें तो मैं कुछ दिनों के समाचारों का नमूना उनके आगे रख सकता हूं जिससे यह ज्ञात हो जायगा कि हम किस प्रकार कार्य करते हैं । यह ठीक है कि उसमें कोई त्रुटियां हों । त्रुटियां किस से नहीं होती ? समाचार सम्पादक को फौरन समाचार छांटने पड़ते हैं । इस बात का ध्यान जाता है कि कोई ग़लती न रहने पाये । यदि माननीय सदस्य कोई विशेष मामला बताये तो मैं उसकी जांच कर सकता हूं ।

यदि हमें संसदीय कार्यवाही के प्रचार के लिये आधे घंटे का समय मिले तो हम भाषणों का कुछ अधिक सारांश दे सकते हैं । मैं नित्य प्रति समाचार सुनता हूं । विरोधी दल के नेताओं के नाम, उनके भाषणों का सारांश, और उनके दलों के नाम बताये जाते हैं । अतः मैं श्री नम्बियार की बात नहीं मान सकता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दूसरी बात उन्होंने यह कही है कि विरोधी नेताओं को अपने विचार प्रसारित करने का अवसर नहीं दिया जाता है। यह बात पिछले वर्ष भी कही गई थी। उस समय भी मैंने समझाया था कि हमें इसमें क्या आपत्ति है।

यदि यह काम व्यवहार में लाया जा सके तो मैं इस का विरोध नहीं करूंगा किन्तु माननीय सदस्य यदि इस पर विचार करें तो उन्हें पता चलेगा कि यह क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। जिस देश में केवल दो-तीन राजनैतिक दल हों, वहां तो यह संभव हो भी सकता है क्योंकि उन्हें इसके लिये समय दिया जा सकता है और उनका स्तर भी ऊंचा होता है। अधिकतर देशों में कुछ विशेष अवसरों पर ऐसा आयोजन होता है किन्तु हमारे देश में अनेक राजनैतिक दल हैं। केन्द्र में और राज्यों में भी उनकी काफी संख्या है। यदि हम सभी दलों को प्रसारण का अवसर देने लगें तो इसमें समय अधिक नष्ट होगा और अन्य कार्यक्रमों को कम करना पड़ेगा। हमें प्रादेशिक भाषाओं में भी यह सुविधा देनी पड़ेगी क्योंकि अभी हम चौदह भाषाओं में प्रसारण करते हैं। इससे हमें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।

इन सब बातों के कारण हमने यह निश्चय किया है कि संसद् और विधान सभाओं की कार्यवाहियों के अतिरिक्त हम किसी राजनैतिक चर्चा अथवा राजनैतिक दल के प्रसारण का अवसर नहीं देते। यह हो सकता है कि आगे चल कर हम कुछ परिवर्तन कर सकें किन्तु इस समय तो यही स्थिति है। अन्त में, श्री नम्बियार से पुनः यही कहता हूं कि हमसे यदि कोई त्रुटियां होती हों तो हमें बतायें। हम उन पर विचार करने को तैयार हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९५६-५७ में प्रयोग के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों के भुगतान और विनियोजन का प्राधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किये जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २-(भारत की संचित निधि में से १९५६-५७ के लिये ४४,७८,९४,४५,००० रुपये का लिया जाना।)

संशोधन किया गया : पृष्ठ १, पंक्ति ८ में--

"sums" [राशियों] शब्द के स्थान पर "sum" [राशि] शब्द रखा जाये।

[श्री सी० डी० देशमुख]

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २, संशोधित रुप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड ३, अनुसूची, खण्ड १, अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, २३ अप्रैल, १९५६ के साढ़े दस बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

शनिवार, २१ अप्रैल, १९५६]

	पृष्ठ
याचिकायें	२५३३
(१) सचिव ने बताया कि उन्हें राज्य पुनर्गठन विधेयक के सम्बन्ध में छिहत्तर याचकों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्राप्त हुई है ।	
(२) श्री शिवमूर्त्ति स्वामी ने राज्य पुनर्गठन विधेयक के सम्बन्ध में एक याचिका जिस पर सात याचकों के हस्ताक्षर थे, उपस्थापित की ।	
विधेयक पारित	२५३३–२६०२, २६०२–०५
(१) वित्त विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर और आगे चर्चा जारी रही । खण्डों पर विचार होने के बाद विधेयक, संशोधित रूप में, पारित हुआ ।	
(२) विनियोग (संख्या २) विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर और आगे चर्चा पुनः आरम्भ हुई । खण्डों पर विचार होने के बाद, विधेयक, संशोधित रूप में, पारित हुआ ।	
कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित	२६०२
तैंतीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित हुआ ।	
सोमवार, २३ अप्रैल, १९५६ के लिये कार्यावलि—	
संयुक्त समिति को राज्य पुनर्गठन विधेयक सौंपने के प्रस्ताव पर चर्चा ।	

M120LSD—190—26-11-57—GIPF